शुक्रवार, 5 मार्च 1982

14 फाल्गुन 1903 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

आठवाँ सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 12, शुक्रवार, 5 मार्च, 1982/14 फाल्गुन, 1903 (शक)

विषय		
निधन सम्बन्धी उल्लेख	...	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 187 और 192	...	2-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 194 से 206	...	19-27
अतारांकित, प्रश्न संख्या 2083 से 2108, 2110 से 2132, 2134 से 2147 2149 से 2154, 2156 से 2164, 2166 से 2189 2191 से 2232, 2234 से 2274 और 2276 से 2313	...	27-182
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	182-185
मंडल आयोग के प्रतिवेदन के बारे में	...	185-186
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1981-82		
विवरण प्रस्तुत किया गया	...	186
लोक लेखा समिति		
69वां और 74वां प्रतिवेदन	...	186
ध्यानाकर्षण के बारे में	...	186-190
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		
लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी के निदेशक द्वारा समय से पूर्व सेवा निवृत्ति मांगे जाने का समाचार		
श्री एम. एम. लारेंस	...	190

*किसी नाम पर अंकित यह †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या ... 194-210
श्री जार्ज फर्नान्डीस ... 198-202
श्री जैल सिंह ... 201-204
श्री सतीश अग्रवाल ... 203-208
श्री ई. बालानन्दन ... 210

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 1980 के बारे में याचिका ...

बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों के ईंधन में पानी के बारे में वक्तव्य

श्री पी. शिव शंकर ... 211-212

सभा का कार्य ... 212-217

चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि संशोधन विधेयक पुर: स्थापित किया गया ... 217-218

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति ... 218
36वां प्रतिवेदन

पुर:स्थापित किये गये विधेयक,

(1) **भारतीय सामाजिक क्रान्ति विधेयक, 1981**
श्री रघुनाथ सिंह वर्मा ... 218

(2) **जाति पदवियां और जातिनाम उत्सादन विधेयक, 1982**
श्री रणजीतसिंह ... 119

(3) **संविधान (संशोधन) विधेयक,**
(अनुच्छेद 124 और 217 का संशोधन)
श्री बी. वी. देसाई ... 219

(4) **गन्ना मूल्य (नियतन) विधेयक, 1982**
प्रो. मधु दण्डवते ... 219

(5) **सविधान (संशोधन) विधेयक, 1982**
(अनुच्छेद 368 का सशोधन)
प्रो. मधु दण्डवते ... 219-220-

(6) **शिक्षा संस्थाओं में छेड़छाड़**
(रेंगिग) निवारण विधेयक, 1982
डा. वसन्त कुमार पंडित ... 229

(7) अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण विधेयक, 1982

डा. बसन्त कुमार पंडित ... 220

(8) छोटे किसान और कृषि कर्मकार सुरक्षा विधेयक, 1982

प्रो. मधु दण्डवते ... 221

भारतीय तार यंत्र (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत

श्री जेवियर अराकल ... 221-224

श्री सत्यनारायण जटिया ... 224-225

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 225

श्री मूलचन्द डागा ... 225

श्री के. ए. राजन ... 226

श्री सी. एम. स्टीफन ... 226-232

श्री भोगेन्द्र झा ... 232-237

निःशुल्क विधिक सेवा विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

श्री एडुआर्डो फैलीरो ... 237-245

श्री सईद मसुदल हुसैन ... 245-247

प्रो. एन. जी. रंगा ... 247-249

श्री चन्द्रजीत यादव ... 249-251

श्री जेवियर अराकल ... 251-253

श्री सूरज भान ... 253-254

श्री सुन्दर सिंह ... 254-256

श्री गिरधारी लाल व्यास ... 256

आधे घन्टे की चर्चा

कोटा परमाणु बिजली घर का बन्द होना

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 256-259

श्री सी. पी. एन. सिंह ... 259-262

श्री सत्यनारायण जटिया ... 262

श्रीराम बिलास पासवान ... 262

श्री कृष्ण कुमार गोयल ... 261-265

श्री रामावतार शास्त्री ... 265-266

सदस्य की गिरफ्तारी

(श्री सुशील भट्टाचार्य) ... 266-267

लोक सभा

शुक्रवार, 5 मार्च, 1982/14 फाल्गुन, 1903 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अपने पुराने साथी श्री यमुना प्रसाद मंडल के दुखद निधन की सूचना देनी है। वे 1962-77 तक तीसरी चौथी तथा पांचवी लोक सभा के बिहार के समस्तीपुर चुनाव क्षेत्र से सदस्य थे।

वे एक सक्रिय समाजिक कार्यकर्त्ता थे, विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य तथा तीन हाई स्कूलों के संस्थापक थे। उन्होंने बाल विवाह, उप जाति तथा जाति प्रथा को समाप्त करने तथा महिलाओं व लड़कियों में शिक्षा के प्रसार के लिए कार्य किया। उन्होंने श्रम संगठनों तथा भूमि-हीन श्रमिकों के कल्याण में बहुत अधिक रूचि ली। उन्होंने श्रमदान तथा भूदान आन्दोलनों में सक्रिय भाग लिया।

एक अनुभवी स्वतन्त्रता सेनानी के रूप में उन्होंने 1942 में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया था तथा जेल गये थे।

उनका 21 जनवरी, 1982 को बम्बई में 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ।

हम अपने इस मित्र के स्वर्गवास पर हार्दिक शोक व्यक्त करते हैं तथा मुझे पूरा विश्वास है कि सभा मेरे साथ शोक सन्तप्त परिवार को शोक संवेदनायें भेजने में सहयोजित होगी।

सभा कुछ क्षणों के लिए मौन खड़ी रहे।

तत्पश्चात सदस्यगण कुछ क्षण मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

रुपये के मूल्य में गिरवट

*187. †श्री सूरजभान :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960-61 और 1947 की तुलना में इस समय रुपये का मूल्य कितना है;

(ख) इसका (एक) आयकर (दो) धन कर (तीन) सम्पत्ति मूल्यांकन और (चार) किसी उद्योग के सम्बन्ध में यह निश्चित करने के लिए कि क्या वह लघु उद्योग या मध्यम श्रेणी के उद्योग या बड़े पैमाने के क्षेत्र का है, क्या प्रभाव पड़ा है ?

(ग) प्रत्येक मामले में इसके प्रभाव को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया : (क) अखिल भारतीय औद्योगिक कर्मचारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1960=100 के पारस्परिक सम्बन्ध सूचक के रूप में देश के अन्दर रुपये की क्रय शक्ति वर्ष 1947 में 138.89 पैसे, 1961 में 96.15 पैसे और दिसम्बर, 1981 में 21.74 पैसे निकलती है। (उपलब्ध आंकड़े नवीनतम हैं)।

(ख) तथा (ग) सरकार की नीति, करों को रुपये की क्रय शक्ति के अनुसार लगाने की नहीं है। इसलिए रुपये के मूल्य का आयकर धन कर के निर्धारण पर, सम्पत्ति के मूल्यांकन पर और किसी उद्योग के बारे में यह निर्धारण करने पर प्रभाव पड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता कि वह लघु क्षेत्र में आता है अथवा मध्यम या बड़े क्षेत्र में है।

श्री सूरजभान : अध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे आजादी का वक्त गुजरता जा रहा है, वैसे-वैसे हमारे रुपये की कीमत घटती जा रही है। 1947 में 138 पैसे थी और आज 21 पैसे मानते हैं। दरअसल मेरे ख्याल से 14-15 पैसे रह गई है। इन्होंने कहा है कि हमारी टैक्सेशन पालिसी रुपये की कीमत के हिसाब से नहीं है, लेकिन है किस हिसाब से है यह इन्होंने नहीं बताया है। आपने एक मकान के ऊपर एक लाखरुपए की लिमिट रखी है। रुपये की घटती हुई कीमत को देख कर, आप के स्टेटमेंट के मुताबिक, उसकी कीमत एक चौथाई से भी कम रह गई है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि रुपये की घटती हुई कीमत को देखते हुए, यदि एक आदमी का एक मकान है, तो क्या उसको वैल्थ टैक्स और एस्टेट ड्यूटी से ऐग्जैम्ट करेंगे ? इसके साथ मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जो अपने इनकम टैक्स की लिमिट 15 हजार रखी है, इसको सबके लिए क्या आप 20 हजार रुपये कर देंगे, रुपये की घटती हुई कीमत को देखते हुए ?

श्री सवाईसिंह सिसोदिया : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न किए हैं—एक इनकम टैक्स के बारे में और दूसरा वैल्थ टैक्स के बारे में। माननीय मंत्री जी ने अभी सदन में बजट पेश किया है, उसमें जो संभव था, वे इनकम टैक्स के बारे में जितनी रियायत दे सकते थे, वह सदन के सामने उन्होंने रखी है। मैं उनकी जानकारी के लिए फिर कहना चाहता हूं कि 1947 में इनकम टैक्स की ऐग्जैम्पशन लिमिट 2 हजार 5 सौ रुपये थी, 1961 में 3,600 रुपये और अब 1981 में 15 हजार रुपए। देश की इकानामिक सिचूएशन को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाता है। जो राष्ट्र के हित में संभव होता है, वह किया जाता है। इसलिए यह दृष्टिकोण कि रुपए की कीमत कम हो गई है, उसी हिसाब से ऐग्जैम्पशन लिमिट बढ़ती

रहे, तो यह संभव नहीं है। इसके अलावा मैं वैल्थ टैक्स के बारे में भी माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि ये 1,00,000 रुपये थे। इसके पश्चात वित्त अधिनियम 1970 के द्वारा सम्पत्ति कर से छूट की सीमा को कुछ विशिष्ट वित्तीय परिसम्पत्तियों में, जिनमें इसके साथ-साथ युनिट ट्रस्ट आफ इण्ठिया की युनिट तथा बैंकों आदि में की गयी जमा राशियां भी सम्मलित हैं, निवेश करने के लिए बढ़ा दिया गया था। ऐसे निवेशों के सम्बन्ध में सीमा 1,50,000 रुपए निर्धारित की गई है तथा युनिटों के सम्बन्ध में 25,000 रुपये की अतिरिक्त राशि रखी गई है। इन सीमाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव था, तथा यह बढ़ा दी गई है।

श्री सूरजभान : अध्यक्ष महोदय उन्होंने यह नहीं बतांया कि टैक्सेशन की पालिसी क्या है, केवल यह कहा है वह रुपए की कीमत कम होने के आधार पर नहीं है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि रुपये की कीमत कम होने का प्रभाव सिर्फ इनकम टैक्स पेयर को ही नहीं है, बल्कि आम कन्जूमर पर भी होता है और खास तौर पर उन पर जिनकी फिक्स सैलरी है, चाहे वह प्राइवेट सैक्टर में हो या सरकारी मुलाजिम हो या और किसी क्षेत्र में हो, उनका पे पैकेट न घटे क्या इस किस्म की कोई आप व्यवस्था करेंगे ? जिस किस्म की व्यवस्था पहले रेलवे में हुआ करती थी, एसें शयल गुड्स जैसे अनाज है, कपड़ा है या दूसरी चीजें हैं, उनको आप सब्सिडाइज्ड रेट पर देते रहेंगे ताकि रुपए की कीमत घटने का उनके पे पैकेट पर असर न पड़े ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह प्रश्न मूल प्रश्न की सीमा से बाहर है। डी. ए. के बारे में, पे के बारे में या पे-कमीशन के बारे में क्या प्रिंसिपल हो, क्या सिद्धान्त हो, यह प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है (**व्यवधान**) मेरा निवेदन यह है कि जब कभी टैक्सेशन या बजट के प्रोपोजल्स के बारे में विचार किया जाता है, तो माननीय सदस्य एक तरफा तस्वीर को देखते हैं। इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है कि हमारे देश की आजादी के बाद कितना विकास हुआ है।

एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन 1960 में 60 मिलियन टन था, लेकिन अब यह 134 मिलियन टन है। इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ चार गुना ऊपर जा चुका है। देश के विकास के कार्यों में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा काफी व्यय किया गया है और विकास की दृष्टि से देश काफी आगे बड़ा है। इसलिए तस्वीर के दूसरे रुख को भी सामने रखना चाहिये। हमारे देश की हर दृष्टि से हर क्षेत्र में उन्नति हुई है, उसको सामने रखते हुए बजट के समय देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह सम्भव कौशिश की जाती है कि जितनी राहत दी जा सकती है वह दी जाय।

श्री सूरजभान : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। सब्सिडाइज्ड रेट्स पर गुड्स दिए जायेंगे या नहीं।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : यह इस प्रश्न की मर्यादा से बाहर है।

श्री जार्ज फरनान्डीस : मंत्री महोदय ने ठीक ही कहा कि देश में काफी विकास हुआ है पिछले 30-35 वर्षों में रुपये की कीमत घटी है इसलिए उसकी कोई विशेष फिक्र नहीं

करनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि देश के मजदूरों का जो प्रावीडेन्ट फण्ड आप काटते हैं और जिसको सरकार के पास जमा कराया जाता है···।

डा. कृपा सिन्धु भोई : यह आर्गनाइज्ड लेबर की बात है।

श्री जार्ज सर्नान्डीफ : गरीब मजदूर जो कमाता है उसकी कमाई में से प्रावीडेन्ट फण्ड काटा जाता है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं : इसी तरह से लाइफ इन्शोरेंस कारपोरेशन में जो लोग बीमा कराते हैं और आपको प्रीमियम देते हैं दोनों से प्राप्त रुपया आप देश के विकास के काम में लगाते हैं। पिछले 4-6 महीनों में जितनी देश में बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं सब नये-नये डिबेन्चरी का एलान कर रही हैं और 30 साल पहले जो इन कम्पनियों में 10 रुपया लगा था वह आज 1000 रुपये तक पहुंच गया है। ऐसा प्रचार खूब कर रही हैं, ऐशी स्थिति में मजदूरों से जो आप प्राविडेन्ट फण्ड के माध्यम से या सामान्य लोगों से जो बीमे के माध्यम से प्रीमियम लेते हैं और लो राष्ट्र के विकास के कार्य में लगाते हैं तथा जिस के द्वारा राष्ट्र के कल्याण के साथ-साथ उद्योगपतियों का कल्याण भी हो जाता है, उस गरीब के पैसे की कीमत न घटे, जैसे आज कल रुपये की कीमत घट रही है, तो क्या आप उसकी भरपाई करने का कोई इन्तजाम करेंगे ?

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न भी जो मौजूदा प्रश्न है उसके स्कोप के बाहर है। लेकिन···

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय यह आपको निर्णय करना है। मत्री प्रश्न के क्षेत्र का निर्णय नहीं कर सकता।

श्री सवाई सिंह सिसोदिया : मैं अध्यक्ष महोदय से इस पर विचार करने का निवेदन कर रहा हू कि यह पूरक प्रश्न, प्रश्न की सीमाओं में नहीं है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप कृपया वित्त मंत्री से उत्तर देने के लिए कहें यह नीति के मामले से सम्बद्ध है मुझे विश्वास है कि वित्त मन्त्री वक्तव्य दे सकते हैं। मुझे मालूम है कि वे समझते हैं कि प्रश्न कैसा है।

श्री सवाईसिंह सिसोदिया : आपकी रूमझों के लिए धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि इस में जो परिस्थितियां शासन के सामने आती हैं और उन सब के जो रिपरकशन्ज होते हैं, परिणाम होते हैं, उन पर विचार किया जाता है। सिद्धान्त के बारे में किसी डिक्लेरेशन का प्रश्न नहीं है और न ही ऐसा सम्भव है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सवाल बहुत ठोस है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। कृपया वित्त मंत्री को उत्तर देने के लिए कहिये।

प्रो. मधु दण्डवते : उनको अपने उत्तर पर मतदान करने की आवश्यकता नहीं, परन्तु वे अपना उत्तर दे सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : प्रश्न यह नहीं है कि मेरे मित्र ने क्या कहा है।

पहले बात तो यह है कि जो कुछ भी श्री फर्नान्डीस ने कहा वह सूचकांक तैयार करने तथा मूल्य ह्रास न होने देने के लिए आदर्श स्थिति हो सकती है। परन्तु इस प्रकार की स्थिति में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि यह सम्भव नहीं है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि इस

प्रकार की अत्यधिक मुद्रा स्फीति की स्थिति में सम्पूर्ण निवेश के पूंजीगत मूल्य का सूचकांक तैयार करने तथा उसकी ह्रास से रक्षा करना सम्भव है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं भविष्य निधि की बात कर रहा हूं।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं भविष्य निधि तथा जीवन बीमा में किए जाने वाले जैसे लम्बी अवधि के निवेशों की बात कर रहा हूं।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय वे कहते हैं अत्यधिक मुद्रास्फीति की स्थिति, परन्तु बजट भाषण में कहा गया गया है कि मुद्रा स्फीति को रोक दिया गया है।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं पिछले दशक की बात कर रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय रुपये की कीमत में हुए बहुत अधिक ह्रास को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार का आय कर के प्रयोजन से उन लोगों की आय को जिनकी आय निश्चित है, उन लोगों की आय से जिनकी आय का पता लगाना तथा परिमाणन आसानी से नहीं किया जा सकता समता करने की नीति का क्या औचित्य है। क्योंकि यह अन्य स्रोतों से प्राप्त की जाती है इसलिए आय के कुछ भाग का अपवंचन किया जा सकता है, तथा कई प्रकार की कटौती आदि करना भी सम्भव है। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने रुपए की कीमत में हुए भारी ह्रास को ध्यान में रखते हुए इस पर कोई विचार किया है कि क्या उन लोगों की जो निश्चित तनख्वाह लेते हैं तथा वे जिनकी आय का सरलता से पता नहीं लगाया जा सकता है तथा उसकी राशि नहीं बताई जा सकती है से आय कर के प्रयोजन के लिए समता की जानी चाहिए : क्या यह वेतन भोगी लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा ?

श्री प्रणब मुखर्जी : इस प्रश्न के दो भाग हैं पहले भाग के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। वस्तुत मैंने इसका उल्लेख अपने बजट भाषण में कर दिया है। जिसके कुछ शब्दों को मैं दोहराना चाहूंगा। मैं उद्धृत करता हूं।

मैं सिद्धान्त रूप से यह भी काट नहीं करता कि आयकर से छूट की सीमायें रहन सहन के खर्च के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए। मैंने उस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया। निश्चित वेतन वाले व्यक्ति को छूट देने के प्रश्न के सम्बन्ध में जैसा कि मेरे साथी ने कहा, समय समय पर हमने छूट की सीमा बढ़ाई है। यह प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या पता न लगपाने वाली आय समुह के लोगों के लिए भी इसमें वृद्धि की जाये (**व्यवधान**) मैं कह रहा हूं कि दो खण्डों में हम ने कुछ किया है : मैं कर ढांचे में बाधा नहीं डालना चाहता क्योंकि सबसे पहले जो आज आवश्यक है वह है कि कर ढांचे में कुछ स्थिरता होनी चाहिए हमें जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं करने चाहिएं।

युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं की पेंशन के निपटान के लिए लम्बित मामले

*188. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित युद्धों के दौरान मारे गए सैनिकों की विधवाओं की पेंशन के विपटान के कितने मामले अभी लम्बित हैं :

(1) भारत चीन 1962
(2) भारत-पाकिस्तान 1965
(3) भारत पाकिस्तान 1970

और—

(ख) इन मामलों के निपटान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और उनका निपटान संभवत: कब तक किया जायेगा ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में वीरगति प्राप्त सेना कार्मिकों की विधवाओं/आश्रितों के सभी मामलों में उदारीकृत पेंशन लाभ मंजूर किये जा चुके हैं और अब इस कोटि का कोई भी मामला अनिर्णीत नहीं पड़ा है।

प्रो. नारायण चन्द पराशर : गत वर्ष पहली अप्रैल को दी गई सूचना के अनुसार देश में 5,210 युद्ध-विधवायें थी यदि सभी मामलों का निपटान कर दिया गया है तो मैं मंत्री को बधाई देता हूं तथा उनको धन्यवाद देता हूं।

एयर फोर्स फेयरचाइल्ड पैकेट विमान का दुर्घटन ग्रस्त होना

*189. †**श्री बाला साहिब विखे पाटिल** :

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 फरवरी. 1982 को जम्मू क्षेत्र में पहाड़ी लेही मलार के निकट एक एअर फोर्स फेयरचाइल्ड पैकेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) इस दुर्घटना का क्या कारण था; और क्या इसकी कोई जांच कराई गई है;

(ग) इसमें मारे गये लोगों के नाम क्या हैं और मृतकों के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(घ) इसमें कितनी क्षति हुई है;

(ङ) क्या फेयरचाइल्ड पैकेट विमान पहले भी कभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था;

(च) ऐसी दुर्घटनाओं का ब्योरा क्या है; और

(छ) क्या इस किस्म के विमान को उड़ान कार्यों हेतु अनुपयुक्त पाया गया है और इसे बदलने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (छ) यह बड़े खेद की बात है कि वायु सेना का फेयर चाइल्ड पैकेट विमान 7 फरवरी, 1982 को जम्मू क्षेत्र में लोही मलार के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए एक जांच अदालत को आदेश दे दिए गए हैं। यह जांच अदालत दुर्घटना के कारणों का पता लगाएगी दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के नाम विवरण में दिए गए हैं।

2. दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा दिए जाने के लिए कार्रवाही शुरू कर दी गई है। एक लाख रुपये के अनुग्रह पूर्वक मुआवजे के अतिरिक्त प्रत्येक परिवार को विशेष परिवार पेंशन, शिशु भत्ता और संतान शिक्षा भत्ता और उस पर ग्रेडेड राहतें,

मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान एवं परिवार उपदान और नियमों के अधीन ग्राह्य सामुहिक बीमा योजना के अन्तर्गत भुगतान पाने के हकदार होंगे।

3. किसी सिविल सम्पत्ति का नुकसान नहीं हुआ था। इस दुर्घटना में क्षतिग्रस्त विमान तथा उपकरणों का अनुमानित मूल्य लगभग 8.80 लाख रुपये है।

4. पैकेट विमान को संक्रियात्मक कार्यों के लिए अनुपयुक्त नहीं समझा जाता है। परन्तु इस विमान को पुराना हो जाने पर यथा समय बदल दिया जाएगा और इसके स्थान पर वायु सेना द्वारा प्राप्त किए जा रहे नए विमान को काम में लाया जाएगा।

5. पैकेट विमान का उपयोग 1954 में शुरू किया गया था। पिछले पाँच वर्षों में हुई दुर्घटनाओं तथा हताहतों की संख्या इस प्रकार है :

	दुर्घटनाओं की संख्या	हताहतों की संख्या
1977	3	—
1978	3	8
1979	—	—
1980	3	46
1981	1	—
1982	1	23

विवरण

7 फरवरी, 1982 को जम्मू के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुए फेयरचाइल्ड विमान में हताहतों की सूची

वायु कर्मीदल

क्रम संख्या	सेवा संख्या	पद	नाम
1.	12399	स्क्वाड्रन लीडर	एन. एस. पैन्टल
2.	15429	फ्लाइंग अफसर	एम. पी. सिंह
3.	209349	डब्ल्यू. ओ.	रामकृष्ण
4.	214601	जे. डब्ल्यू. ओ.	के. सिंह
इंजैक्शन कर्मीदल			
5.	6363947	नायक	जोगिन्दर सिंह
यात्री			
6.	14224719	सूबेदार मेजर	उमा शंकर
7.	14230985	सूबेदार मेजर	रविन्द्र नाथ
8.	14231407	सूबेदार मेजर	एच. के. घोष

1	2	3	4
9.	7118441	नायक	मोहन कुमार
10.	9921656	नायक	सी. डंगलों
11.	12806852	लॉस नायक	ठाकुर दास
12.	9921774	सिपाही	तशी थवाँग
13.	13937422	सिपाही	मुन्ना
14.	6471529	सिपाही	बालू नरवदा
15.	14270439	सिपाही	अक्षय कुमार
16.	14299328	सिपाही	कुमार
17.	14231718	सिपाही	रघुबीरसिंह
18.	2645598	सिपाही	प्रीतमसिंह
19.	13904707	नायक	डी. वी. जोशी
20.	13833647	सिपाही	नन्द प्रकाश
21.	494	लाल (कुक)	मुख्तार सिंह
22.	7238442	सबल	राम कुमार
23.	6464263	ड्राइवर	सत्यनारायण

अध्यक्ष महोदय : श्री विखे पाटिल ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं पहले प्रश्न पर सवाल करना चाहता था ?

अध्यक्ष महोदय : आप उस समय बताते, तो मैं पुछवा देता । अब तो दूसरा प्रश्न है ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, यह जो अभी स्टेटमैंट दिया है, इससे पता चलता है कि यह जो पैकेट एयरक्राफ्ट है, इससे ।। से ज्यादा एक्सीडेन्ट्स हो चुके हैं और एक्सपर्टस ने यह भी मत दिया है कि ज्यादा ऊँची पहाड़ियों के लिए यह अच्छा नहीं है । हमारा जो बोर्डर है, उसके लिए अभी काफी खतरा है और वहां पर हाई टेंशन चल रहा है । तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके रिप्लेसमेंट का जो काम चल रहा है, वह कितने दिनों में पूरा हो जाएगा क्योंकि मुल्कों ने पैकेट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल काफी कम कर दिया है और नये एयरक्राफ्ट वे ले रहे है ।

दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान एरोनोटिक्स ने सेफ्टी के लिये जो नये इंजन बनाए है, उनका इस्तेमाल भी क्या इसमें हो रहा है ? मेरा तीसरा सवाल यह है

अध्यक्ष महोदय : एक एक सवाल कीजिए, आप तो केटेलोग करते जा रहे हैं ।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे जवान जब अपने काम पर जाते हैं तो, उनमें विश्वास पैदा करने के लिए डिफेन्स मिनिस्ट्री क्या करने जा रही हैं ?

अध्यक्ष महोदय : आप एक-एक करके प्रश्न पूछिये :

श्री आर. वेंकटरामन : महोदय, जहां तक प्रोपेलर पद्धति के बदले जाने का सम्बन्ध है,

विमान में देहतर प्रोपेलर लगाया गया है। सभी अधिक अच्छी प्रोपेलर पद्धति है। कोई प्रश्न नहीं हैं।

जहां तक इन विमानों को धीरे-धीरे हटाने का सम्बन्ध है, हम पहले ही विमानों को धीरे-धीरे हटाने का निर्णय ले चुके हैं। हम दूसरे प्रकार का विमान लेने जा रहे हैं। अतः इनको बहुत शीघ्र ही धीरे-धीरे हटा दिया जाएगा :

जहां तक विश्वास का सम्बन्ध है मुझे यह कहने में खुशी है कि हमारे एयरमैनों तथा सिपाहियों को इन विमानों को उड़ाने में बहुत ही साहस तथा विश्वास प्राप्त है।

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : ये जो आप फेज आउट कर रहे हैं। उसके लिए क्या कोई खास प्रोग्राम बनाया है ? इसके लिए पैसे की तो सुविधा होगी लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई समय निश्चित किया गया है कि कितने साल के अन्दर फेज आऊट करेंगे।

श्री आर. वेंकटरामन : महोदय, यह विमानों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हम इनको जितना शीघ्र सम्भव हो सकता है उतने ही शीघ्र फेज आर्डर करने का निर्णय किया है हमने एक प्रकार के विमान के लिये आदेश भेज दिया है और यह आ रहा है परन्तु कहना सम्भव नहीं है कि यह फेज आऊट कब हो जाएगा।

डा. सुब्रह्मणयम् स्वामी : महोदय माननीय मन्त्री ने अभी-अभी सभा को सूचना दी है कि उन्होंने स्थापन्न विमानों के लिए आदेश दे दिया है। क्या वह सभा को यह सूचित करेंगे कि उन्होंने अन्तिम निर्णय लेने से पहले क्या विकल्प सोचा था ?

श्री आर. वेंकटरामन : हमने सोवियत एन. 32 के लिए निर्णय किया है।

डा. सुब्रह्मणयम् स्वामी : आपने कुछ विकल्प भी सोचे होंगे मैं जानना चाहूंगा कि इसको चुनने से पहले आपने क्या विकल्प सोचे थे ?

श्री आर. वेंकटरामन : हमारे अन्दर सामान्य बुद्धि है। निश्चित रूप से, किसी वस्तु को चुनने से पहले हम सभी विकल्पों को सोचते हैं तथा उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनते हैं।

डा. सुब्रह्मणयम् स्वामी : महोदय मुझे केवल मन्त्री की सामान्य बुद्धि की ही जानकारी नहीं है बल्कि उनकी असामान्य बुद्धि की भी जानकारी है। महोदय मैं जानना चाहता हूं कि क्या विकल्प सोचे गए थे (व्यवधान)

श्री आर. वेंकटरामन : महोदय हमने फ्रैंको जर्मन ट्रान्सैल सी. 160 के बारे में सोचा था। हमने लोक हीड एल. 400 के बारे में भी सोचा था।

एक माननीय सदस्य : यह अमरीकी है।

डा. सुब्रह्मणयम् स्वामी : यह अमरीकी है इसलिए वे खुश हैं।

श्री आर. वेंकटरामन : हमें खुशी है कि सर्वश्रेष्ठ चुन लिया गया है। हमने कनाडा के विमान डी. एच. सी. 5 डी बफैलों के बारे में भी सोचा था। हमने सोवियत ए. एन. 32 को चुनने से पहले इन सबके बारे में सोचा था। (व्यवधान)

श्री पी. नामग्याल : महोदय मैं रक्षा मंत्री को उनके द्वारा नये विमान के बारे में निर्णय लेने के लिए बधाई देना चाहता हूं क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि एयरमैन तथा

सिपाहियों में काफी मात्रा में दुर्घटनायें हुई हैं। अतः इसको ध्यान में रखते हुए आपने ए. एन. 32 को खरीदने का निर्णय लिया है। महोदय, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहूंगा कि पूर्णरूप से फेज आउट करने में कितना समय लगेगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही कहा है कि आदेश दिये जा चुके हैं तथा वे आने ही वाले हैं। परन्तु यह कहना सम्भव नहीं है कि फेजिंग आउट कब पूरी होगी।

संचार निदेशालय में खाली पदों का भरा जाना

*190. **श्री† एन. ई. होरो :**

श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी :

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि केन्द्रीय नागर विमानन मन्त्रालय के संचार निदेशालय में बड़ी तेजी से एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्त होती जा रही है क्योंकि खाली पदों को भरने के बारे में सरकार के अदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) जी, हाँ। सरकार को इस समाचार की जानकारी है रिपोर्ट अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है। नागर विमानन महानिदेशालय के संचार निदेशालय के सम्बन्ध में तथ्यात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :—

श्रेणी	स्वीकृत पद	रिक्तियों की संख्या	रिक्तियों को भरने के लिए की गई कार्यवाही
ग्रुप "क"	355	59	सभी 59 रिक्तियों को सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग को अधिसूचित कर दिया गया है।
ग्रुप "ख"	363	83	सभी 83 रिक्तियों के सम्बन्ध में तदर्थ आधार पर पदोन्नति के लिए पहले ही कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी हैं।
ग्रुप "ग"	1396	490	इनमें से अधिकांश रिक्तियाँ तकनीकी सहायक के संवर्ग में हैं जो कि अराजपत्रित तकनीकी संवर्गों को मिलाने के परिणामस्वरूप 1-3-1982 से बनाया गया है। इन पदों को रोजगार कार्यलय के माध्यम से लिखित तथा मौखिक परीक्षएं लेने के पश्चात् भरा जाएगा।

श्री एन. ई. होरो : यदि आप मन्त्री महोदय के वक्तव्य तथा 18 फरवरी को 'हिन्दुस्तान टाइमस' में प्रकाशित नागर विमानन मन्त्रालय के सूचना अधिकारी द्वारा जारी की गई सूचना पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया उत्तर बहुत भ्रमित करने वाला है। यह ठीक नहीं है तथा अस्पस्ट भी है। मन्त्री महोदय के वक्तव्य में कहा गया है कि क, ख और ग श्रेणी के पदों को भरा जा रहा है अब, जब कि आपने परिचालन संवर्ग की सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने की जिम्मेवारी ली है, आप सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले तकनीकी अधिकारियों के पदों को भरने में संकोच प्रकट कर रहे हैं। अब, आपके अधिकारी ने अपने स्पष्टीकरण में यह कहा है और मैं इसको उद्धृत करता हूं—

"सभी 43 रिक्तियाँ सीधी भर्ती के कोटे में हैं तथा उनको संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंजीनियरिंग सेवा प्रतियोगिता परिक्षाओं के माध्यम से भरा जायेगा। ए. टी. ओ. संवर्ग में 86 व्यक्तियों के पदोन्नति के आदेश 9 फरवरी, 1982 को जारी किए गये थे।"

यह कहना ठीक नहीं है कि नियुक्तियां 9 फरवरी को अर्थात 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 10 फरवरी को समाचार प्रकाशित होने से (एक) दिन पूर्व ही कर दी गई थी। मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूं वह यह कि सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले तकनीकी अधिकारियों के संवर्ग के रिक्त पदों का परिचालन संवर्ग के पदों के साथ न भरने के क्या कारण हैं ? इन पदों को समय पर न भरने के क्या कारण हैं ? (ख) क्या यह सच नहीं कि ये नियुक्तियाँ जो कि 9 फरवरी को की जानी थी, वास्तव में 10 फरवरी के बाद की गई तथा फाइलों में यह दिखाकर हेरफेर किया गया कि नियुक्तियाँ 9 फरवरी को की गई थीं ? क्या यह सच नहीं है ? क्या आप इसकी जांच करेंगे ? क्या वह यह आश्वासन देगे कि वह यथा शीघ्र तकनीकी अधिकारियों के पदों को सीधी भर्ती द्वारा करेंगे ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं प्रश्न के अन्तिम भाग से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अन्तिम भाग से ही शुरू कीजिए।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जी हाँ, क्योंकि मामले का अन्त अधिक महत्वपूर्ण है। मुझे इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि 10 फरवरी को समाचार प्रकाशित होने से एक दिन पहले ही अर्थात 9 फरवरी को आदेश जारी किए गये थे, तथा इसमें हेरफेर आदि किया गया है। मुझे इसकी कोई सूचना नहीं मिली। मुझे भी वही सूचना मिली है जो कि माननीय सदस्य को मिली है। ऐसा सम्भव है। मैं उसे स्पष्ट करना चाहूंगा। अब, रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में नागरिक उड्डयन निदेशालय के महानिदेशक 9 तारीख को ही इसे पूरा कर लेना चाहते थे, सम्भवतः यह मात्र संयोग ही है कि यह समाचार 10 तारीख को प्रकाशित हुआ। जहाँ तक मेरा सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हू कि मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं मिली थी जैसा कि मेरे सहयोगी कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। जहाँ तक तकनीकी रिक्तियों को भरने का प्रश्न है, जैसा कि वह स्वयं भी कह चुके हैं, वे ग्रुप 'क' श्रेणी के अन्तर्गत हैं। 355 रिक्त पद हैं और इतने अधिक पद रिक्त होने का एक कारण टाटा समिति की सिपारिशें हैं और इसी कारण इतने अधिक पद रिक्त पड़े हैं। परन्तु अब ग्रुप क श्रेणी में केवल 59 रिक्त पद भरे जाने की आवश्यकता है। वे पद परिष्ठ तकनीकी अधिकारियों, वरिष्ठ संचार अधिकारियों, तकनीकी

अधिकारियों तथा संचार अधिकारियों को रिक्तियों की सूचना संघ लोक सेवा आयोग को दे दी गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि यथा समय उन रिक्तियों को भर लिया जायेगा।

श्री एन. ई. होरो : मैं उनसे एक विष्टि प्रश्न जानना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय ने तकनीकी अधिकारियों की सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने के लिए कदम उठाए हैं। मन्त्री महोदय ने सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले परिचालन पदों को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यक से भरने के लिए कदम उठाए हैं। लेकिन उन्होंने तकनीकी अधिकारियों की सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं। मेरा यही प्रश्न है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं मुख्य प्रश्न के उत्तर में पहले से ही कह चुका हूं कि रिक्तियों की तीन श्रेणियाँ हैं—क, ख, और ग। अब, जहाँ तक ग्रुप—'क' का सम्बन्ध है, रिक्तियों की पूर्ति संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं से की जाएगी। ग्रुप—ख में सहायक संचार अधिकारियों तथा सहायक तकनीकी अधिकारियों के पद हैं। सहायक संचार अधिकारी की 53 रिक्तियाँ हैं जो कि दिसम्बर 1981 में हुई। सहायक तकनीकी अधिकारियों की 30 रिक्तियाँ हैं, ये भी दिसम्बर 1981 में हुई। ये सभी 83 रिक्तियाँ तदर्थ रिक्तियाँ हैं। मैंने आपसे यही कहा था कि इन रिक्तियों की पूर्ति करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। मेरे मित्र भी कुछ समय तक मन्त्री रह चुके हैं और वे रिक्तियों की पूर्ति करने की प्रक्रिया जानते हैं। इस उद्देश्य के लिये, हमें कुछ प्रक्रियों का पालन करना पड़ता है। इसमें समय लगता है और इस पर कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है और मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि कुछ समय बाद ही इन रिक्त पदों को भर दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री नरसिंह रेड्डी। वह यहां नहीं हैं। श्री शास्त्री।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : महोदय, अगला नाम मेरा है।

अध्यक्ष महोदय : गलती से आपका नाम प्रश्न संख्या 190 में छप गया है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, उन्हें गलती का फायदा उठाने दीजिए।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : महोदय, श्री शास्त्री के बाद मुझे अपना पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंत्री महोदय ने वेकैंसीज के भरे जाने के बारे में एक लम्बा चौड़ा विवरण प्रस्तुत किया है। मैं जानना चाहता हूं कि क और ख इन दोनों श्रेणियों में शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं और उनमें से कितने आपके द्वारा भरे गये हैं ? यह भी बताएं कि क्या शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनका ग्रुप ए और ग्रुप बी में 1 प्रतिशत और 1.40 प्रतिशत ही कोटा है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं कि मंत्री महोदय यह जानकारी दे सकेंगे या नहीं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूड ट्राइब्स के कर्मचारियों के साथ आपको कोई ऐसी सूचना मिली है कि वहाँ पर दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया जाता है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, फिर एक बार मैं आखिर से शुरू करना चाहता हूं और माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं···

प्रो. मधु दण्डवते : उन्हें इसका शौक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आजकल उनकी ओर प्रवृत्ति है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : शैड्यूल्य कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके प्रति कोई भी दुर्भावना हमारे मंत्रालय में या सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। और जहां तक मेरी सूचना है इस तरह की कोई दुर्भावना नहीं है।

पहला जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, आपने सही कहा है कि उसकी सूचना मेरे पास अभी नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : (क) और (ख) श्रेणी के 1 परसेंट और 1.4 परसट है···

अध्यक्ष महोदय : अभी इनके पास आंकड़े नहीं हैं इसलिए इस वक्त कैसे जवाब दे सकते हैं। आप फिर पूछ लेना सवाल, जवाब दिलवा देंगे। इनको आप घर जवाब भेज देना।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जी हां।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय टाटा कमेटी बनी थी परफारमेंस को इमप्रूव करने के लिए जिसने कुछ सिफारिशें दीं और उनके आधार पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट में जांच करके 27 जुलाई, 1981 को कुछ टेक्नीकल और ओपरेशनल पोस्टस क्रीएट की। 27 जुलाई, 1981 से जो पोस्टस क्रीएट की वह लगातार खाली चली आ रही हैं। और अभी मंत्री जी ने कहा कि यू.पी. एस. सी. को रेफर कर दीं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको सूचना है कि उन सिफारिशों को लागू करने में डी. जी. सी. ए. के अनकोआपरेटिव ऐटीट्यूड की वजह से आपकी मिनिस्ट्री अपने आपको हैल्पलैस महसूस कर रही है? तो टेकनीकल और ओपरेशनल काडर में जो वेकेन्सीज थीं, आपने जो कहा कि टेकनीकल काडर को इसने यू.पी. एस. सी. को रेफर कर दिया तो ओपरेशनल काडर की जो वेकेन्सीज थीं उनको बिना यू.पी. एस. सी. को रिफर किए हुए कैसे आपके डायरेक्टर जनरल, सिविल ऐविएशन ने फिल्प कर लिया? और इनको डिस्क्रीमिनेट करके, हयूमिलिएट करने के लिए इन पोस्टस को यू.पी. एस. सी. को रेफर किया जा रहा है। यदि यह ठीक है तो क्या आप इसकी जाँच करायेंगे?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां इन वेकेंसीज की बाढ़ सी आ गई है, बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो जहां तक टेकनीकल आफिसर्स का सवाल है माननीय सदस्य ने कहा हमने यू.पी. एस. सी. को लिखा है। लेकिन बाकी वेकेंसीज को हम भरने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने बताया इस वक्त जो स्थिति है उसमें ऐड-हाक बेसिस पर भी भर रहे हैं, और किसी किसी जगह क्वालिफिकेन्शस और लैंथ आफ सर्विस में रिलेक्सेशन करना पड़ रहा है, क्योंकि वेकेंसीज हैं और इसीलिए देर भी हो रही है क्योंकि आदमी हमें उपयुक्त चाहियें। इस लिए मैंने 3 कैटेगरीज में बांटा है और कहा है कि ग्रुप (बी) और (सी) में वैकेंसीज को किस तरह से भरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जहां तक मंत्रालय का

सवाल है हम किसी भी मामले में हैल्पलेस नहीं हैं। हम इन वेकेंसीज को फिल अप करायेंगे जो उपयुक्त होंगे उनसे इतना ही आश्वसन चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन नं० 191, श्री मुकन्द मण्डल।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 199 भी इसके साथ ही ले लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : एक ही दिन ऐसा मसला हुआ, जब दोनों राजी हुए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पूछ लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन 199 भी साथ लेंगे इसके ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : 199 क्या है, यह देखना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, आप इसे भी ले सकते हैं अगर प्रश्न सिर्फ इतना ही है कि ज्यादा से ज्यादा हवाई जहाज कलकत्ता में लाये जायें, तो आप उसको भी ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द पाठक हैं यहां ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : नहीं हैं, तो छोड़िये।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती विमा घोष हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : नहीं वह भी नहीं हैं, इसलिये 191 ही लीजिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री मुकुन्द मण्डल हैं क्या ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सामने बैठे हों, उनको अदृश्य नहीं किया जा सकता है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : श्री मण्डल बैठे हैं, वह मैं देख रहा हूं।

कलकत्ता से और अधिक सीधी विमान उड़ानें

*191. **श्री मुकुन्द मंडल** : क्या **पर्यटन और नागर विमान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एयर इंडिया से अनुरोध किया गया है कि वह कलकत्ता से अपना सामान ले जाने की क्षमता बढ़ाये परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला है और कलकत्ता से विमान द्वारा निर्यात के विकास में यह एक बाधा है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि इसके कारण निर्यातकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां तो सरकार द्वारा कलकत्ता से और अधिक सीधी विमान सेवायें शुरू करके यह स्थिति ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इंडिया कलकत्ता से होकर जाने वाली सीधी उड़ानों पर तथा बम्बई के ऊपर यानान्तरण आधार (ट्रांशिपमेंट बेसिस) पर कार्गो के निर्यात के लिये पर्याप्त क्षमता प्रदान करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुकुन्द मण्डल : महोदय, मंत्री महोदय ने बहुत ही अस्पष्ट उत्तर दिया है।

महोदय, कलकत्ता हवाई अड्डा पूरे पूर्वी क्षेत्र का प्रमुख हवाई अड्डा है। यह वास्तव में पूरे पूर्वी क्षेत्र का मुख्य द्वार है। कलकत्ता हवाई अड्डे का महत्व कम कर देने से इसका

प्रभाव न केवल यात्री यातायात तथा पर्यटक यातायात पर ही पड़ा है बल्कि माल ले जाने पर भी इसका प्रभाव पड़ा है तथा चमड़ा, चाय कालीन, सिले सिलाये वस्त्रों आदि महत्व पूर्ण वस्तुओं के निर्यात की संभावना को भी समाप्त कर दिया है।

अतः मन्त्री महोदय के अस्पष्ट उत्तर को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि–

(क) क्या वह कभी 28 दिसम्बर, 1981 को हवाई माल वणिकों से कलकत्ता में मिले थे और उन्हें आश्वासन दिया था कि वह और अधिक एयर लाइनों की सुविधा देकर कलकत्ता हवाई अड्डे पर यातायात में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे ?

(ख) क्या उन्हें इस हवाई अड्डे के विकास तथा साथ ही हवाई अड्डे पर उपलब्ध सुविधाओं के उपयोग करने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री द्वारा कोई अनुरोध प्राप्त हुआ था ?

(ग) क्या यह सच है कि 1971-72 में कलकत्ता हवाई अड्डा भारत का व्यस्ततम हवाई अड्डा था लेकिन 1980-81 में इसने देश में कुल हवाई भाड़े का सबसे कम माल ढोया ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूर्णतः सहमत हूं कि कलकत्ता हवाई अड्डा बहुत महत्वपूर्ण अड्डा है, विशेषकर उस प्रदेश में जिस ओर इन्होंने संकेत किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय उसी प्रदेश के हूं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मैं इससे सहमत हूं कि मैं भी देश के उसी भाग से हूं।

महोदय, हम अपनी तरफ से हर समय प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह से हम कलकत्ता हवाई अड्डे पर अधिक सख्या में एयर लाइन्स ला सकते हैं। हाल ही में कनाडा से की गई बातचीत में भी हमने उन्हें कलकत्ता की आफर दी। जब कभी भी हम किसी भी देश के साथ हवाई यातायात के साथ वार्त्ता करते हैं, हम निश्चित रूप से उन्हें कलकत्ता के लिए कहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि वे इससे सहमत नहीं होते। तब हम क्या कर सकते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या मंत्री महोदय हमें वार्ता में शामिल करेंगे। हम उन्हें राजी करने का प्रयत्न करेंगे। हम नहीं जानते कि वे उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। महोदय, समाचार पत्रों में यह समाचार था कि पर्यटन कार्यालय ने कहा था–वे कलकत्ता क्यों जाए ? यह गंदा शहर है।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : महोदय, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। यदि मेरे मित्र श्री,चटर्जी बातचीत का रिकार्ड देखना चाहते है तो वह उसे भी देख सकते हैं। हम निश्चित रूप से कलकत्ता के लिए कहते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप चटर्जी साहब को चाय पिलायें अपने कमरे में बुला कर।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : वह तो मैं बराबर पिलाने के लिए तैयार हू।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इनको कलकत्ता में चाय, रात्रि-भोजन और सब तरह से मनोरंजन करूंगा। जरा उन्हें जाकर इन लोगों को राजी करने का प्रयत्न तो करने दें।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें वहाँ ले जाइए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं उनका हार्दिक स्वागत करूंगा।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जहां तक कलकत्ता हवाई अड्डे पर अन्य एयर लाइन्स के आने का सम्बन्ध है, उसकी यह स्थिति है। जहां तक माल का सम्बन्ध है, हम पूरा प्रयत्न करते रहे हैं, और मेरे मित्र को यह जानकर आश्चर्य होगा—मैं उन्हें तथ्य बता सकता हू—उपलब्ध तथ्यों के अनुसार यहां तक कि पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया गया है। एयर इण्डिया को समय-समय पर घाटा होता रहा है। अतः क्षमता बढ़ाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही स्थिति है।

श्री मुकुन्द मण्डल : मंत्री महोदय इस बात से सहमत हैं कि यह भारत के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों में से एक है। यह भी मान लिया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय पायलट संघ ने कलकत्ता एयरपोर्ट को व्यस्ततम और भारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण हवाई अड्डा माना है। इसे ध्यान में रखते हुए, क्या कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइनों ने केन्द्रीय प्राधिकरणों से कलकत्ता में उतरने की सुविधा देने के लिए सम्पर्क स्थापित किया है ? यदि हाँ, तो क्या वह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई कंपनियों को उतरने की सुविधा प्रदान करने के लिए शीघ्र ही कदम उठाने पर तथा कलकत्ता एयरपोर्ट से गुजरने वाली उड़ानों को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं ?

वह कह रहे थे कि कलकत्ता एयरपोर्ट अथवा पूर्वी प्रदेश की आय कम है, लेकिन मुझे यह सूचना मिली है कि पूर्वी प्रदेश एयर इण्डिा की उड़ानों से अधिक धनोपार्जन कर रहा है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हू कि वे क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : मेरे माननीय मित्र के पास इसकी जानकारी है, और मेरे पास तथ्य है। तथ्यों के आधार पर, मैंने यह कहा है कि हमें घ टा हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद, हम हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं कि कलकत्ता हवाई अड्डे पर ज्यादा से ज्यादा हवाई कंपनियां लाई जानी चाहिए। हम इस समय अपने दो बोईंग 747सेवाओं—एक टेलनिवेडर और दूसरी ट्रांजिट सेवा से माल ले जाने का भी प्रबन्ध कर रहे हैं। कलकत्ता हवाई अड्डे पर एयर इण्डिया की ये दो सेवायें हैं, और हम उनके द्वारा माल ले जाने का प्रयत्न करा रहे है।

श्री मुकुन्द मंडल : क्या किसी अन्तर्राष्ट्रीय एयर लाइन्स ने आपके साथ-संपर्क स्थापित किया है अथवा नहीं (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस प्रश्न में माल ले जाने के संबंध में विशेष उल्लेख है। यह आम यात्रियों को ले जाने संबंधी प्रश्न नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस समय ऐसा कोई समझौता अथवा दायित्व है कि कलकत्ता से यह माल केवल हमारे ही वाहन से ले जाना होगा, उदाहरण के लिए एयर इंडिया द्वारा, और यह कि यह किसी अन्य एयर लाइन्स द्वारा नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि जहाँ तक एयर-इंडिया का संबंध है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है - मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं—कि एयर इंडिया मुख्य रूप से बम्बई—अभिमुख एयर लाइन्स है तथा यह अन्य हवाई अड्डों को अधिक महत्व नहीं देती ? मैं यह जानना चाहता हूं कि कलकत्ता से माल आवश्यक रूप से केवल एयर इण्डिया द्वारा ही ले जाने पर प्रतिबन्ध है अथवा इस माल को अन्य एयर लाइन्स द्वारा भेजना भी सम्भव है। यदि हाँ, ऐसा करने की क्या सभावनाएं हैं, तथा इस दिशा में क्या खोज की गई है ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है। वास्तव में इस समय कलकत्ता से 8 विदेशी एयरलाइनें चालू हैं, और वे माल तथा यात्री दोनों ही ले जा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम केवल एयर इंडिया के द्वारा ही निर्यात करने के लिए बाध्य हैं।

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : अन्य एयरलाइन्स द्वारा भी ले जा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माल ?

श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : जी, हाँ।

चावल की तेल निकाली गई भूसी के निर्यात पर नकद सहायता

*192 **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चावल की तेल निकाली गई भूसी के निर्यात हर किस तारीख से नकद सहायता दी जा रही है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सहायता समेकित दावे के आधार पर केवल सोलवेंट एक्सट्रैक्टर्स एशोसिएशन आफ इण्डिया को ही प्राप्त हो रही है और यदि हां, तो किस तारीख से और यह सहायता किस तारीख तक दी जाएगी; और

(ग) उन अन्य वस्तुओं के क्या नाम हैं जिसके लिए सरकार द्वारा संघों के माध्यम से नकद सहायता दी जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) 1-4-1981 से तेल रहित चावल भूसी निस्सारणों के निर्यात पर कोई नकदमुआवजा सहायता नहीं दी जा रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूती वस्त्रों के निर्यात पर नकद सहायता इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन की मार्फत दी जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आप हमारे क्वैश्चन को समझें और कृपा करके आन्सर को भी पढ़ें। मेरा क्वैश्चन है :

तेल निकाली गई चावल की भूसी के निर्यात पर किस तारीख से नकद सहायता दी जा रही है और इसके क्या कारण हैं; और उत्तर यह दिया गया है—

1-4-1981 से तेल रहित चावल भूसी निस्सारणों के निर्यात पर कोई नकद मुआवजा सहायता नहीं दी जा रही है।

मैं आपका ध्यान पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट की तरफ भी दिलाना चाहता हूं :

1979-80 के लिए और उसके बाद तेल निकाली गई चावल की भूसी पर नकद सहायता का अनुदान देने के प्रश्न की मन्त्रालय की 1979 से 1982 तक जहाज तक निःशुल्क मूल्य के 15 प्रतिशत नकद सहायता का अनुदान देने की सिफ़ारिशों के आधार पर वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जांच की गई थी। नकद सहायता पुनरीक्षण समिति ने तीन साल तक जहाज तक निःशुल्क मूल्य का 12.5 प्रतिशत सहायता का अनुदान देने का निर्णय लिया।

आप देखेंगे कि मेरा क्वैश्चन कुछ है और आन्सर कुछ है। इसके लिए अध्यक्ष महोदय, आप कुछ कह सकें तो अच्छा है और कुछ न कहना भी उचित ही होगा क्योंकि मौन उपदेश भी बहुत अच्छा होता है।

जब मैं क्वैश्चन करना चाहता हूं। चावल का तेल निकाली हुई भूसी के निर्यात के लिए कब से कब तक आपने नकद सहायता दी ? क्या यह सत्य है कि मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर ने बार-बार यह कहा है कि भूसी की देश में बहुत आवश्यकता है क्योंकि मुर्गी-पालन और दुग्धशाला के लिए यह बहुत उपयोगी है अतः इसको एक्सपोर्ट न किया जाए ? एक्सपोर्ट करने से यहाँ पर इसके भाव बढ़ जाते हैं तथा पशुओं एवं मुर्गी पालन में बाधा आती है। इसके बावजूद आपने इसको एक्सपोर्ट किया। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी निर्यात नीति किन आधारों पर बनाई जाती है ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : डागा साहब का जो प्रश्न था उसमें वे जो पूछना चाहते थे उससे ज्यादा हमने उनको बता दिया है। शायद हमने जो ज्यादा बता दिया है उसको वे डाइजेस्ट नहीं कर सके हैं। (**व्यवधान**) अपने प्रश्न में उन्होंने पूछा था :

तेल निकाली गई चावल की भूसी के निर्यात पर किस तारीख से नकद सहायता दी जा रही है और इसके क्या कारण हैं। वे ऐसा समझ रहे थे कि आज भी हम असिस्टेन्स दे रहे हैं लेकिन वह परिस्थिति नहीं है। हमने बताया है कि हम असिस्टेन्स नहीं देते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न यह है, "किस तारीख से आप दे रहे हैं" (**व्यवधान**)

प्रश्न है, "किस तारीख से आप दे रहे हैं ? (**व्यवधान**) यह प्रश्न काल है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : आज यह एसिसटेंस देने का सवाल नहीं है। हमने एसिसटैंट 1.4.1981 से देना बन्द किया है। यदि आप यह चाहते हैं कि हमने किस तारीख से एसिसटैंस देना शुरू किय है, वह मैं आपको बता सकता हूं। 1-4-1970 से 31.3-1971 तक हमने एसिसटैंस दिया, फिर 1-4-1971 से बन्द किया यह प्रेजैन्ट के लिए है, पास्ट के लिए उनका प्रश्न नहीं है।

श्री मूल चन्द डागा : कृपया गलत मत समझिए। आप प्रश्न पढ़ सकते हैं। प्रश्न में लिखा है "वह तारीख जिससे "

श्री नवल किशोर शर्मा : वह एडवोकेट हैं।

अध्यक्ष महोदय : दोनों ही एडवोकेट हैं।

श्री शिवराज वी. पाटिल : डागा साहब के उत्तर को जानने की इच्छा को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। मैं उनको यहाँ पर भी बताऊंगा और बाहर भी उनको बता दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : बाहर दूसरे ढंग तो बताने की चेष्टा नहीं करेंगे।

श्री शिवराज वी. पाटिल : जैसा कि मैंने कहा कि यह कैश एसिसटैंस 1971 से कुछ दिनों के लिये हमने दिया है, फिर बन्द किया है तथा फिर दिया है और कुछ बन्द किया है। तारीखों से सम्बन्धित उनका पहला सवाल था, जिसका जवाब हमने अपने उत्तर में दिया है। आज कैस एसिसटैंस नहीं देते हैं, इसको हमने 1-4-1981 से बन्द किया है। पी. ए. सी. की 39वीं रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये, यह कैस एसिसटैंस बन्द किया था। परिस्थिति के अनुसार यदि हमने तीन साल के लिए कैश एसिसटैंस देने के लिए अगर कहा भी है, तो जरूरत पड़ने पर

उसको विदड्रा भी किया जा सकता है, बन्द भी किया जा सकता है। जो अधिकार हमें प्राप्त हैं उस अधिकार से हमने इसको बन्द किया है।

दूसरा सवाल यह है कि हमारे पास कोई शिकायतें आई हैं, इसको बाहर भेजने से जो पोल्ट्री का धन्धा करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनको दिक्कत होती है ? मैं चाहता हूं कि हमारे पास इस तरह की शिकायतें आई हैं और उसका भी हमने ध्यान रखा है। हम जो कुछ भी बाहर भेजते हैं, डी-आयल्ड केक्स भेजते हैं, उसका तेल निकाल कर। जितना जरूरी होता है, उतना रखने के बाद जो अधिक है, वही भेजते हैं जितना यहां पर जरूरी नहीं है, उसको यहां पर रखना हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति की दृष्टि से अच्छा नहीं हो सकता जब इसकी कमी होती है, तो हम उसको रोक भी लेते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, जवाब में कहा गया है कि 1970 से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अब 1981 से बन्द कर दिया है। पी. ए. सी. ने जो 1981 में निर्णय लिया था कि एक्सपोर्टर को ही यह कैश-एसिसटेंस दी जाए, एसोसिएशन को न दी जाए तो क्या आप उस निर्णय को मानने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैंने अभी आपको बताया है कि जो पी. ए. सी की रिपोर्ट है, उसको हमने मान लिया है। जो हम एसोसिएशन को कैश-एसिसटेंस देते थे, उसको हमने बन्द कर दिया है। सिर्फ एक ही ऐसी एसोसिएशन है, जिसको हम देते हैं। उसमें परिस्थितियों को हमने मान लिया है। ऐसोसिएशन की तरफ से गवर्नमेंट एजेंसी की तरफ लाने के लिये जिन चीजों की जरूरत होती है, जैसे आदमी रखने की जरूरत होती है, उसका काम आज भी हमारा चल रहा है।

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष महोदय' यह बहुत ही गम्भीर मसला है। इस प्रश्न को हल्के ढंग से नहीं लेना चाहिये। जहां सब से ज्यादा धान की खेती होती है, वहां के लोगों को यह पता ही नहीं है कि चावल के छिलके से तेल भी निकलता है या नहीं। इसलिये वहां सारा का सारा छिलका खराब चला जाता है। क्या सरकार के पास इस तरह की कोई योजना है, जैसे बिहार या दूसरे प्रान्त हैं जहां काफी मात्रा में चावल की खेती होती है तो चावल से तेल निकालने के सम्बन्ध में किसानों को जानकारी दी जाए, वहां इस तरह के उद्योग धन्धे स्थापित किये जायें जिससे लोगों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके ?

श्री शिवराज वी. पाटिल : यह बात सही है कि चावल की जो भूसी निकलती है या ऊपर की जो चीज निकलती है उससे तेल निकलता है और उसकी अहमियत होती है और वह तेल दूसरे कामों के लिये इस्तेमाल में लाया जाता है। जहां तक कामर्स मिनिस्ट्री का सवाल है इसके बारे में जितनी मालूमात हम कर सकते हैं, उतनी हम करते रहते हैं। लेकिन यह सवाल दूसरी तरफ उठाना जरूरी है और हम समझते हैं कि दूसरी तरफ से भी जो प्रयत्न करना जरूरी है, हो सकता है कि वह किया जा रहा हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वायुदूत एयरलाइन का घाटे में चलना

*194. **श्री डी. एम. पुत्ते गोडा :**

डा. कृपा सिंधु भोई : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तीसरे स्तर की वायुदूत एयरलाइन जब से चालू हुई है बहुत अधिक घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तीसरे स्तर की एयरलाइन को लाभकारी बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा : (क) जी हां।

(ख) 26-1-1981 से 31-12-1981 की अनधि के लिये अनुमानित हानि लगभग 74.00 लाख रुपये है। वायुदूत को हानि होने के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं।

(i) विमानों के परिचालन की ऊंची लागत;

)ii) कम भार अनुपात; तथा

(iii) अब तक लिये गये कम किराये ।

सितम्बर, 1981 से अब वायुदूत सेवाओं के किराये इण्डियन एयरलाइन्स के बराबर कर दिये हैं।

(य) वायुदूत परिचालनों के लिये एक उपयुक्त प्रकार के विमान के प्राप्त कर लिये जाने के बाद उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होने की आशा है। यात्री जनता के लाभ के लिये वायुदूत की संरचना तथा मार्ग तंत्र का पुनगर्ठन करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

बाजार में निषिद्ध माल

*195. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

डा. ए. यू. आजमी : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या उनका ध्यान 30 जनवरी 1982 के इन्डियन एक्सप्रेस में "स्मग्लड गुड्स सेट टू फ्लड मार्केट" (बाजार में बिक्री के लिये तस्करी का माल) क्षीर्षक से प्रकाशित समाचार की तरफ आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्सन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने देश के चोर बाजारों में निषिद्ध माल के प्रवाह को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, चाँदी भारत से तस्करी की जाने वाली आकर्षण की वस्तु बनी हुई है। फिर भी इन रिपोर्टों से ऐसा पता नहीं चलता कि देश से बाहर

चांदी की बड़े पैमाने पर तस्करी की जा रही है जिससे भारत में तस्कर आयात किये जाने वाले माल का वित्त पोषण किया जा सके ।

(ग) सीमा शुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तन्त्र को, खासकर तस्करी के लिये सुगम्य क्षेत्रों अर्थात पश्चिमी समुद्री तट और पाकिस्तान' नेपाल, बंगला देश और बर्मा की भू-सीमाओं के साथ लगने वाली भारतीय भू सीमाओं पर सुदृढ़ कर दिया गया है । सीमाशुल्क अधिकारी महानगरों में तस्करी के माल के भंडारण स्थलों और तस्करी के माल का व्यापार करने वाली प्रख्यात दुकानों और स्टालों पर समय समय पर छापे मारते हैं और तलाशी लेते हैं ।

तैयार खाद्य पदार्थों, सब्जियों और फलों का निर्यात

*196. **श्री के. प्रधानी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोइन में "वर्ल्ड फूड मार्किट फेयर" में भारतीय तैयार खाद्य पदार्थों को बहुत पसन्द किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि देश में तैयार खाद्य पदार्थों, सब्जियों और फलों के निर्यात की बहुत क्षमता है जिसका उपयोग अधिकाँशत: नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तैयार खाद्य पदार्थों का बड़े पैमाने पर निर्यात करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) जी हां क्योलोन में वर्ल्ड फूड मार्किट फेयर में भारतीय तैयार खाद्य पदार्थों को काफी पसन्द किया गया है ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) तथा (घ) : आयात प्रतिपूर्ति तथा अन्य प्रोत्साहन देने के अलावा विभिन्न निर्यात संवर्धन उपाय किये जाते हैं, जैसे कि व्यापार मेलों में भाग लेना, व्यापार प्रतिनिधि मंडल तथा बाजार सर्वेक्षण प्रायोजित करना आदि ।

भारतीय रिजर्व बैंक में कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करना

*197. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालयों में कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करने का अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके विशेष कारण क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित कम्प्यूटर प्रणाली शुरू करने से रोजगार के अवसरों में कमी आएगी;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इसका उपयोग कम से कम करने के लिए कोई कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) बैंक के पास बम्बई में पहले ही एक कम्प्यूटर (संगणक) मौजूद है जिसका, इस समय अनुसन्धान तथा सांख्यिकीय प्रयोजनों के लिए उपयोग

किया जाता है। अन्य बातों के साथ-साथ परिचालन के प्रयोजनों के लिए "यंत्रीकरण तथा संगणकीकरण" तथा बैंक के अन्य कार्य क्षेत्रों में संगणक का उपयोग शुरू करने का मामला राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, बम्बई के सम्मुख ले जाया गया था जिसकी अध्यक्षता माननीय न्यायाधीश श्री सी. टी. दिघे ने की थी। न्यायाधिकरण ने अपने पंचाट में अन्य बातों के साथ-साथ परिचालन तथा प्रवर्तन के प्रयोजनों समेत अन्य क्षेत्रों में वर्तमान संगणक का पूरा-पूरा उपयोग करने तथा चेक समाशोधन करने, सरकारी लेनदेनों का हिसाब रखने, मालसूची पर नियत्रण रखने के क्षेत्रों में मिनी कम्प्यूटर शुरू करने के लिए बैंक को अनुमति दी है। न्यायाधिकरण का पंचाट स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विदेशी मुद्रा नियंत्रण, शोधन शेष, ऋण नियंत्रण, नोट निर्गम, गैर बैंकिंग कम्पनियों के नियन्त्रण और विनियमन, लोक ऋण आदि के संदर्भ में उसके सांविधिक कार्यनिष्पादन के सम्बन्ध में बैंक द्वारा किये जाने वाले आवश्यक कार्य के परिमाण में इन वर्षों में अत्यधिक वृद्धि होती रही है। बैंक द्वारा किये जाने वाले अनेक सर्वेक्षणों तथा बैंक को प्राप्त होने वाली सांविधिक और अन्य विवरणियों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में आँकड़े तैयार करने पड़ते हैं। मानव द्वारा आंकड़े तैयार करने में काफी विलम्ब हो जाता है और जिस प्रयोजन के लिए इस प्रकार के आंकड़े इकट्ठे तथा तैयार किये जाते हैं वह बेकार हो जाता है। चूंकि, बैंक के विनियमनकारी नियंत्रण और परिचालन तथा नीति निर्माण सम्बन्धी कार्यों में समय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है इसलिए बैंक के लिए कम्प्यूटर जैसे अद्यतन सुविकसित तकनीकी साधन का उपयोग करना आवश्यक है ताकि नीति तैयार करने और जनता, सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों के प्रति बैंक के अपने दायित्वों को निभाने में उपलब्ध आँकड़ों का उपयोग किया जा सके।

(ग) से (ङ) : न्यायाधिकरण ने कम्प्यूटरों तथा मशीनों के जरिये काम शुरू करने के सम्बन्ध में बैंक के दावों को इस शर्त पर स्वीकार किया है कि कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी और उनका कम से कम स्थानांतरण किया जायेगा।

आयकर की बकाया राशियाँ

*198. **श्री रामविलास पासवान :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बड़े व्यापार गृहों/व्यक्तियों की कुल संख्या और उनके नाम क्या हैं जिनकी ओर 31 दिसम्बर, 1981 को 10 लाख से अधिक राशि का आयकर बकाया था;

(ख) उक्त राशि उनकी ओर कब से बकाया पड़ी है;

(ग) क्या कुछ बड़े व्यापार गृहों/व्यक्तियों को हाल ही में इनसे छूट दी गई है और यदि हाँ, तो उन बड़े व्यापार गृहों/व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें छूट दी गई है और उन्हें किस आधार पर उक्त छूट दी गई; और

(घ) आयकर की बकाया राशियां वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (घ) : सदन-पटल पर एक विवरण-पत्र रख दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3482/82]

कलकत्ता के लिए अधिक विमान कम्पनियों को विमान सेवायें

*199. **श्री आनन्द पाठक :**

श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या **पर्यटन और नागर विमान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 28 दिसम्बर, 1981 को कलकत्ता के विमान से भारत भेजने वाली कम्पनियों को यह आश्वासन दिया था कि केन्द्र कलकत्ता के लिए अधिक विमान सेवा देने हेतु लगातार प्रयास करेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) मन्त्री द्वारा दिये गये आश्वासन पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाए गये हैं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) कलकत्ता में 28-1-81 को एयर कार्गो सम्मेलन का उद्घाटन करते समय यह कहा गया था कि सरकार का यह सतत प्रयत्न रहेगा कि कुछ और एयरलाइनों को कलकत्ता लाया जाए।

(ख) और (ग) नये द्विपक्षीय करारों पर विचार-विमर्श करते समय कलकत्ता को विदेशी एयरलाइनों को अवतरण स्थल के रूप में पेश किया जाता है। विदेशी एयरलाइनों को कलकत्ता के लिए परिचालन करने के लिये प्रोत्साहित करने की दृष्टि से. सरकार ने इस विमान क्षेत्र पर सभी आवश्यक सुविधायें प्रदान की हैं जिससे कि उसे अन्य अन्तरराष्ट्रीय विमान क्षेत्रों के समकक्ष बनाया जा सके। कलकत्ता के लिए नई उड़ानों के लिए अवतरण प्रभारों में छूट देने सम्बन्धी प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सीमा पार पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों का तैनात किया जाना

*200. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पिछले तीन महीने के दौरान सीमा पार पाकिस्तानी सैनिक टुकड़ियों की असामान्य तैनाती और गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां. तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) जी नहीं।

पाकिस्तानी सेना सामान्यतया प्रतिवर्ष अक्टूबर से दिसम्बर, के दौरान सीमाओं के बिल्कुल पास प्रशिक्षण/अभ्यास करती है।

सरकार उन सभी घटनाओं पर कड़ी नजर रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर

प्रभाव पड़ता है तथा पूरी और पर्याप्त रक्षा तैयारियों को बनाए रखने के लिए उचित उपाय करती है।

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पर्यटन का विकास

*201 **श्री हरीश रावत** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में पर्यटन का विकास और इस क्षेत्र की पर्यटन क्षमता बढ़ाने के लिए किन-किन कार्यक्रमों पर विचार किया जा रहा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। विवरण

यात्रा परिपथ संकल्पना के आधार पर पर्यटक आधारित संरचना के विकास की स्कीम के अधीन, राज्य सरकार के परामर्श से निधारित किये गये निम्नलिखित 2 यात्रा परिपथों में उत्तरप्रदेश की पहाड़ियों और आस-पास के क्षेत्रों के पर्यटक अभिरुचि के स्थान शामिल हैं :—

(i) (दिल्ली)—मुरादाबाद-काशीपुर-रामनगर-कारबेट-रानीखेत-कारबेट-दुधवा-लखनऊ (दिल्ली)

(ii) कपकोट-लौहरखेत-छपकुटी-खाती-द्वाली-फुरकिया-पिंडारी ग्लेशियर और वापसी।

केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से उपर्युक्त 2 यात्रा परिपथों पर पड़ने वाले केन्द्रों पर सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है।

2. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत निम्नलिखित सुविधाएं पहले ही जुटायी जा रही हैं,/प्रस्तावित हैं :—

(i) नैनीताल में एक यूथ होस्टल का निर्माण न केवल युवाओं को आवास प्रदान करने के लिये बल्कि युवाओं के बीच आउटडोर मनोरजनात्मक कार्यकलापों का संवर्धन करने के लिये भी किया गया है।

(ii) उत्तरप्रदेश की पहाड़ियों ट्रेकिंग का आयोजन करने के लिये, भारतीय युवा होस्टल के सहयोग से युवाओं के लिये विशेष रूप से, राज्य सरकार द्वारा ट्रेकिंग उपस्करों की खरीद के लिये 2.26 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।

(iii) भारत पर्यटन विकास निगम और उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा एक संयुक्त उद्यम के रूप नैनीताल में एक होस्टल का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है बशर्ते व्यवहार्यता अध्ययन संतोषजनक रहा और धन-राशि उपलब्ध हुई।

3. उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में पर्यटन का संवर्धन करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(i) "हिमालयान हालिडेज" नाम से एक ब्रोशर व्यापक वितरण के लिए प्रकाशित कराया गया है। इस ब्रोशर में उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों के पर्यटक विहार स्थल शामिल हैं।

(ii) नवम्बर, 1981 में हिमालय कार रैली के आयोजन के लिये सरकारी सहायता दी

गयी थी; कार रैली के रस्ते में उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों के नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा जैसे स्थान शामिल थे ।

(iii) विशेष ब्रोशरों का प्रकाशन करा कर, श्रव्य-दृश्य प्रस्तुतीकरणों द्वारा, गढ़वाल क्षेत्र के संवर्धन के लिए यात्रा अभिकर्ताओं और पत्रकारों के लेक्चरों, वार्ताओं और परिचायक दौरों के आयोजन द्वारा केन्द्रीय और राज्य पर्यटन विभाग और एयर इण्डिया ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में गढ़वाल क्षेत्र का संवर्धन प्रारम्भ किया है ।

(iv) गोचर में एक छोटे रनहें का निर्माण विचाराधीन है ।

(v) कुमाऊं से जम्मू तथा कश्मीर के लिये एक ग्रेंड हिमालयान कोच सफारी की व्यवस्था प्लान की गयी है ।

4. उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन के विकास के लिए राज्य सेक्टर में 7.5 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीर्थ और ट्रेक भागों तथा पहाड़ी विहार स्थलों के साथ-साथ सुविधायें जुटायी जायेंगी ।

गरुड चिट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के बारे में शिकायतें

*202. **श्री रामस्वरूप राय** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गरुड चिट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के कार्यकरण के बारे में जनता से अनेक शिकायतें मिली हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त कम्पनी द्वारा जमाराशियों का भुगतान न किये जाने की शिकायतें आई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो गरुड चिट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी से अपनी जमा राशियों और अन्य भुगतान लेने में ग्राहकों की सहायता करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक को गरुड चिट एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, परिपक्व होने पर अभिदाता को राशि की अदायगी में देरी करने के आरोप लगाए गये थे । क्योंकि, ऐसी शिकायतों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियां न तो सरकार के पास हैं न रिजर्व बैंक के पास, अत: प्रभावित पक्षों को ऐसे दावों के लिये संविदा भंग के मामलों में उपलब्ध सामान्य कानूनी कार्यवाही करनी होती है ।

परम्परागत चिट स्कीमों के अभिदाताओं को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इन कार्यकलापों को विनियमित करने के प्रयोजन से एक विस्तृत विधेयक संसद के सामने लाया जा चुका है ।

सेवा निवृत सरकारी कर्मचारियों को मँहगाई भत्ते का भुगतान

*203. **श्री एन. के. शेजवलकर** : क्या **वित मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेवा-निवृत्त सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन पर मँहगाई

भत्ते की उतनी राशि नहीं मिलती जितनी नियमित कर्मचारियों की पेंशन भोगी कर्मचारियों की पेंशन के बराबर के वेतन पर मिलती है;

(ख) यदि हां, तो सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में मंहगाई भत्ते की इन दोनों राशियों में कितना अन्तर है; और

(ग) पेंशन भोगियों को मँहगाई भत्ते की कम राशि देने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) 400/-रूपये प्रतिमास तक मूल वेतन प्राप्त करने वाले सेवारत कर्मचारियों को अखिल भारतीत कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 12 महीने के औसत में 8 अंकों की वृद्धि होने पर 4% की दर से अतिरिक्त मँहगाई भत्ता स्वीकार किया जाता है और 400/-रु० प्रतिमास से अधिक मूल वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को मूल्य सूचकांक में इसी प्रकार की वृद्धि होने पर प्रति महीने 3% की दर से कुछ न्यूनतम और अधिकतम राशियों के अधीन, अतिरिक्त मँहगाई भत्ता स्वीकार किया जाता है। पेंशनभोगियों को, चाहे उनकी पेंशन की राशि जो भी हो, मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में प्रत्येक 8 अंकों की वृद्धि होने पर $2\frac{1}{2}$% की दर से अतिरिक्त राहत दी जा रही है जो प्रति महीने कम से कम 2.50 रु० और अधिक से अधिक 12.50 रु० होती है।

(ग) पेंशनभोगियों को दी जा रही मँहगाई भत्ते की राहत की राशि तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था। आयोग पेंशनभोगियों की मँहगाई भत्ते की राहत उसी दर पर, जिस दर पर सेवारत कर्मचारियों को दी जा रही है, मंजूर करने की सिफारिश नहीं की थी क्योंकि पेंशनभोगियों की पारिवारिक और अन्य जिम्मेदारियों को उतना नहीं माना जा सकता जितना कि सेवारत कर्मचारियों की होती हैं।

खोपरा और नारियल के तेल का आयात करने पर रोक

*204. **श्री ए. नीलालोहिथादशन नाडर** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजीकृत निर्यातक के लिए आयात नीति का केरल के नारियल उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है क्योंकि पंजीकृत निर्यात इस नीति का लाभ उठाते हुए खोपरा और नारियल के तेल का आयात कर रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के अन्तर्गत भी खोपरा और नारियल का तेल आयात किए जाने पर रोक लगाने की कार्यवाही करने का है।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) तथा (ख) विद्यमान आयात नीति में पंजीकृत निर्यातकों के लिए, नारियल तेल और खोपरा के केवल सीमित आयात की व्यवस्था है जिससे केरल के नारियल उपजकर्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा ब्रिटिश पायलटों को प्रशिक्षण

*205. **श्री तारिक अनवर :**

श्री अनादि चरण दास : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि "इण्डियन एयरलाइन्स" द्वारा हैदराबाद स्थित केन्द्रीय प्रतिष्ठान में ब्रिटिश पायलेटों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : जी, हां । इण्डियन एयरलाइन्स ने प्रारम्भ में ब्रिटिश एयरवेज के प्रशिक्षकों को परिचायक प्रशिक्षण दिया था और अब ब्रिटिश एयरवेज के प्रशिक्षक अपने विमानचालकों को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद में, इण्डियन एयरलाइन्स के एच. एस. 48 सिमुलेटर पर स्वयं प्रशिक्षण दे रहे हैं ।

जापान को माल का निर्यात

*206. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** रह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योग सम्बन्धी पुस्तकों सहित भारतीय माल की जापान में भारी माँग है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने जापान में भारतीय माल की भारी मांग को ध्यान में रखते हुए उसका निर्यात बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) अगले दो वर्षों में किन-किन वस्तुओं का निर्यात किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : (क) 1879-80 के दौरान जापान को 2.63 लाख रु० मूल्य की पुस्तकें तथा पैम्फलेटें (मुद्रित) निर्यात की गई । 1980-81 में भारत के कुल निर्यातों को लगभग 11% निर्यात जापान को किये गये थे ।

(ख) व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, क्रेता विक्रेता बैठकों तथा संवर्धन कार्यक्रमों के सहभागिता का आयोजन किया जाता है । व्यापार तथा वाणिज्यिक प्रतिनिधि मण्डलों में आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाता है । निर्यातों को सुविधा जनक बनाने के लिये टोकियों में व्यापार विकास प्राधिकरण, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम तथा हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम के कार्यालय भी खोले गये हैं ।

(ग) जापान में निर्यात संभाव्यता वाली कुछ मदें हैं, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, कपास, इंजीनियरी माल, साधित खाद्य पदार्थ, शीप केसिंग, ग्वार गोंद, काजू तथा काजू छिलका द्रव, मसाले, समुद्री उत्पाद, अनिर्मित तम्बाकू, पटसन का माल, अरण्डी का तेल, सिले सिलाये परिधान, ऊनी उत्पाद, रत्न तथा आभूषण, चमड़ा तथा चमड़े से बना सामान आदि ।

बड़े बड़े एकाधिकार ग्रहों की पूंजी और उनकी और देय सरकारी बकाया धन राशि

2083. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार बड़े एकाधिकार ग्रहों की और सरकार के ऋण और आयकर की कितनी कितनी धनराशि बकाया है; और

(ख) उस धनराशि की वसूली के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) यह अनुमान लगाया जाता है, कि प्रश्न में उल्लिखित बड़े एकाधिकार घरानों, पद का सम्बन्ध, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों से है। इन 1200 से अधिक कम्पनियों में से प्रत्येक की तरफ आयकर की बकाया के बारे में पूर्ण सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। तथापि ऐसे मामलों के बारे में जिनमें से प्रत्येक में 10 लाख रुपये से अधिक की आय कर की मांग बकाया है, तिमाही रूप में एकत्रित सूचना के अनुसार इस प्रकार की 106 कम्पनियों की तरफ सकल बकाया मांग 1.01 करोड रुपये की थी। इस मांग में से 69.74 करोड़ रुपये की माँग वसूली योग्य नहीं थी चूंकि वह बकाया में नहीं थी। वसूली योग्य बकाया की रकम 21.27 करोड़ रुपये की थी। जहां तक सरकारी ऋणों का सम्बन्ध है. सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दिये गए ऋणों के बारे में सूचना, संघ सरकार (सिविल) के लेखों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट के रूप में समय समय पर सदन पटल पर रखी जाती है। वर्ष 1979-80 के नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट का परिशिष्ट-11 सरकारी निगमों गैर सरकारी संस्थाओं स्थानीय निधियों आदि को दिये गये ऐसे ऋणों तथा अग्रिमों के ब्यौरे दर्शाता है जिनमें मूल धन तथा ब्याज की वसूली वर्ष 1979-80 के अन्त में बकाया में रही। यद्यपि सूचना 31-12-1981 की स्थिति के अनुसार तत्काल उपलब्ध नहीं है तथापि 31-3-81 की स्थिति के अनुसार इसी प्रकार की सूचना वर्ष 1980-81 के सम्बन्ध में सदन में प्रस्तुत की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट की जाएगी।

(ख) अपीलों के अनिर्णीत पड़े रहने के दौरान मंजूर किए गए स्थगन आदेशों के कारण काफी सारी मांगें ऐसी थी जिन्हें वसूल नहीं किया जा सकता था। इस प्रकार की अपीलों का निपटान तेजी से करने के लिए गहन उपाय किए गए हैं, उदाहरणार्थ आयकर आयुक्तों (अपील) की संख्या में वृद्धि करना, अपेक्षाकृत अधिक बकाया मांग वाली अपीलों का निपटान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए उनसे अनुरोध करना तथा जहाँ करो को स्थगित रखा गया है वहाँ, समुचित मामलों में बिना पारी के अपीलों का निपटान करने के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण से अनुरोध करना। जहां कहीं आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 220 (4) के अनुसार करों की बकाया थी वहां करो की तेजी से वसूली करने के लिए सम्बन्धित आयकर पदाधिकारियों द्वारा कानून के अनुसार समुचित उपाय किए जा रहे हैं।

जाली संस्थानों और संगठनों को ट्रकों जीपों और रद्दी माल दिया जाना

2084. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने उनके मंत्रालय से जाली संस्थानों और संगठनों के नाम में सेना के ट्रकों जीपों और रद्दी माल आदि दिये जाने के कुछ मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के क्या नाम है जिन्होंने इस प्रकार की शिकायत की और उन व्यक्तियों के नाम पते और सरकारी पद नाम क्या हैं जिनके खिलाफ अब तक मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय गुप्तचर ब्यूरो ने इस बात की जांच की है कि इस घोटाले में अन्तर्ग्रस्त लोगों ने किस तरह सम्पत्ति प्राप्त की है और इस तरह प्राप्त की गई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन : (क) मंत्रालय में एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि सैन्ट्रल व्हीकल डिपो, पानागढ़, पश्चिम बंगाल, से झूठे रीलीज आर्डर पर सेना का फालतू सामान प्राप्त किया जा रहा है। इस शिकायत को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों को जाँच पड़ताल करने के लिए सौंपने का निर्णय किया गया था उन्होंने रिपोर्ट दी है कि इस डिपों से झुठे रीलीज आर्डरों पर पीतल की कत्तरने और बेटरी एम. टी. कतिपय मात्रा में रिलीज की गई थी।

(ख) शिकायत कर्ता का नाम बताना लोक हित नहीं होगा। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपनी जांच पड़ताल के आधार पर ई-41, इन्द्रपुरी नई दिल्ली के निवासी श्री आर. एल. वर्मा गांव और डाकघर राम कृष्णापुरम जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल के श्री नलिनी हल्दर और कलकत्ता के श्री प्रेमनाथ खत्री के विरूद्ध मामला दर्ज कर लिया है। श्री प्रेमनाथ खत्री की पहले ही मृत्यु हो चुकी है।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जाँच पड़ताल से पता चला है कि इस मामले में फंसे व्यक्तियों ने झुठे रिलीज आडरों के आधार पर अस्तित्वहीन सोसाइटियों के नाम में पीतल की कतरने बैटरी एम. टी. प्राप्त की थीं। इस मामले की अभी जांच पड़ताल चल रही है।

कर्नाटक में लघु सिंचाई और डेरी विकास योजना को कार्यान्वित न करना

2085. **श्री एस. बी. सिदनाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने पाया है कि कर्नाटक और देश के अन्य राज्यों में लघु सिंचाई, डेरी विकास बाग लगाना बागवानी आदि से संबंधित बहुत सी योजनायें कार्यान्वित नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में राज्य सरकार को कितनी सहायता देने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम ने उसके द्वारा स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब का जायजा लेने के उद्देश्य से आवश्यक अध्ययन किया था। उक्त अध्ययन से यह पता चला कि लघु सिंचाई, डेरी विकास बागान/बागवानी, भंडारण, बाजार यार्डों से संबंधित कतिपय योजनाओं के कार्यान्वय में छः महीने से अधिक विलम्ब हुआ था। बागान/बागवानी की जिन योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया गया उनका संबंध मुख्यतया कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि राज्यों से था।

(ख) योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होने के संबंध में मुख्यतः ये कारण पाये गए :–विस्तार सहायता की कमी के कारण किसानों को अपर्याप्त दिलचस्पी, बिजली, सतही जल, मूल्यांकन, बाजार व्यवस्था जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी, खेती में काम आने वाली वस्तुओं जैसे सीमेंट की अननुपब्धता, सरकारी गारंटियों समेत कागजातों को पूरा करने में विलम्ब, अच्छी नस्ल के पशुओं की अनुलब्धता, भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब, बैंकों में कर्मचारियों की कमी आदि।

(ग) कृषि पुनर्निर्माण तथा विकास निगम परिचालन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ आवश्यक सम्पर्क रख रहा है।

भारत बर्मा सीमा पर तस्करी

2086. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-बर्मा सीमा पर विदेशी वस्तुओं की तस्करी आम बात हो गयी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस तस्करी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार भारत-वर्मा सीमा तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्र है। फिर भी इन रिपोर्टों से भारत-वर्मा सीमा पर बड़े पैमाने पर तस्करी किए जाने का पता नहीं चलता।

(ख) भारत-वर्मा सीमा के साथ-साथ सीमा शुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तंत्र को सुदृढ़ कर दिया गया है। सम्बन्धित प्रवर्तन एजेंसियों अर्थात सीमा शुल्क अधिकारियों और सीमा सुरक्षा बल को भारत-वर्मा सीमा पर तस्करी के प्रयासों को रोकने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को हुई हानियां

2087. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अधिकांश उपक्रमों को गत दो वर्षों के दौरान हानियां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विद्युत मशीनरी संचालन, संयंत्र रख-रखाव और उनकी क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी नहीं। 1980-81 में 169 में से 63 चालू उद्यमों ने घाटा उठाया है और 1981-82 में 168 में से 74 चालू उद्यमों ने घाटा उठाया है।

(ग) सरकार ने उनका कार्य-निष्पादन सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(1) सरकार द्वारा शीर्ष स्तर पर अवस्थापना सम्बन्धी कार्य-निष्पादन का परिवीक्षण करना।

(2) अत्यधिक मात्रा में भरोसेमन्द बिजली की जरूरत वाले उद्यमों के लिए निजी उपयोगार्थ बिजली संयंत्रों की मंजूरी देना।

(3) संयंत्र और मशीनों की निवारक और पूर्वानुमानित अनुरक्षण पद्धतियों को कड़ाई से लागू करना।

(4) प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा उद्यमों के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा करना।

आसनसोल को वायुदूत विमान-सेवा से जोड़ना

2088. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल को वायुदूत विमान सेवा से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने आसनसोल को इस सेवा से जोड़ने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई अनुरोध किया है; और

(घ) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हाँ।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने मालदा, पश्चिम दीनाजपुर, जलपाईगुडी, कूच-बिहार और आसनसोल के जिला मुख्यालयों को विमान-सेवा से जोड़ने के लिए वायुदूत सेवा में प्रारम्भ करने का अनुरोध किया था तथा जैसे ही हवाई अड्डा परिचालन के लिए तैयार हो जायेगा, कूच-बिहार को वायुदूत सेवाओं से जोड़ दिया जायेगा।

अमरावती के निकट चिखलदारा अछलपुर का विकास

2089. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार महाराष्ट्र में अमरावती से 100 कि. मी. दूर स्थित चिखलदारा अछलपुर का विकास पर्यटन स्थल के रूप में करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) ऐसी कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अगरतला विमान पत्तन का विकास

2090. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अगरतला विमानपत्तन के विकास के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या कोहिमा, इटानगर, गंगटोक और आइजल में नये विमान पत्तन बनाने का भी विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इनकी अनुमानित लागत क्या होने की सम्भावना है और विकास कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) 245 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत से अगरतला में रनवे (18/36) को अधिक लम्बा, चौड़ा व मजबूत करने, टर्मिनल भवन के रूपातरण, आपरेशनल, वाल के निर्माण तथा जल निकासी व्यवस्था के सुधार जैसे विकास कार्य प्रगति पर हैं। इनके छठी योजनावधि में पूरा हो जाने की आशा है।

छठी पंचवर्षीय योजना में 25 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत से दूर-संचार तथा

रेडियो दिक्चालन उपकरणों के विकास कार्यों का प्रावधान किया गया है और इनके 1984-85 तक पूरा हो जाने की आशा है।

छठी योजना के दौरान 55 लाख रुपये की अनुमानित लागत से दार्ष्टिक भू-उपकरणों तथा अग्नि शमन सुविधाओं की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) छठी योजना में मोटेतौर पर 13 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से कोहिमा, इटानगर, गंगटोक तथा ऐजोल में नये विमान क्षेत्रों के निर्माण का प्रस्ताव है। परन्तु इन विमान क्षेत्रों का निर्माण-कार्य सातवीं योजना में पूरा किया जायेगा।

हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विमान निर्माता कम्पनियों के सहयोग से अल्प मालवाहक विमानों का निर्माण

2091. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्प मालवाहक विमानों के निर्माण के लिए सरकार के स्वामित्व के हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड के साथ सहयोग कर रही तीन अन्तर्राष्ट्रीय विमान निर्माता कम्पनियों की सूची बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक ऐसी उच्चस्तरीय समिति का गठन किया था जिसने सरकार के अनुमोदन के लिये प्रस्तावों के एक तुलनात्मक मूल्यांकन के रूप में एक अन्तिम चैक-लिस्ट तैयार करने की दृष्टि से इन निर्माताओं के साथ बातचीत शुरू की;

(ग) क्या अन्य मालवाहक विमानों के लिये कोई निर्णय ले लिया गया, यदि हाँ है, तो सहयोग के लिये किस कम्पनी का चयन किया गया है और यह कम्पनी किस देश से सबद्ध है;

(घ) क्या यह कंम्पनी इस विमान का निर्माण करने के लिए सहमत हो गई है; और

(ङ) इस विमान के निर्माण के लिए अन्तिम निर्णय कब लिया जायेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में हल्के परिवहन विमान के निर्माण के लाइसेंस के लिए उत्तम प्रस्ताव उपलब्ध करने के विचार से विदेशी फर्मों के निर्माताओं के साथ बातचीत शुरू कर दी है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) यह बताना संभव नहीं होगा कि निर्णय कब लिया जायेगा।

फ्रांस में भारतीय व्यापार मेला

2092. **श्री अर्जुन सेठी** :

श्री जगदीश टाईटलर : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारतीय क्षमताओं से फ्रांसीसी व्यापारियों को अवगत कराने के लिये फ्रांस ने भारत से पेरिस तथा अन्य महत्वपूर्ण नगरों में विशिष्ट व्यापार मेले आयोजित करने के लिये कहा है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) : जी नहीं। तथापि, पेरिस में भारत के राजदूत ने सिफारिश की है कि भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण 1982-83 के दौरान पेरिस में एक पूर्णतया भारतीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन करे जिसमें औद्योगिकीय क्षेत्रों में भारत की क्षमताएं दर्शायी गई हों। इन इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

आयकर के विचाराधीन मामले

2093. **श्री ए. टी पाटिल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर विभाग में नये मूल्यांकन के लिये निम्नलिखित के (राज्यवार) कितने मामले लम्बित पड़े हैं;

(एक) एक वर्ष से अधिक दो वर्ष तक;

(दो) दो वर्षों से अधिक तीन वर्षों तक,

(तीन) तीन वर्षों से अधिक पांच वर्षों तक,

(चार) पाँच वर्षों से अधिक;

(ख) सिफारिश को अन्तिम रूप देने में विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सिफारिश को अंतिम रूप देने के लिये इन कारणों को दूर करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अन्यथा किये जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) विभाग में अनिर्णीत पड़े आय कर निर्धारियों के मामलों के बारे में राज्य-वार सूचना उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसी सूचना, आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों के सम्बन्ध में एकत्र की जाती है। भारत में आयकर आयुक्तों के अधिकार क्षेत्रों के सम्बन्ध में आयकर निर्धारणों का वर्ष-वार ब्यौरा 31 मार्च 1981 की स्थिति के अनुसार संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

(ख) तथा (ग) प्राक्कलन समिति ने वर्ष 1980-81 के दौरान इन मामले की सविस्तार जांच की है और 15 अप्रैल, 1981 को संसद में प्रस्तुत की गई अपनी 9वीं रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में अनेक सिफारिशें की हैं। सरकार द्वारा उन पर उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

आयकर निर्धारणों के निपटान में तेजी लाने के निमित्त सरकार द्वारा पहले ही किये गये उपायों में, अन्य बातों के साथ साथ, निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं :—

(i) व्यष्टियों और अन्य गैर-निगमित कर-निर्धारितियों के मामले में वित्त अधिनियम, 1981 के जरिये का देयता के सम्बन्ध में छूट सीमा को 12,000 रु० से बढ़ाकर 15,000 रु० करना।

(ii) संक्षिप्ततः कर-निर्धारण के मामलों में आयकर निरक्षीकों को 25,000 रु० तक के निर्धारण की शक्तियां देना।

(iii) कम्पनी-भिन्न मामलों में संक्षिप्त कर-निर्धारण योजना के लिए मौद्रिक सीमा को 1 लाख रुपये तक बढ़ाना;

(iv) संक्षिप्ततः कर-निर्धारण योजगा के अन्तर्गत अब 10,000 रु० से कम की आय दर्शाने वाले और 5 लाख रुपये से कम की प्रदत्त पूंजी वाले कम्पनी मामले भी आ जाते हैं;

(v) वित्त (संख्याक 2) अधिनियम, 1980 के जरिये आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143 (1) (ख) के उप शण्ड (ii) तथा उप-खण्ड (iii) को समाप्त करना, जिस ने प्रत्यक्षत: स्वीकार्य और अस्वीकार्य मदों के बारे में आयकर अधिकारों के समायोजन करने सम्बन्धी विवेकाधिकारियों को छीन लिया गया है; और

(vi) विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

विवरण

31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार अनिर्णीत कर निर्धारण

आयकर आयुक्तों का अधिकार क्षेत्र	कर-निर्धारण वर्ष 1976-77 और पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित	कर-निर्धारण वर्ष 1977-78 से सम्बन्धित	कर-निर्धारण वर्ष 1979-80 से सम्बन्धित	कर-निर्धारण वर्ष 1979-80 से सम्बन्धित	कर-निर्धारण वर्ष 1980-81 से सम्बन्धित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आगरा	220	54	525	6078	11877
इलाहाबाद	367	238	909	11476	41035
अमृतसर	700	625	1199	12389	24621
आंध्र प्रदेश	200	127	1675	9129	60075
असम	520	337	1349	16222	25382
बड़ौदा	164	467	3415	23181	67861
बिहार	399	440	1812	11305	28191
बम्बई सिटी	2056	145	11643	150206	340013
बम्बई (सेन्ट्रल)	350	104	198	963	1280
कलकत्ता (सेन्ट्रल)	530	102	180	860	986
दिल्ली	2805	2241	3783	43765	183234
दिल्ली (सेन्ट्रल)	384	53	163	639	726
गुजरात	303	48	599	37640	104054
गुजरात (सेन्ट्रल)	254	18	113	977	1193
हरियाणा	584	1227	3383	3973	13604
जालंधर	620	175	613	10179	24913
कानपुर	90	52	265	5847	20014
कानपुर (सेन्ट्रल)	289	50	462	1067	1147
कोल्हापुर	18	424	283	8303	15825
कर्नाटक-I	238	59	1238	6404	40768
कर्नाटक-II	192	119	1869	18090	52684
कर्नाटक (सेन्ट्रल)	138	111	148	958	1388

1	2	3	4	5	6
कोचीन	522	326	1727	8478	17958
लखनऊ	1000	450	878	7726	44017
लुधियाना (सेन्ट्रल)	362	74	520	856	1258
भोपाल	1355	766	4387	30578	59150
मद्रास (सेन्ट्रल)	439	147	333	670	1349
मेरठ	1240	420	1157	6680	29659
नागपुर	390	140	435	4646	16927
नासिक	43	45	2216	264	5587
उड़ीसा	147	46	425	715	10103
पटियाला	604	650	3205	25394	36482
पुणे	91	191	1964	12161	43146
राजकोट	142	274	556	12973	51139
जयपुर	783	279	976	1767	19189
जोधपुर	539	314	3249	7058	16812
तमिनाडु	1400	990	4545	38707	568257
जबलपुर	602	158	4001	5944	36924
त्रिवेन्द्रम	93	89	925	7057	13629
प० बंगाल	5058	3601	27142	67655	158407

निर्यात योग्य जूट के कम मूल्य

2094. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात योग्य जूट के मूल्य पहले की तुलना में इस समय कम हैं।

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इन कारणों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मन्त्राजय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) विश्व बाजार में कच्चे पटसन की कीमतों में मुख्य रूप से विश्व बाजार की सप्लाई एवं माँग स्थिति तथा बंगला देश द्वारा जो कच्चे पटसन के लिये विश्व बाजार पर अभी भी छाया हुआ है, कच्चे पटसन की कीमत निर्धारण नीति के कारण समय समय पर उतार-चढ़ाव आया है। कालीन ग्रस्तर की खरीद कम होने की वजह से उच्च ग्रेड पटसन की कीमतों में कुछ सीमा तक कमी आई है लेकिन निम्न ग्रेडों के पटसन की कीमतें उनकी खपत में वृद्धि होने के कारण बढ़ी हैं। कच्चे पटसन के विश्व बाजार में भारत का हिस्सा केवल मामूली सा है। निर्यात योग्य ग्रेडों के लिये पक्की गाँठ बनाने की क्षमता कच्चे पटसन के अधिक निर्यात के बारे में एक बाधा प्रतीत होती है। सरकार ने इस बाधा को दूर करने के लिये कार्यवाही की है। कच्चे पटसन के संबंध में एक स्थायी निर्यात नीति भी आरम्भ की गई है।

अफीम के नम्बरदारों को कमीशन

2095. **श्री चतुर्भुज :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफीम विभाग या अफीम के उत्पादकों ने गांवों में अपने में से ही अफीम के नम्बरदारों की नियुक्ति की है;

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान नम्बरदारों को कितने प्रतिशत कमीशन दिया गया है;

(ग) वर्ष 1981-82 के दौरान कितने प्रतिशत कमीशन दिया जायेगा; और

(घ) वर्ष 1981-82 के दौरान कमीशन घटाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) अफीस के पटेलों (जिन्हें लम्बरदार अथवा मुखिया भी कहा जाता है) की नियुक्ति नारकोटिक्स विभाग द्वारा अफीम के काश्तकारों में से ही की जाती है।

(ख) वर्ष 1980-81 के दौरान अफीम के पटेलों/लंबरदारों/मुखियाओं को दी गयी कमीशत की प्रतिशत मात्रा नीचे दी गई है :—

ग्राम द्वारा दी गई औसत उपज	अफीम पटेलों/लंबरदारों को दिया गया कमीशन
प्रति हैक्टेयर 30 कि० ग्रा० से कम	अपने गांव के काश्तकारों को दी गई कुल रकम का 3/4%
प्रति हैक्टेयर 30 कि० ग्रा० अथवा अधिक लेकिन 40 कि० ग्रा०.से कम	अपने गांव के काश्तकारों को दी गई कुल रकम का $1\frac{1}{2}$%
प्रति हैक्टेयर 40 कि० ग्रा० अथवा अधिक लेकिन 50 कि० ग्रा० से कम	अपने गांव के काश्तकारों को दी गई कुल रकम का 2%
प्रति हैक्टेयर 50 कि० ग्रा० अथवा अधिक	अपने गांव के काश्तकारों को दी गई कुल रकम का $2\frac{1}{2}$%

(ग) फसल वर्ष 1981 के लिए देय कमीशन की राशि, लंबरदारों के अपने-अपने गांवों में काश्तकारों को देय कुल मूल्य का 0.75% की समान दर निर्धारित की गई है।

(घ) विश्व भर में स्वापकों की सप्लाई की, और भारतीय अफीम की लागत कम करने और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इसे प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने की अत्यन्त आवश्यकता की दृष्टि से लंबरदारों को देय कमीशन की दर युक्तियुक्त बना दिया गया है।

दिल्ली में सम्पदा शुल्क से वसूल राशि

2096. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत संपदा शुल्क के तौर पर कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ख) क्या यह शुल्क ऐसी विधवा के लिये भार है जिसकी कोई आजीविका नहीं है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सम्पदा का आकलन करने के लिये दिल्ली में एक म्यूनिसिपल दूसरा धन कर और तीसरा सम्पदा शुल्क तीन विभिन्न मानक हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(क) क्या आजीविकाहीन विधवा को सम्पदा शुल्क से छूट देने के बारे में कोई प्रावधान है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) दिल्ली में गत तीन वर्षों में वसूल की गई सम्पदा-शुल्क की रकम निम्नानुसार है :—

वर्ष	(रकम हजार रु० में)
1978-79	2320
1979-80	1495
1980-81	5576
	जोड़ 9391

(ख) सम्पदा-शुल्क मृत व्यक्ति की ऐसी सम्पदा पर लगाया जाता है, जो उसकी मृत्यू पर आगे हस्तांतरित की जाती है। कानूनी वारिसों के अपने-अपने हिस्से में मृतक की जितनी सम्पत्ति आती है, उस पर ही वे सम्पदाशुल्क की अदायगी के लिए जिम्मेदार होते हैं। कानूनी वारिस चाहे कमाई नहीं करने वाली विधवा हो या कोई अन्य व्यक्ति, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

(ग) जहां तक आवासी सम्पत्ति का संबंध है, धन कर प्रयोजनों के लिए अब मूल्य धन-कर नियमा के नियम। ख ख के अन्तर्गत निर्धारित किये जाते हैं, जबकि सम्पदा शुल्क के प्रयोजनों के लिए मूल्य, मूल्यांकन के सामान्य सिद्धान्तों पर निकाला जाता है। धन कर के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के परिणामतः मूल्य-निर्धारण, कुल मिलाकर, रियायती दर पर ही होता है। दोनों मामलों में की जाने वाली कार्यवाही में अन्तर इस तथ्य के कारण है कि धन-कर वार्षिक रूप से लगाया जाता है जबकि सम्पदा शुल्क केवल एक बार लगाया जाता है। तथापि, सम्पदा-शुल्क के प्रयोजनों के लिए भी एक आवासी गृह का मुल्य उसी आधार पर लगाये जाने का प्रस्ताव है, जिस आधार पर धनकर निर्धारण के मामले में लगाया जाता है। सम्पत्तियों का मूल्य निकालते समय, नगरपालिका अन्य बातों को, जैसे उपलब्ध कराई गई सेवाएं, किराया आदि को भी हिसाब में ले सकती है।

(घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कम्पटी, महाराष्ट्र के निकट गांदा और अजानी गावों की भूमि का अधिग्रहण

*2097. **श्री लार. के. महालगी** : क्या **रक्षा मन्त्री** कम्पटी के निकट गांदा और अजानी गांवों की भूमि के अधिग्रहण के बारे में 15 अप्रैल, 1981 तथा 2 सितम्बर, 1981 के क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 7493 और 2418 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जिला नागपुर में कम्पटी के निकट गांदा और अजानी गाँवों की भूमि फायरिंग रेंज के लिए अधिगृहीत न करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्तसम्बन्धी ब्यौर क्या है;

(ग) यदि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इस देरी के क्या विशेष कारण हैं; और

(घ) शीघ्र निर्णय लेने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और निर्णय कब लिया जायेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : अधिग्रहण बोर्ड की कार्यवाही रोक दी गई है। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को शुरू करने के लिये राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र भेजने के लिये अनुरोध किया गया है।

उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें खोलना

2098. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** क्या : **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के क्या नाम हैं जो 1982-83 में उड़ीसा में अपनी नई शाखाएं खोल रहे हैं;

(ख) उन बैंकों द्वारा कुल कितनी ऐसी नई शाखायें खोली जायेंगी;

(ग) क्या 1982-83 में बैंक आफ महाराष्ट्र द्वारा उड़ीसा में कोई नई शाखा खोली जायेगी?

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या वर्ष 1982-83 में उड़ीसा में बैंक आफ महाराष्ट्र को अपनी नयी शाखायें खोलने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है; और

(च) उक्त प्रस्ताव कब तक कार्यान्वित हो सकेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक के तीन वर्षों के लिये शाखा विस्तार नीति तैयार की है। इस नई नीति का उद्देश्य मार्च 1985 तक ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में औसतन 17000 लोगों के लिये एक बैंक कार्यालय के हिसाब से बैंकिंग व्याप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना है। अनुमान है कि इस नई नीति के अनुसार इस तीन वर्ष की अवधि में उड़ीसा में ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में लगभग 350 अतिरिक्त कार्यालय खोले जायेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य में बैंक रहित ऐसे ग्रामीण केन्द्रों के निर्धारण के लिए, जहां बैंक कार्यालय खोले जाने हैं, उड़ीसा सरकार से अनुरोध किया है। भारतीय रिजर्व बैंक को राज्य सरकार से सिफारिशें प्राप्त हो जाने पर ही विभिन्न बैंकों को केन्द्र आवंटित करने के काम को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

(ग) से (च) : भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत उन जिलों में जहाँ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये गये हैं अथवा स्थापित किये जाने हैं, शाखाएं खोलने की जिम्मेदारी मुख्यतः वहां कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अथवा यदि क्षेत्री ग्रामीण बैंक की अभी तक स्थापना नहीं हुई हो तो प्रायोजक बैंक की होगी। अन्य जिलों में उन बैंकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके शाखा-जाल का काफी ज्यादा भाग उस क्षेत्र में हो अथवा जिनके शाखा-जाल का बहुत बड़ा भाग उस क्षेत्र में संकेन्द्रित हो। जो बैंक किसी खास क्षेत्रीय स्वरूप के हैं उन्हें अपने मुख्य परिचालन क्षेत्र से सुदूर क्षेत्रों में शाखायें खोलने के लिए नहीं कहा जाता। उड़ीसा राज्य में बैंक आफ महाराष्ट्र का न तो कोई लीड सम्बन्धी दायित्व है और न ही

उसकी कोई शाखा है। उस राज्य में शाखा खोलने के लिए इस समय उसके पास कोई अधिकृति भी विचाराधीन नहीं है।

लघु पालिसीधारियों को जीवन बीमा निगम पालिसियों के लाभ

2099. **श्री नवीन खाणी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह आरोप लगाया गया है कि जीवन बीमा निगम की शर्तें लघु पालिसीधारियों के लिये धीरे-धीरे कठिन तथा कम लाभकारी हो गई हैं;

(ख) क्या जीवन बीमा निगम के खर्च में काफी वृद्धि हुई है और प्रीमियम की दर तथा पालिसीधारियों की बचत में कमी करना जरूरी हो गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और खर्च कम करने के लिये सरकार क्या उपाय करना चाहती है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) जीवन बीमा निगम के प्रीमियमों की दरों और पालिसियों की शर्तों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। वर्ष 1979 में की गई पिछली ऐसी समीक्षा के आधार पर पहली अप्रैल, 1980 से प्रीमियम की दरों की नई तालिकाएं लागू की गई हैं। अधिकांश तालिकाओं में प्रीमियम की दरें पहले लागू दरों से काफी कम हैं।

जीवन बीमा निगम के प्रबन्ध के खर्च के आंकड़ों से यह पता नहीं चलता कि हाल में खर्च बढ़ गया है। फिर भी, खर्च को कम रखने के लिए पूरी-पूरी कोशिश की जा रही है।

जीवन बीमा निगम ने 31 मार्च, 1981 की स्थिति के अनुसार सबसे हाल के बीमांकिक मूल्यांकन से पता लगने वाली अधिशेष की अधिक राशि के आधार प बन्दोबस्ती बीमा पर प्रति हजार बीमाकृत राशि पर प्रतिवर्ष 28·00 रुपए और आजीवन बीमा पर प्रति हजार बीमाकृत राशि पर प्रतिवर्ष 35.09 रुपये के बोनस की घोषणा की है। ये दरें 31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार पहले के मूल्यांकन के आधार पर 24·80 और रुपये 31·00 रुपये की घोषित बोनस दरों से ऊंची है।

शहरी बैंकों की नई शाखायें

2100. **श्री डी. एस. ए. शिव प्रकाशम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नए शहरी बैंक या शहरी बैंक की शाखायें खोलने के लिये लाइसेंस न देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी नहीं। वर्ष 1982-85 की अवधि के लिए वाणिज्यिक बैंकों के वास्ते नई शाखा लाइसेंसिंग नीति घोषित किए जाने तक भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्णय किया था कि इस समय दस लाख और इससे ऊपर की आबादी वाले महानगरीय केन्द्रों में नये शहरी सरकारी बैंक की स्थापना के लिये अथवा इस प्रकार के मौजूदा बैंकों द्वारा नई शाखायें खोले जाने के लिए फिलहाल कोई आवेदन पत्र स्वीकार न किया जाए। 9 नवम्बर 1981 की प्रेस विज्ञप्ति में भारतीय रिजर्व बैंक ने यह स्पष्ट किया था कि महानगरीय केन्द्रों में नये शहरी बैंकों के लिये लाइसेंस देने के सम्बन्ध में

प्रतिबन्ध केवल अस्थाई तौर पर लगाया गया है और यह प्रतिबन्ध उपर्युक्त शाखा लाइसेंसिंग नीति को अन्तिम रूप दिये जाने तक जारी रहेगा। अब नई लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की जा चुकी है और रिजर्व बैंक प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर महानगरीय केन्द्रों में नये शहरी बैंक खोलने लिए आवेदन पत्रों पर विचार कर रहा है।

गुजरात द्वारा रुई की गांठों का निर्यात

2101. **श्री आर. पी. गायकवाड़ :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य द्वारा रुई की गाँठों का निर्यात किये जाने के लिए सरकार ने आवश्यक मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम्य बैंक द्वारा ग्रामीण कारीगरों को ऋण

2102. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राम्य बैंक ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, लघु तथा सीमान्त कृषकों और कृषि क्षमिकों को ऋण देते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उडीसा में गत तीन बर्षों के दौरान विभिन्न ग्राम्य बैंकों द्वारा उपरोक्त वर्गों के लोगों को कुल कितना ऋण दिया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ग्राम्य बैंकों द्वारा कुल कितने ग्रामीण कारीगरों, बुनकरों, कृषि श्रमिकों और लघु तथा सीमान्त कृषकों को लाभ पहुंचाया गया ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) सितम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में कार्यरत नौ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 3.90 लाख लाभप्राप्तकर्ताओं को 34·45 करोड़ रुपये के ऋण दिये हैं जिनमें मुख्यत: छोटे-सीमान्तिक किसान, खेतिहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर और अन्य शामिल हैं।

(ग) पिछले तीन बर्षों में (हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन बैंकों के खातों की संख्या का वर्गवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ग	निम्नलिखित महीनों के अन्त की स्थिति के अनुसार खातों की संख्या		
	दिसम्बर, 79	दिसम्बर, 80	जून, 81
1. छोटे/सीमांतिक किसान खेतीहत मजदूर	1,59,678	2,15,259	2,20,716
2. ग्रामीण कारीगर	50,048	11,600	10,289
3. उपभोग ऋण	1,648	820	858
4. अन्य प्रयोजन	61,499	1,37,146	1,46,732
जोड़	2,72,873	3,64,825	3,78,595

विश्व बैंक से ब्याज मुक्त ऋण

2103. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितना ब्याज मुक्त ऋण मिलने की सम्भावना है;

(ख) सरकार ने विश्व बैंक से कितने ब्याज मुक्त ऋण की माँग की है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क), से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जो आमतौर पर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता हैं, से प्राप्त सहायता पर समय-समय पर अलग-अलग ब्याज की दर लागू होती है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ जो विश्व बैंक से सम्बद्ध उदार शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था है, के ऋणों पर कोई ब्याज नहीं लगता है लेकिन उन ऋणों पर वचनबद्धता तथा सेवा प्रभार देने पड़ते हैं ।

वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋणों के लिये करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं :—

परियोजना का नाम	ऋण की राशि
	(करोड़ अमेरिकी डालर)
1. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम-II	12·5
2. हाजिर उर्वरक	40.0
3. कोरबा-II	40.0
4. कानपुर नगर विकास	2.5

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण की दूसरी किस्त में प्रमुख दाता देशों द्वारा कम अंशदान दिये जाने के कारण विश्व बैंक के अपने राजकोषाय वर्ष 1982 (पहली जुलाई, 1981—30 जून, 1982) के लिए उसके वचन प्राधिकारों में कमी आ गई है। इसके परिणामस्वरूप भारत को उपलब्ध राशि में कमी हो जाने की संभावना है लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने इन कमियों के परिणामस्वरूप किए जाने वाले देश-वार आबंटनों के बारे में सरकारी तौर पर अभी कोई अधिसूचना नहीं दी ।

कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से ऋण

2104. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी ने 1980-81 और 1981-82 में कृषि पुनर्वित्त विकास निगम के माध्यम से भारत को ऋण दिया था;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से उपरोक्त वर्षों में कुल कितना ऋण प्राप्त किया गया;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें ऋणों के उपयोग के लिए विभिन्न परियोजना कार्य आरम्भ किए गये थे; और

(घ) राशियों के उपयोग में प्राप्त की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता प्राप्त उन प्रियोजनाओं के ब्यौरे दिए गए हैं जिनके लिये वर्ष 1980-81 तथा 1981-22 में करारों पर हस्ताक्षर हुए हैं तथा जिनमें कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम भाग ले रहा है ।

विवरण

परियोजना का नाम	राशि	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की सहायता का अंश	सहायता पाने वाले राज्य	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की सहायता के अंश का उपयोग (31-1-82 को संवितरित राशि के संदर्भ में)
1. तीसरी कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ऋण परियोजना	212 करोड़ रुपए (25.0 करोड़ डालर)	पूरी सहायता	सभी राज्य	पूर्ण रूप से प्रयुक्त
2. अंतर्देशीय मीन उद्योग परियोजना	17 करोड़ रुपये (2.0 करोड़ डालर	7.9 करोड़ रुपए (93 लाख डालर)	बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश	3.4 लाख (40,000 डालर)
3. कर्नाटक रेशम कीट पालन उद्योग परियोजना	45 करोड़ रुपये (5.4 करोड़ डालर)	3.7 करोड़ रुपये (44 लाख डालर)	कर्नाटक	54 लाख रुपये (635,000 डालर)
4. काजू परियोजना	18 करोड़ रुपये (2.2 करोड़ डालर)	11.6 करोड़ रुपये (1.37 करोड़ डालर)	कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश केरल, उड़ीसा	64 लाख डालर (750,000 डालर)

टिप्पणी : डालरों का रुपयों में और रुपयों को डालरों मे परिवर्तन 1 डालर=8.5 रुपये की दर से किया गया है।

गोआ शिपयार्ड का विस्तार

2105. **श्रीमती संयोगिता राणे : क्या रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ शिपयार्ड ने विस्तार कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उस पर कितना व्यय होगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी हाँ।

(ख) गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 99 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर गहरे समुद्र में जाने वाले जहाजों के निर्माण तथा मरम्मत करने की सुविधाएं स्थापित करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम में 32 मीटर तक सामने पानी में स्लिपवे को बढ़ाने स्लिपवे के दोनों ओर साइड आर्मस और वाकवेज की व्यवस्था करने तथा सहायक मुख्य तलकर्षण लगाने का विचार है। 17 लाख रुपये की अनुमानित लागत से एक इलैक्ट्रानिक वर्कशाप को बनाने और सज्जित करने का कार्य पहले ही प्रगति पर है। 23 लाख रुपये की लागत पर नम्बर 3 उत्पादन और करीब 35 मीटर की एसेम्बली वे का कार्य भी हो रहा है। कम्पनी मोजूदा फिटिन्ग आउट जैटी को 60 मीटर तक बढ़ाने की योजना भी बना रही है। इस पर 60 लाख रुपये लगने का अनुमान है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न प्रकार के पोतों तथा जलयानों के निर्माण और मरम्मत करने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अपने सहायक सामान में वृद्धि करने के लिए एक दीर्घकालीन कार्यक्रम भी बना रहा है।

बम्बई के समुद्र में निषिद्ध वस्तुओं के साथ नौका का पकड़ा जाना

2106. **प्रो. मधु दण्डवते : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा शुल्क तथा समुद्रीय प्राधिकरणों ने 25 जनवरी, 1982 को 25 लाख रुपए मूल्य के निषिद्ध सामान के साथ बम्बई में हाजी अली तट के निकट एक नौका पकड़ी थी और पांच पाकिस्तानी नौका चालकों को गिरफ्तार किया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस तस्करी के पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ रहा है;

(ग) क्या भविष्य में इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ। सीमा शुल्क समाहर्तालय (निवारक), बम्बई के समुद्री तथा निवारक पद के अधिकारियों ने 25/26 जनवरी, 1982 को हाजी अली के निकट "अल करीम" नामक एक अरब ढो को रोका और उक्त जलयान से कुल लगभग 24 लाख रुपये का इलैक्ट्रानीय माल, टैक्सटाइल्स आदि जैसा तस्करी का माल पकड़ा। लगभग 2 लाख रुपये मूल्य के उक्त जलयान को भी पकड़ लिया गया। क्रमींदल के 5 पाकिस्तानी सदस्यों को, जो उक्त जलयान पर सवार पाये गये थे, गिरफ्तार कर लिया गया।

(ख) यह पता लगाने के लिए मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है कि पकड़ा गया माल किसी संगठित गिरोह का तो नहीं है।

(ग) पश्चिमी-समुद्र तटीय क्षेत्र में सीमा शुल्क विभाग के निवारक और गुप्त सूचना तन्त्र को सुदृढ़ बना दिया गया है। सीमा शुल्क अधिकारी नियमित तौर से समुद्र में, समुद्र तट पर तथा सड़क पर गश्त लगा रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में तस्करी के हर प्रयास को रोका जा सके।

होटल कनिष्क नई दिल्ली में काम कर रहे कर्मचारी

2107.**श्री निहाल सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होटल कनिष्क, अशोक रोड, नई दिल्ली में 31 जनवरी, 1982 तक वर्ग-वार कितने कर्मचारी नियुक्त किये गये थे;

(ख) इस होटल में वर्गवार कितने पद हैं और ये पद कब तक भरे जायेंगे; और

(ग) क्या 31 जनवरी, 1982 तक की गई सभी नियुक्तियाँ, रोजगार कार्यालय के माध्यम से नहीं की गई थीं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) होटल कनिष्क में श्रेणी-वार पदों की संख्या और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा होटल कनिष्क में 31-1-82 तक की गई नियुक्तियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

भारत पर्यटन विकास निगम ने सूचना दी है कि शेष 319 पदों को जून 1982 तक उनकी आवश्यकता के अनुसार भरे जाने की सम्भावना है।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा सभी रिक्त स्थान रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किए गए थे। रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से, साथ ही उन उम्मीदवारों में से, जिन्होंने भारत पर्यटन विकास निगम को सीधे समाचार पत्रों के द्वारा भेजे गए विज्ञापनों के उत्तर में आवेदन भिजवाए थे और उन उम्मीदवारों में से जिन्हें विविध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वारा प्रायोजित किया गया था, अन्तिम भर्तियाँ की गई थी।

विवरण

विभाग	स्वीकृत क्षमता	स्थिति
कार्मिक और प्रशासन	24	11
लेखा	51	20
स्टोर और खरीद	17	10
खाद्य और पेय	151	80
किचन	115	68
फ्रन्ट आफिस (पी आर को शामिल करते हुए)	52	34

2	2	3
हाउस की पिंग	124	68
सुरक्षा	42	12
इंजीनियरिंग	67	21
जोड़	643	324

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विकास

2108. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक हवाई अड्डे के सम्बन्ध में विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक हवाई अड्डे पर कितना व्यय किया जाना है और विस्तार कार्यक्रम कब पूरा हो जायेगा;

(घ) प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा इस समय कितने यात्री तथा माल यातायात को हैण्डल किया जाता है; और

(ङ) प्रत्येक हवाई अड्डे के विस्तार के पूरा होने के बाद कितना बढ़ा हुआ यात्री एवं माल यातायात हैंण्डल किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) जी, हां। भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने छठी योजनावधि के दौरान 141 करोड़ के कुल व्यय से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विस्तार की एक योजना तैयार की है तथा नागर विमानन विभाग ने उपकरणों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है जिसके विस्तृत ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

बम्बई हवाई अड्डा

(i) 22.49 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से नये अन्तर्राष्ट्रीय यात्री टर्मीनल काम्प्लैक्स (चरण II) का निर्माण जिसके 1984 तक पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) 1.89 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से परिचालनात्मक सुविधाओं में सुधार करने के लिए श्रेणी II की प्रकाश पद्धति की व्यवस्था, जिसके अगले वित्तीय वर्ष के दौरान पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

(iii) संचार/दिक्चालन उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए छठी योजनावधि के दौरान लगभग 11.84 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

कलकत्ता हवाई अड्डा

6.10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से छठी योजनावधि के दौरान अधिकांश सेवाओं

में और वृद्धि करना तथा दार्ष्टिक प्रकाश व्यवस्था आदि जैसी परिचालनात्मक सुविधाओं में सुधार करना। फिलहाल अन्तर्राष्ट्रीय आगमन ब्लाक के विस्तार सम्बन्धी निर्माण कार्य के इस वर्ष में पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त संचार/दिक्चालन उपकरणों के आधुनिकीकरण पर लगभग 3.65 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे।

दिल्ली हवाई अड्डा

(i) 63.95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से नये अन्तर्राष्ट्रीय यात्री और कार्गो टर्मीनल काम्प्लेक्स का निर्माण, जिसके 1985 तक पूरा कर दिये जाने का प्रस्ताव है।

(ii) 2.74 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्थान ब्लाक का निर्माण जिसके एशियाई खेल, 1982 से पहले पूरा कर दिए जाने का प्रस्ताव है।

(iii) लगभग 2.67 करोड़ रुपये की लागत से संचार/दिक्चालन उपकरणों का आधुनिकीकरण करना।

मद्रास हवाई अड्डा

(i) 10 04 करोड़ रुपये की अनुमानत लागत से नये अन्तर्देशीय टर्मीनल भवन का निर्माण, जिसके 1984 तक पूरा कर दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) अन्तर्राष्ट्रीय साइड पर वर्तमान भवन के विस्तार कार्य के इस वर्ष के दौरान पूरा कर दिये जाने का प्रस्ताव है।

(iii) लगभग 5.20 करोड़ रुपये की लागत से संचार/दिक्चालन उपकरणों का आधुनिकीकरण करना।

(घ) और (ङ) 1980-81 के लिए हैंडल किये गये यात्री यातायात तथा कार्गो लोड 1984-85 के लिए प्रायोजित यातायात को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबन्ध I के रूप में सलंग्न है।

विवरण

लोक सभा प्रश्न सं. 2108 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में निर्दिष्ट 1980-81 के लिये यात्री तथा कार्गो यातायात और वर्ष 1984-85 के लिए प्रायोजित यात्री तथा कार्गो लोड को दर्शाने वाला विवरण।

हवाई अड्डा	यात्री यातायात (लाखों में)		कार्गो लोड (टनों में)	
	1980-81 वास्तविक	1984-85 प्रायोजित	1980-81 वास्तविक	1984-85 प्रायोजित
बम्बई	50.54	80.16	97,982	1,24,815
कलकत्ता	13.33	20.19	16,734	23,839
दिल्ली	33.99	55.64	63,250	1,17,021
मद्रास	9.52	10.61	40,750	68,076
योग	107.38	166·60	188,716	3,33,751

पाकिस्तान के साथ व्यापार सम्बन्ध

2110. **श्री एस एम. कृष्ण** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग के माध्यम से पाकिस्तान के साथ इस देश के व्यापारिक सम्बन्धों को फिर से स्थापित करने का विचार है ।

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धों से अवरोध कब से है;

(ग) क्या पाकिस्तान भारत की मंडियों में अपने माल की पहुंच के लिए कुछ बरीयताओं की माँग कर रहा था; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में कब तक क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) प्रस्तावित भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग के ठीक-ठीक स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र का निर्धारण पाकिस्तान सरकार से परामर्श करके अभी किया जाना है । ऐसी आशा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार संयुक्त आयोग के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले मसलों में से एक होगा । नया व्यापार करार सम्पन्न करने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत चल रही है । तथापि, जब तक यह करार सम्पन्न नहीं हो जाता तब तक दोनों देशों के बीच व्यापार उनकी अपनी-अपनी आयात-निर्यात नीतियों के अनुसार चलाया जा रहा है ।

जीवन बीमा निगम द्वारा महाराष्ट्र को ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए मंजूर की गई ऋण सहायता

2111. **श्री वी. एन. गाडगिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने महाराष्ट्र की ग्रामीण पाइप द्वारा जल प्रदाय योजना के लिए कितनी ऋण सहायता मंजूर की है; और

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए इस अभ्यावेदन को देखते हुए कि इस राशि को बढ़ाया जाये जीवन बीमा निगम का विचार उस ऋण राशि को 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12 करोड़ रुपये करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जीवन बीमा निगम से महाराष्ट्र को वर्ष 1981-82 में ग्रामीण और शहरी जलपूर्ति और मल निकासी योजनाओं के कुल 1206 लाख रुपए की ऋण सहायता आबंटित की गई है । 1202 लाख रुपए के ऋण पहले ही मंजूर किये जा चुके हैं । उपर्युक्त ऋण में से 662 लाख रुपये शहरी जलपूर्ति और मल निकासी योजनाओं और 510 लाख रुपये ग्रामीण पाइप द्वारा जल पूर्ति योजनाओं के वित्त पोषण के लिए हैं । महाराष्ट्र को आवंटित पूरी राशि के लिए इस प्रकार पहले ही स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं ।

अन्य राज्यों में मुख्यालयों वाले कारखानों द्वारा अदा किया गया आयकर

2112. **श्री वी. आर. महाटा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने उद्योग हैं जिनके कारखाने एक राज्य में हैं और उनके मुख्यालय किसी राज्य में हैं; और

(ख) ऐसे कारखानों द्वारा उनके मुख्यालय अन्य राज्यों में स्थित होने के कारण 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान कितना आयकर अदा किया गया और इन वर्षों में उन राज्यों को, जिनमें उक्त मुख्यालय स्थित हैं आयकर में से कितना अंश अदा किया गया ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1979 की स्थिति के अनुसार, आयकर विभाग के रजिस्टर में 41,532* कम्पनियाँ दर्ज हैं। प्रश्न को, केवल कम्पनियों के द्वारा संचालित उद्योगों तक सीमित कर देने पर भी, इन सभी कम्पनियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करनी होगी। इसमें जो समय व श्रम लगेगा वह इससे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा। यदि किसी विशिष्ट मामले के सम्बन्ध में सूचना मांगी जाय तो वह एकत्र करके प्रस्तुत की जा सकती है।

धनबाद में आयकर छापे

2113. **श्री ए. के. राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 में बिहार के धनबाद जिले में, जहां पर कालाधन अत्यधिक सकेन्द्रित है, आयकर विभाग द्वारा कोई छापा मारा गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विस्तृत तथ्य क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) वर्ष 1981 के दौरान आयकर-विभाग ने धनबाद में एक व्यक्ति के बैंक-लाकर की तलाशी ली थी। लेकिन उस लाकर में, विभाग द्वारा पकड़े जाने योग्य कोई लेखा बाह्य परिसम्पत्ति नहीं मिली थी।

भारतीय नौसेना

2114 **श्री जेवियर अराकल** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय समाचार-पत्रों और सप्ताहिक पात्रिकाओं में भारतीय नौसेना और उसकी रक्षा से सम्बन्धित प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय नौसेना उतनी सुदृढ़ नहीं है; और

(ग) हमारी नौसेना की सुरक्षा पद्धती के संरक्षण और इसकी आक्रामक क्षमताओं का विस्तार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) भारतीय नौसेना के संबंध में समाचार-पत्रों में समय-समय पर प्रकाशित लेखों के बारे में सरकार को जानकारी है।

(ख) मौजूदा समुद्री खतरों का मुकाबला करने और हमारे समुद्री हितों की रक्षा करने के लिये नौसेना की क्षमताएं पर्याप्त हैं।

(ग) नौसैनिक योजनाओं का लक्ष्य एक ऐसी संतुलित नौसेना का विकास करना है जिसकी पर्याप्त प्रतिरक्षात्मक और आक्रमक क्षमताएं हों। बदलते हुए सुरक्षा परिवेश के अनुसार इन योजनाओं का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है।

* (प्राक्कलन समिति की नवीं रिपोर्ट का पृष्ठ 5)

भारत में वर्ष 1980-81 के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि

2115. **श्री जी. वाई. कृष्णन :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1980-81 के दौरान भारत में पर्यटकों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या यह सच है कि पर्यटकों की सुविधाओं के लिए तथा पर्यटकों के आगमन की प्रवृत्ति को देखते हुये उनके विभाग ने उनके क्षेत्रों में प्रर्यटकों को उत्साहित करने वाले बाजार बनाए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) जी, हाँ। भारत आने वाले अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आंकड़े कैलेण्डर वर्ष के आधार पर संकलित किए जाते हैं न कि वित्तीय वर्ष के आधार पर 1981 के दौरान कुल 853,148 अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक भारत आए जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

(ग) जी, हाँ।

(घ) जनवरी से नवम्बर 1981 की अवधि के लिए परिकलित विस्तृत आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि इन क्षेत्रों के अन्तर्गत पिछले वर्ष की तत्संबंधी अवधि की तुलना में पश्चिम एशिया से आए पर्यटकों में 12,678 (17.5%) की वृद्धि दर्ज हुई, पश्चिम यूरोप से पर्यटक आगमन में 11,946 (4.3%) की वृद्धि दर्ज की गई, अफ्रीका से 5,734 (19.8%) दक्षिण पूर्व एशिया से 5, 448 (10.2%), उत्तर अमरीका से 3,948 (4.4%) दक्षिण एशिया से 3336 (3 3%) केन्द्रीय और दक्षिण अमरीका से 2,871 (37.3%) और पूर्वी यूरोप से 2,706 (15.0%) की वृद्धि दर्ज की गई। उपर्युक्त अवधि के दौरान आस्ट्रेलेशिया और पूर्व एशिया के मामले में पर्यटक आगमन में 2,232 (9.0%) और 177 (0.5%) की कमी दर्ज की गई।

भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० द्वारा परिवर्तनीय बांड जारी किया जाना

2116. **डा. वसन्त कुमार पंडित : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० ने सात-वर्षीय परिवर्तनीय बांडो के जारी करने हेतु घोषणा की है;

(ख) अन्सधारियों के लिए जारी किये गसे 13.5 करोड़ रु० के प्रमाणपत्रों पर अंशधारियों का क्या रुख रहा और उनमें से कितने ऋण पत्र लिए गए;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० के चेयरमैन ने 2,000 से अधिक कम्पनियों को, जो भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम के ऋणी हैं, व्यक्तिगत पत्र लिखे हैं कि वे जारी ऋण पत्रों के खरीदारों के विकल्प के रूप में समर्थन दें;

(घ) क्या ऋणी लोगों को इस प्रकार पत्र लिखा जाना किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के लिए दवाव डाला जाना माना जाता है; और

(ङ) क्या इस प्रकार की "विशेष व्यक्तिगत" अपील के लिए चेयरमैन द्वारा वित्त मंत्रालय से कोई पूर्वानुमति ली गई थी ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम (आई. सी. आई. सी. आई.) ने अधिकारों पर आधारित, तीन चरणों में पूर्णतः इक्विटी शेयरों में परिवर्तित होने वाले 13.50 करोड़ रुपये के परिवर्तनीय ऋण पत्र (कन्वर्टिबिल डिबेंचर) जारी किए हैं, अर्थात प्रत्येक तीसरे, पांचवें और सातवें वर्ष में एक तिहाई। अंशधारियों को भेजे गए प्रस्थापना पत्रों के जवाब में, 6 जनवरी, 1982 को आई. सी. आई. सी. आई. को 11.30 करोड़ रुपये के लिए 245 आवेदन प्राप्त हुए। अंशधारियों की खरीद में कुछ कमी के पूर्वानुमान में, आई. सी. आई. सी. आई. के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक ने निगम से पुराने सम्बन्ध रखने वाली लगभग 115 कंपनियों को वैकल्पिक सहायता तैयार रखने के लिए लिखा था। आई. सी. आई. सी. आई. द्वारा, इन ऋण पात्रों का निर्गम सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर किया गया था। निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा जारी किया गया पत्र असल में एक परिचलनात्मक कदम था। और इस लिए सरकार की अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक वाणिज्यिक निकाय होने के कारण आई. सी. आई. सी. आई. से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ऋण पत्रों को अभिदत्त करने के वास्ते तर्क संगत और कानूनी प्रयास करे। अतः अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक के पत्र को दबाव डालने वाला नहीं समझा गया है।

हैदराबाद के निजाम की सम्पत्ति

2117. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद के उत्तराधिकारियों ने पिछले एक वर्ष के दौरान निजाम की सपति की कुछ चीजों को सरकार की अनुमति और वैध दस्तावेजों के बिना बेच दिया है; और

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि पिछले एक वर्ष में हैदराबाद के निजाम के उत्तराधिकारियों ने सरकार की समुचित अनुमति के बिना कोई सम्पति नहीं बेची है।

(ख) ऊपर (क) में दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता।

आयकर अपचवंन

2118. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** :

श्रीमती प्रमिला दंडवते :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अधिकारियों द्वारा गुजरात के गृह मंत्री श्री प्रबोध रावल के विरुद्ध आयकर अपवंचन के कारण दायर किये गये मुकदमों को, उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाए जाने के बाद भी, वापस ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) मैसर्स आनन्द ट्रेडर्स नामक फर्म ने, कर-निर्धारण वर्ष 1967-68, 1968-69 तथा 1969.70 के लिए आय की विवरणियां दालिल की थीं। फर्म का गठन इन वर्षों के दौरान दो भागीदारों, श्री प्रबोध चन्द्र रावल और श्री हरिप्रसाद एन. व्यास द्वारा किया गया था। इन वर्षों से सबंधित लेखा-बहियों की जांच करने पर यह पाया गया था कि उनमें दर्ज की गई बिक्रियाँ, कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 और वर्ष 1969-70 की आय की विवरणियों में प्रकट की गई की बिक्रियों से भिन्न थीं तथा कमीशन और व्यय के लेखों में विसंगतियां नोट की गई थी। आय छिपाये जाने के परिणामत:, इन कर-निर्धारण वर्षों के लिए क्रमशः 18,327 रु०, 10,566 रु० तथा 16,657 रु० के अर्थदण्ड लगाये गये थे। उस फर्म तथा इसके दो भागीदारों के खिलाफ इन अपराधों के सम्बन्ध में मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अहमदाबाद के न्यायालय में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 277 के अन्तर्गत शिकायतें भी दायर की गई थी।

बाद में, अपराधों के बारे में समझौता करने के लिए दाखिल की गई एक याचिका पर, आयकर आयुक्त ने आयकर अधियियम. 1961 की धारा 279(2) के अंतर्गत अपराधों के बारे समझौता किया। समझौता किये जाने पर, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, अहमदाबाद ने आय-कर विभाग की शिकायतें वापस लेने की अनुमति दे दी।

ग्रामीण विकास के लिये संस्थागत ऋण

2119. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए पर्याप्त तथा समय पर संस्थागत ऋण का उपलब्ध करने की आवश्यकता पर राज्य सरकारों से बातचीत की है और कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से संस्थागत सक्षमता के साथ सुपरवाइज्ड क्रेडिट सिस्टम की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक मिली विशिष्ट उपलब्धिओं का ब्यौर क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में 21-11-81 को एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालकों, राज्य सरकारों, योजना आयोग के साथ कृषि, ग्राम पुनर्निर्माण, वित्त और गृह मंत्रालयों, कृषि पुनर्वित्त तथा विकास निगम और कृषि वित्त निगम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बैठक में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई और इसके कार्यान्वयन में क्षेत्र स्तर पर आने वाली विभिन्न परिचालनात्मक कठिनाइयों पर चर्चा की गई। सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा वर्तमान संगठन के ढांचे को सुचारूता और सुदृढ़ता तथा प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक प्रबन्धों की आवश्यकता को स्वीकार किया गया और यह निर्णय किया गया कि सभी संबंधितों द्वारा इस दिशा में सभी स्तरों पर और आगे आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि गरीबी हटाओ कार्यक्रम, जिसके लिए सरकार वचनबद्ध है, की सफलता सुनिश्चित हो सके। इसके शाधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 10 दिसंबर, 1981 के परिपत्र द्वारा बैंकों को विस्तृत अनुदेश जारी किए। इन अनुदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ, लाभ पाने वालों का निर्धारण, व्यवसाय और अर्धक्षम स्कीमें, ऋण आवेदनों का यथासमय और त्वरित निपटान, संवितरणों का पर्यवेक्षण और कार्यक्रम के

अधीन बैंकों द्वारा प्राप्त किए गए आवेदनों की प्राप्ति और निपटान को संचालित करने के वास्ते एक सूचना प्रणाली स्थापित करना शामिल हैं।

अफीम की खेती

2120. **श्री कृष्णदत्त सुल्तानपुरी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं, जिन्हें अफीम की खेती की अनुमति दी गई है तथा उनके उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) हिमाचल प्रदेश में अफीम की खेती के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को कब पत्र भेजा था और इस मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) पोस्त की काश्त करने की अनुमति मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में दी गई है। 1980-81 की फसल का उत्पादन सम्बन्धी विवरण (अन्तिम) निम्नानुसार है :—

राज्य	काश्त का रकबा (जिसमें फसल उगाई गई)	90° गाढ़ता की उत्पादित अफीम की मात्रा
	हैक्टेयर	मीट्रिक टन
मध्य प्रदेश	15956	550
राजस्थान	10114	356
उत्तर प्रदेश	9308	220
जोड़	35378	1126

उपर्युक्त तीन राज्यों के अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश में सरकारी फार्म पर भी आजमाइशी तौर पर पोस्त की काश्त करने की इजाजत दी गई थी और 1980-81 की फसल के दौरान केवल 2.76 हैक्टेयर रकबे पर ही फसल उगाई गई थी, जिससे 90° गाढ़ता की 3.65 किलोग्राम अफीम प्राप्त हुई।

(ख) और (ग) हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी कृषि भूमि पर पोस्त की काश्त हेतु इजाजत देने के लिए समय-समय पर अनुरोध करती रही है।। इस सम्बन्ध में, राज्य सरकार से, वर्ष 1981-82 के दौरान दिनांक, 2-7-81, 25-7-81, 9 9-81, 5-11-81 और 15-2-82 के पत्र प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में विश्व भर में स्वापकों की आपूर्ति होने से उनके मूल्य अत्यधिक गिर गये हैं। परिणामतः अफीम का निर्यात कम हो गया है और इसका एक बड़ा स्टाक जमा हो गया है। इन परिस्थितियों में सरकार ने विवश होकर 1980-81 की फसलो में पोस्त की काश्त के रकबे को, जो 1977-78 की फसल में 63.680 हैक्टेयर था, कम करके 35,378 हैक्टेअर कर दिया। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में वाणिज्यिक आधार पर पोस्त की काश्त करने की इजाजत दिये जाने संबंधी

जो अनुरोध किया था, उसे अन्तराष्ट्रीय वाजार की इस विकट स्थिति को देखते हुए स्वीकार कर पाना सम्भव नहीं हो पाया है ।

पश्चिम बंगाल में तूफान से प्रभावित लोगों को गृह-निर्माण के लिए ऋण

2121. **सुधीर कुमार गिरी** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को पश्चिम बंगाल के तूफान से प्रभावित लोगों को गृह-निर्माण के लिये दीर्घावधि ऋण देने का निदेश दिया है;

(ख) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), से (ग) इस सदन के एक सदस्य से कृषि मंत्रालय के माध्यम से इस मंत्रालय को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें और बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में 10 और 11 दिसम्बर, 1981 को आये तूफान से जिन लोगों के मकानों को नुकसान पहुंचा है उन लोगों को बैंकों द्वारा आवास ऋण दिये जाने चाहिये । इस प्रकार के प्रत्येक मामले में बैंकों को अलग से अनुदेश जारी करने की आवश्यकता से बचने के लिए आवास ऋणों के सम्बन्ध में बैंकों के नाम स्थायी अनुदेश जारी किये गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साय मकानों की मरम्मत के लिए ऋण देने तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों के सहयोग से दैवी विपत्तियों से त्रस्त लोगों को राहत और पुनर्वास सहायता देने के लिए तुरन्त कार्रवाई करने की व्यवस्था है । इसलिए, भारतीय रिजर्व बैंक एक बार फिर बैंकों के नाम अलग से अनुदेश जारी करना आवश्यक नहीं समझता ।

राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा राष्ट्रीय वस्त्र निगम की बकाया धनराशि का भुगतान करने में विलम्ब

2122. **श्री के. टी. कौसलराम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को मिलों द्वारा बनाये गये नियंत्रित कपड़े की खरीद के लिए 45 करोड़ रुपए की अवशेष धनराशि में केवल 8 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, यदि हां, तो इस बकाया राशि का भुगतान करने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह भी सच है कि उपर्युक्त बकाया धनराशि के अलावा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम को और भी 22 करोड़ रुपया देना है और यदि हां, तो इस देय धनराशि का भुगतान करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक खोलने का प्रस्ताव

2123. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक खोलने का प्रस्ताव किस अवस्था में है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना के लिए संदन द्वारा यथापारित विधेयक को राष्ट्रपति 30 दिसम्बर, 1981 को अपनी स्वीकृति दे चुके हैं। उक्त विधेयक के अनुसार इस बैंक की स्थापना शीघ्र करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पहले से ही चल रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य बाजार में भारत की स्थिति

2124. **श्री डी. पी. जदेजा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ सालों के दौरान भारत झींगा मछली का प्रमुख निर्यातक रहा है;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य बाजार में हाल में भारत की स्थिति को चीन ने प्रभावित किया है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री : (श्री पी. ए. संगमा) : (क) भारत झींगा मछली का प्रमुख निर्यातक रहा है।

(ख) तथा (ग) जापान तथा संयुक्त राज्य अमरीका भारतीय झींगा मछली के लिए, जो कि एक मुख्य मद है, और जहां मात्रा की दृष्टि से भारत से होने वाले कुछ समुद्री उत्पादों के निर्यातों का भाग लगभग 68 प्रतिशत बैठता है, प्रमुख बाजार हैं।

चीन अमरीकी बाजार में भारतीय समुद्री खाद्य मदों के लिए बिल्कुल भी प्रतियोगी नहीं रहा है। जापानी बाजार में भी चीन की प्रतियोगिता गम्भीर नहीं है। 1981 के दौरान, जापान को भारतीय झींगा मछली के निर्यात सबसे अधिक अर्थात 40054 मे० टन रहे हैं जबकि चीन से 14954 मे० टन के निर्यात हुए। वास्तव में जापान के बाजार में चीन की झींगा मछली का भाग जो 1980 में 10.12 प्रतिशत था 1981 में गिर कर 9.24 प्रतिशत रह गया है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री खाद्य बाजार में अपने भाग को कायम रखने तथा उसमें सुधार लाने के लिए जो मुख्य कदम उठायेगा उनमें शामिल हैं : विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मेलों में भाग लेना, समुद्री उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण के विदेश स्थित कार्यालयों की मार्फत उत्पाद तथा प्रतिष्ठा प्रदर्शन और भारत में उत्पादन आधार का विस्तार (विशेष रूप से प्रान पालन का संवर्धन)।

नियंत्रित कपड़ा विक्रेता सहकारी संघ, नागपुर का ज्ञापन

2125. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा नियंत्रित कपड़े के मूल्य 80 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ाने की घोषणा से गरीब उपभोक्ताओं के लिए यह बहुत महंगा हो गया है क्योंकि यह उनकी क्रय शक्ति के परे है;

(ख) क्या इस बारे में नियन्त्रित कपड़ा विक्रेता सहकारी संघ, नागपुर की ओर से सरकार को कपड़ का मूल्य कम करने के सुझाव के बारे में ज्ञापन मिला है; और

(ग) इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचर कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) मिल द्वारा निर्मित कंट्रोल के कपड़े की उपभोक्ता कीमत में 1974 में प्राप्त उपभोक्ता कीमतों पर भारित औसत वृद्धि 88 प्रतिशत है। सरकार द्वारा दिये जा रहे उपदान को देखते हुए कपड़ा साधारण आदमी की क्रय शक्ति से बाहर नहीं है।

(ख) जी हां।

(ग) उपदान की निश्चित दरों तथा उत्पादन लागत में वृद्धि को देखते हुए इस समय कंट्रोल के कपड़े की कीमतें कम करना संभव नहीं है।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की कार्यकरण शैली

2126. **प्रो. अजित कुमार मेहता :**
श्री बी. डी. सिंह : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय औद्योगिक पुनः निर्माण निगम की कार्यकरण शली के बारे में यह जानने के लिए कोई मूल्यांकन किया है कि औद्योगिक रुग्णता को दूर करने के बारे में इसकी भूमिका कितनी लाभदायक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बन्द पड़े एककों को फिर से चालू करने और कमजोर तथा रुग्ण एककों का पुनर्वास तथा उपचार करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में भारतीय औद्योगिक पुनर्वास निगम का निर्माण किया गया था। सरकार निगम के कार्य संचालन की लगातार जाँच करती रहती है ताकि इस बात का सुनिश्चित किया जाय कि निगम का परिचालन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं तथा नीतियों के अनुसार हो। सरकार समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करती है और निगम इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों आदि के अनुसार कार्य कर रहा है। परिचालन संबंधी परिणामों के सम्बन्ध में निगम से प्राप्त सावधिक विवरणियों से भी उसके कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया जाता है। निगम के निदेशक मंडल में नियुक्त सरकारी निदेशक निगम के कार्यों पर बराबर नजर रखते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने अपने परिचालन की समीक्षा करने के उद्देश्य से श्री आर. एन. सेन की अध्यक्षता में वर्ष 1975 में एक समिति बनाई थी और इस समिति ने निगम के आन्तरिक ढांचे में परिवर्तन करने, कार्यविधियों आदि में सुधार करने जैसे विभिन्न प्रकार के सुधार/संशोधन सुझाये थे। सरकार ने अधिकाँश सिफारिशें स्वीकार कर ली थी और निगम ने उन्हें कार्यान्वित किया है।

सोने और घड़ियों की तस्करी

2127. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवित एयरलाइन्स के दो अधिकारियों को 22-25 लाख रुपये का सोना और 82400/-रुपये की घड़ियाँ तस्करी से देश में लाने के अपराध में दो महीने के लिये बम्बई में जेल में भेज दिया गया था, जैसे कि 15 दिसम्बर, 1981 के "इडियन एक्सप्रेस" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो संबंधी तत्वों का पूर्ण ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है इन मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) जी, हाँ। बम्बई में तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों ने 12-12-198. को एअरफ्लोट के एक ट्रैफिक सहायक को उस समय रोका जब वह एअरफ्लोट के एक हवाई जहाज से नीचे उतर रहा था और उसके द्वारा ले जाये जा रहे अटैची केस से लगभग 22.56 लाख रुपये मूल्य के विदेशी मार्के के सोने की 130 छड़ें तथा लगभग 82,4000 रुपये मूल्य की 105 कलाई घड़ियाँ बरामद कीं। यह हवाई जहाज सिंगापुर से लन्दन जाते हुए रास्ते में बम्बई उतरा था। जांच-पड़ताल किये जाने पर यह पता चला कि उक्त हवाई जहाज में सवार लन्दन जा रहे एक यात्री ने निषिद्ध माल वाला उक्त अटैची केस उसे दिया था और यह अटैची केस एअरफ्लोट के बम्बई में तैनात हवाई अड्डे के प्रबन्धक को दिया जाना था। इन सभी तीन व्यक्तियों को, जो भारतीय राष्ट्रिक है, 12-12-81 को, गिरफ्तार किया गया और 21-12-81 को जमानत पर छोड़ दिया गया। और आगे जांच-पड़ताल किये जाने के परिणामत: जो अन्य भारतीय राष्ट्रीक इस मामले में ग्रस्त पाया गया था, उसे 4-2-82 को गिरफ्तार किया गया और उसे 8-2-82 को जमानत पर छोड़ दिया गया। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।

बैंकिंग सेवाओं में सीधी भर्ती की परीक्षाओं और विभागीय पदोन्नतियों के लिए हिन्दी माध्यम को मान्यता

2128. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग सेवाओं में सीधी भर्ती की परीक्षाओं और विभागीय पदोन्नतियों के लिए हिन्दी को माध्यम के रूप में मान्यता नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति दें। कुछ बैंकों ने अपनी पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी के वैकल्पिक प्रयोग की अनुमति दे भी दी है। बैंकों के लिपिक वर्गीय तथा अधिकारियों के काडर में भर्ती विभिन्न बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा की जाती है ये बोर्ड भी अपनी परीक्षाओं का यथासम्भव द्विभाषी-करण करने के लिये कदम उठा रहे हैं।

पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका के साथ भारत का व्यापार

2129. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो सालों के दौरान पाकिस्तान, बंगलादेश और श्रीलंका के साथ भारत के आयात और निर्यात व्यापार का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन देशों को निर्यात किये गये और इन से आयात किये गये मदों के नाम तथा मूल्य कितना है;

(ग) क्या भारत का इन देशों के साथ कोई व्यापार समझौता है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इन देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या विशेष उपाय कर रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) गत दो वर्षों के दौरान पाकिस्तान, बंगलादेश तथा श्रीलंका के साथ हुए भारत के आयात तथा निर्यात व्यापार के यथाउपलब्ध ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी.** 3483/82] विवरण में व्यापार की मदें तथा उनके मूल्य का भी उल्लेख है।

(ग) भारत के बंगला देश तथा श्रीलंका के साथ व्यापार करार है।

(घ) व्यापार करारों की प्रतिलिपियाँ संलग्न हैं। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी.** 3483/82]

(ङ) सरकार इन पड़ौसी देशों के साथ व्यापार संबंधों की निरन्तर समीक्षा करती रही है और उनके साथ आर्थिक तथा वाणिज्यिक सहयोग बढ़ाने के लिए समुचित कदम उठाती रही है। उनके साथ व्यापार के सुदृढ़ीकरण तथा संवर्धन के उद्देश्य से समय समय परामर्श किये जाते हैं। उपयुक्त अवसरों पर व्यापार प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान किया गया है और एक दूसरे के देशों में व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने को प्रोत्साहित किया गया है।

आयकर निरीक्षकों के पद पर पदोन्नति के लिए प्रतीक्षारत विभागीय उम्मीदवार

2130. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की वर्ष-वार और प्रभार-वार कुल संख्या कितनी है जिन्होंने आयकर विभाग में आयकर निरीक्षकों के पदों के लिए विभागीय परीक्षा पास की थी परन्तु अभी भी वे पदोन्नति की प्रतीक्षा में हैं; और

(ख) सरकार प्रतीक्षा काल के अन्तर को अधिकतम 5 साल करने के लिए क्या कार्य वाही करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सूचना संलग्न विवरण-पत्र में दी गई है।

(ख) परीक्षा के स्वरूप को देखते हुए, जो केवल अर्हता प्रदायी है और निरीक्षकों के संवर्ग में पदोन्नति कोटे के पदों की कुल संख्या की तुलना में अनेक फीडर संवर्गों के कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्रतीक्षा-काल के अन्तराल को कम करके अधिकतम पाँच वर्ष न हीं किया जा सकता।

विवरण

जिन व्यक्तियों ने विभागीय परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त कर ली हैं और जो अभी आयकर विभाग में निरीक्षकों के पदों पर पदोन्नति की प्रतीक्षा में हैं, उनकी वर्ष-वार तथा अधिकार क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-पत्र ।

पदोन्नति के लिए प्रतीक्षरत व्यक्तियों की वर्ष वार संख्या

1. अधिकार क्षेत्र	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	कुल
1. राजस्थान	—	—	—	—	1	8	13	15	12	7	19	42	11	24	41	49	242
2. तमिलनाडु	—	—	—	—	5	17	22	32	104	44	71	55	79	82	63	89	663
3. उड़ीसा	—	—	—	—	—	—	1	3	11	4	10	11	26	6	9	29	110
3. उत्तर पूर्वी क्षेत्र शिलांग	—	—	—	—	—	—	2	5	4	1	12	12	13	21	2	14	86
5. बिहार	—	—	—	—	—	—	5	2	28	1	11	13	13	31	6	30	140
6. पंजाब पटियाला	—	—	—	—	—	9	25	26	20	14	31	37	55	93	62	96	468
7. केरल	—	—	—	—	—	4	18	10	30	28	12	31	12	8	11	19	183
8. गुजरात	—	—	—	—	—	—	6	26	34	29	22	39	75	71	72	160	525
9. आन्ध्र प्रदेश	1	—	16	14	13	13	29	28	51	56	13	50	81	54	41	40	500
10. कर्नाटक	—	—	—	—	—	2	11	36	38	18	21	47	41	28	26	58	326
11. बम्बई	—	—	—	—	—	—	—	—	15	73	73	114	109	144	177	187	892
12. पुणे	—	—	—	—	—	—	5	18	26	6	27	32	33	45	51	64	307
13. उत्तर प्रदेश, लखनऊ	—	—	—	14	3	16	13	10	20	10	11	28	35	37	26	23	246
14. उत्तर प्रदेश, कानपुर	—	—	—	8	2	7	5	6	20	11	8	14	12	38	29	38	198
15. मध्य प्रदेश	—	—	1	—	—	4	10	16	26	10	18	23	20	31	22	45	226
16. नागपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6	10	16	19	22	3	19	108
17. दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	8	23	23	28	25	44	78	91	85	405
18. पश्चिम बंगाल	—	—	1	—	—	25	37	62	67	75	84	76	135	152	127	130	971
कुल	1	—	18	36	24	105	202	503	342	407	481	665	813	965	859	1175	6596

निर्यात को बढ़ाना

2131. **श्री एच. के. एल भगत** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष की तुलना में आगामी दो वर्षों में निर्यात के बढ़ने की क्या सम्भावनाएं हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम आठ महीनों के दौरान अर्थात अप्रैल-नवम्बर, 1981 में भारत के समग्र निर्यात 4661.60 करोड़ रुपये मूल्य के हुए जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान हुए निर्यातों के अनन्तिम आंकड़े 4037.98 करोड़ रु. थे, इस प्रकार इनमें 15.4 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। निर्यात उत्पादन तथा निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किये गये उपायों से घरेलू अर्थव्यवस्था में हाल के सुधार और कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होने के कारण यह आशा की जाती है कि आगामी दो वर्षों में निर्यातों में और वृद्धि होगी।

सीमा शुल्क कर्मचारियों पर हमले

2132. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 से उन प्रत्येक सीमा शुल्क कर्मचारी का नाम, पद और नियुक्ति स्थान का ब्यौरा क्या है जिन पर काम करते समय अपराधियों या निहित स्वार्थ वालों ने हमले किए या मार दिये;

(ख) प्रत्येक पीड़ित व्यक्तियों या उसके परिवार को यदि कोई मुआवजा भुगतान किया गया तो वह कितना था;

(ग) प्रत्येक घटना के समय यदि कोई सुरक्षा व्यवस्था थी तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) सीमा शुल्क कर्मचारियों का शान्तिपूर्ण वातावरण में अपने कर्तव्यों का उचित निष्पादन और अपना नैतिक स्तर बनाये रखने के लिए उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या उपाय किए गये हैं या करने का विचार है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1977 से निवारक कार्य पर लगाये गये उन सीमा शुल्क कर्मचारी/कर्मचारियों के नाम, पद नाम, और नियुक्ति-स्थान के ब्यौरे अनुबन्ध "क" में दिए गये हैं, जिन पर काम करते समय अपराधियों या निहित स्वार्थ वालों ने हमले किए या मार दिया। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी.** 3484/82]

(ख) सिवाय पांच मामलों के जिनमें अनुग्रह पूर्वक अदायगी की गई थी, किसी आहत कर्मचारी या उसके परिवार को कोई नकद मुआवजा नहीं दिया गया।

(ग) जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ती है, निवारक दल आग्नेयास्त्रों से लैस होते हैं। आवश्कता समझी जाने पर पुलिस सहायता भी ली जाती है।

(ख) ऐसे कार्यों पर तैनात किये गये कर्मचारियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए बदलती परिस्थितियों में आवश्यक समझे जाने वाले उपाय समय-समय पर किए जाते रहते हैं।

एयर लाइन द्वारा कलकत्ता से उड़ान भरने की अनुमति मांगना

2134. **श्री अजीत कुमार साहा :**

श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि हाल में पिछले दिनों केवल एक एयरलाइन ने जिसने 1971 से उड़ान भरना बन्द कर दिया था, कलकत्ता से उड़ान भरने का अनुरोध किया था लेकिन केन्द्रीय सरकार ने अनुमति नहीं दी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उपर्युक्त एयरलाइन को कलकत्ता से सेवाएं शुरू करने की अनुमति देने के बारे में क्या कार्यवाही की ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) डच एयरलाइन "के. एल. एम." ने द्विपक्षीय विमान सेवा करार के अन्तर्गत उसे जितनी सेवाएं परिचालित करने का अधिकार प्राप्त है उसके अलावा, एक तीसरी सेवा कलकत्ता के लिए परिचालित करने का अनुरोध किया है जो उत अधिकार के अतिरिक्त है। इसलिये इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया।

(ग) सरकार के. एल. एम. अथवा किसी अन्य एयरलाइन द्वारा भी कलकत्ता से होते हुए अपनी सेवाएं परिचालित करने का, जहाँ तक कि इन सेवाओं की संख्या द्विपक्षीय विमान सेवा करारों के अन्तर्गत प्राप्त सेवाधिकारों के अनुसार है, स्वागत करेगी।

डोमचंच बाजार के व्यापारियों से अभ्रक की खरीद

2135. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक व्यापार निगम जिसका गठन छोटे अभ्रक व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था, की हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि डोमचंच के कमजोर वर्गों के व्यापारी उनकी अल्प अभ्रक की मात्रा की बिक्री की गारन्टी न होने के कारण भुखमरी के कगार पर खड़े हैं;

(ग) यदि नहीं, तो डोमचंच बाजार में कुल कितने के अभ्रकव्यापारी हैं और अभ्रक व्यापार निगम ने पिछले दो सालों में प्रत्येक व्यापारी से कितना अभ्रक खरीदा और इसका पूरा ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या अभ्रक व्यापार निगम के पास व्यापरियों से हर साल अभ्रक की एक निश्चित मात्रा, अभ्रक व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों का एक पैनल बनाकर खरीदने के बारे में कोई योजना विचाराधीन है।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) लघु अभ्रक व्यापारियों की दशा में सुधार हुआ है क्योंकि अभ्रक व्यापार निगम उनको उनके उत्पादों की बेहतर कीमतें दे रहा है और साथ ही उत्तरोत्तर अधिक मात्रा में खरीद भी कर रहा है।

(ग) डोमचंच तथा उसके आस-पास के मिटको के पास पंजीकृत अभ्रक व्यापारियों की

संख्या 86 है और उनसे की जाने वाली खरीद इस समय 61 लाख रुपये से अधिक की है जबकि 1979-80 में 31 लाख रुपये की खरीद की गयी थी।

(घ) 1980-81 के दौरान मिटको ने लगभग 80 प्रतिशत खरीद कमजोर वर्गों से की, यद्यपि कमजोर वर्गों से सप्लाई के लिए कोई निश्चित कोटा निर्धारित नहीं किया गया है।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

2136. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री चित्त महाटा : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से 1981 तक सभी राज्यों द्वारा लिए गए ओवर ड्राफ्टों की राज्यवार और वर्षवार धनराशि कितनी है;

(ख) तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या भारत सरकार ने उन्हें ओवर ड्राफ्टों को कम करने की सलाह दी है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक पर राज्य सरकारों के ओवर ड्राफ्ट उनकी दैनिक नकद स्थिति को दर्शाते हैं और इनकी मात्रा दिन प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। इसलिए उनकी मात्रा केवल किसी विशेष तारीख के संदर्भ में ही बतायी जा सकती है। 1974-75 से 1980-81 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य सरकारों के समायोजित ओवर ड्राफ्टों को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) राज्य सरकारों के ओवरड्राफ्ट यातो राज्यों के बजटों में संरचनात्मक असन्तुलनों के कारण होते हैं या नकद प्रवाह में अस्थायी असमानताओं के कारण होते हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार उन राज्यों के साथ लगातार बातचीत करती रही है जिन्होंने बजटों में सरचनात्मक असुन्तुलनों की स्थिति को ठीक करने के लिए ओवरड्राफ्ट ले रखे हैं। प्रधानमंत्री ने अक्तूबर 1980 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सलाह देते हुए लिखा था कि संसाधनों की निश्चित उपलब्धता के आधार पर व्यय को कड़ाई से विनियमित किया जाए और ओवर ड्राफ्टों से बचा जाये। उन राज्य सरकारों के साथ, जिनका घाटा बहुत अधिक समझा गया, 1981-82 के दौरान वित्त मंत्रालय में विचार विमर्श हुआ। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भी ऐसी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के साथ, जिन से वर्ष 1981-82 की समाप्ति पर घाटे की सम्भावना थी, बैठकें की। इन विचार-विमर्शों का उद्देश्य राज्य सरकारों से इस आवश्यकता के लिए आग्रह करना था कि वे घाटे तथा उसके परिणामस्वरूप होने वाले ओवर ड्राफ्टों से बचें और विकासात्मक आयोजनाओं को गंभीर खतरे में डाले बिना धीरे धीरे घाटे को समाप्त करने के लिए स्वीकार्य हल निकालें।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक पर राज्य सरकारों के समायोजित ओवरड्राफ्ट

(करोड़ रुपये)

राज्य	31-3-75	31-3-76	31-3-77	31-3-78	31-3-79	31-1-80	31-1-81
1	2	3	4	5	6	7	8
1. असम	—	—	—	—	—	—	33.05
2. बिहार	96.49	86.53	79.46	69.01	—	—	—
3. गुजरात	2.81	—	14.88	—	—	—	17.59
4. हरियाणा	10.09	11.27	12.49	—	—	1.95	36.01
5. हिमाचल प्रदेश	7.39	5.87	4.14	—	—	—	—
6. कर्नाटक	—	—	—	—	—	—	014.37
7. केरल	5.26	19.66	31.21	4.62	—	—	—
8. मध्य प्रदेश	8.47	—	—	49.60	—	1.27	97.93
9. मणीपुर	0.91	3.83	7.86	3.45	6.59	11.06	22.49
10. मेघालय	—	0.77	—	—	—	—	—
11. नागालैंड	—	7.69	11.07	7.80	1.94	6.81	0.64
12. उड़ीसा	5.83	8.36	14 36	0.98	—	—	—
13. पंजाब	22.93	29.87	38.11	56.36	—	9.53	64.01
14. राजस्थान	11.54	4.13	1.48	8.89	—	22.10	143.27
15. त्रिपुरा	—	5.66	4.03	0.38	—	2.66	9.46
16. उत्तर प्रदेश	99.55	135.13	86.21	145.68	—	—	—
17. पश्चिम बगाल--		8.07	46.58	91.40	—	41.16	97.08
जोड़	271.27	326.84	351.88	438.17	8.53	96.54	535.90

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हवाई अड्डों के विकास की योजना

2137. **श्री चिंग वांग कोनयक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हवाई अड्डों के विकास की एक योजना तैयार की है,

(ख) क्या योजना में नये हवाई अड्डों के निर्माण और क्षेत्र में वर्तमान सुविधाओं के प्रसार भी शामिल हैं, और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विकास कार्यों में कितना खर्च आयेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ!

गोहाटी विमान क्षेत्र का एयरबस के परिचालनों के लिए 5.06 करोड़ रुपये की लागत से विकास किया जा रहा है।

अगरतला, मोहनबाड़ी, इम्फाल, जोरहाट तथा सिल्चर विमान क्षेत्रों का बोइंग 737 प्रकार के विमानों के परिचालन के लिये क्रमश: 3.25 करोड़ रुपये, 1.89 करोड़ रुपये, 0.36 रुपये, .026 करोड़ रुपये तथा 0.28 करोड़ रुपये की लागत से विकास किया जा रहा है।

लीलावाड़ी, दीमापुर तथा तेजपुर विमान क्षेत्रों का एच. एस.-748/एफ 27 प्रकार के विमानों के परिचालन के लिये क्रमश: 0.38 करोड़ रुपये, 0.05 करोड़ रुपये तथा 0.1 करोड़ रुपये की लागत से विकास किया जा रहा है।

इन सभी निर्माण-कार्यों चालू पंचवर्षीय के योजना के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

निम्नलिखित 9 हवाई अड्डों का एच. एस.-748 तथा एफ-27 प्रकार के विमानों से वायुदूत सेवाओं के परिचालन के लिये 4.42 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से सक्रिय बनाने विकास का प्रस्ताव है। निर्माण-कार्य के शीघ्र शुरू ही किये जाने की आशा है :—

1. डपोरिजो
2. रूपसी
3. कैलाशहर
4. कमालपुर
5. कूच-बिहार
6. पासीघाट
7. जेरो
8. बारापानी और
9. तेजू

नये हवाई अड्डे

गंगटोक, कोहिमा, ईटानगर तथा ऐजबाल में 13 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत से चार नये विमान क्षेत्रों का निर्माण करने का भी प्रस्ताव है। इन निर्माण-कार्यों के लिए चालू पंचवर्षीय योजना में 1.91 करोड़ रुपये की सांकेतिक व्यवस्था की गयी है और 11.09 करोड़ के शेष व्यय को सातवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने के लिए ले जाने का प्रस्ताव है।

सिले सिलाये वस्त्र निर्यातकों को नकद सहायता बन्द करना

2138. **श्री वी. एस. विजय राघवन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिले सिलाये वस्त्र निर्यातकों को दी जाने वाली नकद सहायता बन्द कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए संगमा) : (क) तथा (ख) "अन्य

परिधान" श्रेणी पर नकद मुआवजा सहायता 31-3-1982 तक उपलब्ध है। वर्ष 1982 के लिए श्रेणियों पर नकद सहायता देने के बारे में किया गया है।

गाजियाबाद में आयकर छापे

2139. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई मण्डी गाजियाबाद की एक फर्म पर छापे के दौरान आयकर अधिकारियों ने 60 लाख से अधिक मूल्य का लेखा वाह्य धन और आभूषण पकड़े हैं;

(ख) क्या 1 करोड़ रुपये के मूल्य के बेनामी लेखा जोखा भी पकड़ा गया है और अभी छापे जारी रहेंगे; और

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिनसे यह समान पकड़ा गया और गाजियाबाद तथा उसके आसपास के खाद्यान्नों के थोक विक्रेताओं, भूमि हारों और फैक्ट्री मालिकों के यहां विशेष अभियान के दौरान क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, (ख) और (ग) का प्रश्न नहीं उठता।

आयातित स्टेनलैस स्टील का उपयोग

2140. **श्री मनी राम बागड़ी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस साल विदेशों से कितना स्टेन्लैस स्टील आयात किया गया है और इसका उपयोग कैसे किया गया; और

(ख) विदेशों से स्टेनलैस स्टील का कितना सामान आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) चालू वर्ष के लिए वस्तु-वार आयात आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं। तथापि, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और भारतीय इस्पात अधिकरण लि० ने सरणीकरण अभिकरणों के रूप में अप्रैल, 1981 से जनवरी, 1982 के दौरान 8464 एम.टन स्टेनलैस स्टील हीट रैसिसटिंग स्टील का आयात किया।

स्टेनलैस स्टील के आयात की अनुमति वास्तविक प्रयोक्ताओं औद्योगिक द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग के लिए तथा पंजीकृत निर्यातकों हेतु आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातों के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में है।

(ख) 1981-82 के लिए वस्तु-बार आयात आंकड़े अभी संकलित नहीं लिए गए हैं। 1980-81 (अक्तूबर, 1980 तक) के दौरान स्टेनलैस स्टील निर्मित सामान का आयात 11 एम टन का था।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला निदेशकों के रिक्त पद

2141. **श्री मोहम्मद अलरार अहमद** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1 जनवरी 1980, 1 जनवरी, 1981 और 1 जनवरी 1982 को देश के राष्ट्रीयकृत बैंकों में बैंक-

वार और राज्य-वार जिला निदेशकों के कितने पद रिक्त थे और बैंकों में अब तक नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में निदेशकों के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों का चयन करने के सिद्धान्त राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबंध) योजना, 1970 और 1980 की धारा 3 में दिये गये हैं। ये नियुक्तियाँ जिला-वार नहीं की जातीं। किसी राज्य में किसी बैंक के शाखा-जाल तथा "राष्ट्रीयकरण योजना" के उपबन्धों के अनुसार प्रतिनिधित्व के अधिकारी वर्गों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जाता है और उन्हें निदेशक मण्डलों में नियुक्त किया जाता है। एक विवरण (अनुबन्ध) संलग्न है जिसमें 20-राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-मण्डलों में सम्बन्धित तारीखों को गैर-सरकारी निदेशकों की रिक्तियों का ब्यौरा दिया गया है।

20-राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों का इस वर्ष पुनर्गठन किया गया है। शेष छः राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में वर्तमान निदेशक मण्डल अभी कार्य कर रहे हैं। कुछ बैंकों के बोर्डों के गैर-सरकारी निदेशकों के कार्यकाल समाप्त हो जाने के बावजूद राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970 की धारा 9(3) के अनुसरण में वे अपने पद पर बने हुए हैं। शेष छः बैंकों के निदेशक बोर्डों का सरकार द्वारा शीघ्र ही पुनर्गठन किये जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

बैंक का नाम	प्रत्येक बैंक में गैर-सरकारी निदेशकों की रिक्तियों की संख्या	पहली जनवरी 1980 की स्थिति के अनुसार रिक्तियाँ	पहली जनवरी 1981 की स्थिति के अनुसार रिक्तियाँ	पहली जनवरी 1982 की स्थिति के अनुसार रिक्तियां
1. सैन्ट्रल बैंक आफ इंडिया	9	1	8	9
2. बैंक आफ इंडिया	9	1	8	9
3. पंजाब नेशनल बैंक	9	1	8	9
4. बैंक आफ बड़ौदा	9	1	9	9
5. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक	9	1	8	9
6. केनरा बैंक	9	1	9	9
7. यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	9	3	8	9
8. देना बैंक	9	1	8	9
9. सिंडिकेट बैंक	9	1	9	9
10. यूनियन बैंक आफ इंडिया	9	1	9	9
11. इलाहाबाद बैंक	9	1	9	9
12. इंडियन बैंक	9	2	9	9
13. बैंक आफ महाराष्ट्र	9	2	9	9

14. इंडियन ओवरसीज बैंक	9	1	8	9
*15. आंध्रा बैंक	9	-×	9	9
16. कारपोरेशन बैंक	9	-×	9	9
17. न्यू बैंक आफ इंडिया	9	-×	9	9
18. ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	9	-×	9	9
19. पंजाब एण्ड सिंध बैंक	9	-×	9	9
‡20. विजया बैंक	9	-×	9	9

* सरकार ने इन बैंकों को 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत किया था।

‡इन छह बैंकों के सम्बन्ध में बोर्डों का शीघ्र पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है इस समय (I) आँध्र बैंक, (II) कारपोरेशन बैंक, (III) ओरियंटल बैंक आफ कामर्स और (IV) विजया बैंक के बोर्डों में गैर सरकारी निदेशक नहीं हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

2142. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार उन जिलों के नाम क्या हैं जहां क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या हाल ही में धार-झबुआ क्षेत्रीय ग्रामीम बैंक में अनेकों रिक्त स्थान भरे गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इन रिक्तियों पर कितने आदिवासी और हरिजन नियुक्त किये गये हैं; और

(घ) धार-झबुआ क्षेत्रीय बैंक द्वारा अपनी स्थापना से लेकर अब तक विभिन्न प्रयोजनों के लिये कितना ऋण बांटा गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्यवार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के नाम तथा उनके द्वारा व्याप्त जिलों का ब्यौरा दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया- देखिए संख्या एल. टी. 3485/82]**

(ख) और (ग) झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने 20 जून, 1980 से कार्य करना शुरू किया। दिसम्बर, 1981 के अन्त की स्थिति के अनुसार बैंक में 38 अधिकारी और 45 लिपिक मौजूद थे। नियुक्त किये गये लिपिकों में से 2 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के थे।

(घ) दिसम्बर, 1981 की स्थिति के अनुसार प्रयोजन-वार बकाया ऋण इस प्रकार है :—

प्रयोजन	बकाया रकम (लाख रुपये)
अल्पावधि (फसल) ऋण	2.89
कृषि निवेश के लिए सावधिक ऋण	7.62
संबंधित कार्यकलापों के लिए सावधिक ऋण	7.98
ग्रामीण कारीगर/ग्राम और कुटीर उद्योग	6.98
खुदरा व्यापार/छोटे कारबार/आत्मनियोजित	11.47
अन्य प्रयोजन	0.64
जोड़	37.58

5 फरवरी, 1982 को जनता के लिये शान्ताक्रूज की लांज का बन्द किया जाना

2143. **श्री बापू साहेब परुलेकर :**

श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में शांताक्रूज हवाई अड्डे पर समूचा आगमन लांज II शुक्रवार 5 फरवरी, 1982 को (प्रात: समय) तीन घटे से अधिक समय के लिये जनता के लिये बन्द कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने की प्रणाली

2144. **श्री रेणु पद दास :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को किस आधार पर मंहगाई भत्ता दिया जाता है!

(ख) यह प्रणाली कब प्रारम्भ की गई थी और अब उसी को बनायें रखने की अनिवार्यता क्या है; और

(ग) कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने की प्रणाली के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) वर्तमान में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जिसमें समम-समय पर सुधार किया है ।

(ख) लगभग 1940 के मध्य में भारत सरकार ने अपने निम्नतम वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए अनाज प्रतिपूर्ति भते की एक योजना मंजूर की थी । इस योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रान्तों में स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वही लाभ प्राप्त होता था जो कि सम्बद्ध प्रान्तीय सरकारी कर्मचारियों को होता था और और लाभ की मात्रा खाद्यान्नों की वास्तविक बाजार कीमत पर निर्भर होती थी । कीमतों में लगातार वृद्धि होने के कारण यह महसूस किया गया कि उक्त प्रश्न अखिल भारतीय स्तर पर सुलझाया जाए, और अगस्त, 1942 में भारत सरकार ने मंहगाई भत्ते की एक योजना तैयार की जो 1 अगस्त, 1942 से अनाज प्रतिपूर्ति भत्ता योजना के स्थान पर लागू की गयी । मंहगाई भत्ता योजना तथा इससे पहले की अनाजे प्रतिपूर्ति भत्ता योजना लागू करने का कारण यह था कि भारत सरकार को अपने कर्मचारियों को कीमतों में हुई वृद्धि से उत्पन्न कठिनाइयों से बचाने के लिए उपाय करने थे ।

(ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की अदायगी की विद्यमान प्रणाली में संशोधन करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पूर्वी क्षेत्र में सीधी उड़ानों के अभाव में व्यापार को हो रही हानी

2145. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी क्षेत्र में सीधी उड़ानों के अभाव में निर्यात-माल जहाजों द्वारा देश के अन्य स्थानों पर ले जाना पड़ता है जिससे सागर-पारीय क्रेताओं को माल देने में आसाधारण देरी होती है।

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि इसके परिणामस्वरूप सागर-पारीय क्रेता इस क्षेत्र को बड़े आर्डर देने को इच्छुक नहीं थे और इस प्रकार पूरे पूर्वी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था ढहती जा रही है,

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इण्डिया और इण्डियन एयरलाइन्स पश्चिम तथा पूर्व दोनों ही दिशाओं को जाने वाली उड़ानों पर निर्यात-माल के लिए पर्याप्त मात्रा में सीधी कार्गो क्षमता उपलब्ध कराती है और इस माल के वहन के लिए यानांतरण में कोई विलम्ब नहीं होता।

(ख) इस संबन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) नये द्विपक्षीय विमान सेवा करारों पर विचार-विमर्श करते समय कलकत्ता को विदेशी एयरलाइनों को सदा ही एक अवतरण स्थल के रूप में पेश किया जाता है। विदेशी एयरलाइनों को कलकत्ता के लिए परिचालन करने के लिये प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, सरकार ने इस विमानक्षेत्र को दूसरे अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के समकक्ष बनाने के लिये यहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई है।

नियंत्रित वस्त्र योजना की पुनरीक्षण

2146. **श्री रूपचन्द पाल :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा नियंत्रित वस्त्र योजना की पुनरीक्षण की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुये सरकार उपरोक्त योजना की पुनरीक्षा करने को तैयार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगना) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्तमान स्थिति में कन्ट्रोल के कपड़े को विद्यमान योजना के बारे में कोई पुरविचार करने की आवश्यकता नहीं है।

एकाधिकार गृहों की और बकाया कर

2147. **श्री भोगेन्द्र झा :**

श्री विजय कुमार यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत प्रत्येक एकाधिकार गृह की कुल आस्तियों, सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा उनमें से प्रत्येक को दिये गये कुल ऋणों और उनमें से प्रत्येक की और आयकर तथा अन्य करों की बकाया राशियों की नवीनतम स्थिति क्या है; और

(ख) क्या सभी करों की बकाया राशि और सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गए सारे ऋण चुकता करने की कोई समय-सीमा निर्धारित करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) 31 दिसम्बर 1980 की स्थिति (जो कि नवीनतम उपलब्ध स्थिति है) के अनुसार एकाधिकार-गृहों की परिसम्पत्तियां दर्शाते हुए एक विवरण-पत्र संलग्न है, जिसमें 31-3-1981 की स्थिति के अनुसार सावधिक वित्त पोषक संस्थाओं, अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई. एफ. बी. आई), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई. एफ सी. आई), भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, (आई सी. आई सी. आई), भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (आई. आर. सी. आई) द्वारा एकाधिकार गृहों को स्वीकृत तथा वितरित की गयी प्रत्यक्ष परियोजना सहायता की रकम तथा 31-3-1981 की स्थिति के अनुसार बकाया रकम और 30-9-1981 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक समूह की विभिन्न कम्पनियों की तरफ बकाया पड़ी समूह-वार कुल कर की मांगों के ब्यौरे शामिल हैं।

[ग्रंथाकय में रखा गया—देखिए संख्या एल. टी. 3486/82]

(ख) कर्जदारों के साथ किये जाने वाले ऋण सम्बन्धी करारों में ऋणों की अदायगी करने के लिये वित्तीय संस्थाओं द्वारा समुचित समय सीमा की शर्त रखी जाती है। तथापि, एकक को फिर से चालू करने के लिए रिआयती उपाय के रूप में ऐसे रुग्ण एककों के बारे में, जिन्हें फिर से चलाया जा सकता है, उनकी भारी देनदारियों को, प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर फिर से नियत किया जाता है। जहां तक प्रत्यक्ष करों का सम्बन्ध है संगत कानूनों में यह व्यवस्था है कि ऐसी किसी कर की अदायगी, जिसके सम्बन्ध में मांग जारी की जाती है, मांग-नोटिस की तामील से 35 दिन की अवधि में की जानी होती है। तथापि, कानून में, उपयुक्त मामलों में इस समय सीमा को बढ़ाने और उपयुक्त किस्तों में करों की अदायगी के लिये भी समर्थनकारी उपबन्ध विहित हैं, देखिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 220 की उप-धारा 3, 6 तथा 7 और अन्य प्रत्यक्ष करों के तदनुरूपी उपबन्ध। न्यायालयों ने यह ठहराया है कि आयकर अधिकारियों द्वारा इन उपबन्धों के अधीन दिये गये विवेकाधिकार का प्रयोग अर्ध-न्यायिक रूप से तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के सन्दर्भ में किया जाना होता है।

संचयिता निवेशों पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण

2149. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1934 के अधीनियम की धारा 45 (क)/के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक को अनिगमित फर्मों के कार्यकरण को नियमति क ने के लिये उनसे जमाराशि, ब्याज की दर तथा अन्य शर्तें जिन पर वे जमा राशि प्राप्त कर रहे हैं, से सम्बन्धित विवरणीयां, विवरण तथा अन्य सूचना भेजने की मांग करते हुये नियम बनाने की शक्ति है; और

(ख) क्या इस धारा के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कलकत्ता के "संचयिता निवेशों" के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जानर्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनिय, 1934 की धारा 45-ट के अधीन रिजर्व बैंक को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी गैर बैंकिंग संस्था को, उक्त गैर बैंकिंग संस्था द्वारा प्राप्त की गयी जमा राशिशों के बारे में अथवा उनसे सम्बद्ध वे विवरण, सूचना या ब्यौरे प्रस्तुत करने के निर्देश दे जिन्हें कि रिजर्व बैंक निर्दिष्ट करे और, साथ ही यदि जनहित में आवश्यक समझा जाये तो गैर-बैंकिंग कम्पनियों को जमा राशियों की प्राप्ति के बारे में अथवा उनसे सम्बद्ध किन्हीं मामलों के विषय में जिनमें उन जमा राशियों पर देय ब्याज की दर और उन्हें प्राप्त करने की अवधि भी शामिल है, निर्देश जारी करें।

(ख) क्योंकि कलकत्ता की मैसर्स संचयिता इवेंस्टमेंट एक ऐसी भागीदारी फर्म है जिसकी पूंजी एक लाख रुपये से कम, ,है यह उक्त अधिनियम के अर्थों में "गैर बैंकिंग संस्था" नहीं है अतः बैंक द्वारा इस उपबन्ध के अधीन कोई कारवाई नहीं की जा सकी।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को परिवर्तनशील ऋण-पत्र जारी करने के लिए दी गई अनुमति

2150. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान कितनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की परिवर्तनशील ऋण-पत्र जारी करने की अनुमति दी गयी थी और उनका कुल मूल्य क्या है; और

(ख) कितनी कम्पनियों ने अनुमति मांगी थी ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 27 फरवरी, 1982 को समाप्त पिछले तीन महीनों की अवधि के दौरान 22 गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को 67.89 करोड़ रुपये के मूल्य के रूपान्तरणीय ऋण-पत्र जारी करने की अनुमतियाँ प्रदान की गई थीं।

(ख) 15 कम्पनियों ने 27 फरवरी 1982 को समाप्त पिछले तीन महीनों की अवधि के दौरान 93.28 करोड़ रुपये के रूपान्तरणीय ऋण-पत्र जारी करने के लिए अनुमति मांगी थी।

मध्य प्रदेश में तस्करी

2151. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्दौर से प्रकाशित 23 अक्तूबर 1981 को "नई दुनिया" में दी गई रिपोर्ट के अनुसार 1.72 करोड़ रुपये का तस्करी का माल जब्त किया था;

(ख) यदि हाँ, तो उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिनका इसमें हाथ था और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गईहै ; और

(ग) तस्करी विरोधी गतिविधियों को तेज करने तथा मध्य प्रदेश में ऐसी गतिविधियों पर चौकसी रखने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं : सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश में सीमाशुल्क अधिकारियों ने जनवरी से सितम्बर 1981 तक की अवधि में लगभग 8.45 लाख रुपये का माल पकड़ा।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) सीमा शुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तन्त्र को सुदृढ़ बना दिया गया है। मध्य प्रदेश में सीमा शुल्क अधिकारियों को इस क्षेत्र में तस्करी के प्रत्येक प्रयास को रोकने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

एयर इंडिया द्वारा विमान टिकटों की बिक्री में "छूट घोटाले" को रोकना

2152. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया ने विमान टिकटों की बिक्री में बढ़ते हुए "छूट घोटाले" को रोकने के लिये सरकार से सहायता माँगी है।

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार छूट दिये जाने के क्या-क्या विभिन्न तरीके और अनियमिततायें हैं, और

(ग) इस घोटाले की रोक-थाम के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) कुछ वाहकों द्वारा प्रकाशित किरायों पर गैर-सरकारी तौर पर 10 से 40 प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है।

(ग) नागर विमानन के महानिदेशक एयरलाइन प्रतिनिधियों के बोर्ड के कौंसिल सदस्यों, चीफ आई. ए. टी. ए. कम्प्लायेंस आफिसर तथा एयर इंडिया के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं। इसके अलावा, एक पूर्ण रूप से सुव्यवस्थित टैरिफ प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

स्टर्लिंग की तुलना में रुपये के मूल्य का पुनरीक्षण

2153. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-1-1982 से स्टर्लिंग की तुलना में कितनी बार रुपये को घटाया गया और बढ़ाया गया;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा तथा कारण क्या हैं; और

(ग) 31-12-1981 और 1-3-1982 को रुपये का मूल्य क्या था ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) पौण्ड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये के मूल्य में पहली जनवरी, 1982 से पहली मार्च, 1982 तक 15 बार घटबढ़ हुई। इस अवधि से पौण्ड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये का मूल्य 6 बार बढ़ा और शेष 9 बार घटा।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें पौण्ड स्टर्लिंग की तुलना में रुपये के मुल्य की घटबढ़ दिखाई गई है।

मुक्त विनिमय दरों की व्यवस्था में विनिमय मूल्य में घटबढ़ होना सामान्य बात है। रुपये की विनिमय दर उपयुक्त रूप से भारतीय करेंसियों की बास्केट की विनिमय दर में रोजाना होने वाली घटबढ़ के संदर्भ में निर्धारित की जाती है ताकि करेंसियों की बास्केट की तुलना में रुपये का मूल्य निर्दिष्ट सीमाओं में रखा जा सके।

(ग) 31 दिसम्बर, 1981 को रुपये का मूल्य 1 पौण्ड = 17.35 रुपये और पहली मार्च, 1982 को 1 पौण्ड = 16.85 रुपये था।

विवरण

पहली जनवरी से पहली मार्च, 1982 तक की अवधि के दौरान स्टर्लिंग की तुलना में रुपये की विनिमय दर

तारीख	मध्य दर 1 पौण्ड = रुपये	प्रतिशत घट (—) बढ़ (+)
1-1-82	17.45	—0.57
5-1-82	18.60	—0.85
11-1-82	17.45	+0.86
12-1-82	17.30	+0.87
14-1-82	17.05	+1.47
19-1-82	17.25	—1.16
25-1-82	17.10	+0.88
29-1-82	17.20	—0.58
2-2-82	17.05	+0.88
5-2-82	17.20	—0.87
8-2-82	17.10	+0.58
10-2-82	17.00	+0.59
19-2-82	17.10	—0.58
24-2-82	17.00	+0.59
1-3-82	16.85	+0.89

सोने की नीलामियों के बारे में पुरी समिति की रिपोर्ट

2154. **श्री मगनभाई बरोट** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोने की नीलामियों पर 'पुरी समिति रिपोर्ट' की जाँच करने तथा अनुवर्ती कार्यवाही करने के बारे में सुझाव देने के लिये एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई है;

(ख) उच्चस्तरीय समिति के निष्कर्ष कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार समिति के सुझाव के अनुसार अनुवर्ती कार्यवाही करने का है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) से (ग) श्री के. आर. पुरी की रिपोर्ट की जाँच करने और यह बताने के लिये कि रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की जाये, मंत्रिमण्डल स्तर के मंत्रियों के एक ग्रुप का गठन किया गया था। उक्त रिपोर्ट पर इस ग्रुप द्वारा अभी विचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा इस रिपोर्ट पर यथासम्भव शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

श्री पुरी ने विभिन्न ब्यौरे देते हुए एक गुप्त टिप्पणी भेजी थी ताकि सरकार इस मामले में आगे जाँचकर सके। इस टिप्पणी में निहित सूचना, आगे कार्यवाही के लिये, राजस्व विभाग की जाँचकर्ता एजेंसियों को भेज दी गई है। इन जांच-कार्यों के परिणामों के आधार पर सम्बन्धि कानूनों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जायेगी।

भारत-फ्रांस व्यापार

2156. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति** :

श्री एच. एन. नन्जे गौडा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी 1982 में भारत फ्रांस चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यापार बढ़ाने को सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक में फ्रांस के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो दोनों देशों के बीच हुये समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या भारत की प्रधान मन्त्री द्वारा फ्रांस का दौरा किये जाने के बाद भारत-फ्रांस के आर्थिक सम्बन्धों में बहुत सुधार हुआ है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ तथा दि कौंउसिल नेशनल डु पैट्रानाट फ्रांसीस, पैरिस के बीच हस्ताक्षर किये गये एक करार के अधीन स्थापित भारत फ्रांस संयुक्त व्यापार परिषद की दूसरी बैठक 3 फरवरी, 1982 को पैरिस में हुई थी। भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल परिसंघ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इस बैठक में जिन विषयों पर विचार-विमर्श हुआ उनमें शामिल थे। औद्योगिक सहयोग तथा प्रौद्योगिकी के कारण से सम्बन्धित नीति; भारत फ्रांस सहयोग के निष्पादन की समीक्षा तथा फ्रांस के निवेश के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाना; तीसरे

देशों में परियोजनाएं; बहु रेशा प्रबन्ध से सम्बन्धित मामले तथा व्यापार उदारीकरण व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में फ्रांसीसी सहयोग।

(घ) भारत तथा फ्रांस के बीच पहले ही अच्छे सम्बन्ध हैं और प्रधान मन्त्री की फ्रांस यात्रा से ये सम्बन्ध सुदृढ़ हुए हैं और दोनों देशों के बीच सहयोग की और संभावनायें बनी हैं।

मिर्जापुर जिले में विशेष संघटक योजना

2157. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिर्जापुर जिले में कितने खण्डों को विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत लिया गया है और उक्त संघटक योजना के लिए वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि लीड बैंकों के सहयोग के कारण उस योजना के अन्तर्गत मंजूर की गई राशि विशेषकर मिर्जापुर जिले में और सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में व्यय नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातीय के लोगों के उत्थान के लिये इस स्वीकृत राशि का उपयोग करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि यद्यपि विशेष संघटक योजना (स्पेशल कम्पोनेट प्लान) पूरे मिर्जापुर जिले में कार्यान्वित की जा रही है, अनुसूचित जातियों के सघन सर्वांतोमुखी विकास के लिए 10 खण्ड छांटे गये हैं। इस योजना के अधीन बनी हुई स्कीमें आवश्यक रूप से संस्थागत वित्त पर निर्भर हों यह जरूरी नहीं है और राज्य सरकार ने सूचना दी है कि मूलभूत ढांचे विषयक आर्थिक विकास की योजनाओं अर्थात सेवा तथा विपणन केन्द्रों, सिंचाई के लिए ब्लास्ट कुओं की खुदाई, भूमि रक्षण आदि जैसी गतिविधियां भी विशेष संघटक योजना का एक हिस्सा है।

राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81 और 1981-82 के लिए मिर्जापुर जिले के वास्ते विशेष संघटक योजना के अधीन क्रमशः 63 लाख रुपए और 68 लाख रुपयों की मंजूरी के संदर्भ में 1980-81 में 38 हजार रुपये और 1981-82 (जनवरी 1982 तक) 5 लाख 90 हजार रुपये खर्च किये जा चुके हैं। मिर्जापुर जिले के लीड बैंक, इलाहाबाद बैंक ने बताया है कि उनके पास सूचना के अनुसार बैंक ने विशेष संघटक योजना के अधीन 668 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को उपलब्ध 20.59 लाख मंजूर किये हैं जिसमें से 467 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को 16.38 लाख रुपये स्वयं इलाहाबाद बैंक ने मंजूर किये हैं।

रिजर्व बैंक ने सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश में बैंकों ने जून, 1981 तक विशेष संघटक योजना के अधीन अनुसूचित जाति के 6818 परिवारों को कुल 233.28 लाख रुपये की राशि मंजूर की है। दिसम्बर, 1980 के अन्त की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों को दिये गये ऋणों की बकाया राशि 2.37 लाख खातों में 3473.70 लाख रुपये थी। विशेष संघटक योजना के अधीन प्रगति को तीव्र करने के उपायों पर हाल ही में

राष्ट्रीयकृत बैंकों की "क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति" (केन्द्रीय क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं) की 16 जनवरी, 1982 को लखनऊ में हुई बैठक में विचार किया गया था। इसकी कुछ सिफारिशें थी :-

(1) जिन शाखाओं के लिए लाइसेंस दिये जा चुके हैं उन्हें बैंक शीघ्र खोलने की कार्यवाही करे। राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिए सभी संभव सहायता प्रदान करे।

(2) जिला ऋण योजना के प्रस्तावों को बैंक शाखाओं के बजट से समन्वित किया जाए।

(3) कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने में अलग-अलग शाखाओं के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाए।

(4) प्रत्येक शाखा द्वारा वित्त पोषित छोटे ऋणकर्त्ताओं की संख्या को बढ़ाकर व्याप्ति में बेहतरी लायी जाए।

(5) राज्य सरकार वसूली की कार्यवाहियों में मदद करे ताकि निधियां फिर से ऋण आदि के लाभों का अधिक विस्तार हो सके।

इन सिफारिशों के बारे में अब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के साथ अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है जिसके 30 प्रतिशत लाभान्वित व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के होंगे। आशा है इससे स्थिति में और सुधार होगा।

बैंकिंग सेक्टर द्वारा चीनी उद्योग को ऋण दिया जाना

2158. **श्री आर. प्रभु** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकिंग सेक्टर द्वारा चीनी उद्योग को ऋण दिये जाने के संबंध में सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली वर्तमान ऋण नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले वर्ष के मुकाबले चालू वर्ष के दौरान चीनी उत्पादन अपेक्षाकृत काफी अधिक होगा; और

(ग) अधिक उत्पादन और गन्ना उत्पादकों को अधिक भुगतान करने के कारण ऋण की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किये जायेंगे ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंक अलग-अलग चीनी एककों की कार्यचालन पूंजी की आवश्यकताओं का मूल्यांक उनके उत्पादन सम्बन्धी अनुमानों, पिछले मौसम के आगे ले जाये गये स्टाकों तथा जारी किए जाने वाले प्रत्याशित मासिक स्टाकों और अधिक व्यस्त अवधि में उनके द्वारा जारी किये जाने वाले आवश्यक अनुमानित स्टाको के आधार पर करते हैं। चीनी मिलें अनुमानतः गन्ना पेराई का मौसम शुरू होने से काफी पहले अपनी नकदी बजट तैयार करती हैं और आवश्यक ऋण सुविधाओं के लिए अपने बैंकरों से सम्पर्क करती हैं। मिलों की, चीनी के स्टाकों/भण्डारण और फालतू पुर्जों पर आधारित निकासी की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, उनके द्वारा अपने नकदी-बजटों में दिखाए गए अधिकतम घाटे के आधार पर ऋण सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। अनुमानित लक्ष्य प्राप्त करने के संबंध

में एकक की क्षमता के बारे में बैंकों को स्वयं संतुष्टि करनी होती है और उन्हें अद्यतन मासिक नकदी बजटों के आधार पर, जो कि उन्हें एकक से प्राप्त करने होते हैं और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बिक्री के लिए जारी की गई वास्तविक मात्रा, उसकी बिक्री से प्राप्त रकमें और गन्ने के मूल्य की अदायगी दर्शायी जानी चाहिए, नकद ऋण खाते में की जाने वाली वास्तविक निकासियों को विनियमित करना पड़ता है। बैंकों को, गन्ना उत्पादकों के मूल्य की अदायगी के सम्बन्ध में नजर रखनी पड़ती है और इस प्रयोजन के लिए उनके द्वारा कार्यकारी पूंजी सीमा का एक अंश अलग रख लिया जाता है।

(ख) चालू मौसम के दौरान चीनी का उत्पादन पिछले वर्ष के लगभग 51 लाख टन के उत्पादन की तुलना में लगभग 65-70 लाख टन होने का अनुमान है।

(ग) बैंकों को चीनी एककों के लिए उच्च ऋण सीमाओं के लिए आवेदनों पर कार्यवाही तेज करने के लिए तथा जहां आवश्यक हो वहां भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन शीघ्र प्राप्त करने के लिए कहा गया है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधर पर विचार किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विभिन्न बैंकों से एकत्र किए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि उन्हें प्रत्यायोजित प्राधिकारों के अधीन वे चीनी मिलों को उपयुक्त ऋण सीमाओं की अनुमति पहले ही देते रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों के साथ स्थिति की पुनरीक्षा कर रहा है और चीनी उद्योग को अपना कार्यचालन चालू रखने के लिए उपयुक्त ऋण देने को सुनिश्चित करने के लिए बैंकवार उपाय कर रहा है।

कम मूल्य वाले संयुक्त उपक्रम होटल

2159. **श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों में पर्यटन के सन्तुलित विकास के लिए प्रमुख स्थानों में कम मूल्य वाले संयुक्त उपक्रम होटल बनाने की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) क्या जम्मू कश्मीर राज्य को उस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम ने राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन निगमों के सहयोग से संयुक्त सेक्टर में चुने हुए केन्द्रों पर बीच की कीमत वाले होटलों को स्थापित करने की एक स्कीम तैयार की है, ताकि सभी क्षेत्रों में उपलब्ध साधनों को इकट्ठा करते हुए और प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचते हुए पर्यटन की संतुलित अभिवृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) उपर्युक्त स्कीम सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जिनमें जम्मू और काश्मीर राज्य भी शामिल है, के लिए हैं। इस स्कीम के अधीन किसी भी परियोजना का कार्यान्वयन संतोषजनक व्यवहार्यता अध्ययनों और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

आई. ए. एफ./कोस्ट गार्ड/वायुदूत के लिए थोड़ी उड़ान भरने वाले हवाई जहाज

2160. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई. ए. एफ., कोस्ट-गार्ड, वायुदूत इत्यादि के लिए थोड़ी उड़ाने भरने वाले जहाजों के चुनाव के बारे में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिया जायेगा और इस देरी के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस हवाई जहाज की सप्लाई कब से आरम्भ होगी ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी हाँ ।

(ख) यह कहना सम्भव नहीं है कि निर्णय कब लिया जाएगा ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य तथा केन्द्रीय मंत्रालयों के बीच अनुशासन

2161. **श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण करने की दृष्टि से राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालय के बीच अनुशासन लाने के लिए कदम उठाने हेतु विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) व्यय में और विशेषकर गैर-विकासात्मक व्यय में मितव्ययिता तथा किफ़ायत बरतने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों को जारी किए गए अनुदेश पहले से ही विद्यमान हैं । प्रधान मंत्री ने अक्टूबर, 1980 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा था, जिसमें उन्होंने वित्तीय अनुशासन की आवश्यकता पर जोर दिया था तथा संसाधनों की निश्चित उपलब्धता के आधार पर व्यय को कड़ाई से विनियमित करने और ओवरड्राफ्ट से बचने की सलाह दी थी । वित्त मंत्रालय और योजना आयोग में राज्य सरकारों के साथ हुई बैठकों में समय-समय पर सलाह को दोहराया गया है ।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि समितियों को वित्त दिये जाने हेतु योजना

2162. **श्री कमल नाथ** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यक बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि समितियों को वित्त दिए जाने की योजना को समाप्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और इसे समाप्त करने की पद्धति क्या होगी;

(ग) क्या रिजर्व बैंक द्वारा इस योजना की समीक्षा की गई थी; और

(घ) यदि हां तो उसके क्या निष्कर्ष हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1978 में एक अध्ययन दल स्थापित किया था जिसने अप्रैल 1981 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी । रिपोर्ट से यह पता चला है कि हालांकि वाणिज्यिक बैंकों को सौंपी गई समितियों की छवि कुल मिलाकर कोई खास अच्छी नहीं थी पर ऐसा लगता है कि कुछ राज्यों में इस प्रकार की समितियों की स्थिति अच्छी है । अध्ययन दल ने यह देखा है कि यह योजना मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रही है क्योंकि यह इस प्रकार सौंपी गई

समितियों के कार्य पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव डालने में असमर्थ रही है भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि व्यावहारिक तो यही होगा कि समितियां स्वतः निर्णय करें कि वे वाणिज्यिक बैंकों के साथ अपना सम्बन्ध बनाये रखना चाहेंगी अथवा पहले जिन केन्द्रीय जिला सहकारी बैंकों के साथ अपना सम्बद्ध थीं उनके पास पुनः अन्तरित किये जाने के विकल्प को चुनना पसन्द करेंगी।

अध्यय दल की सिफारिशें तथा कृषि ऋण बोर्ड के निर्णय सभी सम्बन्धितों के पास भेजे जा रहे हैं।

वायुदूत सेवा के लिए विमानों का बेड़ा

2163. **श्री अनन्तरामुलु मल्लु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायुदूत बेड़े के वर्तमान आकार के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में पश्चिमी जर्मनी, आस्ट्रेलिया, स्पेन आदि की कुछ विदेशी विमान कम्पनियों के साथ बातचीत करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) फिलहाल वायुदूत परिचालन इंडियन एयरलाइन्स से पट्टे पर लिये गये दो विमानों से किये जा रहे हैं तथा दो और विमान पट्टे पर लिए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) वायुदूत के लिए एक उपयुक्त विमान के चयन तथा विदेशी कम्पनियों के साथ बातचीत करने के लिए, सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। विस्तृत ब्यौरे समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय ले लिये जाने के पश्चात उपलब्ध हो सकेंगे।

सूती वस्त्र निर्यातोन्मुख एककों को देश में बाजार में अपने उत्पादों को बेचने की अनुमति

2164. **श्री नारायण चौबे** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सूती वस्त्र निर्यातोन्मुख एककों को अपने 25 प्रतिशत उत्पादों का देश के बाजार में बेचने की अनुमति दे दी है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा तथा कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) ऐसा कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

जे. सी. बी. के विभिन्न अनुभागों में कार्य का आवंटन

2166. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे की क्या यह सच है कि ज्वाइन्ट साइफर ब्यूरो में 260-400 रुपये, 330-480 रुपये, 330-560 रुपये और 425-600 रुपये के वेतनमान में कार्यों पर लगे व्यक्ति वही साइफर कार्यत था वही जिम्मेदारी उठा रहे हैं जो 420-800 रुपये के वेतनमान में तकनीकी सहायक द्वारा किया जा रहा है; जिसका पता जे. सी. बी. के विभिन्न अनुभागों में रखे गए आवंटन रजिस्टर/कार्य वितरण सम्बन्धी रिकार्डों से चलाता है ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : जी नहीं ।

श्रीलंका से वापस आए लोगों को जीवन बीमा-निगम की अवधि पूरी हुई पालिसियों का भुगतान

2167. **श्री एस. ए. दोराई सेबस्तियन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने उन लोगों की अवधि पूरी हुई बीमा पालिसियों का भुगतान कर दिया है जो श्रीलंका से वापस आ गये हैं और भारत में बस गए हैं तथा ऐसी पालिसीधारियों की संख्या क्या है; और

(ख) क्या जीवन बीमा निगम ने ऐसे लोगों को जो श्रीलंका से वापस आकर यहां बस गए है 75,000 रुपए के और इससे अधिक मूल्य की अवधि पूरी हुई पालिसियों का अभी तक भुगतान नहीं किया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां । वर्ष 1981 के दौरान 101 पालिसियों के अन्तर्गत किए गए दावों का निपटान किया था ।

(ख) इस समय ऐसी दो पालिसियां है जिनमें से प्रत्येक की बीमें की राशि 75,000/-रुपए से अधिक है और जो पारिपक्व हो चुकी है लेकिन जिनकी अदायगी अभी नहीं की गई है । दोनों ही मामलों में पालिसीधारकों ने जीवन बीमा निगम के खिलाफ मुकदमें दायर किए हैं और जीवन बीमा निगम ने न्यायालय के बाहर इन दावों का निपटान करने की पेशकश की है बशर्ते कि उसके खिलाफ दायर किए गए मुकदमें वापस ले लिए जाएं ।

मत्स्य उत्पादों के निर्यात संबन्धी कर्मी दल की रिपोर्ट

2118. **श्री के.ए. राजन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या मत्स्य उत्पादों के निर्यात संबंधी कर्मी दल ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है; और

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं और उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क)जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी एयरलाइनों को कलकत्ता से उड़ान भरने की अनुमति दिये जाने से इन्कार किया जाना

2169. **श्री अजित बाग** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी विमान कम्पनियों ने कलकत्ता से अपनी सेवायें चलानी चाहीं थीं किन्तु केन्द्रीय सरकार उन्हें आवश्यक अनुमति नहीं दे रही है, और

(ख) कलकत्ता से होकर उड़ान भरने की अनुमति न दिये जाने के पीछे क्या कारण है; और

(ग) विदेशी एयरलाइनों को उतरने सम्बन्धी अधिकार देकर सरकार द्वारा बरती गई भेदभावपूर्ण नीति को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं । किसी भी

विदेशी एयरलाइन ने अब तक उसके साथ किये गये द्विपक्षीय विमान सेवा करार के अनुसार उसे उपलब्ध सेवाओं की संख्या के अधिकारों के अन्तर्गत कलकत्ता से विमान सेवाएं परिचलित करने का अनुरोध नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पाकिस्तान से रूई का आयात

2170. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने वर्ष 1981 में पाकिस्तान से 50 हजार रुई की गांठों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका मूल्य क्या है और बम्बई पत्तन पर ये गांठें कब से पड़ी हुई हैं और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने वर्ष 1981 के शुरू में रुई का निर्यात करने का निर्णय किया था; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके आयात के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) भारतीय रुई निगम ने अलग अलग मिलों की ओर से सितम्बर, 198 : में पाकिस्तान से रुई की 49,584 गांठों का आयात किया।

(ख) रुई 66.90 अमरीकी सैंट प्रति पौंड से लेकर 71.80 अमरीकी सैंट प्रति पौंड तक की लागत तथा भाड़ा कीमत पर आयात की गई। इस रुई का आयात बम्बई पत्तन के रास्ते नहीं किया गया और इसलिए बम्बई पत्तन पर गांठों के रहने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) आयात किस्म संबंधी असंतुलन के कारण करना पड़ा। जबकि लंबे तथा अधिक लंबे रेशे की रुई का अधिशेष था, मध्यम तथा बढ़िया मध्य, रेशे की रुई के मामले में कमी अनुभव की गई। हम उस लंबे तथा बढ़िया लंबे रेशे की रुई के निर्यात की अनुमति दे रहे हैं जो हमारी घरेलू आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यकता से अधिक समझी जाती है।

कुटीर माचिस एककों से ज्ञापन

2171. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुटीर माचिस एककों (लघु क्षेत्र) सत्तूर और कोविलयपट्टी से दिनांक 6 फरवरी, 1982 को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी शिकायतों का उल्लेख किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को रामनाथपुरम् जिला कुटीर दियासलाई निर्माता संघ, सात्तुर और कोविलपट्टी से 6-2-82 का संयुक्त अभ्यावेदन मिला है।

(ख) और (ग) सरकार कुटीर क्षेत्र के दियासलाई उद्योग को 1.60 रु० प्रति गुरूस की दर से मिलने वाली रियायती दर को बरकरार रखे हुए है। प्रति गुरूस 1.60 रु० की दर पर दी जाने वाली रियायती दर का लाभ उठाने के लिए किसी वित्त वर्ष में नियम की गई। 200 लाख दियासलाइयों की निकासी की सीमा को और अतिरिक्त शर्त को कि किसी मास विशेष में दियासलाइयो का उत्पादन 150 लाख से अधिक नहीं हो, को भी जारी रखा जा रहा है। सरकार ने दियासलाई उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग-अलग रंग के बैंडरोलों के इस्तेमाल के बारे में भी निर्णय ले लिया है। ये तीनों निर्णय प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित दोनों संघों के अनुरोध से संबंधित हैं। परन्तु सरकार ने गते की डिब्बियों और लकड़ी की डिब्बियों के संबंध में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क की दर को समान बनाने के लिए उनके अनुरोध को नहीं माना है। सरकार ने प्रति गुरूस डिब्बियों पर 1.60 रु० की रियायती शुल्क-दर का लाभ उठाने के लिए शर्त भी लगायी है कि कुटीर क्षेत्र के दियासलाई एककों द्वारा यंत्रीकृत अथवा माध्यम क्षेत्र के लेबल इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिएं।

विदेशों से आए धन के जरिए विदेशी मुद्रा का प्रवाह

2172. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्तमान की तुलना में और अधिक प्रोत्साहन देकर विदेशों से धन के जरिए विदेशी मुद्रों के प्रवाह की और ढील देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और इस संबंध में यदि कोई योजना बनाई गई है तो उनका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : भारतीय मूल के लोगों द्वारा विदेशों से रकमें भेजने को प्रोत्साहन देने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपायों का 1982-83 के बजट भाषण में उल्लेख किया गया है। मोटे तौर पर ये उपाय हैं।—

(i) अनिवासियों के (विदेशी) खातों में, एक वर्ष और उससे अधिक की परिपक्वता अवधि वाली नई जमा राशियों के ब्याज की दर, तुलनीय परिपक्वता, अवधि वाली स्थानीय जमा राशियों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर से 2 प्रतिशत ऊंची होगी।

(ii) इन विदेशी खातों में जमा राशियों में से भारत में दिए जाने वाले उपहारों पर दान-कर नहीं लगेगा।

(iii) अनिवासी 12 प्रतिशत ब्याज वाले 6 वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्रों में भी पूंजी लगा सकते हैं, उसके मामले में, यह पूंजी धन-कर और आय-कर से मुक्त होगी।

(iv) भारतीय मूल के अनिवासियों द्वारा, प्रत्यावर्तन अधिकार के बिना, किये गए किसी भी पूंजी निवेश को, निकासी भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा किए गए निवेश के समान समझा जाएगा, जब तक कि यह निवेश वाणिज्यिक सम्पति अथवा भूमि के लेनदेन के लिए न किया गया हो।

(v) वे किसी नई अथवा मौजूदा कंपनी में, उस कंपनी द्वारा जारी की गई पूंजी के 40 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं।

(vi) वे निर्धारित सीमाओं के अन्दर शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं।

(vii) अनिवासी (विदेशी) में और भारतीय कंपनियों में निवेश की सुविधाएं उन कंपनियों, भागीदारी फर्मों, न्यासों, सोसाइटियों और अन्य निगमित निकायों को भी दी जाएंगी, जिनकी कम से कम 60 प्रतिशत तक मिलकियत भारतीय मूल के अनिवासियों के हाथ में होगी।

(viii) कराधान संबन्धी प्रयोजनों के लिए निर्धारित भारत में "निवास" संबंधी परीक्षणों को कुछ मामलों में उदार बनाने, समाप्त करने का प्रस्ताव है।

विमान सेवा शुरू करने के लिए कनाडा सरकार के साथ बातचीत

2173. **श्री जगदीश टाईटलर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विमान सेवाओं के शुरू किये जाने के बारे में कनाडा सरकार के साथ कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिये गये हैं; और

(ग) इन सेवाओं को कब शुरू किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) दोनों सरकारों के प्रतिनिधिमंडल एक समझौते पर पहुंचे हैं जिससे एयर इंडिया द्वारा कनाडा (मौंट्रियाल) के लिए विमान सेवा चालू करने में सहायता मिलेगी।

(ग) सेवाओं का परिचालन प्रारंभ करने से पहले दोनों सरकारें एक विमान सेवा करार पर हस्ताक्षर करेंगी, जिस पर 26-2-82 को ओटावा में आद्यक्षर किये जा चुके हैं। उसके पश्चात भारत सरकार द्वारा एयर इंडिया को औपचारिक रूप से मनोनीत किया जाएगा तथा कनाडा सरकार द्वारा एयर इण्डिया के परिचालनों के लिए परिचालन परमिट जारी किया जाएगा। ये परिचालन बी-747 विमान द्वारा सप्ताह में दो बार के आधार पर किये जाने की आशा है।

पर्वतीय तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोमोटरों का योगदान

2147. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना हेतु प्रोमोटरों का योगदान 10 प्रतिशत है जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में यह योगदान 17½% से 20% है;

(ख) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विशेषकर तब जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में स्थिति ज्यादा विकट है, तो क्या सरकार इस असमानता को दूर करना चाहती है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) पहाड़ी इलाकों में, जिन्हें अपनी भौगोलिक स्थितियों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से प्रवर्तकों के अंशदान में रियायत दी गई है। बंजर इलाकों में इसी तरह की रियायतें देने का प्रश्न भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है।

रक्षा सेवा मुख्यालय में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कैफे खोलना

2175. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सेना मुख्यालय हटमेंट्स, साउथ ब्लाक, सेना भवन आदि में कार्य करने वाले केन्द्र सरकार के कर्मचारी वहाँ पर विभागीय रूप से चलाई जा रही अथवा ठेके पर दी गई कैन्टीनों में खाद्य पदार्थों कोटि और विभिन्नता आदि के कारण अपना दोपहर का पूरा खाना और अथवा नाश्ता लेने में कठिनाई महसूस करते हैं;

(ख) क्या बम्बई में मैजस्टिक होटल भवन में सहकारी भंडार द्वारा चलाए जा रहे कैफे जैसा एक कैफे खोलने से कर्मचारियों को उचित दरों पर सम्पूर्ण खाना प्राप्त करने में बहुत सहायता मिलेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, दिल्ली को "ए" ब्लाक हटमेंट्स में तुरन्त एक कैफे खोलने और रायसीना रोड ब्रांच बनाने को कहा जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भुवनेश्वर हवाई अड्डे के सुधार के लिए राशि

2176. **श्री चिन्तामणि पाणीग्रही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80, 1980-81 और 1981-82 में भुवनेश्वर हवाई अड्डे और भवनों के सुधार के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है,

(ख) क्या सभी आवंटित राशि अब तक खर्च कर दी गई है; और

(ग) क्या ऐसा विभागीय रूप से किया गया था अथवा किसी प्राइवेट ठेकेदार के जरिए किया गया ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) 1979-80, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान आवंटित तथा खर्च की गई राशि निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आवंटित राशि	खर्च की गई राशि
1979-80	15.32	11.42
1980-81	40.19	19.19
1981-82	5.25	2.3

(ग) कार्य प्राइवेट ठेकेदार के जरिये किया गया था। उपकरण डी. जी. एस. एंड डी० के माध्यम से प्रस्ताव किया गया था तथा इसका स्थापन विभागीय तौर पर किया गया।

राजस्थान में माउण्ट आबू को विमान सेवा से जोड़ा जाना

2177. **श्री विरदा राम फुलवारिया :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सुविख्यात पर्यटक केन्द्र माउण्ट आबू को विमान सेवा से जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो वहां कब तक विमान सेवा शुरू किये जाने की सम्भावना है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) माउण्ट आबू की साफ मौसम की हवाई पट्टी इण्डियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े में उपलब्ध किसी भी किस्म के विमान द्वारा परिचालन के लिये उपयुक्त नहीं है।

भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में अनुसूचित जातियों के लोगों की नियुक्ति

2178. **श्री आर. एन. राकेश :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर में लिपिकीय संवर्ग में अभी हाल में की गई 50 से ज्यादा नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के केवल एक ही उम्मीदवार को नियुक्ति दी है;

(ख) कुल नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों के लिए कितने पद आरक्षित किये जाने थे; और

(ग) क्या सेवाओं में आरक्षण के आधार पर अनुसूचित जातियों के कोटे में कोई कमी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उसके नागपुर कार्यालय ने अभी हाल में लिपिक ग्रेड-II/सिक्का नोट परीक्षक काडर में अट्ठावन (58) रिक्तियां भरी हैं। अतिरिक्त भर्ती को समायोजित करने के बाद बैंक ने हिसाब लगाया कि अट्ठावन (58) रिक्तियों में से तीन (3) अनुसूचित जातियों द्वारा और ग्यारह (11) अनुसूचित जनजातियों द्वारा भरी जानी जरूरी हैं। इसके लिए बैंक ने चार (4) अनुसूचित जातियों के और ग्यारह (11) अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नियुक्त किये हैं।

तस्करी के माल की बिक्री

2179. **श्री आर. आर. भोले :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन, हांगकांग, जापान की छाप वाले तस्करी के माल की धर्मतला, कलकत्ता तथा कोर्ट, बम्बई में खुले बाजार में खुले आम बिक्री होती है,

(ख) इन सामानों की विशेषकर कलकत्ता और बम्बई बन्दरगाह के जरिए तस्करी को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) बाजार में तस्करी के माल की बिक्री रोकने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह पता नहीं चलता कि कलकत्ता और बम्बई में तस्करी के माल की बड़े पैमाने पर और खुले आम बिक्री हो रही है। सीमा शुल्क विभाग द्वारा की गई जांच-पड़ताल से पता चला है कि बिक्री के लिए रखी गयी वस्तुओं में से बहुत-सी वस्तुएं जाली पाई गयीं।

(ख) और (ग) कलकत्ता और बम्बई में निवारक और आसूचना विभाग को सुदृढ़ कर दिया गया है। इन पत्तनों पर सीमा शुल्क अधिकारी तस्करी के माल का पता लगाने के लिए विदेशी पत्तनों से अपने वाले जलयानों की अच्छी तरह तलाशी लेते हैं। देश में महानगरों और अन्य शहरों के बाजारों में तस्करी के माल के खुले प्रदर्शन और बिक्री को रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। तस्करी के माल के भंडारण-स्थलों और ऐसे शहरों में तस्करी के माल का व्यापार करने वाली प्रख्यात दुकानों और स्टालों पर समय-समय पर छापे मारे जाते हैं और तलाशियां ली जाती हैं।

भारतीय पर्यटन विकास निगम में कार्यरत अधिकारियों की भर्ती तथा पदोन्नति के नियम

2180. **श्री ईरा अनबारासु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा भर्ती/पदोन्नति नियमों की अधिसूचना के बारे में 10 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7323 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम में कार्यरत अधिकारियों की भर्ती/पदोन्नति सम्बन्धी नियमों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उन्हें अनुमोदित कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अनुमोदित नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और पदोन्नति तथा भर्ती नियमों के मसौदे का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है कि सभी को पदोन्नति के समान अवसर मिलेंगे और कोई भेदभाव और अधिक्रमण नहीं किया जायेगा; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ऐसे अधिक अतिक्रमण को रोकने के उपचारात्मक उपाय क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) आई. टी. डी. सी. में विविध पदों के लिए आई- टी. डी. सी. के ड्राफ्ट भर्ती और प्रोन्नति नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) आई. टी. डी. सी. बोर्ड के सदस्यों को उनके कमेन्ट्स और सुझावों के लिए ड्राफ्ट नियम सर्कुलेट किए गये थे। इनका परीक्षण किया गया और इन्हें बोर्ड की सम्बन्धित उप-समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था। उप-समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि ड्राफ्ट नियमों की स्क्रीनिंग एक अन्तर्विभागीय समिति द्वारा की जानी चाहिए जिसमें कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, ब्यूरो आफ पब्लिक एन्टरप्राइसेज, पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय और आई. टी. डी. सी. के प्रतिनिधि शामिल हों। अन्तर्विभागीय समिति द्वारा शीघ्र

ही स्क्रीनिंग का कार्य पूरा हो जाने की सम्भावना है। उसके बाद ड्राफ्ट नियमों को बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।

ड्राफ्ट नियमों में पदों के वर्गीकरण; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों, भूतपूर्व सेना कर्मचारियों शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों और दिवंगत कर्मचारियों के निर्भर परिवार सदस्यों की नियुक्ति के लिए वैकेंसियों के आरक्षण; भर्ती की पद्धतियों; चयन समितियों; विभागीय प्रोन्नति समितियों आदि से सम्बन्धित प्रावधान शामिल हैं।

(घ) जी, हां। गुण-व-वरिष्ठता के आधार पर।

रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा जल विसंक्रमण 'किट" का विकास

2181. **श्री राजेश पायलट :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी एक रक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला ने इस समय भारतीय सशस्त्र सेनाओं में काम में लाई जा रही जल विसंक्रमण किट "हैलाजन कम्पाउण्ड" के स्थान पर "पोटाशियम डाईकलोराइजोसाईन्यूरेट" किट का विकास किया है;

(ख) क्या हमारी रक्षा सेवाओं को यह किट, जो कि हैलाजन कम्पाउन्ड से बेहतर है, देने की व्यवस्था की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसको बनाने वाले लघु उद्योग एकक का नाम क्या है; और

(घ) यदि ऊपर भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) इस समय इस्तेमाल की जा रही हैलाजान गोलियों की तुलना में अधिक कीमत होने के कारण इस मद का इस्तेमाल शुरू नहीं किया गया है। इसलिए इसका निर्माण करने और इसे रक्षा सेनाओं को उपलब्ध कराने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बचत बैंक खातों पर ब्याज का भुगतान

2182. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंकों में बचत खातों की राशि पर ब्याज, अर्धवार्षिक आधार पर खातेधारियों के खातों की जमा राशि में जमा कर दिया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय स्टेट बैंक के मामले में केवल वर्ष में एक बार ब्याज का हिसाब किया जाता है और उसे खातेधारियों के खातों की राशि में जमा किया जाता है; और

(ग) इस तरह की विषमता के क्या कारण हैं और भारतीय स्टेट बैंक को अर्द्धवार्षिक आधार पर ब्याज का हिसाब लगाने और उसे जमा करने के निदेश देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अन्तर्गत यह अपेक्षित है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, बचतों और

सावधि जमाओं पर तिमाही अथवा अधिक अवधि के आधार पर ब्याज की गणना करें। इस निर्देश की परिधि के भीतर रहते हुए भारतीय स्टेट बैंक, बचत खातों पर बारह महीनों के आधार पर प्रतिवर्ष अक्टूबर-सितम्बर की बारह महीनों की अवधि के लिए ब्याज की गणना करता है। सूचना के अनुसार, अन्य अनुसूचित वाणिज्य बैंक, बचत खातों पर ब्याज की गणना छमाही अन्तरालों पर करते हैं। अलबत्ता, ब्याज की गणना के प्रयोजन से ऐसी छमाहियाँ प्रत्येक बैंक में अलग-अलग होती हैं।

(ग) भारतीय स्टेट बैंक ने पाया है कि बचत खातों की बड़ी संख्या, जिसमें 109 लाख से अधिक खाते अन्तर्गस्त है, और इन खातों में जमाकर्ताओं द्वारा अपेक्षातया छोटी रकमें रखे जाने की दृष्टिगत रखते हुए, बचत खातों पर छमाही अन्तरालों में ब्याज की गणना करने की लागत, उस लाभ से गैर आनुपातिक रूप में कहीं अधिक होगी जोकि चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में जमाकर्ताओं को मिलेगा। अतः बैंक ने, बचत बैंक खातों पर वार्षिक आधार पर ब्याज अदा करने की वर्तमान प्रथा को जारी रखने का निर्णय किया है।

त्रिपुरा में पता किये गये पर्यटन स्थल

2183. **श्री अजय विश्वास : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब तक त्रिपुरा में किन्हीं पर्यटन स्थलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) त्रिपुरा की यात्रा करने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) देश में पर्यटन के एकीकृत विकास की संकल्पना पर आधारित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से परामर्श करते हुए यात्रापरिपथ अभिनिर्धारित किए गए हैं। त्रिपुरा में अभिनिर्धारित यात्रा परिपथ निम्नलिखित है :—

1. अगरतला, सिपाहिजाला, रुद्रसागर, उदयपुर, माताबाड़ी, अमरपुर, दम्बुर, गण्डाचेरा, कुमारघाट, फाटिकराय, उनाकोटी, कैलाशहर।

2. कैलाशहर, उनाकोटी, फाटिकराय, जम्पाई, कैलाशहर।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) (I) भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त सेक्टर के रूप में अगरतला में एक 30 कमरे वाले होटल का निर्माण जो व्यवहार्यता अध्ययन और धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

(II) त्रिपुरा में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटक कार्यालयों द्वारा सर्कुलेट करने के लिए त्रिपुरा में पर्यटक केन्द्रों के बारे में तथ्य-परक सूचना देने वाली एक निर्देशिका का मुद्रण।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि

2184. **श्री भीखा भाई : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व क्या है;

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार की वर्तमान नीति क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने आरक्षण आदेश, 1971 में जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संवैधानिक व्यवस्थाओं की अवमानना क्यों की गई; और

(ङ) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी जाने वाली नौकरियों में कमी पूरी करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) सरकारी मन्त्रालयों/विभागों पर इस विषय में जो आदेश/अनुदेश लागू हैं, वे आवश्यक परिवर्तन के साथ सरकारी उपक्रमों पर लागू होते हैं ।

(ग) तथा (घ) प्रशासनिक मन्त्रालयों द्वारा उनके नियन्त्रणाधीन सरकारी उपक्रमों को जारी किए जाने के लिए सरकारी उपक्रम ब्यूरो ने सितम्बर, 1969 में उन्हें पहला औपचारिक मसौदा राष्ट्रपतिक निदेश जारी किया था । वाणिज्य मन्त्रालय ने ये अनुदेश 1970 में भेजे थे और सरकारी उपक्रमों ने आरक्षण आदेश 1971 में जारी किए थे । दो प्रमुख उपक्रमों ने बताया है कि आरक्षण आदेश 1970 में ही दे दिए गए थे । 6 उपक्रम 1971 में अथवा उसके बाद स्थापित हुए । 1970 के राष्ट्रपतिक निदेश का अनुसरण सभी सरकारी उपक्रमों द्वारा किया जा रहा है ।

(ङ) आरक्षित वर्गों के पहले से पड़े खाली पदों को क्लियर करने के लिए सभी सरकारी उपक्रम पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं ।

विवरण

कुल कर्मचारियों की संख्या तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सख्या (1-1-1981 को) दर्शाने वाला विवरण

मंत्रालय/विभाग/ सरकारी उपक्रम	ग्रेड क तथा ख में कर्मचारियों की कुल संख्या	ग्रेड क तथा ख में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	ग्रेड क तथा ख में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या	ग्रेड ग तथा घ में कर्मचारियों की कुल संख्या	ग्रेड ग तथा घ में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या	ग्रेड ग तथा घ में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
वाणिज्य मन्त्रालय						
1. सेन्ट्रल काटेज इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	41	—	—	564	58	—

1	2	3	4	5	6	7
2. काटन कारपोरेशन आफ इंडिया लि.	74	7	—	1189	75	5
3. हैंडी क्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन लि.	77	2	—	295	23	2
4. एक्सपोर्ट क्रेडिट एण्ड गारन्टी कारपोरेशन लि.	31	5	—	261	36	1
5. जूट कारपोरेश आफ इण्डिया	138	8	2	829	138	8
6. माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन लि.	55	—	—	157	14	4
7. मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन लि.	889	30	5	2395	174	59
8. नेशनल टैक्सटाइल कार. लि.	3494	56	8	197086	37848	4163
9. प्रोजैक्ट एन्ड इक्विपमैंट कार. लि.	211	18	1	47	18	4
10. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	1013	63	15	1169	77	5
11. टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया	69	2	2	183	33	—
12. ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिा	70	3	1	317	45	2

मंत्रालय/विभाग सरकारी उपक्रम	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों कुल संख्या	अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की कुल संख्या
1. सेन्ट्रल काटेज इंडस्ट्रीज कार. आफ इंडिया लि.	29	29	—
2. काटन कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	6	4	—
3. हैंडक्राफ्ट्स हैंडलूम एक्सपोर्ट कार. आफ इण्डिया लि.	—	—	—
4. जूट कारपोरेशन आफ इण्डिया	4	4	—

1	2	3	4
5. माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन लि.	734	160	116
6. मिनरल्स एंड मैटल्स कार. लि.	27	27	—
7. नेशनल टेक्सटाइल्स कार. लि.	1029	767	53
8. प्रोजेक्ट एन्ड इक्विपमैंट कारपोरेशन लि.	4	4	—
9. स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशोन आफ इंडिया	34	34	—
10. टी ट्रेडिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	———कुछ नहीं———		
11. एक्सपोर्ट क्रेडिट एन्ड गारंटी कारपोरेशन आफ इण्डिया लि.	———कुछ नहीं———		
12. ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इन्डिया	33	33	—

* इसमें कैन्यू कारपोरेशन आफ इंडिया लि. और स्टेट कैमीकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कार. आफ इंडिया लि. से सम्बन्धित आंकड़े भी शामिल हैं।

आर्थिक मंदी का खतरा

2185. **श्री इब्राहीम सुलेमान लेट :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 21 जनवरी, 1982 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित आर्थिक प्रशासन सुधार समिति के चेयरमैन श्री एल. के. झा के बम्बई में दिए इस वक्तव्य को देखा है कि यदि विश्व समुदाय द्वारा विश्व के एक दूसरे पर निर्भरता के सिद्धान्त का सच्चे दिल से प्रचार नहीं किया गया और उसे अमल में नहीं लाया गया तो इस शताब्दी के तीसरे दशक में आई आर्थिक मंदी फिर आने का खतरा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। विश्व समुदाय द्वारा एक दूसरे पर निर्भरता के सिद्धान्त पर सरकार के विचार विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर व्यक्त किए गए हैं और सुविदित हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष की कोयले, सीमेंट और पावर टैरिफ के मूल्यों में वृद्धि की शर्त

2186. **श्री ई. बालानन्दन : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने कोयले, सीमेंट और पावर टैरिफ के मूल्यों में वृद्धि करने की तथा अन्य शर्तें रखी हैं; और

(ख) और कौन सी शर्तें हैं जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाना है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ विस्तारित व्यवस्था के सम्बन्ध में सदन में 23 नवम्बर, 1981 को पहले ही एक वक्तव्य दिया जा चुका है।

नई वाणिज्यिक बैंक शाखा को लाइसेंस देने को रिजर्व बैंक की नीति

2187. **श्री चित्त महाटा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक की नई वाणिज्यिक बैंकों की शाखा की लाइसेंस नीति से शहरी क्षेत्रों और बन्दरगाहों के निकट शहरों में बैंक शाखाएं नहीं खुल पाऐंगी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक तीन वर्षों के लिए शाखा लाइसेंसिंग नीति तैयार की है। इस नीति के अन्तर्गत मुख्यतया ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक-शाखा-जाल का और अधिक विस्तार करने की गति तेज करने का लक्ष्य प्राप्त करने के साथ-साथ ग्रामीण तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में औसतन 17000 लोगों के लिए एक शाखा के हिसाब से बैंकिंग व्याप्ति का सुनिश्चित करने के लिए स्थानिक वितरण पर अपेक्षाकृत अधिक जोर दिया जाएगा। शहरी और महानगरीय/बन्दरगाह वाले शहरी केन्द्रों में चयनात्मक आधार पर शाखा खोली जायेंगी और नयी शाखा खोलने के आधार निम्नलिखित होंगे :—

नए विकसित स्थानों की आवश्यकताएं, ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए कुछ बहुत बड़ी शाखाओं को खंडित कर के उनमें से और शाखाए बनाने के लिए अनुमति देने की आवश्यकता, कुछ क्षेत्रों में नई परियोजनाओं आदि की वजह से आर्थिक कार्यकलापों में बढ़ौतरी आदि। शहरी और महानगरीय पत्तन वाले शहरी केन्द्रों में शाखा विस्तार के लिए प्रस्तावों पर वार्षिक आधार पर विचार किया जाएगा।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात तथा आयात की जाने वाली वस्तुएँ

2188. **श्री सुभाष यादव** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं के नाम क्या है;

(ख) राज्य व्यापार निगम ने 1980-81 में कुल कितनी धनराशि का व्यापार किया; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम को घाटा हो रहा है, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1670 करोड़ रु०।

(ग) जी नहीं।

विवरण

निर्यात तथा आयात की उन मुख्य मदों की सूची जिनका एस. टी. सी. आमतौर पर व्यापार करता है।

1. निर्यात

सरणीबद्ध मदें	गैर-सरणी बद्ध मदें
1. चपड़ा/लाख दाना	1. पटसन से बने वस्तुएं

1	2
2. मूंगफली निस्सार	2. चावल
3. अफीम	3. जौ
4. नींबू घास तेल	4. काफी
5. अरंडी का तेल	5. इन्स्टेंट काफी
6. अर्द्ध-साधित चमड़ा	6. तम्बाकू
7. चीनी	7. मसाले
	8, बीड़ी के पत्ते
	9. कोको फलियां/पाउडर
	10. चाय
	11. मेंहदी पाउडर
	12. तैयार चमड़ा
	13, फुट वीयर
	14. फुट वीयर संघटक
	15. चमड़े की वस्तुएं तथा परिधान
	16. ताजे तथा साधित खाद्य पदार्थ
	17. मीट तथा समुद्री उत्पाद
	18. निर्माण सामग्री
	19. इन्जीनियरी माल
	20. उपभोक्ता माल
	21. आर्मी सोफ्टवेयर
	22. सिलेसिलाए परिधान
	23. सूती वस्त्र
	24. कयर उत्पादन
2. आयात	
1. खाद्य तेल	1. पत्रिकाएं
2. पशुवसा/वसायुक्त अम्ल	2. विस्फोटक पदार्थ
3. अखबारी कागज	3. सर्वेक्षण उपकरण
4. सफेद छपाई का कागज	4. ब्रेटीकेंस
5. सीमेंट	
6. प्राकृतिक रबड़	
7. चीनी	

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में निरीक्षकों की नियुक्ति

2189. **श्री राम लाल राही** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के निरीक्षक रेंज में कम से कम 4 वर्ष और अन्य स्थानों पर 5 वर्ष सेवा कर सकते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहतलिय कानपुर के निरीक्षकों को 1981 में यह अवधि समाप्त होने पर स्थानांतरित कर दिया गया और कितने ऐसे निरीक्षक हैं जो उक्त अवधि समाप्त होने पर भी वहीं कार्यरत हैं; और

(ग) यदि हां, तो एक स्थान पर 4/5 वर्ष सेवा करने के पश्चात् भी ऐसे निरीक्षकों को स्थानांतरित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) बोर्ड ने समूह "ग" के कार्यकारी अधिकारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में जो सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए हैं उनमें सामान्य सेवाकाल 4 से 6 वर्ष तक रखा गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अपेक्षाकृत थोड़े समय के बाद स्थानान्तरण किए जाने की भी व्यवस्था है, ऐसा प्रशासनिक कारणों से अथवा अनुकम्पों के आधार पर किया जाता है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, कानपुर में वर्ष 1981 के दौरान निरीक्षकों को एक ही स्थान पर 4 वर्ष की सेवा-अवधि समाप्त होने से पहले ही स्थानान्तरित किया किया गया था। इनमें से 11 निरीक्षकों का स्थानान्तरण अनुकम्पा के आधार पर किया गया था और 9 का प्रशासनिक कारणों से। इस समाहर्तालय में 9 निरीक्षक ऐसे हैं, जिन्होंने एक ही स्थान पर छः वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है किन्तु नेमी स्थानान्तरणों पर लगाई गई मितव्ययितता सम्बन्धी पाबन्दी को देखते हुए उन्हें अभी तक स्थानान्तरित नहीं किया गया है।

निर्यात लक्ष्य

2191. **श्री बी. डी. सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान भारत के निर्यात में कितनी कमी आई है और भारतीय आयात में कितनी वृद्धि हुई है और इस व्यापार में कितना घाटा हुआ है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 1981-82 में भारत ने कितना निर्यात किया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान भारत से कुल 6709.71 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात हुए जबकि लक्ष्य 7100 करोड़ रु० था। दूसरी ओर आयात 1284.34 करोड़ रु० मुल्य के हुए जोकि वर्ष 1979-80 की तुलना में 38.4% अधिक बैठते हैं। परिणामत: वर्ष 1980-81 के दौरान 5775.17 करोड़ रुपए का घाटा हुआ।

(ख) वर्ष 1980-81 में व्यापार घाटे में पर्याप्त वृद्धि का मुख्य कारण था विशेषत: पैट्रोलियम तथा पैट्रोलिम उत्पादों के आयातित माल की विश्व कीमतों में तेजी से वृद्धि। वर्ष

1980-81 में प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण और साथ ही घरेलू बाधाओं ने निर्यातों की वृद्धि में बाधा उत्पन्न की।

(ग) अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम आठ महीनों के दौरान अर्थात अप्रैल-नवम्बर, 1981 में भारत में के समग्र निर्यात 466 .00 करोड़ रु. मूल्य के हुए जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान हुए निर्यातों के अनन्तिम आंकड़े 4037.98 करोड़ रु. थे, इस प्रकार इन में 15.4% की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। इस समय यह बताना मुश्किल है कि वर्ष 1981-82 के पूरे वर्ष के दौरान निर्यात निष्पादन का स्तर कितना होने की संभावना है।

त्रिवेन्द्रम से दोहा तक सीधी उड़ान

2192. **प्रो. पी. जे. कुरियन : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिवेन्द्रम से दोहा तक सीधी उड़ान के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह उड़ान कब तक शुरू किए जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रशाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) केरल आर्ट सोसाइटी, दोहा, कातार ने पर्यटन और नागर विमानन मंत्री से आवेदन किया था कि कातार में 35000 भारतीय हैं जिनमें से 25000 केरल से थे और सीधी विमान सेवा के न होने के कारण उन्हें बम्बई से त्रिवेन्द्रम के लिए संयोंजी सेवा प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

त्रिवेन्द्रम और दोहा के बीच पर्याप्त यातायात संभावनाओं को दृष्टि में रखते हुए एयर इण्डिया इन दोनों स्थानों के बीच अपनी विमान सेवा परिचालित करने के पक्ष में है। उन्होंने त्रिवेन्द्रम और दोहा के बीच परिचालनों के लिये प्रस्तावित समय-सारणियां कातार के वैमानिक प्राधिकारियों को दे दी हैं जिन्होंने प्रस्तावित परिचालनों के बारे में अपनी बिना किसी शर्त के अनुमति अभी देनी है जिसके मिल जाने पर परिचालन आरम्भ कर दिये जाने की आशा है।

छोटे तथा मध्य श्रेणी के किसानों को बैंकों के विरुद्ध शिकायत

2193. **श्री के. प्रधानी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसानों को ऋण देने में कुछ बैंकों के मैनेजरों द्वारा दिखाई जा रही विमुखता के बारे में छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार उन बैंक मैनेजरों को यह मार्ग निर्देश जारी करने का है कि छोटे तथा मध्य श्रेणी के किसानों को ऋण देने में वे विमुखता न दिखाएं; और

(ग) सरकार छोटे तथा मध्य श्रेणी के किसानों को आसान [illegible]
के लिए क्या कदम उठाना चाहती है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) कृषि क्षेत्र और समाज के कमजोर वर्गों तथा छोटे और सीमांतिक किसानों की दशा को सुधारने के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के वास्ते अग्रिमों के सम्बन्ध में बैंकों के कार्यनिष्पादन पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नजर रखी जाती है। ऋणों में देरी अथवा अस्वीकृति के जो भी मामले जानकारी में आते हैं उनकी जाँच उचित स्तरों पर की जाती है।

समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, प्रतिभूति, मार्जिन मनी की शर्तों को उदार बनाने, आवेदनो और प्रक्रियाओं को सरल बनाने आदि के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किए जाते हैं। योजना आयोग के सदस्य सचिव की अध्यक्षता में सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है जो समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले छोटे तथा सीमांतिक किसानों समेत समाज के कमजोर वर्गों को विभिन्न ऋण संस्थाओं से मिलने वाले ऋण की मात्रा की समीक्षा करती है और जहां आवश्यक हो, सभी सम्बन्धितों को आवश्यक उपचारात्मक सुझाव देती है।

जयपुर में बहुमूल्य हीरों का पकड़ा जाना

2194. **श्री आनादि चरण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने 29 जनवरी, 1982 को जयपुर में एक व्यापारी के पास बहुमूल्य हीरे पकड़े थे;

(ख) यदि हां, तो उनका मूल्य कितना है; और

(ग) सरकार द्वारा देश से बहुमूल्य हीरों की तस्करी रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) जी, हां। जयपुर में सीमाशुल्क अधिकारियों ने 29 जनवरी 1982 को आवासीय-व्यापारिक परिसरों से विदेशी मूल के बिना-तराशे, तराशे हुए और पालिश किए हुए तस्करी शुदा रत्न पकड़े जिनका कुल मूल्य लगभग 3 लाख रुपये है।

(ग) सीमाशुल्क अधिकारियों को देश में और देश से बाहर ऐसे माल की, जिनमें हीरे और रत्न शामिल हैं, तस्करी रोकने के लिए सतर्क कर दिया गया है।

महाराष्ट्र में कुछ शहरों को बम्बई तथा अन्य प्रमुख शहरों से विमान सेवा से जोड़ना

2195. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र औद्योगिक निगम द्वारा नासिक, पुणे, अहमदनगर और कोलहापुर के तेजी से विकास को ध्यान में रखते हुए इन शहरों को बम्बई तथा देश के अन्य प्रमुख शहरों में विमान सेवा से जोड़ने का है ताकि शीघ्र संचार भेजने में सुविधा हो सके, और

(ख) यदि हां, तो इन शहरों को विमान सेवा से कब तक जोड़े जाने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) फिलहाल इण्डियन एयरलाइन्स बम्बई-पुणे सैक्टर पर एच. एस-748 विमान से दैनिक प्रातःकालीन और सायंकालीन सेवाएं परिचालित कर रही है। परन्तु निकट भविष्य में नासिक, अहमदनगर और कोल्हापुर को हवाई सेवाओं से जोड़ने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण स्थानों के विकास हेतु महाराष्ट्र को धनराशि

2196. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में पर्यटकों के देखने लायक, प्राकृतिक सौन्दर्य स्थल, तीर्थस्थान, आकर्षक और चट्टानों से काट कर बनाई गई गुफाएं, किले, पर्वतीय स्थल और सांस्कृतिक महत्व के कितने स्थान मन्त्रालय की पर्यटन सूची में हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के कुछ और स्थानों को सूची में शामिल करने का है;

(ग) महाराष्ट्र में पर्यटन के महत्व के स्थानों के विकास के लिए इस वर्ष इस राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) और (ख) समग्र रूप में देश के अन्तर्गत पर्यटन अभिरुचि के स्थानों की बहुतायत के कारण पर्यटन विकास के सन्दर्भ में एक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इसके अनुसरण में, केन्द्र, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध संसाधनों को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से महाराष्ट्र में गहन विकास के लिए राज्य सरकार के परामर्श से 15 केन्द्रों को कवर करते हुए निम्नलिखित यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं :—

1. बम्बई-पुणे-अहमदनगर-औरंगाबाद- (अजन्ता और एलौरा) नासिक-बम्बई।
2. बम्बई-मुरुद/जनजीरा-गनपतिफूले वेनगुर्ला-बम्बई।
3. नागपुर/रामटेक-नागपुर-वर्धा-(सेवाग्राम)-चन्द्रापुर (तडोबा नेशनल पार्क) नागपुर।

(ग) और (घ) पर्यटन सेक्टर में धनराशियों का आवंटन राज्य-वार आधार पर नहीं किया जाता बल्कि शुरू की जाने वाली स्कीमों के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकार से उपर्युक्त यात्रा परिपथों के साथ-साथ पड़ने वाले केन्द्रों पर पर्यटक आधारिक संरचना के विकास का एक ब्लू प्रिंट प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है। इसके बाद, यदि धनराशियां उपलब्ध हुई और पारस्परिक प्राथमिकताएं अनुकूल रहीं तो महाराष्ट्र में कार्यान्वयन के लिए पर्यटन स्कीमों का निर्धारण किया जाएगा। औरंगाबाद, अजंता, एलौरा, बम्बई, एलीफैंटा और कारला में केन्द्रीय सेक्टर के अंतर्गत पहले ही पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा सेवाग्राम में एक यात्री निवास का निर्माण किया जा रहा है और भारत पर्यटन विकास निगम का बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक होटल के निर्माण का प्रस्ताव है।

हवाई अड्डों के विकास की योजना

2197. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के विकास की एक योजना बनाई है;

(ख) योजना की मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के नाम क्या हैं और इस कार्य पर कितनी धनराशि खर्च होगी और इसके क्या लाभ होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जिन अंतर्देशीय हवाई अड्डों के लिए इण्डियन एयरलाइन्स/वायुदूत द्वारा विमान सेवायें परिचालित की जा रही हैं अथवा करने का प्रस्ताव है उनके सम्बन्ध में नए हवाई अड्डों के निर्माण, धावनपथों टैक्सीपथों तथा एप्रनों के सुदृढ़ीकरण, टर्मिनल भवनों के विस्तार आधुनिकीकरण निर्माण, सुरक्षा सेवा उपकरणों के सुधार/प्रावधान के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में 147.00 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। योजना में अन्तर्देशीय तथा अंतरराष्ट्रीय/हवाई अड्डों पर रेडियो, राडार दिक्चासन उपकरणों तथा संचार सुविधाओं का विस्तार/आधुनिकीकरण भी सम्मिलित है।

छटी योजनावधि के दौरान 141 करोड़ रुपये की कुल लागत से अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण कीं भी योजनाएं बनाई गई हैं। विस्तार कार्यक्रमों में बंबई में नए अंतरराष्ट्रीय यात्री टर्मिनल काम्प्लेक्स (चरण II) के निर्माण, दिल्ली में नए अंतरराष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो टर्मिनल काम्प्लेक्स, मद्रास में नए अंतर्देशीय टर्मिनल भवन का निर्माण, तथा बंबई में श्रेणी II प्रकाश-व्यवस्था का प्रावधान आदि सम्मिलित हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में जिन महत्वपूर्ण अंतर्देशीय हवाई अड्डों का विकास किए जाने का प्रस्ताव है, वे निम्नलिखित हैं :—

1. गोहाटी
2. अगरतला
3. डिब्रूगढ़ (मोहनबाड़ी)
4. राजकोट
5. भावनगर
6. बड़ौदा
7. भोपाल
8. इन्दौर
9. हैदराबाद
10. बंगलौर
11. मदुरै
12. त्रिवेन्द्रम
13. पटना
14. गोवा
15. श्रीनगर
16. कोचीन
17. कालीकट (नया हवाई अड्डा)
18. भुवनेश्वर
19. विशाखापत्तनम
20. अहमदाबाद
21. लखनऊ
22. जम्मू

वायुदूत स्टेशन

1. कैलाशहर	7. डपारिजो
2. कमालपुर	8. जेरो
4 रूपसी	8. लुधियाना
4. शिलांग (बारापानी)	10. कोटा
5. कूच बिहार	11. गया
6. पासीघाट	12. मुजफ्फरपुर

प्राप्त किये जाने वाले फायदे इस प्रकार हैं :—

1. विमान परिचालनों की अधिक सुरक्षा;
2. वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा पर्यटक दृष्टि से क्षेत्रों का विकास;
3, पर्यटकों के लाभ के लिये सुदूरवर्ती क्षेत्रों को खोलना .

जापान से ऋण

2198. **श्री बी. वी. देसाई : क्या वित्त मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की परियोजनाओं में सहायता देने के लिए जापान 44 करोड़ रुपए ऋण देने हेतु सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो जापान से प्राप्त ऋण से कौन सी परियोजनाओं की सहायता की जाएगी; और

(ग) क्या सरकार को यह ऋण प्राप्त हो गया है और यदि नहीं, तो यह कब प्राप्त होगा ?

वित मन्त्री श्री प्रणब मुखर्जी : (क) और (ख) : जापान द्वारा समय-समय पर दिए गए विभिन्न येन ऋणों से बहुत सी परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था की जा रही है। माननीय सदस्य संभवत: 10 48 अरब येन का ऋण सहायता (जो लगभग 41.05 करोड़ रुपए के बराबर है) के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, जिसे जापान ने निम्नलिखित तीन परियोजनाओं के लिए उपलब्ध करने की सहमति दी है :—

(i) दूर–संचार विस्तार परियोजना;

(ii) भारतीय रेलवे विकास कार्यक्रम;

(iii) बम्बई उप-नगरीय रेलवे आधुनिकीकरण परियोजना।

(ग) दोनों सरकारों के बीच करार निष्पादित करने के लिए पात्रों का आदान प्रदान हो चुका है। और ऋण संबंध ब्यौरा तय करने के लिए बातचीत -चल रही है। इसमें से संवितरण तभी शुरू हो जाएगें जब ऋण के अन्तर्गत प्रस्तावित आयातों के लिए रकम देय हो जाएगी।

मध्यस्थ निर्णय को बढ़ावा देने में सहयोग के लिए भारत-चीन समझौता

2199. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद को हल करने के प्रश्न पर 26

दिसम्बर, 1981 को भारतीय पंचाट परिषद और चीन की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार परिषद के प्रतिनिधियों से चर्चा की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी और चर्चा के क्या परिणाम निकले और क्या दोनों देशों के बीच इस बारे में कोई समझौता किया गया;

(ग) क्या मध्यस्थ निर्णय को बढ़ावा देने के लिए भारत-चीन के बीच सहयोग के लिए समझौतों की आवश्यकता पर बल भी दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय लिया गया ?

वित्तमन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) (क) और (ख) माननीयसदस्य का ध्यान 26 फरवरी, 1982 को दिए गए अतरांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर और 26 फरवरी, 1982 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1078 के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है। चीनी दल ने भारतीय मध्यस्थ निर्णय परिषद के साथ हमारे मध्यस्थ निर्णय की कार्यप्रणालियों को समझने के प्रयोजन से वार्तालाप किया था।

(ग) और (घ) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

विदेशी पर्यटकों को भारत में कुछ हवाई अड्डों पर आने के लिए चार्टर उड़ान की अनुमति

2200 **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में कुछ विदेशी पर्यटकों को भारत के कुछ हवाई अड्डों पर आने के लिए चार्टर उड़ान की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो हमारी सरकार द्वारा भारत में आने वाले पर्यटकों को दी जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री खुर्शीद आलम खान : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा पश्चिमी जर्मनी से भारत के लिए दिनांक 1.11.82 से साप्ताहिक पर्यटक चार्टरों को आपरेट करने के लिए एक स्विय एजेंसी को सैद्धान्तिक रूप से अनुमति (नो आब्जेक्शन) दी गई है। आंतरिक यात्रा, होटल्ज, दृश्यावलोकन, आदि और टूरिस्ट चार्टरों से संबंधित अन्य सुविधाओं जैसे आवश्यक प्रबन्धों की व्यवस्था एक अनुमोदित इण्डियन ट्रेवल एजेंसी द्वारा की जाएगी; चूंकि सरकार ऐसे यात्रा प्रबन्धों की व्यवस्था नहीं करती। जहाँ तक पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के आम सवाल का सम्बन्ध है, यह एक सतत प्रक्रिया है। आवास, स्थल, परिवहन, एयरलिक्स, एयरपोर्टों का सुधार/विस्तार/निर्माण, गाईड और सूचना सेवाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रवेश और बहिगमन औपचारिकताओं की स्ट्रीम-लाईनिग आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था केन्द्रीय राज्य और प्राइवेट सेक्टरों से सम्बन्धि विबिध एजेंसियों द्वारा की जाती है।

रक्षा लेखा नियन्त्रक, पटना में क्षेत्रीय परिषद

2201. **श्री रामअवतार शास्त्री** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने कीं कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रक्षा लेखा नियंत्रक पटना कार्यालय की क्षेत्रीय परिषद का जून, 1980 से गठन नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस चूक के कारण कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा तथा उनका ठीक ढ़ग से समाधान नहीं हो पा रहा है; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ।

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सीसोदिया) : (क) से (ग) : रक्षा लेखा नियंत्रक, पटना के कार्यालय में संयुक्त परामर्श तंत्र के अन्तर्गत कार्यालय परिषद् का गठन करना सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि मान्यता प्राप्त दो संघों द्वारा अपना प्रतिनिधि कार्यालय स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार अभी स्थापित नहीं किया है । फिर भी, कर्मचारी संघ, रक्षा लेखा नियंत्रक के साथ कर्मचारी कल्याण विषयक मामलों पर चर्चा करते हैं और उचित कार्रवाई की जाती है ।

पेशन मामलों का निपटान

2202. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मन्त्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेनाओं से अवकाश प्राप्त सैनिकों और अन्य सिविल कर्मचारियों से सम्बन्धित पेंशन के कितने मामले (I) 10 वर्ष, (II) 5 वर्ष, (III) 3 वर्ष और (IV) 2 वर्ष से निपटारे के लिये लम्बित पड़े हैं; और

(ख) उन मामलों के निपटारे में देरी के क्या करण हैं और इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं'

वित्त मन्त्रालय ने राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सीसोदिया) : (क)

10 वर्ष से अधिक : 3

5 वर्ष से अधिक : 25

3 वर्ष से अधिक : 66

2 वर्ष से अधिक : 273

जोड़ : 367

(ख) मोटे तौर पर कारण इस प्रकार हैं :—

(i) आवश्यक कागजात/सूचना, कानूनी उत्तराधिकार का प्रमाण पत्र : मृत्यु तथा सेवा निवृत्ति उपदान (ग्रेजुइटी) के लिए नामांकन, जिन मामलों में पिछली सेवा अंशदान भविष्य निधि आदि के आधार पर की गई थी उतमें सरकारी अंशदान फिर चालू करने का प्रमाण पत्र का अभाव ।

(ii) पिछली सैनिक सेवा की गणना से संबंधित आवश्यकताएं पूरी न किया जाना । ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए अपेक्षित कागजात उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर आदेश जारी किए गये हैं ।

और अधिक सैनिक स्कूल खोलना

2203. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यवार कुछ और सैनिक स्कूल खोलने की योजना है, और,

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक सैनिक स्कूल खोले जाने की संभावित तारीख क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) (क) सैनिक स्कूल सोसाइटी के अधीन सैनिक स्कूल राज्य सरकार के विशेष अनुरोध पर स्थापित किए जाते हैं और उन्हें सारा पूंजीगत खर्च तथा आवर्ती खर्च का काफी हिस्सा वहन करना होता है। सैनिक स्कूल खोलने के लिए भारत सरकार कोई प्रस्ताव तैयार नहीं करती है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनिर्णीत पड़े असमर्थता पेंशन के मामले

2204. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल सेना, नौसेना और वायु सेना के मामले में असमर्थता पेंशन के (एक) 10 वर्ष, (दो) 5 वर्ष (तीन) 3 वर्ष और (चार) 2 वर्ष से अधिक समय से कितने मामले निर्णय हेतु लम्बित पड़े हुए हैं,

(ख) इस विलम्ब के क्या कारण हैं और शीघ्र निर्णय हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किये गये हैं, और

(ग) क्या पेंशन के मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को पुनः लागू करने का प्रस्ताव है,

रक्षा मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) तीनों सेनाओं में निःशक्तता पेंशन के निलम्बित पड़े मामलों की संख्या इस प्रकार हैं :—

	थल सेना	नौ सेना	वायु सेना	जोड़
10 वर्ष से अधिक	—	—	—	—
5 वर्ष से अधिक	3	—	1	4
3 वर्ष से अधिक	16	2	4	22
2 वर्ष से अधिक	189	30	4	223

(ख) सेना कार्मिकों को निःशक्तता पेंशन उस स्थिति में दी जाती है जब बीमारी/चोट सैनिक सेवा के कारण हुई हो अथवा उससे उसमें वृद्धि हुई हो। निःशक्तता पेंशन के कुछ मामलों को शीघ्र निपटाने में विलम्ब देशभर में फैले हुए विभिन्न अस्पतालों स्थित कार्यालयों, यूनिटों आदि से अतिरिक्त चिकित्सा/सेवा रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण हो जाता है।

(ग) पेंशन के मामले को निपटाने की मौजूदा प्रक्रिया को सरल और कारागार के लिए सरकार ने एक समिति गठित की है ताकि मामलों को शीघ्रता से निपटाया जा सके।

वेतन बचत पालिसीधारकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार

2205. **श्री आर. के. महालगी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या वेतन बचत पालिसीधारकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार करने के बारे में किसी संसद सदस्य के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा नीगम के चेयरमैन को कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसमें दिए गए विशिष्ट सुझाव क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में भारतीय जीवन बीमा निगम ने क्या निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) माननीय सदस्य ने वेतन बचत योजना में शामिल पालिसीधारकों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार करने के बारे में श्री एस. ए. गंगल द्वारा तैयार की गई एक टिप्पणी जीवन बीमा निनम के चेयरमैन को भेजी थी । इस टिप्पणी में मुख्य रूप से जो सुझाव दिया गया था वह यह था कि जीवन बीमा निगम को प्रत्येक ऐसे पालिसीधारक को उसकी पालिसी की स्थिति के बारे में एक वार्षिक विवरण भेजना चाहिए । इससे सम्बन्धित काम को व्यापकता तथा इस समय भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय तंत्र की सीमित क्षमता की दृष्टि से सुझाव को व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा विज्ञापनों पर व्यय

2206. **श्री आर. के. महालगी :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत व और अनुसूचित बैंक विज्ञापनों पर बहुत बड़ी धनराशि व्यय कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979-80, 1980-81 और अप्रैल, 1981 से आज तक समाचार पत्रों, मैगजीनों, विशेष अंकों, स्मारिकाओं आदि में दिए गए विज्ञापनों पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी है;

(ग) इस धनराशि में से कितनी धनराशि अंग्रेजी विज्ञापनों पर और कितनी भाषायी समाचार पत्रों में दिए विज्ञापनों पर व्यय की गयी;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों द्वारा विज्ञापनों पर किये जाने वाले व्यय तथा ऐसे अन्य खर्चे के बारे में कोई निर्देश दिये हैं और कुछ सिद्धान्त तथा प्रतिशतता तय की है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे निर्देश क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के खाते कलेंडर वर्ष-वार रखे जाते हैं न कि वित्तीय वर्ष-वार । वर्ष 1979 और 1980 के दौरान समाचार पत्रों पत्रिकाओं, विशेषांकों, स्मारिकाओं आदि में विज्ञापनों पर हुए खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	समाचार पत्रों, पत्रिकाओं विशेषांकों, स्मारिकाओं आदि में विज्ञापनों पर खर्च			टिप्पणी
	अंग्रेजी में	अन्य भाषाओं में	जोड़	
		(लाख रुपए)		
1979	115.17	97.49	212.66	सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों के
1980	212.30	186.01	398.31	लिए सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों के लिए अर्थात 1980 में राष्ट्रीयकृत छह बैंकों समेत।

वर्ष, 1981 के आँकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और उन्हें यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) और (ङ) सरकारी के बैंकों को समय-समय पर परामर्श दिये जाते रहे हैं कि वे अपने प्रचार कार्यक्रमों को तैयार करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें और इस सम्बन्ध में होने वाले खर्च में ज्यादा से ज्यादा किफायत करें। इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में प्रादेशिक/भाषायी समाचार पत्रों के उत्तरोत्तर अधिक उपयोग की आवश्यकता, उद्योग स्तर पर संयुक्त प्रचार कार्यक्रम, और सरकारी माध्यम आदि के अधिकतर उपयोग पर बल दिया गया है। जुलाई 1981 में बैंकों को यह सुझाव भी दिया गया था कि वे अपने प्रचार कार्यक्रमों आदि पर होने वाले खर्च में कटौती करने के लिए एक आनुमानिक लक्ष्य निर्धारित करें।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में राज्य सरकारों की जमा राशियां

2207. **श्री आर. के. महालगी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, गुजरात, और मध्य प्रदेश की सरकारों की अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में काफी धनराशियां जमा हैं; यदि हां तो उपर्युक्त राज्यों की क्रमवार अनुसूचित बैंकों में जमा राशियों के अद्यतन आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त राज्यों को प्रत्येक राज्य की बैंक में जमा धनराशियों के अनुपात के अनुसार ऋण नहीं दिये जाते;

(ग) क्या यह सच है कि बैंक ऋणों की अधिकतर बकाया राशियां केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हैं; यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में अनुसूचित बैंकों में जमा धनराशियों के स्वीकृत आधार पर बैंक ऋण देने के बारे में विचार कर रही है और यदि हाँ, तो इस योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

वित्त संत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) दिसम्बर, 1980 के

अन्त की स्थिति के मुताबिक सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमाओं अग्रिमों और ऋण : जमा अनुपात के राज्यवार आंकड़े अनुबन्ध में दिये गये हैं।

बैंक ऋण की मात्रा और इसका क्षेत्रीय वितरण जमाओं की मात्रा से निर्धारित नहीं होता बल्कि अन्य बहुत से कारणों पर निर्भर होता है जिसमें कृषि, लघु उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में विकास की अर्थक्षम स्कीमों के निर्माण के प्रबन्धों की समुचितता समेत मध्यम तथा बड़े उद्योगों और व्यापार के संगठित क्षेत्रों में क्रियाकलापों के स्तर, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सिंचाई आदि जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता आदि शामिल हैं। अलबत्ता, बैंकों को सलाह दी गई है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को बढ़ी हुई मात्रा में ऋण देकर औद्योगिक दृष्टि से विकसित इलाकों में अधिक ऋण प्रदान करने के प्रयासों पर अधिक ध्यान दें क्योंकि इन क्षेत्रों में और इन इलाकों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ही वहां की आर्थिक गतिविधि का सबसे प्रमुख अंग हैं। इन क्षेत्रों के, समाज के कमजोर वर्गों को बढ़ी हुई मात्रा में ऋणसहायता देने के वास्ते जिला स्तर पर सभी वित्तीय अभिकरणों का समन्वय सुनिश्चित करने के प्रयोजन से, जिला ऋण आयोजनाओं के अधीन, ऋण स्कीमें तैयार करने के लिए भी बैंक प्रयास कर रहे हैं।

विवरण

दिसम्बर 1980 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के मुताबिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के राज्यवार जमाओं, अग्रिम और (ऋण : जमा अनुपात) स्वीकृति के अनुसरण में ऋण

(राशि करोड़ रुपयों में)

क्षेत्र/राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जमा	अग्रिम	ऋण : जमा अनुपात
1. हरियाणा	653.62	469.10	71.8
2. हिमाचल प्रदेश	206.03	69.21	33.6
3. जम्मू तथा कश्मीर	377.44	117.58	31.1
4. पंजाब	1952.11	845.17	43.3
5. राजस्थान	842.52	569.18	67.6
6. चण्डीगढ़	266.86	578.75	216.9
7. दिल्ली	3649.86	3008.30	82.4
8. असम	339.97	156.28	46.0
9. मणिपुर	15.53	5.46	35.2
10. मेघालय	49.65	8.18	16.5
11. नागालैंड	19.63	5.02	25.6
12. सिक्किम	4.97	0.23	4.6
13. त्रिपुरा	35.05	17.99	51.3
14. अरूणाचल प्रदेश	9.35	1.09	11.7
15. मिजोरम	9.04	0.88	9.07

1	2	3	4
16. विहार	1555.62	636.36	40.9
17. उड़ीसा	430.44	253.79	59.0
18. पश्चिम बंगाल	4136.03	2501.13	60 5
19. अण्डमान और निकोवार द्वीपसमूह	8.82	2.25	25.5
20. मध्य प्रदेश	1172.41	653.22	55.7
21. उत्तर प्रदेश	3581.85	1513.45	42.2
22. गुजरात	2564.50	1490.52	58.1
23. महाराष्ट्र	6956.73	54.81.46	78.8
24. दादरा और नागर हवेली	1.32	1.48	112.1
25. गोवा, दमन और दीव	322.50	128.43	39·8
26. आंध्र प्रदेश	1862.07	1383.56	74.3
27. कर्णाटक	1933.28	1449 25	75.0
28. केरल	1454.97	982.87	67.5
29. तमिलनाडु	2523.27	5373.69	94.1
30. लक्षद्वीप	58.40	0.08	6.6
31. पांडिचेरी	1.22	33.28	57.0
समस्त भारत	36995.18	24737.34	66.9

टिप्पणी : (1) आंकड़े अनन्तिम हैं।

(2) आंकड़े स्वीकृति के अनुसार हैं और इसलिए अग्रिमों का वास्तविक उपभोग नहीं दर्शाते।

बैंकों में गैर दावे वाले निष्क्रिय खाते

2208. **श्री आर. के महालगी** : क्या **वित्त मन्त्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऐसे कुल कितने (एक) बचत (दो) सावधि जमा और (तीन) चालू खाते हैं जिनको "गैर दावे वाले" रूप में माना जाता है और 31 दिसम्बर, 1981 के दिन उपरोक्त प्रत्येक प्रकार के खातों में कितनी राशि जमा थी;

(ख) "निष्क्रिय" घोषित किये गये खातों की संख्या क्या है और कितनी-कितनी राशि रिजर्व बैंक के खातों में डाली गयी है;

(ग) खाते धारियों का पता लगाने अथवा जमा राशि को "निलम्बित" रखने के लिए क्या प्रयास किये जाते हैं; और

(घ) क्या सरकार ने बैंक में खातों को "गैर दावेदार" अथवा "निष्क्रिय" मानने के पुराने तरीके को बदलने और उसके लिए नये सिद्धान्त एवं प्रक्रिया तय करने का निर्णय किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 31-12-80 की स्थिति के मुताबिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास निष्क्रिय पड़े जमा खातों (अर्थात् वे खाते जिन्हें 10 वर्ष या अधिक समय से संचालित नहीं किया गया है) के संबंध में अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(राशि करोड़ रुपयों में)

चालू		बचत		मियादी	
खातों की सं.	राशि	खातों की संख्या	राशि	खातों की सं	राशि
171509	3.58	1602895	13.17	23678	2.17

31.12.81 की स्थिति के मुताबिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

निष्क्रिय खातों में पड़ी कोई राशि भारतीय निजर्व बैंक के पास जमा नहीं की गई है। ऐसी राशियाँ, बैंकों की ज़माओं के एक भाग के रूप में बैंकों के पास रहती हैं।

(ग) और (घ) : निष्क्रिय खातों में पड़ी राशियों के उचित निपटान के वास्ते सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसे खाताधारियों अथवा उनके निकट संबंधियों व्यक्तिगत से रूप में सम्पर्क करते हैं अथवा ऐसे खातों के परिचयदाताओं अथवा जमाकर्ताओं के नियोजकों से पत्रव्यवहार करते हैं। इसके अलावा बैंककारी विनियमन अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे खाताधारकों को नामांकन की सुविधा की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा सके जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निष्क्रिय खातों की संख्या में कमी आयेगी।

उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

2209. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान उड़ीसा में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले जाने हैं; और

(ख) उड़ीसा के विभिन्न जिलों में उन स्थानों के नाम क्या हैं; जहाँ 1982-83 में ग्रामीण बैंकों की स्थापना करने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) इस समय उड़ीसा में कोई नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य में पहले ही 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मौजूद हैं जो राज्य के 13 जिलों में से 11 जिलों को व्याप्त करते हैं।

उड़ीसा में नौसेना हाइड्रोग्राफी प्रशिक्षण स्कूल खोला जाना

2210. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने नौसेना हाइड्रोग्राफी प्रशिक्षण स्कूल खोले गये हैं;

(ख) वे किन स्थानों पर स्थित हैं;

(ग) क्या सरकार का छठी योजनावधि में कुछ और हाइड्रोग्राफी स्कूल खोलने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा तट पर ऐसे कितने स्कूल खोलने का विचार है; और

(ङ) उनके स्थान स्थल का ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) एक

(ख) वास्को-दि-गामा, गोवा

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों में एयर इण्डिया के ट्रेवल एजेन्ट

2211. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया की ब्रिटेन, अमरीका तथा कनाड में कोई ट्रेवल एजेन्सी है;

(ख) क्या इन ट्रेवलिंग एजेन्टों की ओर आज की तारीख के अनुसार कोई धनराशि बकाया है;

(ग) इन धनराशियों को वसूल करने के लिए एयर इण्डिया ने क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या किसी धनराशि को वसूल न होने योग्य के रूप में बट्टे खाता डाला गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उन ट्रेवल एजेन्टों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक पार्टी की कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) एयर इंडिया के यू. के., यू. एस. ए. तथा कनाडा में ट्रेवल एजेन्टों के साथ व्यापार सम्बन्ध हैं जो कि या तो अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था (आई. ए. टी. ए.) अथवा एयर ट्रैफिक काफ्रेंस आफ अमरीका (ए. टी. सी.) द्वारा अनुमोदित हैं।

(ख) और (ग) जिन एजेंटों से एयर इण्डिया ने पैसा लेना है, उनकी एक सूची संलग्न है (अनुबन्ध I)। दोषी एजेंटों से धन की वसूली के लिए एयर इण्डिया ने कार्यवाही की है।

(घ) और (ङ) निम्नलिखित एजेन्टों द्वारा देय धनराशि को एयर इण्डिया ने बट्टे-खाते में डाल दिया है। बट्टे खाते में डाली गई धनराशि एजेन्ट के नाम के सामाने दर्शाई गयी है;

1.	आई. टी. ए. ट्रेवल स्टोर, केनमोर, यू. एस. ए.	1,50,277.61 डालर
2.	वी. आई. पी. हॉलीडेज इंक. न्यूयार्क	2,23,205.38 डालर
3.	प्लाया ट्रेवल, सैंटर, न्यूयार्क	87,505.00 डालर
4.	गेलार्ड ट्रेवल इंक. शिकागो	23,203.44 डालर

विवरण

क्रम संख्या	एजेन्ट का नाम	देय राशि
1.	विलियम वेकर ट्रेवल ब्यूरो, इंक, यूनवाईसौ	2,30,451.67 डालर
2.	यूटीटीए टूर्स, शिकागो, यूएसए	26,204.13 डालर
3.	भारत ट्रैवल सर्विस, न्यूार्क	93,335.72 डालर
4.	ईस्ट-वैस्ट ट्रेवल्स, शिकागो यू. एस. ए.	19,713.63 डालर
5.	मैटिअर ट्रेवल सर्विस फिलाडेलफिया	14,161.80 डालर
6.	फैंटर्स टूर्स, टोरन्टो	कैनिडियन 29,756.22 डालर
7.	रामजी ब्रदर्श यू. के.	यू. के. 19,535.00 पौंड
8.	आलवर्ड ट्रेवल, टोरन्टो	कैनिडियन 23,804.00 डालर
9.	गोल्डन माइल ट्रेवल, टोरन्टो	—वही—1,04,447.56 डालर
10.	ट्रेवत एण्ड बोएजियज, मोन्टरियल	—वही—1,32,225.86 डालर
11.	सेफवैज ट्रेवल, पोर्ट अलबर्नी, ब्रिटिश कोलम्बिया	—वही— 958.94 डालर
12.	डरमिस ट्रेवल, टोरन्टो	—वही—4,17.967.95 डालर
13.	पैक-एन-पताइ, न्यूयार्क	लगभग 91,000.00 डालर
14.	बैलियर ट्रेवलर्स, न्यूयार्क	—वही— 71,745.00 डालर
15.	पान्डयट्रेवलर्स, न्यूर्यार्क	—वही— 34,000.00 डालर
16.	हिन्दुस्तान ट्रेवलर्स टोरान्टो	कैनिडियन 12,079.00 डालर

सांविधिक निगमों के गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति

2212. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन किसी संविधिक निगम के निर्देशकों के रूप में किन्हीं गैर-सरकारी सदस्यों की भर्ती की गई है; और

(ख) यदि हां, तो निर्देशों के नाम क्या हैं; निगमों के नाम क्या हैं और वे किन हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हाँ।

(ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पाटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45 एन के अन्तर्गत गैर-बैंकिंग संस्थाओं का निरीक्षण

2213. **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम :** क्या **वित मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक की धारा 45ढ़ के अन्तर्गत किसी गैर-बैंकिग संस्था का निरीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संस्थाओं का ब्यौरा और उनके नाम क्या हैं तथा निरीक्षण किस उद्देश्य से किया गया था और निरीक्षण के क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा 45-ढ़ के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर ऐसे निरीक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक को करने होते हैं।

(ख) यथा उपलब्ध सूचना एकत्र की जा रही है तथा जब प्राप्त होगी सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

आयकर अधिकारियों के लिए प्रोत्साहन योजना

2214. **श्री डी.एस.ए. शिवप्रकाशम** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आयकर अधिकारियों के लिए आयकर निर्धारण में अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने की कोई योजना इस समय प्रवृत्त है, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने अधिकारियों को यह प्रोत्साहन दिया गया ?

वित्त मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) जी, हाँ।

(ख) उत्कृष्ट का-निर्धारण कार्य के लिए लागू की गयी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 1977-78, 1878-79 तथा 1979-80 के दौरान पूरे किए गये कर-निर्धारणों के सम्बन्ध में क्रमश: 10, 11 और 6 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई हैं जिन पर अभी विचार किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान पूरे किए गए कर-निर्धारणों के सम्बन्ध में अभी तक कोई प्रविष्टियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

अन्डमान में पर्यटन का संवर्धन

2215. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास अण्डमान में पर्यटन के संवर्धन के लिए कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुछ ट्रेवल सर्किट बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे ट्रेवल सर्किट कब तक बनाने का प्रस्ताव है, और

(घ) प्रत्येक प्रस्तावित ट्रेबल सर्किटों से प्रत्येक पर अनुमानित कितनी लागत आयेगी तथा इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) से (घ) जी, हाँ। अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन से परामर्श करते हुए निम्नलिखित यात्रा परिपथों को अन्तिम रूप दिया गया है :—

(i) पोर्ट ब्लेयर-वंडूर-ग्रब्वद्वीप-रेडस्किन द्वीप-जौली बाच द्वीप-सिकद्वीप-चिरिया टापू-पोर्ट ब्लेयर।

(ii) पोर्ट ब्लेयर-रंगत मायाबंदर-पोर्ट ब्लेयर।

अन्डमान और निकोबार प्रशासन से उपर्युक्त यात्रापरिपथों को एकीकृत रूप में तथा अवस्थानुसार ढंग से विकसित करने के लिए पर्यटन विकास का एक ब्लू प्रिन्ट प्राप्त हुआ है बसर्ते संस्थान उपलब्ध हों और परस्परिक प्राथमिकताएं अनूकूल हों। चूंकि अन्तर्द्वीपीय

सुविधा एक तात्कालिक जरूरत है केन्द्रीय पर्यटन विभाग के पास पोर्ट ब्लेयर से उपयुक्त (i) यात्रा परिपथ में शामिल किए गए द्वीप समूहों के परिभ्रमण तथा बन्दरगाह परिजन का आयोजन करने के लिए एक मोटर लांच की व्यवस्था करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा पोर्टब्लेयर में 13.80 लाख रु० की लागत पर एक यूथ होस्टल का भी निर्माण किया जा रहा है।

नकद फसलें

2216. **श्रीजेवियर अराकल:** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नकद फसलों के उत्पादन और निर्यात में कमी होती जा रही है,

(ख) वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में नकद फसलों की निर्यात की राशि और प्राप्त की गई राशि कितनी है,

(ग) इलायची, रबर जाइफल, नारीयल, जैसी नकदी फसलों की उत्पादन और निर्यात के लिए क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं, और

(घ) क्या सरकार को केवल सरकार अथवा नकदली फसल उत्पादकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) : 1978-79 से 1980-81 के दौरान प्रमुख नकद फसलों के उत्पादन तथा निर्यात के आँकड़े नीचे दर्शाये जाते हैं:—

I उत्पादन

क्रमांक	नकद फसल का नाम	इकाई	1978-79	1979-80	1980-81
1.	गन्ना	000 मेटन	15734.0	1309.7	15402.4
2.	कपास	000 गाठें (170 कि.ग्रा. प्रत्येक)	7957·8	7697.6	8700.0
3.	तिलहन	000 मेटन	9702.4	8425.5	8828.1
4.	पटसन	000 गाठें	6470.3	6071.5	6515.2
5.	नारियल	मिलियन नारियल	5729.7	5636.0	5677.4
6.	जायफल	मेटन	150.0	160.0	180.0
7.	प्राकृतिक रबड़	मे० टन	1,35,297	1, 48,470	1,53,100
8.	छोटी इलायची	मे० टन	4000	4500	4400
II	निर्यात				
1.	चीनी-मात्रा	लाख मे०टन	7.37	5.68	0.715
	मूल्य	करोड़ रु०	131.85	128.94	35.96

1, 2	3	4	5	6.
2. कपास				
मात्रा	000 मे० टन	11.8	65.6	105.3
मूल्य	लाख रु०	1602.0	7510.0	15964.0
3. तिलहन (एच.पी.एस. मूंगफली)				
मात्रा	मेट्रन	4,400	22,422	58,899
मूल्य	करोड़ रु०	2.81	13.74	62.97
4. पटसन				
मात्रा	000 गांठ	27.8	0.2	104.6
मूल्य	लाख रु०	185.23	1.33	668.67
5. छोटी इलायची				
मात्रा	मे०टन	2876	2636	2337
मूल्य	करोड़ रु०	58.35	48.36	34.50

नारियल, जायफल तथा प्राकृतिक रबड़ का निर्यात नहीं किया जाता।

(ग) इलायची के उत्पादन तथा निर्यात और प्राकृतिक रबड़, जायफल तथा नारियल के उत्पादन के लिए दिए गए प्रोत्साहन नीचे दर्शाये गए हैं :—

I इलायची

(क) उत्पादन : इलायची बोर्ड देश में इलायची उपजकर्त्ताओं के लाभ के लिए विकास संबंधी कई योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है ताकि देश में इलायची के उत्पादन और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं—

1. विस्तार सलाहकार योजना, जिसके अन्तर्गत उपजकर्ताओं को फसल का क्वालिटी और मात्रा में सुधार के लिए उक्त तकनीकी सलाह दी जाती है। बोर्ड की विभागीय पौध शालाओं में उगाए गए क्वालिटी बीजांकुरों को रियायती दरों पर उपजकर्ताओं को दिया जाता है। निजी जोतों में प्रमाणिकृत पौधशालाओं में क्वालिटी बीजांकुरों के उत्पादन को वित्तीय प्रोत्साहन/क्वालिटी की आवश्यकता वाला माल देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

2. छिड़काव करने वाले सिंचाई के उपकरणों और अन्य विशेषीकृतकृषि उपस्करों की किराया खरीद शर्तों पर सप्लाई करने की योजना।

3. उपजकर्ताओं को उत्पादन क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश का प्रदर्शन करने के लिए प्लाट खोलने की योजना।

4. आधुनिक क्योरिंग तकनीक अपनाने के लिए क्योरिंग सदनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की योजना ताकि इलायची का असली तोतई हरा रंग बना रहे।

5. इलायची उपजाने वाले क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन उद्योग को प्रोत्साहित करने की

योजना ताकि पराग सेचन का काम बेहतर ढंग से हो सके और उत्पादन क्षमता में वृद्धि हो सके।

6. रियायती दरों पर पौध संरक्षण उपस्करों के वितरण की योजना।

उपर्युक्त योजना के अलावा बोर्ड संस्थागत ऋण जुटाकर तथा उपदान की व्यवस्था करके छोटे उपजकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने की एक योजना बना रहा है जिससे इलायची का पुनर्रोपण हो सके और उसकी गहन खेती हो सके।

(ख) निर्यात

इलायची के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

1. इलायची सम्बन्धी बाजार सूचना एकत्र करने और भेजने तथा मध्य-पूर्व के बाजरों में बाजार संवर्धन कार्य करने के लिए बहरीन में इलायची बोर्ड का एक व्यापार संवर्धन कार्यालय स्थापित किया गया है।

2. निर्यात सवर्धन साहित्य का प्रकाशन।

3. भारत, श्रीलंका, तंजानिया और ग्वाटेमाला के इलायची उत्पादन करने वाले देशों का इलायची समुदाय बनाने के लिए प्रयास।

4. आई.टी.सी./एस.आई.डी.ए. और बाजार विकास सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत बाजार संवर्धन कार्य लागू किए जा रहे हैं।

5. मध्य-पूर्व में इलायची के लिए विक्री-सह अध्ययन प्रतिनिधिमण्डल।

6. दूरदर्शन फिल्मों का निर्माण करके मध्य-पूर्व में प्रचार अभियान के लिए परियोजनाएं।

II प्राकृतिक रबड़

रबड़ बोर्ड छठी योजना अवधि के दौरान रबड़ बागान विकास योजना नाम की एम मुख्य विकासात्मक योजना को कार्यान्वित कर रहा है ताकि रबड़ उपजकर्ताओं को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करके रबड़ की खेती के अन्तर्गत नए रोपण/पुनर्रोपण की दर को बढ़ाया जा सके। इनमें शामिल हैं—

1. 20 हैक्टार के स्वामित्व वाले छोटे उपजकर्ताओं को 5000/रु० प्रति हैक्टार की दर से तथा 20 हैक्टार से अधिक के स्वामित्व वाले बड़े उपजकर्ताओं को 3000/रू० प्रतिहै क्टार की दर से नकद उपदान।

2. प्रयोग की गई रोपण सामग्री की लागत की प्रतिपूर्ति, अपरिपक्वता अवधि के दौरान प्रयोग किए गए निर्धारित उर्वरकों की आधि लागत तथा किए गए भूमि संरक्षण कार्य के लिए 150/रु० प्रति हैक्टार तक उपादान देकर ऐसे उपजकर्ताओं के कमजोर वर्ग को सहायता जिनको ऐसे उपजकर्ताओं के रूप में अभिज्ञात किया गया हो जो रबड़ के 6 हैक्टार से अधिक के स्वामी न हो।

3. रबड़ बोर्ड से नकद सहायता की अनुपूर्ति के लिए ए.आर.डी.सी. की कृषि ऋण

योजना के अन्तर्गत प्रति हैक्टार 15000/रु० की अधिकतम सीमा तक दीर्घ कालीन ऋण बोर्ड द्वारा पुनर्रोपण करने वाले बडे उपजकर्ताओं (जिनके पास 20 हैक्टार से अधिक है) के सिवाय सभी श्रेणियों के उपजकर्ताओं को ऋणपर ब्याज में 3 प्रतिशत तक की इमदाद दी जाती है।

4. निशुल्क सलाह तथा विस्तारण सहायता।

III जायफल

पाँचवी योजना के दौरान, केरल कर्नाटक तथा तमिलनाडु में जयफल पौधों के उत्पादन तथा वितरण के लिए एक केंन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की गई। अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कृषकों के खेतों में 100 प्रदर्शन प्लाट तथा सहकारी फार्म में 5 हैक्टार का एक प्रोजिनी गार्डन स्थापित करके एक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजना के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है।

IV नारियल

एक अल्पावधि में उत्पादकता में भारी वृद्धि सुनिश्चिचत करने के लिए सिचाई खाद डालने तथा पौध संरक्षण के वैज्ञानिक प्रबन्ध के लिये कार्य क्रम बनाये गए हैं। न्योयोचित अल्पावधि के अन्दर पुनरोंपण तथा नबरोपण के लिये संकर रोपण सामग्री को उत्पादन के दीर्घावधि कार्यक्रम अपनाए गये हैं। निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित योजनाएं, जिन्हें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच समान रूप में वहन किया जाना है, छठी योजना अवधि के दौरान प्रारम्भ की गई है :—

1. नारियल संबंधी पैकेज कार्यक्रम।
2. टी. एक्स. टी संकर पौधों का उत्पादन तथा विवरण।
3. डी. एण्ड. टी. संकर किस्मों का उत्पादन।
4. रोगग्रस्त जोतों के नवीकरण।
5. केरल में पम्प सैटों का वितरण।

(घ) केरल के मुख्यमन्त्री के नेतृत्व में केरल के एक सर्वपार्टी प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन पेश किया जिसमें नारियल तेल, खोपरा, कोको बील्स, प्राकृतिक रबड़ तथा काली मिर्च के आयात के खिलाफ तथा साथ ही केरल में चाय उद्योग में संकट के बारे में अभ्यावेदन किया गया। उनके अभ्यावेदन पर विचार किया गया और उसके बाद करेल के राज्यपाल को ज्ञापन में उठाए गए विभिन्न मुद्दों से संबंधित स्थिति के बारे में सूचित किया गया।

आयकर छापा

2217. **श्री पीयुष तिरकी** : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 फरवरी, 1982 के 'इन्डियन एक्सप्रेस' में "रेडयोल्डस 10 लाख रुपीज" (छापे से 10 लाख रुपयों की प्राप्ती) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा दीजिए,

(ग) इन छापों से मार्च, 1981 से जनवरी, 982 की अवधि के दौरान कितनी धन राशि प्राप्त हुई है,

(घ) सूचना प्राप्त होने के बाद सरकारी अधिकारी छापा मारने में कितना समय लगाते हैं, और

(ङ) इस संबन्ध में कितने मामले लम्बित पड़े हुये हैं ?

वित मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर विभाग ने मेसर्स नागपाल इलैक्ट्रिकल कम्पनी, भागीरथ पैलेस नई दिल्ली के मामले में 30 जनवरी, 1982 को तलाशी ली है। तलाशी के दौरान, प्रथम दृष्टया, लगभग 4.39 लाख रुपये मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई थी। इसके अतिरिक्त, प्रथम दृष्टया, लगभग 5 लाख रुपये का लेखाबाह्य स्टाक भी पाया गया था। मामले की जांच की जा रही है।

(ग) 1 मार्च, 1981 से 31 जनवरी, 1982 तक की अवधि के दौरान, प्रथम दृष्टया, लगभग 28.6 करोड़ रुपये मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियाँ पकड़ी गई थीं जिनमें नकदी और अन्य मुल्यवान वस्तुएं शामिल हैं।

(घ) तलाशी में लगने वाला समय ऐसे प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

(ङ) तलाशियों का प्राधिकार चूंकि विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों द्वारा परम गोपनीय रूप से दिया जाता है। इसलिए यह सूचना प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं है।

गुजरात और सौराष्ट्र समुद्री तट पर तस्करी

2218. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वित मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर गुजरात और सौराष्ट्र समुद्री तट पर सक्रिय हैं,

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान गुजरात और सौराष्ट्र के समुद्री तट पर पकड़े गये तस्करी के सामान का ब्यौरा क्या है,

(ग) सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा रिपोर्टों में किये गये रहस्योद्घाटन का ब्यौरा क्या है, और

(घ) तस्करी रोकने के लिए कौन से रोकथाम के कदम उठाये गये हैं ?

वित मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ग) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार सौराष्ट्र के समुद्री तट सहित गुजरात का समुद्री तट तस्करी के लिए सुगम्य क्षेत्र है। गुजरात में सीमा शुल्क अधिकारियों ने हाल में ही इस क्षेत्र में सक्रिय तस्करों के कई बड़े गिरोहों की गति-विधियों का पता लगाया है।

(ङ) 1977 से 1981 की अवधि में सौराष्ट्र सहित गुजरात में सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा अभिगृहीत तस्करी के माल का मूल्य नीचे दिया गया है—

वर्ष	मूल्य
	(लाख रुपयों में)
1977	49.40
1978	89.28
1979	69.60
1980	145.44
1981	324 58

(घ) सौराष्ट्र सहित गुजरात के समुद्री तट के साथ-साथ तैनात सीमाशुल्क विभाग के निवारक और आसूचना तन्त्र को सुदृढ़ बनाया गया है। इस क्षेत्र में तस्करी के हर प्रयास को रोकने के लिये सीमा शुल्क अधिकारी समुद्र में /समुद्री तटों पर और सड़कों पर नियमित रूप से गश्त लगा रहे हैं।

विश्व बैंक के प्रेजीडेंट का दौरा

2219 **श्री एस. एम. कृष्ण :**

श्री हरिनाथ मिश्र : क्या **वित मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के प्रेजीडेंट श्री क्लौसन ने भारत की अपनी हाल की यात्रा के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त होने वाले रियायती ऋण की कमी पूरी करने का आश्वासन दिया है, और

(ख) यदि हां, तो इस सन्दर्भ में विश्व बैंक के प्रेजीडेंट से हुई बातचीत का वास्तविक निष्कर्ष क्या रहा ?

वित मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार के साथ बात-चीत के दौरान श्री क्लासन ने संकेत दिया है कि वर्ष 1981-82 (जुलाई, 1981 से जून 1982 तक) में रियायती सहायता में आई कमी यथासम्भव अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के अधिक ब्याजों से पूरी कर दी जायेगी।

गोवा में जलमाप चित्रण स्कूल का दर्जा बढ़ाना

2220. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोवा स्थित जलमाप चित्रण स्कूल का दर्जा बढ़ा कर उसे राष्ट्रीय केन्द्र बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) और (ख) गोवा स्थित जलसर्वेक्षण स्कूल जल सर्वेक्षण और रक्षा अमुद्रविज्ञान में प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय केन्द्र है। यह भारत के सभी समुद्रतटीय राज्यों के नौसेना और सिविलियन जलसर्वेक्षण संगठनों के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देता है। यह एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों से प्रायोजित उम्मीदवार को भी प्रशिक्षण देता है।

विश्व बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज मुक्त ऋण के आवटन में कटौती

2221. **श्री वी. वी. देशाई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत पर प्रति वर्ष 10 करोड़ डालर से अधिक के ब्याज के भुगतान का भार डाल दिया है और अब भारत को लगभग 80 करोड़ डालर के ऋण पर, जो कि उसे सामान्यतया ब्याज मुक्त मिलता, पर 13 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करना होगा;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में संघ सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करना भारत के लिए किस हद तक अलाभप्रद होगा ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत को विश्व बैंक समूह से अन्तर्राष्ट्रीय

पुनर्निर्माण और विकास बैंक ऋणों के रूप में जो सहायता प्राप्त होती है उस पर समय-समय पर भिन्न-भिन्न दरों पर ब्याज लगता है और इस समय इन ऋणों के ब्याज की दर 11.6 प्रतिशत है। इसके साथ-साथ भारत को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से भी ऋण प्राप्त होते हैं, जिनपर कोई ब्याज नहीं लगता बल्कि 0.5 प्रतिशत की दर से वचनबद्धता प्रभार और 0.75 प्रतिशत की दर से सेवा प्रभार लगता है। विश्व बैंक समूह के उधारों/ऋणों पर ब्याज के रूप में वर्ष 1979-80 में 6.3241 करोड़ डालर (5 .79 करोड़ रुपए) और वर्ष 1980-81 में 7,1232 करोड़ डालर (59.19 करोड़ रुपए) की अदायगियाँ की गईं थीं।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के छठे पुनर्भरण (रिप्लेनिशमेंट) की दूसरी किस्त के लिए मुख्य दाता देशों के अन्शदान में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप संघ को अपने राजकोषीय वर्ष 1982 के लिए ऋणों के वचनों के प्राधिकार में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। परिणामत: इस वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से भारत को उपलब्ध होने वाले वचनों में कटौती होने की संभावना है। लेकिन बैंक ने इस कटौती के परिणामस्वरूप देशों को किए जाने वाले निर्धारणों की सूचना आधिकारिक रूप से नहीं दी है। हमें ऐसे संकेत मिले हैं कि बैंक समूह अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋणों में होने वाली कटौती को, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के ऋणों में वृद्धि करके, यथासंभव पूरी करेगी, हालांकि किसी राशि विशेष का उल्लेख नहीं किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक से मिलने वाले इन अतिरिक्त ऋणों पर समान्य दर ब्याज लगेगा।

(ख) सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से भारत को मिलने वाली सहायता में कटौती के स्तर को न्यूनतम बनाने के लिए अभी कदम उठा रही है।

(ग) यद्यपि विश्व बैंक समूह से भारत को मिलने वाली इस मिली-जुली सहायता का हमारी ऋण परिशोधन की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा लेकिन यह प्रभाव कितना होगा, इस समय इसके बारे में बताना सम्भव नहीं है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को ऋण

2222. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान उड़ीसा में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किसानों को कितनी राशि का कृषक ऋण दिया गया;

(ख) क्या किसानों को प्रति वर्ष ऋण की वास्तविक आवश्यकता और उन्हें प्राप्त होने वाली राशि के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) क्या इन ऋणों को मिलने से किसानों की स्थिति में सुधार हुआ है; और

(घ) इस सम्बन्ध में गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में पिछले तीन वर्षों की स्थिति (हाल की उपलब्ध सूचना) के अनुसार ऋणकर्ताओं की कुल संख्या और बकाया कृषि अग्रिमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	मार्च, 1978	मार्च, 1979	मार्च, 1980
खातों की संख्या (हजार में)	174	227	253
बकाया रकम (करोड़ रुपए)	21.34	36 1	40.76

लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या तथा कृषि को दिये जाने वाले अग्रिमों में निरन्तर वृद्धि होती रही है। लीड बैंक, लीड जिलों के विकास के लिए जो ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के उनके मूल्यांकन के आधार पर उन्हें आवंटित किये जाते हैं, किसी जिले विशेष में कारबार की सम्भावनाओं और संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऋण विषयक आयोजनाएं तैयार करते हैं। इस समय कार्यान्वित की जा रही ऋण सम्बन्धी आयोजनाएं 1980,1981 और 1982 के तीन वर्ष की अवधि के लिए हैं। उड़ीसा राज्य के सभी जिलों के सम्बन्ध में कृषि तथा सम्बन्धित कार्यकलापों के लिए वर्ष 1980 में 27.87 करोड़ रुपए तक और वर्ष 1981 में 41.85 करोड़ रुपए तक के भुगतान के लिए ऋण-परिव्यय की परिकल्पना की गई थी। वर्ष 1980 में 33.97 करोड़-रुपए तथा पिछले वर्ष सितम्बर, 1981 तक 27.31 करोड़ रुपए के भुगतान किये गये थे।

चीनी के प्रशुल्क मूल्य के बारे में नीति

2223. **श्री अर्जुन सेठी :**

श्री के. मलन्ना : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने हाल ही में अपनी नीति की पुनरीक्षा की है और खुली बिक्री की चीनी के लिए प्रशुल्क मूल्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान प्रशुल्क में कोई वृद्धि की गई है और यदि हां, तो कहां तक ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) खुली बिक्री वाली चीनी के टैरिफ मूल्य का पुनरीक्षण हर महीने किया जाता है।

(ख) फरवरी, 1982 में नियत टैरिफ मूल्य 485 रुपये था। मासिक पुनरीक्षण किए जाने पर मार्च 1982 के लिए टैरिफ मुल्य 490 रुपये नियत किया गया है। इस प्रकार 5 रुपये की वृद्धि हुई है।

चीनी का निर्यात

2224. **श्री वी. वी. देसाई :**

श्री सत्यनाराण जटिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 40,000 टन चीनी, जिसके निर्यात का सौदा गत नवम्बर में हुआ था, विदेशों को भेजी है;

(ख) क्या चीनी की समस्त मात्रा, जैसेकि सौदे में तय किया गया था, दिसम्बर के अन्त तक भेज दी थी;

(ग) क्या चालू वर्ष में चीनी के निर्यात की मात्रा के बारे में संघ सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है;

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से निर्णय कब तक ले लिए जाने की सम्भावना है; और

(ङ) अब तक संघ सरकार के पास कुल कितनी अतिरिक्त चीनी उपलब्ध है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) राज्य व्यापार निगम ने क्रेता के विकल्प पर +5 प्रतिशत पर 40,000 मे० टन के लिए नवम्बर, 1981 में की गई निर्यात संविदा के आधार पर दिसम्बर, 1981 के दौरान 38000 मे० टन का निर्यात किया है।

(ग) तथा (घ) इस चीनी वर्ष में निर्यात की जाने वाली चीनी की मात्रा पर विचार हो रहा है। शीघ्र निर्णय ले लिए जाने की संभावना है।

(ङ) चीनी वर्ष 1981-82 में 67-68 लाख मे० टन चीनी के उत्पादन होने का अनुमान है तथा निर्यात-योग्य देशी चीनी उपलब्ध हो जाएगी।

बहुराष्ट्रीय औषध कंपनियों का कारोबार बन्द किया जाना

2225. **श्री नवल किशोर शर्मा :**

श्री के. राममूर्ति : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में कार्यरत कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपना कारोबार बन्द करने के लिए कहा गया है क्योंकि वे अपनी विदेशी इक्विटी को विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कम करने में असफल रही है अथवा उन्होंने इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन विदेशी औषधि कंपनी के क्या नाम हैं; और

(ग) उन्हें भारत में अपना कारोबार बन्द करने के लिए कितना समय दिया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी नहीं। माननीय सदस्यों का ध्यान दिनांक 26 फरवरी, 1982 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1153 के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

पांच तारा होटल में चोरी

2226. **राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 जनवरी, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "10,000 डालर थैफ्ट एट फाईव स्टार होटल" पाँच तारा होटल में 10,000 डालर की चोरी शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और तत्संबन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) संबंधित होटल के प्रबन्धकों के अनुसार दो सम्बद्ध विदेशी अतिथि 13-1-82 को इस होटल में प्रविष्ट हुए और रात्रि के 10.30 बजे भोजन के लिए चले गए। कमरे में वापिस आकर उनमें से एक अतिथि ने वार्डरोब में अपनी जैकेट रख दी जिसमें 7000 नकद डालर थे और दूसरे अतिथि ने नकद 3000 डालर और कुछ ट्रेवलर्ज चैक अपने क्लोज्ड कंनीनेशन लाक ब्रीफ-केस में रख दिए। अगले दिन, कथित रूप में, कमरे में अपनी धनराशि छोड़कर दोनों अतिथि ब्रेकफास्ट के लिए काफीशाप तक गए। वापस आने पर उन्होंने पाया कि उनके कमरे में रखी जैकेट और ब्रीफकेस में से करैन्सी नोट्स गायब थे। उन्होंने लानी मैनेजर से मामले की रिपोर्ट की। होटल नियमों के अनुसार आगे होटल प्रबन्धकों द्वारा कमरे की जांच की गई। जब करैन्सी नोट्स नहीं मिले तो कर्मचारियों से पूछताछ की गई और उनके लाकर्ज की तलाशी ली गई। जब कुछ नहीं मिला तो पुलिस को मामले की रिपोर्ट की गई जिन्होंने कुछ होटल कर्मचारियों से पूछताछ की लेकिन करैन्सी नोट्स का पता नहीं लगाया जा सका। ब्रीफ-केस में नगदी के साथ एक ट्रेवलर्ज चैक सुरक्षित पाए गए।

यह पता चला था कि जैसा अपेक्षित है, दोनों विदेशी यात्रियों ने कस्टम प्राधिकारियों से, भारत में प्रवेश करते समय अपने साथ लाई गई, विदेशी करैन्सी घोषित नहीं की थी और न ही उनके पासपोर्टों में इस आशय का कोई एन्डोर्समेंट पाया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा उद्योगों का वित्त पोषण

2227. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत में तथा तीसरे विश्व के देशों में स्थापित दर्जे के उद्योगों का वित्त पोषण कर रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने देश में अब तक लगाये गये कुल कितने मध्यम दर्जे में उद्योगों का वित्त पोषण किया है;

(ग) इन उद्योगों का ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के उद्योग किन-किन स्थानों पर लगाये गये हैं;

(घ) इनमें से प्रत्येक उद्योग की अनुमानित लागत क्या है;

(ङ) उनमें से कितनों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (डब्ल्यू) जो विश्व बैंक से संबद्ध एक संस्था है संयुक्त/निजी क्षेत्र के उद्यमों की सामान्य पूंजी में निवेश और उन्हें ऋण देने की व्यवस्था करता है।

(ख) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

क्रम सं.	राजकोषीय वर्ष	उद्योगों का विवरण	कारबार की किस्म	परियोजना की अनुमित लागत (लाख डालर)	रकम लाखों में शेयर पूंजी	ऋण	परियोजना जोड़	पूरी होने की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	1959	रिपब्लिक फोर्ज कं लि.	स्टील फोर्जिंग	—	—	1050	1050	इन ऋणों का प्रभावी होने से पहले ऋणकर्ताओं द्वारा रद्द कर दिया गया था।	
2.	1059	किर्लास्कर आयल इंजन	डीजल	—	—	90	90	उपलब्ध	पूर्णतः चुकता
3.	1960	असम सिलिमेनाइट लि.	रिफ्रेक्ट्रीय ब्रिक्स	उपलब्ध नहीं	—	14	14	नहीं	,, ,,
4.	1961	के. एस. बी. पम्पस लि. पुणे इण्डिया	पम्पस	,,	—	20	2	,,	,, ,,
5.	1963	प्रेसिजन बियरिंग्स इण्डिया लि.	बियरिंग्स	47	47	60	10	,,	,, ,,
	1966	बड़ौदा							
6.	1964	फोर्ट ग्लोस्टर इंडस्ट्रीज	पारेषण तारें	उपलब्ध नहीं	41	8	12	,,	,, ,,
7.	1964 1975 1978	महेन्द्रा यूजीन स्टील कं. लि. बम्बई	इस्पात उत्पाद	,, 403.1	13	118	131	दिसम्बर, 1979	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	1964	लक्ष्मी मशीन वर्क्स लि. कोयम्बतूर	वस्त्र	उपलब्ध नहीं	3	10	13	1968	
9.	1967	जयत्री कैमिकल्स लि. गंजम (उड़ीसा)	कैमिकल्स	,,	1	11	12	उपलब्ध नहीं	पूर्णत: चुकता
10.	1967	इण्डियन एक्सप्लेसिव्स लि., कानपुर	उर्वरक	,,	29	86	115	1971	
11.	1969 1970	जूअरी एग्रो कैमिकल्स लि. जूअरी नगर गोआ	उर्वरक	,,	38	151	189	1974	
12.	1976	एस्कार्टस लि., वंगलौर	इंजन पार्टस	191.4	—	66	66	दिसम्बर, 1980	
13.	1978	आवास विकास वित्त निगम, बम्बई	आवास वित्त	उपलब्ध नहीं	12	40	52	मई, 1981	
14.	1980	दीपक फर्टिलाइजर्स एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि., बम्बई	रसायन	512	11	75	86	जुलाई, 1982	
15.	1981	टाटा आयरन एण्ड स्टील कं. लि., जमशेदपुर (बिहार)	इस्पात	2630	—	380	380	मार्च, 1983	
16.	1981	महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा लि., इरगातपुर (महाराष्ट्र)	मोटर गाड़ियां और सहायक पर्जे	1329	—	150	150	अक्टूबर, 1984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	1981	नागार्जुन स्टील लि., हैदराबाद	लोहा और इस्पात	95	3	29	32	जून, 1983	
18.	1981	नागार्जुन सिगनोड लि., हैदराबाद	लोहा और इस्पात	87.3	—	24	24	सितम्बर, 1983	
19.	1981	नागार्जुन कोटेड ट्यूब लि., हैदराबाद	लोहा और इस्पात	89	3	15	18	सितम्बर, 1983	
20.	1981	कारमंडल फर्टिलाइजर्स लि., कुड्डापा (आ. प्र.)	सीमेंट और निर्माण सामग्री	987.5	—	159	159	फरवरी, 1983	
21.	1982	अशोक लेलैंड लि., इन्नौर एण्ड होसूर (तमिलनाडु) भण्डारा (महाराष्ट्र) अलवर (राजस्थान)	मोटर गाड़ियाँ	4340	—	280	280	1987	
22.	1982	बम्बई ड.इंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि., बम्बई	डी. एम. टी. परियोजना	757	—	188	188	जून, 1984	
			जोड़ :	121	1836	1957			

लद्दाख में तस्करी

2228. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लद्दाख में तस्करी बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अधिकांशत: विदेशी पर्यटकों के माध्यम से यूरोपीय बाजार से आने वाले विदेशी सामान और अफीम की तस्करी रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक उद्योगों में परियोजना प्रबन्ध की राष्ट्रीय कार्यशाला

2229. **श्री सूरजभान** :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 19, 20, और 21 नवम्बर, 1981 को सार्वजनिक उद्यमों में परियोजना प्रबन्ध को राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी;

(ख) परियोजना प्रबन्ध में सुधार के लिए क्या सिफारिशें की गई थी;

(ग) इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं और कौन-कौन सी परियोजनाएं उन्हें अपना रही हैं; और

(घ) जिन परियोजनाओं ने उन्हें अपनाया है उन्हें क्या अनुदेश जारी किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाईसिंह सिसोदिया) : (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशों की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई देखिए संख्या एल. टी. 3487/82]**

(ग) और (ग) इन सिफारिशों के अन्तर्गत सभी परियोजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन की अवस्थाएं शामिल हैं। ये सिफारिशें लागू करने सम्बन्धी समुचित आवश्यक कार्यवाही करने के लिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को सूचित की गई हैं।

राज्यों द्वारा ओवर ड्राफ्ट

2230. **प्रो. नारायण चन्द पराशर** :

डा. कृपा सिंधु भोई : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारयीय रिजर्व बैंक से ओवर ड्राफ्ट लेने के लिए भारत संघ के प्रत्येक राज्य के लिए 1 जनवरी, 1982 को क्या सीमायें-मार्गोपाय स्वीकृत थे;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान किन राज्यों ने इस सीमा से अधिक का ओवर ड्राफ्ट लिया और प्रत्येक राज्य ने प्रतिवर्ष कितना ओवर ड्राफ्ट लिया; और

(ग) इस प्रवृत्ति को निरुत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 1 जनवरी, 1982 की स्थिति के अनुसार राज्य

सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर किये गये सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों की सीमाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र I सभा पटल पर रखा जाता है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से किसी राज्य सरकार द्वारा अर्थोपाय अग्रिमों की प्राधिकृत सीमाओं से अधिक ऋण लेना ओवर ड्राफ्ट कहलाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा लिए गये अधिकतम ओवर ड्राफ्टों को दर्शाने वाला विवरण पत्र-II सभा पटल पर रखा जाता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार उन राज्यों के साथ लगातार बातचीत करती रही है जिन्होंने बजटों में संरचनात्मक असन्तुलनों की स्थिति को ठीक करने के लिए ओवर ड्राफ्ट ले रखे हैं। प्रधान मन्त्री ने अक्तूबर, 1980 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सलाह देते हुए लिखा था कि संसाधनों की निश्चित उपलब्धता के आधार पर व्यय के कड़ाई से विनिमित किया जाए और ओवर ड्राफ्टों से बचा जाये उन राज्य सरकारों के साथ, जिनका घाटा बहुत अधिक समझा गया, 1981-82 के दौरान वित्त मंत्रालय में विचार विमर्श हुआ। योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने भी ऐसी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों के साथ, जिनसे वर्ष 1981-82 की समाप्ति पर घाटे की सम्भावना थी, बैठकें कीं। इन विचार विमर्शों का उद्देश्य राज्य सरकारों से इस आवश्यकता के लिए आग्रह करना था कि वे घाटे तथा उसके परिणाम स्वरूप होने वाले ओवर ड्राफ्टों से बचें और विकासात्मक आयोजनाओं को गंभीर खतरे में डाले बिना धीरे-धीरे घाटे को समाप्त करने के लिए स्वीकार्य हल निकालें।

विवरण I

राज्य सरकारों को सामान्य और विशेष अर्थोपाय अग्रिमों के लिए सीमाएं

(1-10-1978 से लागू)

(लाखों रुपये)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सामान्य (स्पष्ट) अर्थोपाय अग्रिमों के लिए सीमाएं	विशेष (सुरक्षित) अर्थोपाय अग्रिमों के लिए सीमाएं
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	20.00	10.00
2.	असम	8.00	4.00
3.	बिहार	14.00	7.00
4.	गुजरात	14.00	7.00
5.	हरियाणा	6.00	3.00
6.	हिमाचल प्रदेश	4.00	2.00
7.	कर्नाटक	16.00	8.00
8.	केरल	12.00	6.00
9.	मध्य प्रदेश	16.00	8.00

1	2	3	4
10.	महाराष्ट्र	30.00	15.00
11.	मणिपुर	2.00	1.00
12.	मेघालय	2.00	1.00
13.	नागालैंड	2.00	1.00
14.	उड़ीसा	12.00	6.00
15.	पंजाब	12.00	6.00
16.	राजस्थान	12.00	6.00
17.	तमिलनाडु	22.00	11.00
18.	त्रिपुरा	2.00	1.00
19.	उत्तर प्रदेय	34.00	17.00
20.	पश्चिम बंगाल	20.00	10.00
	जोड़	260.00	130.00

विवरण II

राज्य सरकारों द्वारा ली गई ओवर ड्राफ्ट की अधिकतम राशि

(करोड़ रुपये)

राज्य	1978 राशि	1979 तारीख	1979 राशि	1980 तारीख	1980 राशि	1981 तारीख
1	2	3	4	5	6	7
1. आन्ध्र प्रदेश	0.03	17-3-79	—	—	7.69	16-3-81
2. असम	—	—	—	—	25.13	21-3-81
3. बिहार	88.72	27-6-78	—	—	—	—
4. गुजरात	8.56	13-4-78	—	—	1.56	2-3-81
5. हरियाणा	28.57	1-6-78	5.91	8-6-79	21.50	26-3-81
6. कर्नाटक	27.19	28-1-78	9.88	14-3-80	35.33	21-4-80
7. केरल	—	—	—	—	2.82	16-3-81
8. मध्य प्रदेश	71.04	15-4-78	—	—	58.06	25-3-81
9. महाराष्ट्र	9.57	13-1-79	31.57	30-10-79	42.87	28-10-80
10. मणिपुर	1.41	27-6-78	2.29	28-3-80	14.56	17-6-80
11. नागालैंड	5.67	26-3-79	2.27	7-4-79	8.26	22-5-80
12. उड़ीसा	5.87	7-3-79	—	—	—	—
13. पंजाब	80.70	20-6-78	—	—	51.69	24-5-81

1	2	3	4	5	6	7
14. राजस्थान	21.47	26-6-78	41.20	18-3-80	151-66	24-3-81
15. तमिलनाडु	2.24	30-3-79	3.25	11-4-79	—	—
16. त्रिपुरा	—	—	—	—	4.80	21-3-81
17. उत्तर प्रदेश	182.34	13-4-78	—	—	0.52	4-3-81
18. पश्चिम बंगाल	133.89	14-4-78	126.18	2-10-79	151.65*	21-3 81

* भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सैद्धान्तिक आधार पर तैयार किये अनुसार ।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का अपवंचन

2231. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **वित्त मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 10 हजार रुपये से अधिक की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के कितने मामले पकड़े गये और कुल कितनी राशि की चोरी की गई; और

(ख) अब तक कितनी राशि वसूल की गई है और कितने व्यक्तियों के विरूद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की चोरी के लिये कार्यवाही की गई और उसका क्या परिणाम रहा ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) और (ख) क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सदन पटल पर रखा दी जायेगी ।

राजस्थान में फालना में हवाई पट्टी

2232. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान ने पाली जिले में फालना में एक हवाई पट्टी के निर्माण की योजना बनाई गई थी और यदि हां, तो यह कब बनाई गई थी; और

(ख) क्या यह सच है कि कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और गुजरात में बसे राजस्थान के कई निवासियों ने फालना में हवाई पट्टी के निर्माण की माँग की है और यदि हां, तो इसकी आवश्यकता को देखते हुये सरकार का विचार उसे कब तक बनाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सरकार को ऐसी मांग की जानकारी नहीं है ।

'आई. ए. कम्प्यूटरर्स में नाट बी रेडी बाई एशियाड शीर्षक समाचार

2234. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 3 जनवरी, 1982 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "आई. ए. कम्प्यूटर्स में नाट बी रेडी बाई एशियाड" (एयर इण्डिया के कम्प्यूटर्स एशियाई खेलों के शूरू होने तक कार्य के लिये तैयार नहीं हो सकेंगे) शीर्षक समाचार को देखा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) इण्डियन एयर लाइन्स की भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, आरम्भ में एयर इंडिया के पास उपलब्ध कम्प्यूटर की क्षमता में ही वृद्धि करने का प्रस्ताव था। बाद में तकनीकी कारणों की वजह से प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया। इण्डियन एयर लाइन्स तथा एयर इण्डिया दोनों के लिए एक समेकित कम्प्यूटर प्रणाली के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है।

पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा बैंक की स्थापना

2235. **श्री चित्त बसु** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पश्चिमी बंगाल सरकार का अपना बैंक खोलने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके अस्वीकार कर दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कलकत्ता हवाई अड्डे से हवाई निर्यात में वृद्धि

2236. **श्री चित्त बसु** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवाई निर्यात के सामान में बढ़ोत्तरी करने के उद्देश्य से कलकत्ता हवाई अड्डे के विकास का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता पर एयर कार्गो काम्प्लेक्स के निर्यात जाँच क्षेत्र को लगभग दुगुना करने का प्रस्ताव है जिससे और भी बड़ी संख्या में निर्यात-प्रेषणों की जांच के लिए और अधिक स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

(ग) योजना तैयार की जा रही है तथा निर्माण कार्य अग्रता के आधार पर आरम्भ किया जायेगा।

सामान्य बीमा निगम में अधिकारियों की पदोन्नति

2237. **श्री सोमजी भाई डामोर** :

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सामान्य बीमा निगम में सामान्य तथा आरक्षित श्रेणियों के कितने अधिकारियों/कर्मचारियों की 1 जनवरी, 1981 को पदोन्नति की गई, उनका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) भारतीय सामान्य बीमा निगम ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति करते समय 10 प्रतिशत अंकों के अलावा उनको दी गई अन्य रियायतों का ब्योरा क्या है;

(ग) सामान्य बीमा उद्योग में कार्य कर रहे एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन से, जो मजदूर संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के हितों की देखरेख कर रहा हैं, उचित ढंग से परामर्श क्यों नहीं लिया जाता और भारतीय सामान्य बीमा निगम तथा उसकी सहायक कम्पनियों द्वारा उसकी सुनवाई क्यों नहीं की जाती; और

(घ) भारतीय सामान्य बीमा निगम के प्रबन्धक उपरोक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन को वे रियायतें क्यों नहीं देते हैं जो वे कार्यालय आवास, गाड़ी किराया और सम्मेलन आदि में भाग लेने जाने हेतु विशेष अवकाश के मामले में गैर मान्यता प्राप्त कुछ अन्य यूनियनों/एसोसिएशनों को देते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1980 के अन्त में साधारण बीमा उद्योग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या 2722 थी। इन कर्मचारियों की कुल संख्या और 1980 के दौरान पोदन्नति प्राप्त कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

श्रेणी	अनुसूचि जाति/अनुसूचित जन जाति के कुल कर्मचारी	वर्ष 1980 के दौरान पदोन्नत कर्मचारी
पहली श्रेणी	136	2
दूसरी श्रेणी	34	.
तीसरी श्रेणी	1794	५
चौथी श्रेणी	758	8
जोड़ :	2722	20

(ख) साधारण बीमा निगम ने पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को निम्नलिखित रियायतें प्रदान की हैं :—

(i) तीसरी और चौथी श्रेणी के लिए पदोन्नति नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति के सम्बन्ध में क्रमश: 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत खाली स्थानों का आरक्षण किया गया है .

(ii) विभागीय उम्मीदवारों के लिए लिखित प्रतियोगी परीक्षाओं और पदोन्नति परीक्षाओं में पास होने का प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए 10 बिन्दु घटा दिया गया है .

(iii) दूसरी श्रेणी की पदोन्नति नीति के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है।

(iv) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों को व्यावसायिक अर्हताएं प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने के वास्ते डाक द्वारा शिक्षण की फीस की, जिसमें फैडरेशन आफ इन्श्योरेन्स इन्स्टिट्यूट, बम्बई द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के पाठ्यक्रमों की लागत (प्रथम प्रयास तक सीमित) भी शामिल है, प्रतिपूर्ति की जाती है।

(ग) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के कर्मचारियों के विभिन्न संघों की जिनमें मजदूर संघ अधिनियम, 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत संघ भी शामिल है, बात पर जब कभी वे प्रबंधकों के साथ पत्र-व्यवहार करते हैं ध्यान दिया जाता है।

(घ) इस समय किसी यूनियन को मान्यता नहीं दी गई है और इसलिए साधारण बीमा निगम द्वारा उनको मजदूर संघ संबंधी सुविधाएं दिए जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर भी, कुछ यूनियनों/ऐसोसियशनों को भूतपूर्व प्रबंधकों द्वारा कुछ सुविधाएं दी गई थीं और बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद वे सुविधाएं वापस नहीं ली गई हैं।

जीवन बीमा निगम द्वारा बड़े व्यावसायिक गृहों को दिये गये ऋण

2233. **श्री रामविलास पासवान :**

श्री राजेश कुमारसिंह : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के बड़े व्यापार गृह भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण लेते रहे हैं;

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश के प्रत्येक बड़े व्यापार गृह को कितना धन दिया गया;

(ग) उन पर ब्याज की दर क्या है; और

(घ) क्या सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली गई थी; और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) एक विवरण संलग्न है.

(ग) जीवन बीमा निगम सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से तथा अपने साधनों से गैर-सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को दीर्घावधिक आधार पर ऋण दे रहा है। जो ऋण अन्य वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से दिए जाते हैं उन पर आजकल ब्याज की दर 14 प्रतिशत है। जो ऋण जीवन बीमा निगम द्वारा अपने साधनों में से दिए जाते हैं उन पर ब्याज की दर 16 प्रतिशत है। जो ऋण जीवन बीमा निगम द्वारा अल्पावधि आधार पर दिए जाते हैं उन पर आजकल ब्याज की दर 17 प्रतिशत है।

(घ) जिन मामलों में जीवन बीमा निगम द्वारा सरकारी क्षेक्ष की अन्य वित्तीय संस्थाओं को छोड़कर अन्य संस्थाओं के सहयोग से गैर सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश किया जाता है और जब किसी एकल उपक्रम में किए गए निवेश की राशि 50 लाख रुपये से अधिक है और इससे आय और परिसम्पत्तियों के संबंध में वैधानिक मानदण्डों की तुष्टि न होती हो तो ऐसी स्थिति में सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

विवरण

विवरण जिसमें व्यावसायिक घरानों की कम्पनियों/उपक्रमों को वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा किए गए ऋणों के ब्यौरे दिखाए गए है।

(करोड़ रुपए)

व्यवसाय समूह (एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रणाली)	अप्रैल-मार्च के दौरान		
	1978-79	1979-80	1980-81
क. बड़े समूह			
1. ए. सी. सी.	—	—	0 50
2. एसस्बेटोस सीमेंट	—	—	0.50
3. बाँगूर	—	0.85	0.15
4. बजाज	—	—	0.59
5. बिड़ला	—	—	7.65
6. ब्रुक बाण्ड	—	0.55	—
7. चोगुले	—	0.25	0.08
8. डनलप	—	—	0.50
9. एस्काट्र्स	—	0.50	0.10
10. गरवारे	—	0.50	0.20
11. जी. के. डब्ल्यू	—	0.40	—
12. घिया	—	—	0.50
13. गोयनका	—	—	1.75
14. गोल्डन टौबैको	—	—	0.45
15. आई. सी. आई.	1.00	—	0.50
16. आई. टी. सी.	2.05	0.15	—
17. जे. के. सिंधानिया	—	1.25	2.40
18. कमानी	0.25	—	—
19. कस्तूरभाई लालभाई	—	0 25	0.30
20. विलाचन्द तुलसीदास	0.80	0.55	1.65
21. खटाऊ	—	0.50	—
22. किर्लोस्कर	—	1.25	0.50
23. कोठारी	—	0.25	—
24. लार्सन एंड टूयब्को	—	—	0.80
25. मैकनील एण्ड मैगोर	—	—	0.50
26. मद्रास सीमेंट	0.50	—	—
27. मदुरा कोटस	—	0.50	—
28. मफतलाल	—	1.50	1.50

1	2	3	4
29. महिन्दरा एण्ड महिन्दरा	—	1.20	1.00
30. मैटल बाक्स	—	—	1.72
31. मोदी	—	—	0.50
32. मुरुगप्पा चैट्टियार	—	—	0.50
33. ग्रायल इण्डिया	0.35	0.20	0.16
34. पैरी	—	—	0.50
35. रैलीस	—	—	1.00
36. रौनक सिंगला	—	0.26	—
37. रिलायान्स टैक्सटाइलस	—	0.40	0.15
38. साहनी	—	0.45	0.05
39. साराभाई	—	—	0.50
40. श्री ग्रम्बिका (हरीवल्लभदास)	—	0.35	0.15
41. श्रीराम	—	0.60	0.30
42. सूरजमल नागरमल	—	0.25	—
43. स्वीडिश मैच	—	—	0.50
44. टाटा	—	0.25	9.55
45. थैकरसै	—	—	0.25
46. थापर	—	1.93	3.40
37. यूनियन कार्बाइटस	—	0.54	—
48. यूनाइटेड ब्रूअरी	—	—	0.30
कुल बड़े समूहों में कुल ऋण	4.00	15.68	41.65
20 करोड़ रुपए या उससे ग्रधिक प्ररि-सम्पत्ति वाले एकल बड़े उपक्रम	—	1.20	6.97
मुख्य उपक्रम	0.60	0.99	1.80
	4.60	17.87	50.42

निर्यात के लिये ग्रप्रत्यक्ष कर छूट व्यवस्था संबन्धी सेमिनार

2239. **डा. कृपा सिंधु भोई** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में निर्यात के लिये ग्रप्रत्यक्ष कर छूट व्यवस्था सम्बन्धी सेमिनार ग्रायोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सुझाव दिये गये ग्रौर उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; ग्रौर

(ग) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जी, हां । भारतीय

विदेश-व्यापार संस्थान ने निर्यात के लिए अप्रत्यक्ष कर छूट व्यवस्था से संबन्धित राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया था।

(ख) सरकार के संस्थान से संगोष्ठी में दिये गये सुझाव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

कम्पनियों द्वारा निर्यात दायित्वों का पूरा न किया जाना

2240. **डा. कृपा सिंधु भोई :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी कम्पनियाँ गत तीन वर्षों के दौरान अपनी निर्यात दायित्वों को पूरा नहीं कर सकी है;

(ख) ऐसे निर्यात दायित्व पूरे न किए जाने के कारण भारत को कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई;

(ग) सरकार ने उन कम्पनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की है जो निर्यात दायित्व पूरा नहीं कर सकी है; और

(घ) कम्पनियों द्वारा निर्यात दायित्व पूरे कराये जाने के लिए भविष्य में सरकार का क्या रक्षोपाय करने का विचार है।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(घ) कानूनी करार या निर्यात बंध पत्र प्राप्त करके, जिनके साथ बैंक की गारंटियाँ भी हों, निर्यात दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और आयात नियन्त्रण विनियमों के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के खिलाफ दंड सम्बन्धी कार्यवाई करने के लिए पहले ही उपबन्ध विद्यमान हैं।

एयरइंडिया में लोडरों/हैंडलमैनों कैबिनेट क्लीनरों के पदों पर भर्ती

2241. **श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एयर इण्डिया में काम करने वाले नैमित्तक श्रमिकों में से एयर इण्डिया ने लोडरों/हैंडीमैनों/कैबिनेट कलीनरों के पदों पर भर्ती के लिये 1973 में एक पेनल बनाया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त पदों के लिये पृथक-पृथक पैनल बनाये गये थे या तीनों श्रेणियों के पदों के लिये एक ही पैनल बनाया गया था;

(ग) पैनल में कितने व्यक्ति थे (या पैनलों में, यदि भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिये पृथक सूचियां तैयार की गई हों) इन पैनलों की वैधता की अवधि क्या थी; और

(घ) उपरोक्त पैनल/पैनलों में से अब तक या पैनलों की वैधता तक कितने व्यक्ति भर्ती किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) लोडरों, हैंडीमैनों तथा कैबिन क्लीनरों को भर्ती के लिये पेनल को काम कर रहे अनियत कर्मचारियों में से तथा

कर्मचारियों के उन लड़कों से, जो आवश्यक शर्त पूरी करते थे, 1973 में आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात तैयार किया गया था।

(ख) और (ग) केवल एक ही पेनल तैयार किया गया था जिसमें उम्मीदवारों की सूची निम्न प्रकार तैयार की गयी थी :

लोडर	हैंडीमैन	केबिन क्लीनर

पैनल में 37 लोडर, 49 हैंडीमैन तथा 29 केबिन क्लीनर थे, यह पैनल एक वर्ष की अवधि के लिए वैध था।

(घ) 28 जून 1974 अर्थात् इस पेनल की प्रवधि समाप्त होने तक इस पेनल में से 17 लोडर, 26 हैंडीमैन तथा 25 केबिन क्लीनर भर्ती कर लिये गये थे।

राज्य व्यापार निगम द्वारा कांडला पत्तन पर खाद्य तेलों के भण्डारण के लिये ठेका

2242. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :** क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन पर खाद्य तेलों के भण्डारण के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा प्राइवेट पार्टियों को 1977 के बाद टेंडर माँगे बिना ही ठेका दे दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य व्यापार निगम ने उन कुछ पार्टियों की कम दर की पेशकश को अस्वीकार कर दिया जो अपने आप आई थी; और

(ग) खाद्य तेलों के लिये पत्तन न्यास पर किराया और ढुलाई प्रभार के लिये राज्य व्यापार निगम कितनी धनराशि अदा कर रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) राज्य व्यापार निगम सामाचर पत्रों में विज्ञापनों के जरिये दीर्घकालिक आधार पर कांडला में भण्डारण टैंक किराये पर लेता रहा है। तथापि, इसने अल्पकालिक आधार पर तत्काल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वार्ताओं द्वारा भंडारण टैंक भी किराये पर लिये हैं। कांडला में राज्य व्यापार निगम द्वारा इस समय किराये पर ली हुई कुल भंडारण क्षमता लगभग 1.30 लाख मे. टन है जिसमें से दीर्घकालिक संविदायें 72,000 मे. टन से अधिक की हैं।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने अपने विज्ञापनों के आधार पर प्राप्त किसी ऐसी पेशकश को अस्वीकृत नहीं किया है, जो निम्नतम थी व निगम द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप थी।

(ग) इस समय राज्य व्यापार निगम द्वारा कांडला में भंडारण किराये तथा ढुलाई प्रभारों के लिये संदत्त मासिक प्रभार लगभग 23 लाख रुपये बैठते हैं।

वायुदूत के लिए विमानों पर व्यय

2243. **श्री हरीशचन्द्र सिंह रावत :** क्या **पर्यटन और नागर विमान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी स्तर की विमान सेवा "वायुदूत" के लिये कितने विमान खरीदे जा रहे हैं और उन पर कितना व्यय किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) इन विमानों की खरीद के बाद कितने स्थानों को नागर विमानन सेवा से जोड़ा जायेगा और ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) वायुदूत के लिये खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या तथा उन पर होने वाला खर्च सरकार द्वारा इस उद्देश्य से गठित की गई समिति द्वारा चयन किये जाने वाले विमान की किस्म पर निर्भर करते हैं।

(ख) भारत के अन्य भागों में एक चरणवद्ध क्रम से वायुदूत सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। प्रथम चरण में निम्नलिखित 23 स्थानों के इस सेवा से जोड़े जाने का प्रस्ताव है।

कूड्डापाह, राजामुन्द्री, वारंगल, रुरकेला, जमशेदपुर, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, बिलासपुर, जगदालपुर, नांदेड़, लुधियाना, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, तन्जौर, रायचूर, हुबली, देहरादून, गाजीपुर, पंतनगर और रायबरेली।

कोचीन और त्रिवेन्द्रम तथा मद्रास और त्रिवेन्द्रम के बीच दैनिक उड़ाने

2244. **श्री ए. नीलालोहिथादासन नाडार** : क्या **पर्यटन और नागर विमान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन और त्रिवेन्द्रम तथा मद्रास और त्रिवेन्द्रम के बीच सभी दिनों को उड़ानों की व्यवस्था न दी जाने के कारण यात्रियों को असुविधा होती है; और

(ख) क्या यह सच है कि यदि कोई असंतोषजनक मूल कारण हैं, तो वे इसलिये हैं कि सभी दिन उड़ानों की व्यवस्था नहीं है तथा यात्रियों को सवारी के अन्य साधन अपनाने के लिये विवश होना पड़ता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

जीवन बीमा निगम के कार्यक्रम में सुधार करना

2245. **श्री एम. रामगोपल रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम के बढ़ते हुये व्यय और पोलिसीधारियों के प्रति बिगड़ती हुई सेवा के सम्बन्ध में इस निगम के कार्यकरण में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है; और

(ख) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जीवन बीमा उद्योग के कार्यचालन में और पालिसीधारियों को प्राप्त सेवा में सुधार करने के लिये जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन करने का निर्णय किया गया है। इस प्रयोजन के लिये एककों को अधिक सुसम्वद्ध और सुचारु बनाने के लिये विधायी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

अरब पूंजी-निवेश के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए समिति

2246. **श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तथा अरब उद्योगपति ऐसी समिति के गठन पर

विचार कर रहे हैं जो ऐसे क्षेत्रों का पता लगायें जहां भारत में अरब देशों के धन को लगाया जा सके;

(ख) क्या भारत सरकार को इस बारे में सहायता के लिये बता दिया गया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में सहायता दी है;

(घ) यदि हां तो यह समिति कब बनेगी और विदेशी-पूंजी निवेश के लिये आर्थिक क्षेत्रों का चयन कब तक किया जाएगा ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) भारत-अरब संयुक्त व्यवसाय परिषद की तीसरी बैठक 4 और 5 नवम्बर, 1981 को नई दिल्ली में हुई थी। बैठक की समाप्ति पर भारत-अरब संयुक्त व्यवसाय परिषद द्वारा एक संयुक्त विवरण जारी किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह तय किया गया था कि "यह परस्पर सहमति हुई कि एक छोटी समिति स्थापित करने के बारे में विचार किया जाये जो व्यापार बढ़ाने, निवेश और औद्योगिक सहयोग के क्षेत्रों के बारे में विस्तार से बातचीत करने तथा विशेष व्यवसाय प्रस्तावों का पता लगाने के लिये बार-बार बैठकें करती रहे।"

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में आयातित पामोलीन तेल में मिलावट

2247. **श्री एच. एम. नन्जे गौडा :**

श्री धर्मवीर सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के कुछ कर्मचारियों ने गुजरात में आयातित पामोलीन तेल के कुछ प्राइवेट आयातकर्ताओं के साथ मिलीभगत करके तेल मिलावट कर दी;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में खुदरा व्यापारियों या उपभोक्ताओं से कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में जाँच करने की कोशिश की है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और क्या उन कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो जाँच करने पर इस मामले में अन्तर्ग्रस्त पाये गये और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (ग) गुजरात सरकार के खाद्य इंस्पेक्टर ने राज्य व्यापार निगम कांडला द्वारा लगाई गई एक डिब्बाबन्दी फर्म की दुकान तथा स्टोरेज टैंक से कुछ नमूने इकट्ठे किये हैं। खाद्य इंस्पेक्टर द्वारा इकट्ठे किये गये नमूने के विश्लेषण से पता चला है कि तेल में मिलावट है। इस रिपोर्ट के आधार पर गुजरात खाद्य तथा भेषज नियन्त्रण विभाग ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, गांधीधाम की अदालत में एक मुकदमा दायर किया है जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सप्लाई करने के लिये आर. बी. डी. पी. ओ. की डिब्बाबन्दी के लिये राज्य व्यापार निगम कांडला द्वारा लगाई गई डिब्बाबन्दी

फर्म के साझेदारों और व्यापार निगम मुख्यालय तथा राज्य व्यापार निगम शाखा कार्यालय कांडला पर आरोप लगाये गये हैं।

पृथक विदेश व्यापार सेवा

2248. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक समितियों ने हाल ही में पृथक विदेश व्यापार सेवा का समर्थन किया है;

(ख) क्या 1970 के दशक अलेकजेण्डर समिति जिसने निर्यात, आयात नीतियों का अध्ययन किया टिप्पणी की है कि "वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की विद्यमान व्यवस्था तथा उनके द्वारा किये जाने वाले कार्य के स्वरूप की समीक्षा से वर्तमान व्यवस्था तथा वाणिज्यिक प्रतिनिधियों के वास्तविक और अनुमानित लाभों के बीच के अन्तर की भारी अपर्याप्तता का पता चलता है।"

(ग) क्या 1979 में संसद की प्राक्कलन समिति (क) विदेश मत्रालय के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं थी कि वह मिशनों में आर्थिक और वाणिज्यिक कार्य करना जारी रख सकती है और (दो) ने यह आवश्यक समझा कि "आर्थिक तथा वाणिज्यिक विगों में कुछ प्रतिशत पदों के लिये समय-समय पर भारतीय विदेश सेवा से अलग अत्यधिक योग्य व्यक्ति" लिए आयें; और

(घ) क्या उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये सरकार का विचार पृथक विदेश व्यापार सेवा बनाने का है; यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) विदेशों में वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की भर्ती तथा प्रशिक्षण की पद्धति में सुधार के लिये उपाय सुलझाने के लिये समय समय पर स्थापित की गई समितियों ने कतिपय सिफारिशें की हैं जिनमें भर्ती की पद्धति को व्यापक आधार देने सम्बन्धी प्रस्ताव भी शामिल हैं।

(ख) अलैग्जैंडर समिति ने आयात-निर्यात नीतियाँ तथा कार्यविधियाँ (1978) सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में वर्तमान पद्धति की पर्याप्तता के सम्बन्ध में कतिपय टिप्पणियाँ की थीं।

(ग) 1980-81 में संसद की प्राक्कलन समिति के विद्यमान पद्धति की समीक्षा और वर्तमान स्रोत के अलावा अन्य स्रोतों से पदों की कतिपय प्रतिशता के लिए योग्य व्यक्तियों का चयन करके वाणिज्यिक विंगों को सुदृढ़ करने की सिफारिश की।

(घ) वाणिज्यिक प्रतिनिधिमंडल की पद्धति की निरन्तर समीक्षा की जाती रहती है और प्रबन्धों को सुदृढ़ करने तथा उनमें सुधार लाने के लिये जब कभी आवश्यक होता है सुधारात्मक उपाय किये जाते हैं।

सस्ते कपड़े की योजना में गतिरोध

2249. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 जनवरी, 1982 के "इकनामिक टाइम्स" में "सेटबैक टु चीफ क्लाथ स्कीम" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिये कपड़ा देने की एक दशक पूर्व आरम्भ की गई नियंत्रित कपड़ा योजना फेल हो गई है और लगभग 20 करोड़ रुपये का स्टाक उपभोक्ताओं के जोरदार प्रतिरोध के कारण राज्य के स्वामित्व वाले विभिन्न वितरण केन्द्रों पर जमा हो गया है;

(ग) क्या सरकार ने निगम को आदेश दिया है कि लट्ठे (लांग क्लाथ) का उत्पादन निलम्बित किया जाये और अन्य प्रकार के कपड़े का उत्पादन "धीमी गति" से किया जाये;

(घ) क्या सरकार ने जुलाई, 1981 से पूर्व प्रचलित पहले स्तर पर नियंत्रित कपड़े के लिए राज-सहायता बढ़ाने या नियंत्रित कपड़े की भिन्न भिन्न किस्मों के उपभोक्ता मूल्य कम करने से इनकार कर दिया है; और

(ङ) समाज के कमजोर वर्गों को सस्ता कपड़ा सप्लाई करने की समस्या का समाधान करने के लिए क्या अन्य कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हाँ।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि कन्ट्रोल के कपड़े की योजना असफल हो गई है। 1 जुलाई, 1981 से उपभोक्ता कीमतों व इमदादी दरों में परिवर्तन की व्यवस्था करते हुये कन्ट्रोल के कपड़े की योजना में परिशोधन किया गया है। ऊंची कीमतों के कारण कुछ राज्यों में कन्ट्रोल के कपड़े के स्टाक जमा हो जाने के बारे में रिपोर्ट मिलने पर राज्य सरकारों के साथ मामले पर बातचीत की गई है और राज्य स्तर के अभिकरणों के पास पड़े स्टाकों के निपटान के लिये उन्हें कुछ सुझाव दिए गये हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) निर्धारित इमदादी दरों तथा उत्पादन लागत में वृद्धि को देखते हुये कन्ट्रोल के कपड़े की कीमतों को करना इस समय संभव नहीं है।

(ङ) मिल में बने कन्ट्रोल के कपड़े के अलावा, हथकरघा क्षेत्र से 325 मिलियन मोटर जनता कपड़े को भी कट्रोल के कपड़े की योजना के क्षेत्र के अन्तर्गत लाया गया है।

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा यात्री यातायात वृद्धि का विकास

2250. **श्री आर. पी. गायकवाड** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्री यातायात वृद्धि को प्रोत्साहन देने, अधिक एयर बसें और बोइंग विमान लगाने और अधिक लाभ कमाने के लिये उत्पादन में सुधार के लिये इण्डियन एयरलाइन्स के प्रबन्ध विकास हेतु कार्यवाही करने का है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा एशियाई खेलों की आवश्यकता पूरी करने के लिये कोई विशेष उपाय किये जाने का विचार है; यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) प्रबन्ध व्यवस्था का विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करने के लिये कि इण्डियन एयरलाइन्स अपने कार्य सुचारु रूप से करने के साथ-साथ लाभ भी अर्जित करे, सरकार

उचित प्रबन्ध व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर आवश्यक कदम उठाती है। विमान बेड़े में नये विमानों का समावेश वास्तविक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुये तथा प्रत्याशित/अनुमानित यातायात वृद्धि के आधार पर किया जाता है। 1982-83 तक की अनुमानित यातायात माँग की पूर्ति के लिए इण्डियन एयरलाइन्स 2 एयर बसें तथा चार बोइन्ग—737 विमान क्रमशः मई 1982 तथा सितम्बर/अक्तूबर 1982 में प्राप्त कर रही है। संयोगवश यह एशियाई खेलों के कारण उत्पादन होने वाले यातायात के लिये भी परिवहन व्यवस्था में सहायक होंगे। एशियन खेलों से सम्बन्धित यातायात को हैंडल करने के लिये जहाँ कहीं आवश्यक होगा, अन्तर्देशीय स्थानों पर इण्डियन एयरलाइन्स अतिरिक्त बैंक-इन काउंटन" खोलेगी।

कलकत्ता से एयर इंडिया की सीधी माल सेवा में वृद्धि

2251. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से एयर इण्डिया की सीधी माल सेवाओं में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो कब तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फटे पुराने करेंसी नोट

2252. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **वित्त मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया को कितने मूल्य के फटे पुराने करेंसी नौट प्राप्त हुये;

(ख) प्रत्येक वर्ष में उन नोटों की जांच करने तथा उनको नष्ट करने में कितना समय लगा और उस पर कितना व्यय हुआ;

(ग) इस समय कितने मूल्य के फटे पुराने नोट जांच तथा नष्ट किये जाने के लिये जमा हैं; और

(घ) क्या उनको शीघ्र नष्ट करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हाँ, तो क्यों ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सूचना जैसे कि वह भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त हुई है, निम्नलिखित है :—

अवधि	प्राप्त हुए फटे पुराने नोटों का मूल्य (करोड़ रुपये)
जुलाई, 1978—जून 1979	5090.26
जुलाई, 1979—जून 1980	5324.52
जुलाई, 1980—जून 1981	5650.23

उपर्युक्त आंकड़े जुलाई से जून तक के वर्ष से सम्बन्धित हैं रिजर्व बैंक के रिकार्ड इसके लेखा वर्ष जुलाई से जून के अनुसार रखे जाते हैं।

(ख) फटे पुराने नोटों की जाँच करने और उन्हें नष्ट करने में लगे समय और खर्च के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अभी तक कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। प्रत्येक प्रेषण को पूरा करने में लगने वाला समय प्रत्येक कार्यालय के अनुसार भिन्न भिन्न होता है जो उनके आकार, संख्या प्रेषणाओं/टेंडरों के परिमाण और आवृति तथा उनकी जाच के लिये वास्तव में उपलब्ध दैनिक जनशक्ति पर निर्भर करता है। तथापि किसी एक वर्ष में किया गया कुल खर्च स्थूल आधार पर ही बताया जा सकता है क्योंकि रोकड़ विभाग, जहां फटे पुराने नोटों की जांच की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्गम विभाग, का एक स्कंध है। इन दो स्कंधों के कर्मचारियों के अनुपात के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि रोकड़ विभाग के मद्दे फटे पुराने करेंसी नोटों की जांच और उन्हें नष्ट करने पर खर्च निम्नलिखित बैठेगा :

अवधि	(करोड़ रुपये)
जुलाई-जून	
1978-79	6.80
1979-80	8.40
1980-81	10.94

(ग) जून, 1981 के अन्त में, जब तक के लिए सूचना उपलब्ध है, फटे पुरानें नोटों का कुल मूल्य, जिनकी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जांच की जानी है या निपटरा किया जाता है, लगभग 3703.06 करोड़ रुपये था तथापि यह राशि अनन्तिम है।

(घ) फटे पुराने और जारी न किये जा सकने वाले एक रुपये ओर दो रुपये के नोटों के बचे हुए भारी काम को निपटाने के लिये भारतीय रिजर्व बैंक ने कतिपय सुझाव दिए हैं। ये सुझाव अभी विचाराधीन हैं और अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

प्राइवेट सगठनों/फर्मों/व्यक्तियों के पास विमान

2253. **श्री निहालसिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में प्राइवेट संगठनों, फर्मों और व्यक्तियों के पास, पृथक्—पृथक्, कितने विमान और परिवहन विमान हैं तथा उनके नाम और पते क्या हैं और उनमें से प्रत्येक के पास कितने विमान और परिवहन/माल वाहक विमान हैं, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने विमान और परिवहन विमान खरीदे गये और उपरोक्त वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) निजी संगठनों/फर्मो तथा व्यक्तियों के स्वामित्व में 245 विमान/परिवहन विमान हैं। दो अलग-अलग सूचियां, जिनमें विमानों कीं किस्म तथा उनके मालिकों के नाम व पते दर्शाये गए हैं, अनुबंध I तथा II के रूप में संलग्न हैं। **ग्रंथालय में रखे गये-देखिए संख्या एल. टी. 3988/82**

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान 3 विमान आपात किए गए। (यह सूचना विदेशों से खरीदे गए विमानों से सम्बन्धित है)। इन विमानों का विदेशों के लिए यात्री अथवा कार्गो सेवाओं के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और इसलिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के खुदरा केन्द्रों के बन्द होने से प्रभावित होने वाले कर्मचारी

2254. **श्री वी. एस. विजयराघवन :**

श्री इंद्रजीत गुप्त :

श्री विजय कुमार यादव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सभी खुदरा केन्द्रों के बन्द हो जाने से कुल कितने कर्मचारियों के प्रभावित होने की सभावना है; और

(ख) उनको खपाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) (क) तथा (ख) खुदरा दुकानें बन्द होने की स्थिति में, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की खुदरा दुकानों के लगभग 2, 200 कर्मचारियों के प्रभावित होने की संभावना है। इन सभी कर्मचारियों की निगम के विभिन्न एककों में ले लिए जाने का प्रस्ताव किया गया है।

बैंक कर्मचारियों को वारी-बारी से बदलना

2255. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि किसी बैंक के किसी भी कर्मचारी को किसी बैंक की एक शाखा में बहुत अधिक लम्बे समय तक नहीं रहने दिया जायेगा क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप ऐसे अवांछित सम्बन्ध हो जाते हैं जो अन्ततोगत्वा अवांछनीय गतिविधियों के रूप में बाहर आते हैं;

(ख) यदि हां तो इस बारे में तैयार किए गये कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और क्या बैंक कर्मचारियों को उस पूरे क्षेत्र में बारी वारी से बदला जायेगा जिस क्षेत्र के वे हैं तथा पदोन्नतियों पर अनिवार्य रूप से अन्य क्षेत्रों में बदला जायेगा, और इन सबके अलावा ग्रामीण बैंकों में भी इस कार्यकाल की लम्बी अवधि तक कार्य करना होगा; और

(ग) क्या यह भी विचार है कि उन कर्मचारियों, जिनका स्थानान्तरण हो सकता है, को एक ही स्थान पर बहुत लम्बे समय तक न रहने दिया जाये ?

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ग) अधिकारी भारत भर में स्थानांतरित किये जा सकते हैं। लिपिक वर्गीय कर्मचारी सामान्यत: केवल उसी राज्य अथवा भाषाई क्षेत्र के अन्दर स्थानांतरित किये जाते हैं। सरकार ने इस वर्ष जनवरी में सरकारी क्षेत्र के बैंकों को सलाह दी है कि अधिकारियों के मामले में स्थानान्तरण का क्रम हर 3 साल के बाद होना चाहिए और लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के मामले में इस प्रकार की अवधि 5 साल से अधिक की नहीं होनी चाहिये। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने यह सूचित किया है कि सरकार की इस सलाह को अमल में लाने के लिए उन्होंने उपाय शुरू कर दिये हैं।

सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों पर आचरण नियमों को लागू करना

2256 **श्री हरीश कुमार** गंगवार क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित, नियंत्रित अथवा आंशिक रूप से वित्त पोषित नियमित उपक्रमों में कर्मचारियों की गतिविधियों पर उसी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए जैसाकि इसके अधीन सीधे कार्य कर रहे कर्मचारियों के मामले में है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकारी कर्मचारियों पर लागू आचरण और अन्य निगम राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों में कार्य कर रहे कर्मचारी, जो सरकारी मकान में अपने माता-पिता के साथ रह रहे हैं ; मकान किराया भत्ते का दावा करने के हकदार हैं; और;

(घ) यदि नहीं, तो क्या यह पता लगाने के लिए कोई सेर्वेक्षण किया गया है कि अपने माता-पिता के साथ रह रहे ऐसे कितने कर्मचारी मकान किराया भत्ता ले रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) जी हाँ। सरकार की नीति यह है कि समस्त सरकारी क्षेत्र में कर्मचारियों के आचरण और अनुशासन के मामले में स्थूल रूप से यथासम्भव एक समान सिद्धांत अपनाया जाए। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी, बैंकों द्वारा स्वयं तैयार दिये गये आचरण, अनुशासन और अपील नियमों द्वारा शासित होने हैं। ये नियम अनिवार्यतः, सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियमों जैसे तो नहीं है परन्तु जहाँ सम्भव होता है वहाँ इन नियमों में निहित बुनियादी तर्क और सिद्धांत एक जैसे होते हैं।

(ग) बैंकों के प्रबन्धकों और कार्मिकों के यूनियनों के बीच तीसरे द्विपक्षीय समझौते के अनुसार पचाट (एवार्ड) कर्मचारियों को, उनकी पात्रता के अनुसार, बिना किराये की रसीद प्रस्तुत किये ही मकान किराया भत्ते की अदायगी की जाती है। अधिकारियों के मामले में जहाँ किसी अधिकारी को बैंक द्वारा रिहायशी मकान नहीं दिया जाता, वहाँ उसे निर्दिष्ट सीमाओं तक मकान किराया भत्ते की अदायगी की जाती है बशर्ते कि उसने अपने नाम से आवास किराये पर लिया हो और उसके समर्थन में किराये की रसीद प्रस्तुत करे अथवा वह अपने मकान में रहता हो। जिन मामलों में कोई अधिकारी किराये की रसीद नहीं प्रस्तुत करता उनमें उसे प्रतिमास 750/रुपये तक के मूल वेतन पर हिसाब लगाकर मानक मकान किराया भत्ता दिया जाता है।

(घ) इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

जीवन बीमा निगम में बकाया दावे

2257. **श्री नवीन रवाणी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम में एक लाख से अधिक पालिसियों के निपटान दावे बकाया पड़े हैं;

(ख) यदि हां,तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस का निपटान शीघ्र किस प्रकार करने का है ?

वित्तमंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुर पुजारी) : (क) जी, हां । 31 मार्च, 1981 को न निपटाये गये दावों की संख्या 1, 71, 533 थी जबकि इसके मुकाबले इस वर्ष के दौरान निपटाये गये दावों की संख्या 7,40, 727 है ।

(ख) दावों को निपटाये न जाने का मुख्य कारण यह है कि दावाकारों द्वारा पालिसी सम्बन्धी कागजात और विवेचन फार्मों (डिस्चार्ज फार्म) सहित अपेक्षित सूचनाओं को भेजने में देरी होना । कुछ मामलों में जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में ही देरी हो जाती है ।

(ग) सरकार ने विचाराधीन दावों कौतेजी से निपटाने के लिये जीवन बीमा निगम पर जोर दिया है और और जीवन बीमा निगम इन दावों को तेजी से निपटाने के लिये हर संभव प्रय.स कर रहा है ।

निर्यात और आयात

2258. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैलेडर वर्ष 1978, 1979, 1980 और 1981 के दौरान भारत से अन्य देशों को (देशवार और वर्गकार) निर्यात की गई सभी वस्तुओं का भारतीय मुद्रा में मूल्य कितना है और कच्चे माल तथा निर्मित की गई वस्तुओं का अलग-अलग मूल्य कितना है. और

(ख) कैलेडर वर्ष 1978, 1979, 1980 और 1981 के दौरान अन्य देशों से (देशवार और वर्षवार) आया की गई सभी वस्तुओं का भारतीय मुद्रा में मूल्य कितना है और कच्चे माल तथा निर्मित की गई वस्तुओं का अलग-अलग मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) तथा (ख) : कैलेंडर वर्ष आधार पर तथा कच्चे माल तथा विनिर्मित माल के वर्गीकरण के अनुसार निर्यातों तथा आयातों के देश-वार आंकड़े नहीं रखे जाते ।

तथापि चुनिन्दा देशों के सम्बन्ध में वित्तय वर्ष आधार पर निर्यातों तथा आयातों के आँकड़े नीचे दिये जाते हैं :

भारत के व्यापार की दशा

(मूल्य करोड़ रु० में)

देश	1978-79		1979-80		1980-81 (प्राक्कलित)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयत	निर्यात	आयात
उत्तर अमरीका						
1. यू.एस.ए.	771.62	761.91	816.99	926.07	852.23	1510.88
2. कनाडा	48.23	240.33	62.55	226.48	60.36	275.91

1	2	3	4	5	6	7
आई. सी. एम.						
3. बेलिजयम	227.85	356.53	166.85	263.69	148.25	306.04
4. फ्रांस	176.15	226.14	197.62	207.65	155.14	267.50
5. एफ आर.जी.	272.07	830.68	380.10	644.55	355.80	758.43
6. नैंदरलैंड	179.34	158.50	220.46	145.19	164.56	254.16
7. यू.के.	528.00	569.66	518.05	708.81	427.76	825.43
एशिया एण्ड ओ.सी. नया						
8 आस्ट्रेलिया	88.52	91.97	102.00	162.84	91.44	181.97
9. जापान	595.06	565.03	646.26	609.40	611.59	643.28
10. ईरान	93.51	352.46	96.11	620 69	121.97	1348.94
11. ईराक	46.96	583.20	61.48	917.27	50.87	804.11
12. कुवेत	120.21	103.58	123.81	165.51	96.69	331.34
पूर्वी यूरोप						
13. पोलैंड	62.33	43.62	44.59	60.68	64.17	33.44
14. जैकास्लोवाकिया	36.12	30.92	43.59	51.68	54.06	60.45
15. जी.डी.आर.	35.21	30.89	47.96	34.51	45.43	42.10
16. रूमानियां	40.62	45.03	45.47	88.25	54.24	91.75
17. यू.एस.एस.आर.	411.36	470.59	638.23	824.33	1157.30	955.25
अन्य	641.72	556.45	7636.60	813.48	797.70	1197.15
महायोग	726.26	6814.30	8.77	9021.75	6708.84	12434.58

सरकारी क्षेत्र के कुल उत्पादन में सकल लाभ का अनुपात

2259. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डाक और तार विभाग की वर्ष 1980-81 में हुई कुल उत्पाद में सकल लाभ का अनुपात 21.3 प्रतिशत था जबकि पूरे सरकारी क्षेत्र के लिए इसी अवधि का लाभ का अनुपात 13 प्रतिशत था और रेलवे विभाग के मामले में यह लाभ का अनुपात 8.51 प्रतिशत था ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) संभवतः मननीय सदस्य का आशय कुल बिक्री की तुलना में सकल लाभ के अनुपात से है। वर्ष 1980-81 में डाक-तार विभाग, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्योगों और रेलवे द्वारा सूचित कुल बिक्री की तुलना में सकल लाभ के अनुपात का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	प्रतिशत
डाक-तार विभाग	9.8
केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम	5.0
रेलवे	5.3

डेटीरियोरेटिंग सर्विस बेन आफ एल.आई.सी. शीर्षक समाचार

2260. **श्री बापूसाहिब परुलेकर** :क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी 1982 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में डेटीरियोरेटिंग सर्विस वेन आफ एल.आई.सी. शीर्षक प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) : जी, हां। सरकार ने इन विचारों का नोट कर लिया है ।

चांदी की तस्करी

2261. **श्री बापूसाहिब परुलेकर :**

श्री बालासहिब विखे पाटिल : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष तीन महीनों की अवधि में 22 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 82,000 किलोग्राम चांदी देश से बाहर तस्करी की गई थी;

(ख) क्या आयकर अधिकारियों द्वारा गुजरात में चांदी का तस्करी के किसी अन्तर्राट्रीय गिरोह का पता लगाया गया है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस गिरोह में कितने व्यक्ति सम्बद्ध है और इस बारे में सरकार द्वारा रोकथाम के क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) महोदय, सरकार के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि पिछले वर्ष तीन महीनों की अवधि में 22 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 82,000 किलोग्राम चांदी की देश से बाडर तस्करी की गई थी;

(ख) तथा (ग) जी, नहीं। तथापि, आयकर प्राधिकारियों द्वारा गुजरात में 24 दिसम्बर 1981 को ली गई तलाशी के दौरान, प्रथम दृष्टया, 1548 किलोग्राम लेखा बाह्य चाँदी, जिसका मूल्य लगभग 40.24 लाख रुपये था, निम्नलिखित व्यक्तियों और उनके सहयोगियों से पकड़ी गई :—

1. श्री अमृतलाल चाँदमल जैन ।
2. मेसर्स संजय कुमार एण्ड ब्रदर्स ।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम का राज्यों से सम्बन्ध

2262. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटलों का निर्माण करने और पर्यटक स्थलों का विकास करने के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु भारत पर्यटन विकास निगम की राज्यों से सम्बन्ध बनाने की योजनाएं हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सन्दर्भ में कुछ राज्यों के साथ समझौते हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और किस प्रकार के समझौते हुए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) जी हां। भारत पर्यटन विकास निगम ने राज्य सरकारों, राज्य पर्यटन विकास निगमों के सहयोग से संयुक्त सेक्टर में बीच की कीमतों वाले होटलों के निर्माण के लिए एक स्कीम तैयार की है। यह संकल्पना है कि संसाधनों को एकत्र करते हुए और प्रयासों की पुनरावृत्ति से बचते हुए चुने केन्द्रों पर होटलों का निर्माण किया जाए ताकि सभी क्षेत्रों में पर्यटन की संतुलित अभिवृद्धि को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) और (ग) अभी तक भारत पर्यटन विकास निगम ने आसाम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश बिहार की राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन निगमों और अरुणाचल प्रदेश के संघ शासित क्षेत्र के साथ करारों पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इन करारों के अधीन अलग कम्पनियां निर्मित की जाएंगी जिनमें भारत पर्यटन विकास निगम और राज्य सरकारों/राज्य पर्यटन निगमों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा समान अथवा लगभग समान इक्विटी आधार पर साझेदारी होगी भारत पर्यटन विकास निगम होटलों की प्लानिंग, डिजाइनिंग और निर्माण में परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है और इन होटलों के पूरा होने पर इनका प्रबन्ध और मार्केटिंग करेगा।

निषिद्ध वस्तुओं के लिए भुगतान हेतु चांदी की तस्करी

2263. **श्री एस. एम. कृष्ण :**

श्री रशीद मसूद : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निषिद्ध वस्तुओं को खरीदने के लिए, जो देश में दोबारा चोरी-छिपे लाई जाती हैं, करोड़ों रुपये मूल्य की चाँदी देश से बाहर भेजी जा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रकार की तस्करी के बारे में उनके पास जानकारी और आंकड़े हैं;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान कुछ बड़े तस्करों को सजा दी गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इन तस्करों की संख्या और उनके नाम क्या हैं और कौन-कौन सी वस्तुएं जब्त की गई हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, चांदी भारत से तस्कर-निर्यात किए जाने के आकर्षण वाली वस्तु बनी हुई है। किन्तु इन रिपोर्टों से इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि भारत में तस्कर-आयात किए जाने वाले माल का वित्त पोषण करने के लिए चांदी का बड़े पैमाने पर देश से तस्कर निर्यात किया जा रहा है।

(ख) भारत से चोरी छिपे बाहर ले जाई गई चाँदी के मूल्य का कोई अधिकारिक अनुमान नहीं लगाया गया है। फिर भी वर्ष 1980 और 1981 के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों ने जिस चांदी को देश से तस्कर-निर्यात किए जाते समय पकड़ा था, उसके मूल्य सम्बन्धी आँकड़े उपलब्ध हैं और वे नीचे दिए अनुसार हैं :—

वर्ष	अभिगृहीत चादी का लगभग मूल्य
	(मूल्य : लाख रुपए में)
1980	949
1981	131

(ग) और (घ) वर्ष 1980 और 1981 के दौरान तस्करी सम्बन्धी गतिविधियों में ग्रस्त पाए गए कई व्यक्तियों से जिनमें कुछ व्यक्ति बड़े मामलों में ग्रस्त थे, कानून के तहत स्पष्टीकरण मांगा गया था। उपर्युक्त अवधि के दौरान, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की कुल संख्या और विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या नीचे दिए अनुसार है :

वर्ष	सीमा शुल्क अधिनियम,1962 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए व्यक्तियों की संख्या
1980	1878	298
1981	2153	265

उक्त अवधि के दौरान गिरफ्तार किए गए। नजरबन्द किए गए व्यक्ति बहुत अधिक होने के कारण, उसके नामों और जब्त शुदा माल का ब्यौरा संकलित करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा। यदि माननीय सदस्य किसी मामले (मामलों) विशेष के बारे में जानकारी चाहते हों, तो वह एकत्र करके प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कलकत्ता हवाई अड्डे से माल भाड़े के ढांचे को युक्तिसंगत बनाना

2264. **श्री रेणुपद दास** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता से विमान द्वारा अधिक माल ढोया जाना आकर्षित करने की दृष्टि से भाड़े के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता से निर्यातकर्ताओं को एक प्रतियोगी दर संरचना का लाभ पहुंचाने की दृष्टि से, कलकत्ता से तथा बम्बई/दिल्ली से मुख्य स्थानों के लिए सीधे निर्यात की (through) दरों के बीच न्यूनतम अन्तर रखा गया है। कालीन आदि जैसी कुछ बड़ी वस्तुओं के बारे में सभी गंतव्य स्थानों के लिए कलकत्ता से दरों का स्तर बम्बई/दिल्ली से ली जाने वाली दरों के बराबर ही रखा गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कलकत्ता को जाने वाली नई उड़ानों के लिए अवतरण प्रभारों पर छूट

2265. **श्री सुबोध सेन** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता को जाने वाली नई उड़ानों के लिए अवतरण प्रभारों पर कोई छूट देने के मामले पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अन्नत प्रसाद शर्मा) : (क) से (ग) कलकत्ता हवाई अड्डे पर नई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कम अवतरण शुल्क (लैंडिग फीस) लेने के प्रश्न की जांच की जा रही है ।

सिंडीकेट बैंक, कलकत्ता में बड़ा वैयक्तिव खाता

2266. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के सिंडीकेट बैंक में एक वैयक्तिक खाता है जो 28 करोड़ रुपये का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह खाता कब खोला गया था और क्या बैंक के मैनेजर अथवा किसी अन्य व्यक्ति ने इस खाते को खोलने की सिफारिश की थी; और

(घ) क्या इस खातेधारी की आय के स्रोत के बारे में कोई जाँच-पड़ताल की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) सभवत: माननीय सदस्या का तात्पर्य पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम स्वपन कुमार गुहा और अन्य की 1981 की सिविल अपील सं. 1129 और पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य बनाम संचयिता इन्वेस्टमेंट्स और अन्यों की 1981 की सिविल अपील सं. 1130 में माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय के फैसले में उल्लिखित इस प्रकार के एक खाते से है । इस मामले की जांच की जा रही है ।

बी. ट्विल्स के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के निर्धारण के बारे में ज्ञापन

2267. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन ने उनके मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया था जिसमें बी. ट्विल्स के सांविधिक न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करने सुझाये गये मूल्य पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा इसकी खरीद दिये जाने का प्रावधान करने और उत्पादन शुल्क हटाने के बारे में मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी ए. संगमा) : (क) जी हां ।

(ख) जैसा कि पटसन उद्योग की मूल समस्या इस समय बोरा बाजार में मंदी से उत्पन्न मांग तथा सप्लाई के बीच गंभीर असंतुलन है, इसलिए इस समस्या को डी. जी. एस. एंड डी. द्वारा बी-ट्विल की खरीद के लिए न्यूनतम कीमत निर्धारित करके और टाट पर से उत्पादन शुल्क हटा करके सुलझाया नहीं जा सकेगा । सरकार खाद्यान्न, उर्वरक, सीमेंट, चीनी आदि जैसे प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा पटसन माल की खरीद में वृद्धि करके, डी. जी. एस. एंड डी. द्वारा "वन टाइम वफर" के रूप में टाट की एक लाख गांठों की खरीद करके, एफ. सी. आई. तथा अन्य राज्य सरकारों के विभागों की ओर से रिपीट आर्डरों का पालन करवा कर तथा

संसंतुलन को सुधारने के लिए स्थायी उपाय के रूप में विद्यमान निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं की मार्फत निर्यात संवर्धन उपायों का अनुसरण करके इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही है।

औद्योगिक रुग्णता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक समिति

2268. **श्री संतोष मोहन देव : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक रुग्णता के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं; और

(ख) समिति के इस प्रतिवेदन के आधार पर देश में रुग्ण उद्यमों को पुनः चालू करने के लिए क्या निर्णय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनर्वास में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के सामने आने वाली कानूनी तथा अन्य कठिनाइयों की जांच करने और वर्तमान कानूनों में परिवर्तन के साथ उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के अध्यक्ष श्री तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक को अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी एक प्रति सरकार को रिजर्व बैंक से प्राप्त हुई है। समिति की सिफारिशों और भारतीय रिजर्व बैंक के मन्तव्यों की बारीकी से जांच करने के बाद यथासमय अन्तिम रूप से निर्णय किए जाएंगे।

इंडियन एयरलाइन्स के विमानों की सीटों की संख्या दुगुनी करना

2269. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982 के अन्त तक सरकार का विचार इंडियन एयर-लाइन्स के विमानों की सीटों की संख्या दुगुनी करने का है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर यह योजना बनाई गई हैं और इस परियोजना के लिये कितनी पूंजी निवेश करने का विचार है;

(ग) वर्ष 1979 और 1980 के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में कितने व्यक्तियों ने यात्रा की थी और ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से हैं जहाँ इन सीटों पर यात्री 50 प्रतिशत से कम थे। और इस अवधि के दौरान इण्डियन एयरलाइन्स के यातायात की वृद्धि दर क्या है; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित इस योजना को शुरू करने से पूर्व सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि अतिरिक्त सीटों की क्षमता घाटे में न चले ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स द्वारा परिचालित मार्ग-तंत्र का यात्री-लाग का अनुपात 1979-80 तथा 1980-81 में क्रमशः 73.4 प्रतिशत तथा 66.9 प्रतिशत था।

जिन मार्गों पर इस अवधि में यात्री लाग का अनुपात 50 प्रतिशत से कम था, उनके नाम नीचे दिए गए हैं :

1979-80

कलकत्ता-पटना
कलकत्ता-काठमांडू
कलकत्ता-हैदराबाद
काठमांडू-वाराणसी
दिल्ली-काठमांडू
दिल्ली-लाहौर
दिल्ली-कराची
दिल्ली-काबुल
भोपाल-जबलपुर-रायपुर
हैदराबाद-बंगलौर
मद्रास-त्रिवेन्द्रम्

1980-81

बम्बई-इन्दौर
बम्बई-कराँची
कलकत्ता-अगरतला-गौहाटी
पटना-काठमाँडू
कलकत्ता-पोर्ट ब्लेयर
काठमांडू-वाराणसी
दिल्ली-लाहौर
दिल्ली-कराची
दिल्ली-काबुल
दिल्ली-नागपुर
भोपाल-जबलपुर-रायपुर
दिल्ली-चण्डीगढ़-लेह
दिल्ली-लखनऊ-पटना
दिल्ली-खजुराहो-वाराणसी-भुवनेश्वर
कोचीन-त्रिवेन्द्रम्
त्रिवेन्द्रम्-कोलम्बो
मद्रास-मदुरै-त्रिवेन्द्रम्
मद्रास-त्रिवेन्द्रम्
मद्रास-त्रिची

(घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में पर्यटन के विकास के लिए आवंटन

2270. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में पर्यटन के आंतरिक विकास के लिये कितना आवंटन किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि जहाँ तक आंतरिक पर्यटन का संबंध है, आँध्र प्रदेश इसमें पिछड़ा हुआ रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये आंध्र प्रदेश के लिये कितनी राशि का आवंटन निर्धारित किया गया है और इस प्रयोजन के लिये कौन-कौन सी योजनायें बनाई गई हैं और किन-किन योजनाओं को अनुमोदित किया गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खान) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सेक्टर के अन्तर्गत पर्यटन सेक्टर के लिए 72 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के पास अपने अपने राज्य/संघ शासित क्षेत्र में पर्यटन के विकास के लिए अपने आवंपन होते हैं। इस प्रकार से केन्द्रीय और राज्य सेक्टरों द्वारा जो पर्यटक सुविधाएं जुटायी जाती हैं उनका अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

(ख) और (ग) पर्यटन, आंतरिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय, का विकास सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अतः पर्यटन विकास के लिए राज्य-वार आधार पर धन-राशि नहीं दी जाती बल्कि विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर प्रारम्भ की जाने वाली स्कीमों के आधार पर दी जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सेक्टरों में उपलब्ध ससाधन को एकत्र करते हुए एकीकृत और अवस्थानुसार ढंग से पर्यटक सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकार के परामर्श से निम्नलिखित यात्रा परिपथ निर्धारित किए गए हैं :—

1. हैदराबाद-नागार्जुन सागर-एथिपोथाला-श्रीसैलम-महानदी-गुड्डपह-तिरुपति-कलाहस्ती पुलिकाट झील-तिरुपति-होसले पहाड़ियाँ-लिपाक्षी-अन्नाथपुर-कुरनूल-हैदराबाद।

2. हैदराबाद-मेडक-हैदराबाद-भोंगरी-यदागिरीकुट्टा-वारंगल-रामप्पा-पाखाल (झील और एथूनगरम वन्य जीव विहार स्थल) -वारंगल-अमरावती--(चिरला)-विजयवाड़ा-सूर्यपेट-हैदराबाद।

3. विशाखापट्टनम-श्रीमुनीपट्टनम-बुर्रागुफाएं-अनन्तगिरी-अराकू-विशाखापट्टनम

केन्द्रीय सेक्टर के अंतर्गत हैदराबाद में हुसैन सागर झील पर जल क्रीड़ा सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है। इसके प्रयोजनार्थ, झील का सर्वेक्षण किया गया है और स्कीम तैयार की जा रही है। दूसरे, भारत पर्यटन विकास निगम का आन्ध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम के साथ एक सयुक्त सेक्टर के रूप में हैदराबाद में एक 3-स्टार होटल स्थापित करने का प्रस्ताव है बशर्ते व्यवहार्यता अध्ययन संतोषजनक रहा और धन-राशि उपलब्ध हुई।

दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में व्यापार और आर्थिक सहयोग

2271. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 जनवरी, 1982 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में विख्यात अर्थशास्त्री सरजान हिक्स के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि पूरे प्रशान्त क्षेत्र में बहुत आर्थिक विकास होने की संभावना है और भारत भी इससे कुछ वास्तविक लाभ उठा सकता है;

(ख) क्या यह भी सुझाव दिया गया है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के देश व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिये यूरोपीय आर्थिक समुदाय की तरह सामूहिक रूप से काम कर सकते हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार का बिचार क्या आरंभिक कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) दक्षिण पूर्व एशिआई क्षेत्र के देशों के बीच आर्थिक सहयोग के विभिन्न रूपों के लिए समय समय पर सुझाव दिये गए हैं। भारत तथा इस क्षेत्र के अन्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने का सदैव हमारा प्रयास रहा है। आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए आयोजित की जाने वाली बैठकों में भारत भाग लेता रहा है।

प्राकृतिक रबड का विकास करने के लिए प्रस्ताव

2272. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों में देश में प्राकृतिक रबड़ का विकास करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) ऐसे कौन से राज्य हैं जहां रबड़ विकास के लिये इस प्रकार की योजनायें शुरू की जायेंगी;

(ग) प्रत्येक परियोजना के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(घ) यह देश में रबड़ की स्वदेशी आवश्यकताओं को कहाँ तक पूरा करेंगी ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) रबड़ बोर्ड रबड़ बागान उद्योग के विकास के लिये विभिन्न अनुसंधान तथा विकास योजनायें कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के सबसे महत्वपूर्ण है नये क्षेत्रों में रबड़ की गहन खेती तथा विद्यमान पुराने एवं अलाभकारी रबड़ बागानों के पुनः स्थापन के उद्देश्य से 1980-81 में शुरू की गई रबड़ बागानविकास योजना। इस योजना में शामिल किये गये, परम्परागत राज्य/संघ शासित प्रदेश है गोआ, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, असम तथा अन्य उत्तर पूर्वी राज्य।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) बोर्ड द्वारा की जा रही अनुसंधान तथा विकाश गतिविधियों के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि होगी जिससे सप्लाई तथा मांग के बीच का अन्तर काफी कम हो जायेगा।

विवरण

क्रमांक	परियोजना/योजना का नाम	आवंठित 1982-83	निधियां 1983-84	(लाख रु० में) 1984-85*
1.	रबड़ बागान विकास योजना	385	575	700
2.	नये रोपण तथा पतरोपण को प्रोत्साहित करने की योजनायें समाप्त की गई योजनाएं	210	150	115
3.	अधिक उपज देने वाली रोपण सामग्री के उत्पादन तथा वितरण, छोटी जोत के आधुनिकीकरण, लघु जोतधारी के रबड़ की प्रोसेसिंग तथा विपणन में सुधार विस्तार सेवायें तथा प्रशिक्षण की योजनायें।	101	110	117
4.	उपर्युक्त विकास योजनाओं के लिये संचलन सम्बन्धी व्यय।	55	56	57
5.	अनुसंधान	100	114	131
	योग	850	1005	1120

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं और प्रतिवर्ष के आधार पर योजना आयोग के आवंटन के अनुसार इनमें संशोधन हो सकता है।

दक्षिण भारत में चाय उद्योग

2273. **डा. सुब्रह्मण्यय स्वामी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता हैं कि दक्षिण भारत में चाय उद्योग को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस संकट पर काबू पाने के तरीकों का पता लगाने हेतु कुछ महीने पूर्व दिल्ली में एक बैठक हुई थी;

(ग) यदि हाँ, तो इस बैठक की सिफारिशें क्या थीं; और

(घ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) चाय उद्योग बहुत ही कठिन समय से गुजर रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अगस्त, 1981 में चाय सम्बन्धी राष्ट्रीय स्तर की बैठक में की गई सिफारिशों का उल्लेख किया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 3489/82]**

(घ) केन्द्रीय सरकार ने पहले ही चाय के निर्यातों पर एक उत्पादन शुल्क छूट योजना की घोषणा कर दी है और कई क्षेत्रों में चाय पर मूल भूत उत्पादन शुल्क को कम कर दिया है।

चाय की पेटियों के निर्यात में प्रयोग की जाने वाली पैकिंग सामग्री पर सीमा शुल्क व उत्पादन शुल्क की शुल्क वापसी की भी अनुमति दे दी गई है।

केरल व तामिलनाडु सरकारों ने चाय की बिक्रियों पर बिक्री कर भी हटा लिया है। केरल सरकार के चाय बागानों के लिये प्रयोग किये जाने वाले उर्वरकों पर भी बिक्री कर हटा दिया है और घोषित किया है कि चाय पर बागान कर बढ़ी दर पर न लगा कर पूर्व संशोधित दर पर लगाया जायेगा। राष्ट्रीव स्तर की बैठक की अन्य सिफारिशों पर की जाने वाली कार्यवाही पर राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के अन्स सम्बन्धित विभागों के परामर्श में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

विजयन्त टैंक के इंजन को बदलने का प्रस्ताव

2274. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेना भारत द्वारा निर्मित विजयंत टैंक को बदलने के एक प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राल्स रायस द्वारा निर्मित ई. वी. इंजन देश में निर्मित एल.-60 इंजन का स्थान लेगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) से (ग) थलसेना की शस्त्र प्रणालियों को आधुनिक बनाने और उनमें सुधार करने की नीति के अनुसार विजयन्त टैंक के इंजन को आधुनिक बनाने और उसमें सुधार करने के परिशोधनों पर परीक्षण किए जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं है।

विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने हेतु 'अंकटाड' की सहायता

2276 **श्री मगन भाई बरोट** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'ग्रुप आफ 77' ने हाल ही में विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में अंकटाड की सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस ग्रुप ने कौन-कौन से ठोस प्रस्ताव किये थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) अंकटाड द्वारा विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग के सम्बन्ध में विकासशील देशों के सरकारी सुविज्ञों की बैठकों की तैयारी तथा सर्विसिंग के लिये ग्रुप आफ 77 से कहा गया है।

सेना के कर्मिकों की परेशानियों को दूर करने के लिए थल सेना, नौसेना और वायु सेना अधिनियमों में संशोधन

2277. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना के वर्तमान अधिनियम 20वीं शताब्दी के आरम्भ में ब्रिटिश शासकों से विरासत में मिले थे और उनमें इन सेवाओं के कार्मिकों की परेशानियों के दूर करने के पर्याप्त प्रावधानों की कमी हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन्हें अद्यतन बनाने और उन्हें बदलते समय के अनुरूप बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के. पी. सिंह देव) : (क) और (ख) यह कहना सही नहीं है कि थलसेना, नौसेना और वायु सेना अधिनियम ब्रिटिश शासकों से विरासत में मिले थे। थल सेना, नौसेना और वायुसेना अधिनियम क्रमशः 1950, 1957 और 1950 में अधिनियमित किए गए हैं। सरकार यह जानती है कि इन अधिनियमों का पुरीक्षण करने की आवश्यकता है ताकि ये वर्तमान स्थिति तथा आवश्यकताओं के अनुरूप हों। जब आवश्यक समझा जाता है, इन अधिनियमों में संशोधन किया जाता है।

विश्व बाजार में भारतीय चाय के अलाभकारी मूल्य

2278. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बाजार में भ र ीय चाय के मूल्य अलाभकारी सिद्ध हो रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विश्व बाजार में भारतीय चाय के लिए अपेक्षाकृत अधिक मूल्य प्राप्त करने के लिए कुछ नई प्रणाली अथवा उपाय अपनाने का है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) लन्दन नीलामियों में निखाये दो वर्षों के दौरान भारतीय चाय की औसत कीमत लगभग 104 पैन्स प्रति कि० ग्र० रही। उत्पादन की समग्र लागत को पूरा करने के बाद यह कीमत उत्पादों को सभवतः लाभकारी आय न दे सके।

(ग) भारत, विश्व बाजार में चाय के लिए और अधिक लाभकारी शर्तें प्राप्त करने के लिए समुचित सप्लाई प्रबन्ध उपाय प्रस्तुत करने के लिए अंकटाड के तत्वाधान में चाय निर्यातक देशों द्वारा किए गए अनेक प्रयासों में एक पक्षकार रहा है। चाय निर्यातक देशों की नई दिल्ली में 8-12 फरवरी, 1982 तक हुई विगत बैठक में अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार के लिए मसौदे की रूपरेखा पर सहमति हुई, जिनमें निर्यात कोटे, बफर स्टाक का विश्व बाजार में चाय सप्लाई के सुव्यवस्थीकरण के अनुरूप अन्य समान्य उपाय भी शामिल किए जा सकते हैं।

अरकोनम, तमिलनाडु में रक्षा परियोजना का कार्यान्वयन

2279. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 80 करोड़ रुपये की एक रक्षा परियोजना अरकोनम, तमिलनाडु में कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत की गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) अरकोनम, तमिलनाडु, में कार्यान्वयन के लिए अभी तक किसी परियोयना को स्वीकार नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

स्काईलार्क परियोजना हेतु कर्मचारी

2280. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्काईलार्क" परियोजना के लिए कर्मचारियों की मंजूरी दे दी गई है और उन्हें तिरूनेलवेली जिले में नियुक्त भी कर दिया है जबकि इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक धन राशि अभी तक नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री आर. वेंकटरामन : (क) और (ख) स्काईलार्क परियोजना को उचित मंजूरी के अधीन चरणवार पूरा किया जा रहा है।

इस तरह की जटिल परियोजना के कार्यान्वयन में भूमि की उपयुक्तता साबित करने, अपेक्षित डिजाइन का विकास करने और लागत अनुमान तैयार करने के लिए ब्यौरा एकत्र करने के लिए कई प्रकार के अध्ययन और विस्तृत भौगोलिक तथा भूविज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण करने होते हैं। तदनुसार ये अध्ययन करने के लिए त्रिरूणेवेली जिले में कुछ कर्मचारियों को अस्थाई रूप से काम पर लगा दिया गया है।

उड़ीसा के कालाहाडी जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोली जाना

2281. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा के कालाहांडी जिले के जूनागढ़ ब्लाक के माही चाला, मोटेर, दासीगांव में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलने की एक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक की मौजूदा शाखा लाइसेंसिंग नीति जनवरी, 1979 से मार्च, 1982 तक की अवधि के लिए है। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में शाखा खोलने के लिए राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्र निर्धारित किये गये थे। प्रश्न में उल्लिखित कोई भी केन्द्र, इस अवधि में शाखा खोले जाने के प्रयोजन के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किये गये थे। वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक की शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत शाखा विस्तार कार्यक्रम तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने के वास्ते केन्द्र निर्धारित करने के लिए अभी हाल ही में राज्य से अनुरोध किया है।

उड़ीसा में सरकारी उपक्रमों का लाभ और हानि

2282. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : उड़ीसा में सरकारी उपक्रमों को होने वाले लाभ और हानि का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : यद्यपि केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कुछ एकक उड़ीसा में कार्य कर रहे हैं, पर सरकारी उद्यमों द्वारा एकक वार लाभ हानि का ब्यौरा सूचित किया जाना आवश्यक नहीं है और इसीलिए यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। किन्तु भारतीय इस्पात प्राधिकरण के राउरकेला इस्पात कारखाने के पिछले तीन वर्ष के लाभ एवं हानि की जानकारी उपलब्ध है और यह इस प्रकार है :

(करोड़ रुपयों में)

	1978-79	1979-80	1980-81
कुल बिक्री	372.87	505.85	520.51
सकल लाभ	52.96	54.94	25,33
निवल लाभ	47.24	47.65	13.97

हरियाणा में आयकर छूट प्रमाण पत्र दिया जाना

2283. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा में 1981 के दौरान कितने न्यासों और समितियों को आयकर-छूट प्रमाण पत्र दिए गए ;

(ख) क्या यह सच है कि ये छूट प्रमाण पत्र देने में लम्बा समय लग जाता है; और

(ग) यदि हां, तो प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) आयकर आयुक्त, हरियाणा रोहतक द्वारा जनवरी, से दिसम्बर, 1981 तक की अवधि में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ के अन्तर्गत 32 मामलों में मान्यता प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। उन्होंने इसी अवधि में 71 मामलों में नवीकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए इस भाग का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हरियाणा में स्टेट बैंक की शाखाएं खोलना

2284. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में स्टेट बैंक की और अधिक शाखाएं खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी शाखाएं खोली जाएंगी और ये शाखाएं खोलने हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि हरियाणा में शाखाएं खोलने के लिए इस समय भारतीय स्टेट बैंक के पास 8 प्राधिकार पत्र विचाराधीन हैं जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिला	केन्द्रों के नाम
अम्बाला	1. नाहरपुर
	2. बुधकलां
हिसार	3. भट्टूकलां
	4. मोथरेकग्राम
	5. झटला
	6. थुराना
जींद	7. कोठियानन
सिरसा	8. मल्लेका

भारत में न्यास

2285. **श्री चिरंजीलाल शर्मा** : क्या वित्त मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न नामों के अन्तर्गत कार्य कर रहे न्यासों की. राज्यवार, संख्या कितनी है;

(ख) क्या उन्हें आयकर से छूट दे दी गई है;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि ये न्यास, न्यासों के धन को बड़े पैमाने पर अपने निजी व्यापार और निजी हितों के लिए प्रयोग करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) तथा (ख) : देश में कार्य कर रहे न्यासों की संख्या बहुत अधिक है और सभी न्यासों की बाबत सूचना एकत्र करना कठिन होगा क्योंकि उनमें से कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आयकर विभाग के रिकार्डों में दर्ज नहीं हों। ऐसे न्यासों को आयकर अधिकारियों द्वारा छूट की मंजूरी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 1 के अधीन दी जाती है और ऐसी मंजूरी आय विवरणों की यथोचित जांच और सांविधिक उपबंधों के अनुपालन के बाद ही दी जाती है। कर निर्धारण वर्ष 1980-81 को आधार मानकर ऐसे कर-निर्धारण 31 मार्च, 1983 तक परिसीमा विधि के अधीन किये जाते रह सकते हैं। उसे ध्यान में रखते हुए, आयकर आयुक्त के प्रत्येक अधिकार क्षेत्र में जो न्यासी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के अधीन कर-निर्धारण वर्ष 1980-81 से सम्बन्धित छूट का दावा करते हैं ? उनकी संख्या की बाबत सूचना एकत्र की जाती है और एकत्र करने के बाद यथा समय सदन पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) तथा (घ) जो न्यास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, निजी व्यापार और व्यक्तिगत हित के लिए न्यास-निधियों के प्रदान की रोक से संबंधित उपबंधों का उल्लंघन करते हैं, वे धारा 11 के अधीन दी जाने वाली छूट के हकदार नहीं होंगे ।

गत दो महीनों के दौरान तस्करी की घटनाएं

2286. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी की कितनी घटनाएं गत दो महीनों के दौरान सरकार की जानकारी में आई हैं;

(ख) तस्करी का कार्य करते समय गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है और इनमें उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें छोड़ दिया गया है;

(ग) कब्जे में किये गये तस्करी के सामान का अनुमानित मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार तस्करी के कार्य में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) तथा (ग) जिन मामलों में सीमाशुल्क अधिकारियों ने तस्करी का माल पकड़ा, उनकी संख्या और उनके परिणामतः पकड़े गये माल का मूल्य, जो कि नवम्बर और दिसम्बर 1981 के सम्बन्ध में उपलब्ध हैं, नीचे दिये गये हैं :—

	अभिग्रहणों की संख्या		अभिगृहीत माल का मूल्य (लाख रुपयों में)
नवम्बर,	1981	2267	317
दिसम्बर	1981	3411	339
			(आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ख) नवम्बर और दिसम्बर 1981 में तस्करी की गतिविधियों में ग्रस्त होने के कारण सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत जो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये, उनकी संख्या नीचे दी गयी है :—

		गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
नवम्बर	1981	127
दिसम्बर	1981	169
		(आँकड़े अनन्तिम हैं)

न्यायालयों ने उक्त अवधि में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत इस्तगासे की कार्यवाही में 15 फरवरी 1982 से पहले नहीं छोड़ा था।

(घ) और (ङ) तस्करी की गतिविधियों में प्राप्त पाये जाने वाले व्यक्तियों के खिलाप कानून के अनुसार आवश्यक कार्यवाई शुरू की जाती है। उपयुक्त मामलों में, ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबन्दी आदेश भी जारी किये जा रहे हैं।

पाकिस्तानी वायु सेना द्वारा शुरू किया गया युद्ध अभ्यास

2287. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तानी वायु सेना ने "जेट स्ट्रीम 1982" नाम से एक देशव्यापी युद्ध अभ्यास शुरू किया है;

(ख) क्या इस अभ्यास का लक्ष्य वायु सेना की परिचालन (आपरेशनल) और युद्ध क्षमता का पता लगाने और अपनी रक्षा क्षमताओं में सुधार करना है;

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) देश की सुरक्षा को सुदृढ़ करने लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) जी हाँ।

(ग) और (घ) हमारे सुरक्षा परिवेश में हो रही सभी गतिविधियों पर सरकार नजर रखती है और पूरी रक्षा तैयारी बनाये रखने के लिए उचित कदम उठाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आई.डी.ए.) से ऋण

2288. **श्री डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **वित मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1981-82 (जून में समाप्त होने वाले) के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आई. डी. ए.) से प्राप्त सभी प्रकार के ऋणों की कुल कितनी राशि है और वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए कितना ऋण मिलने का अनुमान है ?

वित मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के राजकोषीय वर्ष 1982 (पहली जुलाई, 1981—30 जून, 1982) के दौरान अब तक निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ ऋण करारों पर हस्ताक्षर हो चुके हैं।

परियोजना का नाम	(करोड़ अमेरिकी डालर)
1. राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम II	12.5
2. हाजिरा उर्वरक	40.0
3. कोरबा—II	40 0
4. कानपुर नगर विकास	2.5

जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के राजकोषीय वर्ष 1983 (पहली जुलाई, 1982—30 जून, 1983) का सम्बन्ध है हमने बैंक को सहायता के लिए परियोजनाओं की एक सूची प्रस्तुत कर दी है। उन परियोजनाओं की वास्तविक संख्या जिनके लिये यह सहायता ली जानी है तथा ऐसी सहायता की मात्रा, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की उपलब्ध कुल धनराशियों और परियोजना को तैयार करने तथा उसे संसाधित करने की स्थिति पर निर्भर करेगी।

बम्बई स्थित वी. ओ. आर. का दोषयुक्त कार्यकरण

2289. **डा० बसन्त कुमार पण्डित**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ महीनों से विमान चालक, पुराने हवाई अड्डे के निदेशक और अन्य तकनीशियन, बम्बई हवाई अड्डे पर रनवे के छोर पर स्थित "वेरी हाई फ्रीक्वेन्सी ओमनी डायरेक्शनल रेंज फाइन्डर" (वी. ओ. आर.) नामक महत्वपूर्ण उपकरण के दोष युक्त कार्यकरण की गम्भीर शिकायतें करते रहे हैं;

(ख) क्या "वोर" की असफलता अथवा दोषयुक्त कार्यकरण से बम्बई हवाई अड्डे के ऊपर विमानों के उड़ान की सुरक्षा को खतरा पैदा होता है;

(ग) क्या बम्बई क्षेत्र की क्षेत्रीय कार्यसंचालन समिति ने भी इस स्पष्ट उड़ान सम्बन्धी खतरे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और इस अविश्वसनीय "वीर" के कारण बम्बई हवाई अड्डे के आस-पास हुई सात से अधिक हवाई दुर्घटनाओं की ओर संकेत किया है :

(घ) क्या यह सच है कि विभाग ने एक नये स्थान पर नया उपकरण लगाने के आदेश दे दिये हैं; यदि हां, तो यह कब से कार्य करना शुरू कर देगा; और.

(ङ) सरकार ने विमान यात्रियों तथा हवाई अड्डे के सभी संचालनों में सुरक्षा के लिये क्या कदम उठाये हैं।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां। बम्बई हवाई अड्डे पर वी. ओ. आर. के "स्केलोपिंग" के बारे में एयरलाइनें शिकायतें करती रही हैं। स्केलोंपिंग वी. ओ. आर. के काम करने में खराबी के कारण नहीं है अपितु वी. ओ. आर. के आस-पास में नयी इमारतों के उठ खड़े होने के कारण है।

(ख) चूंकि बम्बई हवाई अड्डे पर विमानों के प्रयोग के लिये दिक्चालन की अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं अत: विमान सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

(ग) बम्बई की क्षेत्राय समिति ने वी.ओ.आर. के "स्केलोपिंग" की ओर संकेत किया है। परन्तु "एयर मिस" (हवा में संभावित टक्कर) की घटनाएं अविश्वसनीय वी.ओ.आर. उपकरणों के कारण नहीं हुई थीं।

(घ) जी, हां। नागर बिमानन विभान ने मौजूदा स्थान पर "डापलर वी.ओ.आर." के नाम का नया उपकरण स्थापित करने के लिए पहले ही कार्यवाही शुरु कर दी है। यह नया उपकरण आस पास के विक्षोभों से कम प्रभावित होता है। इस सुविधा के 1983 तक परिचालन में आने की आशा है।

(ङ) विभिन्न हवाई अड्डों पर विमान परिचालनों की सुरक्षा के स्तर में सुधार एक निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है हवाई अड्डों पर नये दिवचालर तथा संचार उपकरण व उपस्कर क्रमिक चरणों में स्थापित किए जा रहे हैं।

"हार्स डिलेज प्लेंस लेंडिंग" शीर्षक लेख

2290. **डा. वसंत कुमार पण्डित** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान "टाइम्स आफ इंडिया," बम्बई के 15 जनवरी, 1982 के अंक में "हार्स डिलेज प्लेन्स लेंडिग" शीर्षक लेख की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या घटना के बारे में कोई जांच-पड़ताल की गई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ समय पहले हवाई अड्डे के रनवे पर एक भैंस चली गई;

(घ) क्या यह सच है कि देशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों हवाई अड्डों में क्षेत्र के कुछ भाग 'असुरक्षित" हैं और लोग अथवा पशु खुले रूप से प्रवेश कर सकते हैं, और

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दोनों हवाई अड्डों के चारों ओर खतरे के इन असुरक्षित क्षेत्रों और झौंपड़पट्टी को फैलने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विभानन मंत्री : (श्री अनंत प्रसाद शर्मा) (क) जी, हां।

(ख) मामले की जांच की गई। अवारा घूमता हुआ घोड़ा 30 दिसम्बर, 1981 को बम्बई हवाई अड्डे के परिचालन क्षेत्र में, चौगिर्दी बाड़ के टूटे हुये भागों में से होकर गया।

बाड़ की यह तोड़ फोड़ विमान क्षेत्र की परिधि के बाहर बसे हुये झौपड़-पट्टी वासियों द्वारा की गई थी। टूटे भागों की आवश्यक मरम्मत कर दी गई है तथा वहां तैनात सुरक्षा पुलिस में भी वृद्धि कर दी गई है।

(ग) जी, हाँ। 10 जून 1979 को बम्बई विमान क्षेत्र के धावनपथ में एक आवरा भैंस घुस गई थी।

(घ) हवाई अड्डे के परिचालन क्षेत्र पर चारों ओर कांटेदार तार लगाये हैं तथा ईंटों की दीवारें बनायीं गई हैं। परिधि के इर्द-गिर्द झौपड पट्टियों की मौजूदगी से बाड़/दीवार में तोड़ फोड़ के कारण, सुरक्षा को क्षति पहुंची है।

(ङ) सुरक्षा पुलिस तथा भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के भी कर्मचारियों के समय-समय पर विमान क्षेत्र की परिधि के चारों ओर गश्त लगाने के बावजूद, झौपड़-पट्टियों में बड़ी भारी तादाद में आ बसे अवांछित तत्व, बाड़ तथा दीवारों को तोड़ कर रास्ते बना देते हैं। भारत अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इन अनधिकृत बस्तियों को दूर करने के लिये मामले को महाराष्ट्र सरकार के साथ बार-बार उठाया है इस विषय में अन्तिम बैठक 19 फरवरी 1982 को हुई।

कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र में मेले आयोजित करनें में विदेशों की रुचि

2291. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देशों ने, कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्रों में भारत की क्षमता से अपने व्यापारी लोगों को परिचित कराने के लिए अपने देशों में कुछ विशिष्ट व्यापार मेले आयोजित कराने में अपनी रूचि व्यक्त की है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) (क) तथा (ख) जी नहीं। तथापि, पैरिस में भारत के राजदूत ने सिफारिश की है कि भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण 1982-83 के दौरान पैरिस में एक पूर्णतया भारतीय व्यापार प्रदर्शनी का आयीजन करें जिसमें औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय के क्षेत्रों में भारत की क्षमताएं दर्शायी गई हों। इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

कुछ हवाई अड्डों पर संचालात्मक और यात्री क्षेत्र बढ़ाने हेतु योजना

2292. **श्री जी. वाई. कृष्णन्** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल ही में कुछ हवाई अड्डों पर और अधिक सुविधाओं और उपकरणों की व्यवस्था करने के लिये संचालन और यात्री क्षेत्र बढ़ाने की की एक योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है, और कौन कौन से हवाई अड्डे सरकारी इस योजना के अन्तर्गत आएंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री : (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) (क) जी, हाँ।

(ख) जिन अन्तर्देशीय हवाई अड्डों के लिये इंडियन एयरलाइंस/वायुदूत द्वारा विमान सेवायें परिचालित की जा रही हैं अथवा करने का प्रस्ताव है, उनके सम्बन्ध में नये हवाई अड्डों के निर्माण, धावनपथों, टेक्सीपथों तथा एप्रनों के सुदृढ़ीकरण, टर्मिनल भवनों के विस्तार /आधुनिकीकरण/निर्माण, सुरक्षा सेवा उपकरणों के सुधार/प्रावधान के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में 147.00 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान किया गया है। योजना में अंतर्देशीय तथा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रेडियो, राडार दिक्चालन उपकरणों तथा संचार सुविधाओं का विस्तार/ आधुनिकीकरण भी सम्मिलित है।

छठी योजनावधि के दोरान 141 करोड़ रुपये की कुछ लागत से अंतरर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों के निर्माण की भी योजनाएं बना ी गई हैं। विस्तार कार्यक्रमों में बम्बई में नये अन्तरराष्ट्रीय यात्री टर्मिनल काम्पलेक्स (चरण II) के निर्माण, दिल्ली में नये अन्तरराष्ट्रीय यात्री तथा कार्गो टर्मिनल काम्पलेक्स, मद्रास में नये अन्तर्देशीय टर्मिनल भवन का निर्माण, तथा बम्बई में श्रेणी II प्रकाश व्यवस्था का प्रावधान आदि सम्मिलित हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में जिन महत्वपूर्ण अन्तर्देशीय हवाई अड्डों का विकास किए किये जाने का प्रस्ताव है, वे निम्नलिखित हैं :—

1. गोहाटी
2. अगरतला
3. डिबूगढ़ (मोहनबाड़ी)
4. राजकोट
5. भावनगर
6. बड़ौदा
7. भोपाल
8. इंदौर
9. हैदराबाद
10. बंगलौर
11. मदुरे
12. त्रिवेन्द्रम
13. पटना
14. गोवा
15. श्री नगर
16. कोचीन
17. कालीकट (नया हवाई अड्डा)
18. भुवनेश्वर
19. विशाखापत्तनम्
20. अहमदाबाद
21. लखनऊ
22. जम्मू

वायुदूत स्टेशन :

1. कैलाशहर
2. कमालपुर
3. रूपसी
4. शिलांग (बारापानी)
5. कूचविहार
6. पासीघाट
7. डपारिजो
8. जेरो
9. लुधियाना
10. कोटा
11. गया
12. मुजफ्फरपुर

परम्परागत वस्तुओं के निर्यात में कमी

2293. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात में, खास तौर से अनावश्यक वस्तुओं के आयात, बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि काफी, मसाले, खनिज और वस्त्रों जैसे परम्परागत क्षेत्रों में देश का निर्यात कम होता जा रहा हैं;

(घ) इस बारे में गत वर्ष के मूल निर्यात लक्ष्य क्या है और वास्तविक निर्यात कितना हुआ है और क्या के लक्ष्य पूरे कर लिये गये हैं : और

(ङ) व्यापार के अन्तर को कम करने लिए क्या उपाय सोचे गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) भारत के समग्र आयातों में 1979-80 की तुलना में 1980-81 में लगभग 38.4 प्रतिशत की काफी वृद्धि हुई। हमारे आयातों में कुछ एक मदों का अत्याधिक प्राधान्य है। पी. ओ. एल. उर्वरकों अलौह धातुओं तथा लोहा व इस्पात, जो सभी घरेलू उत्पादन के लिए अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधन हैं के आयात 1980-81 में कुल आयातों के 60 प्रतिशत रहे। इन मदों के लिये आयात बिल में वृद्धि 1978-79 तथा 1980-81 के बीच आयातों में वृद्धि 83 प्रतिशत की वृद्धि रही।

गैर अनिवार्य तथा विलासिता के सामान के वाणिज्यक आधार पर आयात की अनुमति आयात नीति के अन्तर्गत नहीं है। आयात नीति की निरन्तर समीक्षा की जाती है और माल के आयात में कमी करने तथा सापेक्षतया निम्न प्राथमिकता देने के लिये कदम उठाये जाते हैं।

(ग) हालांकि निर्यातों में विनिर्दिष्ट मदों में से कुछ के सम्बन्ध में कमी का रूख रहा है। फिर भी यह कहना सही नहीं होगा कि हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसे उत्पादों के लिये स्थान गंवा रहे हैं। हांलाकि 1>81-82 के दौरान मात्रा की दृष्टि से काफी के निर्यात बढ़ते रहे हैं परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों तथा निर्यातों के इकाई मूल्य में कमी के कारण निर्यात आय की दृष्टि से मिलावट आयी है। मसालों के मामले में निर्यातों में उत्पादक देशों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा तथा कीमतों में कमी के कारण 1981-82 के दौरान गिरावट जारी रही है। गिरावट कारण अंशतः घरेलू खपत का होना भी हो सकता है। खनिजों के निर्यातों में मुख्यत: विश्व इस्पात उद्योगों में सतत मंदी के कारण महत्वपूर्ण सुधार नहीं हुआ है। सूती वस्त्रों के निर्यात अच्छे हो रहे हैं। हालांकि उन्हें विकसित देशों द्वारा अपनाए जा रहे संरक्षणवादी उपायों की समस्या का अभी सामना करना पड़ रहा है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बंगला देश से पटसन माल की सप्लाइयों से कड़ी प्रतियोगिता के कारण और साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के बावजूद संसलिष्ट प्रतिस्थापन वस्तुओं से बढ़ते हुए खतरे से पटसन वस्तुओं के निर्यातों में गिरावट आयी है। विशेष रूप में संयुक्त राज्य अमरीका में भवन निर्माण कार्यों की कमी से उत्पन्न सतत् मंदी की उपस्थितियां भी महत्वपूर्ण कारण बनी हैं।

(घ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1980-81 के दौरान भारत के समग्र निर्यात

6709.17 करोड़ रु० के हुए। जबकि इस वर्ष के लिये लक्ष्य 7100 करोड़ रु० का था। निर्यात लक्ष्य में गिरावट चीनी के निर्यातों में भ री गिरावट के कारण हुई जो 1978-79 में 129 करोड़ रु० के थे, 1980-81 में 36 करोड़ रु० के रह गये, चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं के मामले में जो 520 करोड़ रु० से 376 करोड़ रु० के रह गये, मसालों के मामले में जो 149 करोड़ रु० से 106 करोड रु० रह गये तथा पटसन वस्तुओं के मामले में जो 336 करोड़ रु० से 243 करोड़ रु० रह गए।

चीनी के निर्यातों में गिरावट का मुख्य कारण 1979-80 मौसल के दौरान चीनी के उत्पादन में तीव्र गिरावट होना है। जिसंक फलस्वरूप निर्यातों के लिए अधिशेष उपलब्ध नहीं हुआ। 1980-81 के दौरान चमडा तथा चमड़े की वस्तुओं के निर्यातों में कभी चमड़ा उद्योग में गम्भीर विश्व मंदी के कारण हुई। अन्तर्राष्ट्रीय मांग में अब वृद्धि के आसार दिखायी देने लगे हैं और निर्यात बढ़ने लगे हैं। मसालों तथा पटसन वस्तुओं के मामले में गिरावट के लिए उत्तरदायी कारण उपरोक्त के अनुसार हैं।

(ङ) नियातों को बढ़ाने के लिए अनेक निर्यात संवर्धन उपाय पहले ही आरम्भ किए जा चुके हैं। इनमें शामिल हैं निर्यात उत्पादन पर लाइसेंसिंग अडचनों को समाप्त करना, शतप्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों तथा एग्जिम बैंक की स्थापना करना तथा शुल्क वापसी को सरल तथा युक्ति-युक्त बनाना, निर्यातों पर वित्तीय रियायतें देना, कच्चे तेल, उर्वकों, इस्पात सीमेन्ट खाद्य तेलों आदि जैसे नाजुक आपात के क्षेत्रों में घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने में के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं जिससे व्यापार अन्तराल को कम करने में यथा सम्भव मदद मिलेगी।

मंहगाई भत्ता रोकने के बारे में केन्द्रीय कर्मचारी संगठनों का विरोध

2294. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते**: क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अनेक संगठनों ने, 1983 तक मंहगाई भत्ते को रोकने के सरकारी प्रस्ताव का विरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कर्मचारियों के संगठनों को इस पर क्या आपत्तियां हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को 1983 तक रोकने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, 15.2.1982 को हुई संयुक्त परामर्शदाता-तन्त्र, राष्ट्रीय परिषद् की स्थायी समिति की बैठक में सरकारी पक्ष ने अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्ताव रखा था कि मंहगाई भत्ते की तीन किस्तें जो 1.10. 981 1.8.1981 और 1 11. 1981 से विचार करने योग्य हो गई हैं, उनकी 31.3.1982 तक की बकाया राशि को कर्मचारियों की भविष्य निधि में जमा कर दी जाये। केवल दो को छोड़कर, जिन्होंने भिन्न विचार व्यक्त किए हैं, कर्मचारी पक्ष के सभी प्रतिनिधियों ने सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। कर्मचारी-पक्ष के अन्तिम विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

निर्यात अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव

2295. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** दिनांक 4 फरवरी, 1982 के

"हिन्दुस्तान टाइम्स" में "गवर्नमेंट प्रोपेजिज टू एमेंड एक्सपोर्ट एक्ट शीर्षक से प्रकाशित समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात निरीक्षण परिषद एजेंसी या वस्त्र समिति ने निर्यात-खेप को जहाज में लादने से पहले किए जाने वाले निरीक्षण में कमियां पाई है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान कदाचार के कितने मामलों का पता चला है और जहाज से माल भेजने वाले ऐसे चूककर्त्ताओं का ब्यौरा है तथा उन्होंने किस किस्म के अपराध किए हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही शुरू की गई;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने माल लादने से पहले किस्म नियंत्रण कानून और पद्धतियों में परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में दिल्ली स्कूल आफ इकोनोमिक के वाणिज्य विभाग में "एक्सपोर्ट मार्केटिंग आफ नान-ट्रेडिशनल आइटम्स" शीर्षक से डाक्टरेट की उपाधि के लिए प्रस्तुत अनुसन्धानकर्ता में की गई सिफारिशों की जाँच की है;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने इस अध्ययन की उन सिफारिशों को, जो इण्डियन काउंसिल आफ सोशल साईन्स रिसर्च ने इन्हें भेजी थी, निर्यात निरीक्षण परिषद/वस्त्र समिति को उनकी टीका-टिप्पणियां और दोषी पद्धति में आवश्यक परिवर्तन के लिए भेज दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) अध्ययन भारतीय सामाजिक विज्ञानप परिषद द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया था बल्कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक शोध छात्र द्वारा किया गया था। इस विषय पर पहले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 682 दिनाँक 17 मार्च, 1980 के अन्तर्गत किये गये उत्तर की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

विवरण

निर्यात (क्वालिटी नियन्त्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963, 1 जनवरी, 1964 को प्रवृत्त हुआ जिसके अनुसार सरकार को निर्यात प्रयोजनों के लिए अनिवार्य क्वालिटी नियन्त्रण तथा लदानपूर्व निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए वस्तुएं अधिसूचित करने का अधिकार मिला। पिछले वर्षों के 800 से भी अधिक वस्तुओं के विदेशी बाजारों में भारतीय माल का सही स्वरूप प्रस्तुत करने के हित में क्वालिटी नियंत्रण तथा लदान पूर्व निर्यात निरीक्षण के अन्तर्गत लाया गया है, निर्यात गतिविधियों में भारी वृद्धि को देखते हुए और इस क्षेत्र में प्राप्त अनुभव के आधार पर निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 को अधिक कारगर बनाने के लिए उसमें कतिपय संशोधन विचाराधीन हैं।

2. निर्यात निरीक्षण अधिकरण के क्वालिटी शिकायत कक्ष द्वारा 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त क्वालिटी संबंधी शिकायतों संबंधित मामलों की संख्या क्रमश: 329 तथा 225 रही, जबकि उसी अवधि के दौरान निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा प्रमाणित परेक्षणों की संख्या क्रमशः लगभग 2.07 लाख तथा 2.30 लाख थी शिकायतें सामान्य तौर पर घटिया उत्पादों के निर्यात से संबंधित होती हैं।

3. इन दो वर्षों के दौरान 51 मामलों में निर्यात निरीक्षण अभिकरण के कर्मचारियों के खिलाफ तथा 69 मामलों में निर्यातकों/विनिर्माताओं के खिलाफ कार्यवाही की गई है या की जा रही है।

4. वस्त्र समिति द्वारा निर्यात परेषणों के लदानपूर्व निरीक्षण के संबंध है। 1980-81 के दौरान अनाचार वाले 13 मामलों का पता लगाया गया। ये मामले मुख्यत: सील तोड़ने तथा माल के बदले जाने से संबंधित थे। इस तरह के मामलों के खिलाफ कार्यवाही आयात तथा निर्यात नियन्त्रण अधिनियम, 1947 तथा अन्य सगत कानूनों के अन्तर्गत की जाती है।

इन्जीनियरी उद्योगों की बिजली और कच्चे माल की समस्या

2296. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्जीनियरी सामान के निर्माण के लिए आवश्यक बिजली की सप्लाई तथा इस्पात और खान तथा अन्य कच्चे माल का, विशेष रूप से उत्तरी-क्षेत्र में कमी के कारण अनेक इन्जीनियरी-उद्योगों को अन्य विकासशील देशों के निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार किया जा रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) तथा (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान सरकार को उत्तरी क्षेत्र के छ: इन्जीनियरिंग उद्योगों से उनके निर्यात योग्य माल के उत्पादन पर बिजली की कटौती से कुप्रभाव पड़ने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं। इन एककों को बिजली की कटौती से छूट देने के बारे में संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों के साथ मामले को उठाया गया था। इस क्षेत्र में निर्यात किये जाने वाले इन्जीनियरी माल के उत्पादन पर कुप्रभाव डालने वाली बिजली की कटौतियों के बारे में अभी हाल में कुछ रिपोर्टें मिली हैं। ये रिपोर्टें आम तरह की हैं। इन्जीनियरिंग निर्यात सवर्धन परिषद को इन मामलों की जांच करने और ऐसे खास-खास उद्योगों के मामलों का उल्लेख करने को कहा गया है जिनके निर्यातों पर बिजली की कटौतियों के कारण कुप्रभाव पड़ा है जिससे संबंधित राज्य विद्युत बोर्डों के साथ राहत के लिए उसी प्रकार से मामला उठाया जा सके। चालू वर्ष में लोहा, इस्पात तथा अन्य कच्ची सामग्रियों की सप्लाई की ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई है जिससे उत्तरी क्षेत्र में निर्यात के लिए इन्जनिरिंग माल के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ा हो। इन्जीनियरिंग निर्यात सवर्धन परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्राथमिकता आधार पर इस्पात विभाग की संयुक्त संयंत्र समिति द्वारा इन्जीनियरी माल के निर्यातकों को इस्पात व कच्चे लोहे जैसी कच्ची सामग्रियों की सप्लाइयां की जा रही हैं और तब ले चालू वर्ष में सप्लाइयां सन्तोषजनक पाई गई हैं। सरकार परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर लोहे व इस्पात की सप्लाई में प्रगति की निरतन्र समीक्षा करती रहती है।

कलकत्ता से शुरू होने वाली यात्री-उड़ानों में वृद्धि

2297. **श्री कृष्ण चन्द हाल्दर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कलकत्ता से शुरू होने वाली यात्री-उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि यदि यात्री-उड़ानों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो विमान से ले जाने वाले सामान में स्वत: ही वृद्धि हो जायेगी;

(घ) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस संबध में क्या उपाय किये गये हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हाँ।

(ख) सरकार कलकत्ता हवाई अड्डे पर विदेशी एयरलाइनों द्वारा और अधिक अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों की अनुमति देने की इच्छुक है बशर्ते कि ऐसे परिचालन उन एयरलाइनों को द्विपक्षीय विमान सेवा करारों के अनुसार अधिकृत विमान सेवाओं की संख्या के अन्तर्गत आते हैं। अपनी अधिकृत सेवाओं के अन्तर्गत किसी भी विदेशी एयरलाइन ने कलकत्ता से होकर अपनी सेवाएं परिचालित करने की इच्छा व्यक्त नहीं की है। एयर इंडिया की कोई अतिरिक्त यात्री-उड़ानें परिचालित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। कलकत्ता से अतिरिक्त यात्री उड़ानें कार्गो क्षमता भी उत्पन्न करेंगी। तथापि अतिरिक्त उड़ानों का आरम्भ करना, उनकी वाणिज्यिक दृष्टि से आत्म-निर्भरता और परिचालन की दृष्टि से व्यवहार्यता जैसे कई तत्वों पर निर्भर करता है। कलकत्ता एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के परिचालनों में किसी भी प्रकार की वृद्धि का आर्थिक दृष्टि से औचित्य नहीं होगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया की पूर्वी देशों को आने जाने वाली उड़ानों को कलकत्ता से शुरू करना और वहीं समाप्त करना

2298. **श्री नीरेन घोष** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "एयर-इण्डिया" की पूर्वी देशों को आने-जाने वाली सभी उड़ानें बम्बई से शुरू होती हैं और वहीं समाप्त होती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) "एयर-इण्डिया" की पूर्वी-देशों को आने-जाने वाली उड़ानों को कलकत्ता से शुरू न करने और वहां समाप्त न करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एयर इण्डिया का इन्जीनियरिंग "बेस" बम्बई में स्थित है तथा सर्विसिंग संधारण इत्यादि का कार्य भी बम्बई में ही किया जाता है। यदि पूर्व को जाने वाली उड़ानें कलकत्ता से आरम्भ की जाती हैं तथा वहीं समाप्त होती हैं, तो कलकत्ता में एक संधारण बेस की स्थापना करनी होगी जो कि एक ऐसा प्रस्ताव होगा जिस पर होने वाला खर्च संभावित लाभ से कहीं अधिक होगा।

उड़ानों के लिए कलत्ता और मद्रास के विमान-पत्तनों का भी उपयोग किया जाना

2299. **श्री नीरेन घोष** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई और दिल्ली के विमान-पत्तनों पर बहुत भीड़-भाड़ रहती है;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ानों के लिए कलकत्ता और मद्रास के विमान-पत्तनों का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कलकत्ता और मद्रास के विमान-पत्तनों की ओर से इस प्रकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो क्या उस पर विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) पिछले कुछ वर्षों में हुई यात्री तथा माल यातायात में वृद्धि के कारण, सभी अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्रों का विस्तार तथा आधुनिकीकरण आवश्यक हो गया था। बम्बई विमान क्षेत्र पर टर्मिनल-II के अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए, चालू हो जाने तथा टर्मिनल I का एकमात्र अंतर्देशीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग प्रारम्भ हो जाने से वहां यात्रियों तथा विमानों की गतिविधियों की संतोषजनक व्यवस्था हो गयी है। दिल्ली विमान क्षेत्र पर केवल अन्तर्राष्ट्रीय प्रस्थान कक्ष में भीड़-भाड़ रहती है। एक अन्तरिम अन्तर्राष्ट्रीय भवन के अक्तूबर, 1982 तक पूरा हो जाने की आशा है। यूरोप तथा पूर्वी एशिया में रात को कर्फ्यू लगा होने तथा बहुत सी उड़ानों के एक ही समय में जमा हो जाने के कारण रात को विमानों का जमघट हो जाने की वजह से दोनों उपर्युक्त विमान क्षेत्रों पर रात्रि में, बड़ी भीड़-भाड़ रहती है।

(ख) विदेशी एयरलाइनें, अपने-अपने द्विपक्षीय विमान सेवा करार में निर्दिष्ट स्थान (स्थानों) के लिए परिचालन करती हैं। यद्यपि विदेशी विमान कम्पनियों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा करार करते समय भारत में कलकत्ता तथा मद्रास को सदा एक अवतरण स्थल के रूप में पेश किया जाता है, एयरलाइनें दिल्ली अथवा बम्बई के लिये परिचालन को वाणिज्यिक दृष्टि से लाभदायक पाती हैं।

(ग) ये एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात को दृष्टि में रखकर, अपने द्विपक्षीय विमान सेवा करार में निर्दिष्ट मार्ग अनुसूची के अनुसार, भारत में अपने अवतरण स्थलों का निर्धारण करें। कोई एयरपोर्ट, किसी एयरलाइन को वहां परिचालन के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

(घ) क्योंकि कोई प्रस्ताव अनिर्णीत नहीं पड़ा है विचार का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण के अधीन आर्थिक-सहायता का बन्द किया जाना

2300. **प्रो मधु दण्डवते** :

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण की शर्तों के अन्तर्गत आवश्यक खाद्य पदार्थों संबंधी आर्थिक सहायया को बन्द कर दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यक पदार्थों पर आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में सरकार की कोई अन्य योजनाएं हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

लन्दन में वामपन्थी लाबी द्वारा दक्षिण भारत के चाय बागानों के विरुद्ध अभियान

2301. **श्री जी. नर सिम्हा रेड्डी :**

श्री मोहन लाल पटेल :

श्री के. मालन्ना :

श्री अर्जुन सेठी :

श्री डी. पी. जदेजा :

श्री चिन्तामणि जैना : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन में एक वामपन्थी लाबी दक्षिण भारत के चाय बागानों के विरुद्ध, इन उद्योग को बदनाम करने तथा पश्चिम में भारतीय चाय का बायकाट करने के लिए दर्दनाक कहानियाँ फैला रही है;

(ख) क्या विदेशी टेलीविजन दलों ने नीलगिरि की पहाड़ियों में श्रमिकों की जीवन-निर्वाह स्थिति की फिल्में बनाई हैं और 'बायकाट' के उपरोक्त उद्देश्य के समर्थन के लिए संपूर्ण मसले को तोड़ मरोड़ कर देय किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस अभियान को रोकने के लिए और वास्तविक स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. सगमा) : (क) सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) तथा (घ) दि यूनाइटेड प्लांटस एसोसियेशन आफ सदर्न इंडिया ने सरकार को एक अभ्यावेदन भेजा है जिसमें नीलगिरी में विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा चाय बागान कर्मचारियों पर गुप्त रूप से वृत्त चित्त बनाने का आरोप लगाया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि इस उद्देश्य के लिए किसी भी विदेशी टी. वी. टीम को अनुमति नहीं दी गई थी। एहतियाती तौर पर तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, केरल तथा आसाम आदि राज्य सरकारों को तुरन्त सूचित कर दिया गया था कि वे अपने संबंधित राज्यों में किसी भी चाय उपजाने वाले क्षेत्र में किसी भी अनाधिकृत फिल्म बनाने की अनुमति न दें। नीलगिरी जिलाधीश द्वारा बागान कर्मचारियों को चेतावनी दी गई है कि वे फिल्म बनाने वाले विदेशी दर्शकों की आवभगत न करें। पश्चिम बंगाल में सभी चाय उपजकर्ता एशोसिएशनों को भी इसी प्रकार की सलाह दी गई है। भारत में सीमा शुल्क प्राधिकारियों से भी यह सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया गया है कि वृत्त चित्र बिना उचित अथारिटी के देश के बाहर न जाने पाए।

व्यापार की स्थिति

2302. **श्री एम. राम गोपाल रेड्डी** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत वर्ष के दौरान व्यापार की स्थिति के बारे में ब्यौरा क्या है और क्या सरकार इस स्थिति से, इसे प्राप्त करने हेतु नियत लक्ष्यों के अनुसार संतुष्ट है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1980-81 के दौरान भारत के समग्र निर्यात 6709.17 करोड़ रु० मूल्य के रहे जबकि उस वर्ष के लिए लक्ष्य 7100 करोड़ रु० का था। 1980-81 के दौरान निर्यातों की वृद्धि में देशी तथा विदेशी कठिनाइयों की वजह से रुकावट आई अर्थात् निम्न उत्पादन स्तरों, निर्यात उत्पादन तथा घरेलू मुद्रा स्फीति के लिए अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के अभाव विश्वव्यापी मन्दी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अस्थिरता तथा विकासशील देशों द्वारा अपनाई गई संरक्षणतावादी नीतियों की वजह से 1979-80 तथा 1980-81 के पूर्वार्द्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था का अपर्याप्त निष्पादन।

स्वर्णकारों की मांग

2303. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम लागू होने के बाद हजारों स्वर्णकारों की स्थिति काफी दयनीय हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्वर्णकार समुदाय काफी लम्बे समय से यह मांग कर रहा है कि पिछड़े वर्गों के बारे में गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुसार उन्हें अनुबन्ध-II में वर्गीकृत करने की अपेक्षा उन्हें अनुबंध-एक में वर्गीकृत किया जाना चाहिए तथा उनके पुनर्वास हेतु आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जानी चाहिए;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सवाई सिंह सिसोदिया) : (क) जब 1963 में स्वर्ण नियंत्रण उपाय लागू किये गये तभी से स्वर्णकारों की ओर से सामान्य अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। सरकार ने उनकी समुचित जांच करके समय-समय पर स्वर्णकारों को विभिन्न राहतें दी हैं। प्रमाणित स्वर्णकारों को दी गई विभिन्न राहतों की मुख्य-मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(i) 1966 में आभूषणों की शुद्धता पर से प्रतिबंध हटा दिया गया था;

(ii) उन्हें इस बात की अनुमति दी गई है कि ग्राहकों से आर्डर प्राप्त होने पर वे उन मानक स्वर्ण छड़ों से आभूषण बना कर बेच सकते हैं जिनके रखने की उन्हें पहले ही अनुमति दी हुई है;

(iii) उन्हें यह अनुमति भी दी गई है कि वे एक समय में एक व्यक्ति से 35 ग्राम के आभूषण खरीद सकते हैं और कुछ शर्तों के अन्तर्गत अन्य ग्राहकों से विशेष आर्डर प्राप्त होने पर उसका प्रयोग आभूषणों का निर्माण करने के लिए कर सकते हैं;

(iv) स्वर्णकार प्रमाण-पत्र केवल स्वर्णकारों के परिवार के सदस्यों को ही जारी किये जाने सम्बन्धी प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है;

(v) रोजगार कार्यालय में नाम दर्ज करवाने पर प्रमाणिक विस्थापित स्वर्णकारों को, रोजगार सहायता के प्रयोजनार्थ वही प्राथमिकता दी जाती है जो स्टाफ में छटनी (रिट्रेन्चमेंट) का शिकार हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारिओं को दी जाती है;

(vi) प्रमाणक विस्थापित स्वर्णकारों को निम्नलिखित के सम्बन्ध में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है—

(क) औद्योगिक प्रतिष्ठानों में शिल्पियों अथवा अर्द्ध कुशल कर्मचारियों के रूप में रोजगार के मामले में 45 वर्ष की आयु तक।

(ख) जिन गैर-औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से अन्यथा रूप में की जाती है उनमें श्रेणी iii तथा श्रेणी iv के कर्मचारियों के रोजगार के मामले में 5 वर्ष की आयु की छूट।

(vii) स्वर्ण व्यापार का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुल कारबार की अर्हता सीमा को 5 कि. ग्रा. से घटा कर 2 कि. ग्रा. कर दिया गया है

(viii) भारत सरकार ने राज्य सरकारों/सग राज्य क्षेत्रों को लिखा था कि स्वर्णकारों को उनके पुनर्वास के लिए दिए गए ऋणों की बकाया राशि को सामान्य रूप से माफ कर दिया जाए।

(ix) चरणबद्ध रूप में 18 या 14 कैरेट स्वर्णजवाहरात को पुनः चालू करने सम्बन्धी स्वर्ण नीति जांच समिति की सिफारिश की सरकार द्वारा जाँच की गयी थी। सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद और इस प्रकार के उपाय के विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और प्रशासकीय प्रभावों को और बहुत से व्यापार-संघों, जिनमें स्वर्णकार संघ भी शामिल हैं, से प्राप्त अभ्यावेदनों को देखते हुए सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार न करने का निर्णय किया;

(x) राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बन्धपत्र, 1980 के अन्तर्गत सोना रिलीज करने के लिए प्रक्रिया तैयार करते समय स्वर्णकारों को भी अधिनियम के अन्तर्गत निहित सांविधिक सीमाओं के अधीन रहते स्वर्णादि को बदलवाने की अनुमति दी गयी थी।

(ख) से (घ) 1961 में सरकार ने यह निश्चय किया था कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की मौजूदा सूचियों के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों की और कोई अखिल भारतीय सूची तैयार नहीं की जाएगी। पिछड़ेपन को परिभाषित करने के लिए राज्य सरकारें स्वेच्छा से कोई भी मानदण्ड अपना सकती हैं। गृह मन्त्रालय ने इस निर्णय की जानकारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगस्त, 1961 में दे दी थी।

इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों में कृपाण ले जाने संबन्धी निर्णय

2304. **डा. कृपा सिन्धु भोई : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों में कृपाण ले जाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विमान अपहरण की घटनाएं रोकने के लिये क्या कोई अन्य उपाय किये गए हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा) : (क) और (ख) 29-9-1981 की विमान अपहरण की घटना को ध्यान में रखते हुए इण्डियन एयरलाइन्स की अंतर्देशीय उड़ानों पर कृपाण तथा छुरा ले जाना वर्जित करने के आदेश जारी किये गये थे। परन्तु, सरकार द्वारा मामले का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

(ग) इण्डियन एयरलाइन्स/एयर इण्डिया के विमानों के अपहरण की हाल की घटनाओं की दृष्टि से किए गये मूल्यांकन के परिणाम-स्वरूप, विमान कम्पनियों द्वारा (i) यात्रियों के हाथ के सामान की जाँच प्रक्रिया को और कड़ा करने (ii) यात्रियों की पूर्ण रूप से शारीरिक तलाशी लेने तथा (iii) उड़ान से पूर्व विमान कम्पनियों द्वारा तोड़-फोड़ विरोधी कड़ी जांच करने के नये आदेश जारी किये गये।

संचयिता के कार्यों की जांच

2305. **श्री चित्त बसु :**

श्री के. ए. राजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में की गयी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए संचयिता के कार्यों की जाँच करना वाँछनीय समझती है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसका विवरण और विशेष कारण क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मैसर्स संचयिता इन्वेस्टमेंट से सम्बन्धित मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले की विविक्षाओं की जाँच की जा रही है।

संचयिता की दिल्ली में नई कम्पनियां

2306. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'सचयिता इन्वेस्टमेंट, कलकत्ता, के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कम्पनी के संस्थापकों पर मुकद्दमा चलाने की संभावना की जांच की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि संचयिता इन्वेस्टमेंट कम्पनी के संस्थापकों ने दिल्ली में 'राजधानी फाइनांस' कॉरेशन और 'संतोषी इन्वेस्टमेंट्स 'नाम से नई कम्पनियां खोली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले की विविक्षाओं की जाँच की जा रही है।

(घ) और (ङ) इस सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

कृषि क्षेत्र के लिए ऋण

2307. **श्री जयनारायण रौत :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठने के लिए कृषि क्षेत्र को ऋण देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदान है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने ऋण समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), और (ख) सरकार को इस बात का ज्ञान है कि गरीबी की रेखा पार करने में लोगों को सहायता देने के लिए कृषि क्षेत्र को दिया जाने वाला ऋण एक नितान्त महत्वपूर्ण उपयोगि साधन है। इसी सन्दर्भ में यह निर्णय किया गया था कि 2 अक्तूबर 1980 से देश के सभी विकास प्रखण्डों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू किया जाए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि उत्पादक कार्यकलापों के जरिये अतिरिक्त रोजगार पैदा किया जाए और आयोजना की अवधि में प्रत्येक प्रखण्ड में निर्धारित सबसे गरीब 3000 परिवारों में से प्रति वर्ष 600 परिवारों के आय स्तर में वृद्धि की जाए। अर्थक्षम कार्यकलापों के आधार पर लाभ प्राप्तकर्ताओं को बैंकों से आर्थिक सहायता तथा ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध की जाती है। इस कार्यक्रम को सहायता देने के लिये आर्थिक सहायता आदि की व्यवस्था करने के उद्देश्य से छठी पंचवर्षीय योजना में 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। आयोजना की अवधि में इस कार्यक्रम के लिए 300 करोड़ रुपये तक के औद्योगीक वित्त की आवश्यकता होगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभप्राप्तकर्ताओं की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक/सहकारी बैंक क्रमिक रूप से स्वत: अपनी गति तेज कर रहे हैं। इस कार्यक्रम की सहायता के लिए ऋण प्रदान करने की गति की भी लगातार समीक्षा की जाती है और जहां आवश्यक होता है वहाँ उपचारात्मक कार्यवाही की जाती है।

बचत-सह निवेश फर्मों की सन्देहास्पद गतिविधियां

2308 . **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार गत दो वर्षों से अधिक समय से केन्द्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को पत्र लिख कर अनुरोध कर रही है कि उन्हें बचत सह-निवेश फर्मों की कुछ सन्देहास्पद गतिविधियों के सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करनी चाहिए और उन पर कुछ विनियम लागू करने चाहिए; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बधी ब्यौरा है और अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) क्योंकि कलकत्ता की मैसर्स संचयिता इन्वेस्टमेंट्स, एक लाख रुपये से कम की पूंजी की एक साझेदारी फर्म है, इसलिए रिजर्व बैंक का मत यह है कि इस फर्म पर उसका कोई सांविधिक नियंत्रण नहीं है और उसके पास इसके कार्यकलापों की जांच करने की कोई शक्ति भी नहीं है। अत: इस मामले में, रिजर्व बैंक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस बीच, इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 के अधीन राज्य सरकार में निहित शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार ने, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के तहत उक्त फर्म के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की थी। इस फर्म ने, उक्त अधिनियम के अपने ऊपर लागू होने को चुनौती देते हुये, कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक समादेश याचिका दायर की और इस प्रकार यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन रहा। उच्च न्यायालय ने अपने 5 मार्च, 1981 के फैसले के अनुसार, अन्य बातों के

साथ-साथ यह निर्णय दिया कि उक्त फर्म का कारबार उपर्युक्त प्रतिबन्ध अधिनियम की परिधि में नहीं आता। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपील की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने 2.2.82 के फैसले द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की है और इस मामले में कुछ टिप्पणी की हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले की विविक्षाओं की जांच की जा रही है।

निर्यात मूल्य में उतार-चढ़ाव

2309. **श्री गुलाम रसूल कोचक**

श्री के० मालन्ना : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार में हुई निरन्तर कमी के कारण निर्यात मूल्यों में घटबढ़ से चालू योजना अवधि की समाप्ति तक देश को 2,900 करोड़ रुपये का घाटा होगा।

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि 1982 में इस तरह की हानियां पुनः न हों; और

(घ) इस घाटे पर काबू पाने के लिए ये उपाय किस सीमा तक सहायक होंगे ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) छठी पंचवर्षीय आयोजना के मसौदे में, यह अनुमान लगाया गया था कि आयोजना की अवधि अर्थात् 1980-81 से 1984-1985 तक की अवधि में व्यापार-स्थिति बिगड़ने के कारण विदेशी संसाधनों में (1979-80 की कीमतों पर) 2913 करोड़ रुपये की कमी होगी।

(ख) व्यापार स्थिति बिगड़ने और इसके कारण निर्यात की वास्तविक क्रयशक्ति में मुख्यतः कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात मूल्यों में पूर्वानुमानित वृद्धि होने तथा बराबर बनी हुई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप होती है जिससे आयात की जाने वाली आवश्यक वस्तुओं जैसेकि उर्वरकों, इस्पात, अलौह धातुओं तथा खाद्य-तेलों आदि की लागतों पर प्रभाव पड़ता है।

(ग) तथा (घ) छठी आयोजना की नीतियों और प्राथमिकताओं में आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात संवर्धन पर भरपूर जोर दिया गया है। इस प्रकार पेट्रोलियम, कोयला, इस्पात, उर्वरक, सीमेंट, अलौह धातुओं, खाद्य तेलों आदि के देश में उत्पादन को तेजी से बढ़ाने पर विशेष रूप से बल दिया गया है, ताकि इन वस्तुओं के आयात पर देश की निर्भरता को कम किया जा सके। इसके साथ ही, निर्यात का विस्तार करने में आने वाली बाधाओं को दूर कर निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। तथापि, व्यापार स्थिति (अर्थात् हमारे आयात की कीमतों की तुलना में हमारे निर्यात की कीमतों) में पूर्ण स्थिरता सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है, क्योंकि ये विश्व के बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती हैं।

दिल्ली छावनी बोर्ड द्वारा उपमार्गों पर प्लेट फर्मों का निर्माण किया जाना

2310. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी बोर्ड ने सदर बाजार में उपमा (सर्विस रोड) पर प्लेटफार्मों

का निर्माण कर उन्हें बहुत कम मासिक किराये पर दिया है जिससे मिट्टी के तेल सम्बन्धी लाइसेंसिंग आदेशों का उल्लंघन होता है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं और उन पार्टियों के क्या नाम हैं जिन्हें ये किराये पर दिये गये हैं; इनका किराया कितना है और ये किस तारीख से किराये पर दिये गये हैं और उन्हें हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) किन परिस्थितियों में छावनी बोर्ड ने दुकानों के बरामदों को दुकान में मिलाने की अनुमति दी है और उनके आगे छज्जे बना कर सरकारी भूमि का अवधिक्रत उपयोग न रोकने के क्या कारण हैं और बरामदों को खाली करवाने और छज्जों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) दिल्ली छावनी बोर्ड को जहां तक असैनिक निवासियों की समस्याओं का सम्बन्ध है उसे दिल्ली की नगर निगम की सीमा में कब लाया जाएगा और असैनिक निवासियों को बिजली सप्लाई डेसू द्वारा किये जाने का निर्णय कब किया गया ?

रक्षा मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन : (क) और (ख) जी नहीं। छावनी बोर्ड, दिल्ली छावनी ने दुकानों के सामने मुख्य सड़क और सर्विस रोड के साथ की पटरी के बीच सदर बाजार में एक प्लेट फार्म का निर्माण किया है और 1.4.77 से 50/-रुपये प्रतिमाह के लाइसेन्स शुल्क पर मेसर्स लखी राम सागर चन्द को अस्थाई लाइसेंस पर दे दिया है। उक्त किराया सशोधित करके 10.10.79 से 30/-रुपये प्रतिमाह कर दिया गया था दिल्ली प्रशासन के मिट्टी का तेल (निर्यात एवं मूल्य) नियत्रण आदेश, 1962 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(ग) छावनी बोर्ड के स्वामित्व की सम्पत्ति और पार्टियों को दी गई सम्पत्ति के बारे में बरामदा को बन्द करने और बरामदा के बाहर छज्जा लगाने की अनुमति पट्टे की शर्तों और छावनी अधिनियम, 1924 और उसके अधीन बनाई गई उप विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत विनियमित की जाती है।

(घ) दिल्ली छावनी में सिविल आबादी के लिए बिजली के वितरण की जिम्मेवारी दिल्ली विद्युत प्रदान सस्थान को देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है जहां तक दिल्ली छावनी की नागरिक समस्याओं का सम्बन्ध है, दिल्ली छावनी को दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत लाने का कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

उत्तरी भारत में इंजीनियरिंग एकक

2311. **श्री एच. एन. नन्जे गौड़ा :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ताईवान और दक्षिण कोरिया के साथ कड़ी प्रतियोगिता में उत्तरी भारत के इंजीनियरिंग एकक विकासशील देशों में निर्यात बाजारों में अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए बहुत कड़ा संघर्ष कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या कुछ निर्यातोन्मुख इंजीनियरिंग एककों ने भारत के निर्यात प्रयासों में कुछ आधारभूत कमजोरियों की ओर संकेत किया है ;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विश्व प्रतियोगिता में स्थिति को सुधारने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) दस्ती औजार, कास्टिंग्ज तथा बाइसिकल संघटक व निर्यात करने वाले भारत स्थित इंजीनियरी एकक विकासशील विश्व में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए चीन, दक्षिण, कोरिया तथा ताइवान से कीमत में बड़ी प्रतियोगिता का सामना कर रहे हैं। ऐसे बहुत से एकक उत्तरी क्षेत्र में स्थित हैं।

(ख) सरकार ने इंजीनियरी उद्योग की जिसमें उपरोक्त प्रकार के एकक भी शामिल हैं प्रतियोगी क्षमता बनाये रखने के लिए निम्नोक्त उपाय किए हैं :–

(i) इन्जीनियरी निर्यातकों को प्राथमिकता के आधार पर इस्पात तथा ढ़लवा लोहे की सप्लाइयों के लिए एक योजना चल रही है। 1981-82 के दौरान, प्राप्त हुए निर्यात ऋादेशों पर इन्जीनियरी निर्यातकों को 330,000 में टन इस्पात तथा 140,000 में टन कच्चा लोहा सप्लाई किया जाना है।

(ii) फरवरी, 1981 में घरेलू इस्पात कीमतों में वृद्धि हुई थी। यह विनिश्चय किया गया कि संविदाओं को पूरा करने के सम्बन्ध में इस्पात तथा कच्चे लोहे की वृद्धि से पहले तथा वृद्धि के बाद की कीमत के बीच जो अन्तर है उसे निर्यातकों को लौटा दिया जाएगा। अन्य संविदाओं के संबंध में यह विनिश्चिय किया गया है कि निर्यातकों को इस्पात की जो आवश्यकता है वह उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर प्राप्त होगी। घरेलू कीमत तथा अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के बीच का अन्तर निर्यात किए जाने के बाद निर्यातकों को वापिस किया जायेगा।

(iii) अधिक उत्पादन को सुकर बनाने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि निर्यातों के लिए उत्पादन को औद्योगिक एककों की लाइसेंसीकृत क्षमता से बाहर रखा जाएगा।

(IV) अग्रिम आयात लाइसेंस जारी करने की आयात शुल्क छूट वाली एक योजना जारी है जो निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक अपेक्षित कच्चे माल के आयात को सुकर बनाते हैं इन्जीनियरी माल के लिए अपेक्षित बहुत सी मदों को भी इस योजना में शामिल किया गया है।

(V) जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी जाती है

(VI) ऐसे एककों को, जो कि अपना संपूर्ण उत्पादन निर्यात करता है, आकर्षक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 100% निर्यात अभिमुख एककों की एक योजना हाल ही में आरम्भ की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जैसा कि उपरोक्त (ख) में दिया गया है।

पश्चिम जर्मनी द्वारा सहयोग के प्रस्ताव

2312. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1981 में पश्चिम जर्मनी के आर्थिक कार्य मन्त्री के साथ हुई वाणिज्य मन्त्री की मुलाकात में यह कहा गया था कि भारत इस्पात, कोयला, खनन दूर संचार और विमान उद्योग के क्षेत्रों में पश्चिम जर्मनी के द्वारा रखे गए सहयोग के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो पश्चिम जर्मनी कौन से क्षेत्रों में सहयोग देने के लिए सहमत हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो भारत कितने क्षेत्रो में पश्चिम. जर्मनी सरकार का सहयोग लेने के लिए सहमत हुआ है ?

वाणिज्य मन्यालय में उप मन्त्री (श्री पी. ए. संगमा) : (क) से (घ) जर्मन संघीय गणराज्य के आर्थिक कार्य मन्त्री डा० काउण्ट ओटोग्राफ लैम्बसडाफ वाणिज्य मन्त्री से नई दिल्ली में 14 दिसम्बर, 1981 को मिले तथा उन्होने भारत तथा जर्मन सघीय गणराज्य के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर विचार विमर्श किया। जर्मन मन्त्री ने दूर संचार, पेट्रोकेमिकल तथा कोयला खनन क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग करने के अलावा रूरकेला स्टील प्लांट के अधुनिकीकरण तथा विजयनगर में एक नया स्टील प्लांट स्थापित करने में रुचि दिखाई। तथापि, उस विचार विमर्श के दौरान कोई औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

आलू का निर्यात

2313. **श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी :**

श्री राम लाल राही : क्या वाणिज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनियमित सप्लाई तथा असंतोषजनक व्यावसायिक प्रबन्ध के कारण विश्व के आलू बाजार में भारत अपना स्थान नहीं बना सका;

(ख) क्या आलू के निर्यात में भारत की खराब कार्य निष्पादिता के लिए एक संगठित एजेंसी का अभाव भी उत्तरदायी है और इस बात के बावजूद भी आलू की खेती के क्षेत्र में तिगुनी और उसके उत्पादन में सात गुनी वृद्धि हुई है, परिवहन के लिए आलू को सीधे प्राथमिकता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो आलू के निर्यात में सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी.ए. संगमा) : (क) चूंकि आलू एक जल्दी खराब होने वाली मद है, अतः इसे केवल सर्दियों में ही निर्यात किया जा सकता है। कीमतों में विभिन्नता होने के कारण आलुओं का सीमित निर्यात ही किया जाता है।

(ख) तथा (ग) आलुओं सहित सभी निर्यात व्यापार की व्यवस्था प्राथमिक 'ख' के अन्तर्गत की जाती है। वर्ष 1978-79 में आलुओं का 10 मिलियन मेः टन उत्पादन हुआ था जबकि वर्ष 1980-81 में 9.6 मिलियन मेः टन का उत्पादन हुआ था। वर्ष 1978-79 में उत्पादन के अन्तर्गत 0.8 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र था और वर्ष 1980-81 में 0.7 मिलियन हेक्टेयर आलुओं के निर्यात की अनुमति किसी मात्रात्मक प्रतिबन्ध के बिना खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत मुक्त रूप से दी जाती है।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामला उठाया है। भूतपूर्व चोग्याल के बेटे ने वास्तव में सिक्किम के भारत के साथ विलय को चुनौती दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले मुझसे बात कीजिए और फिर उसकी बात कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो. मधु दण्डवते : मैं आपकी कठिनाई को समझता हूं ..।

अध्यक्ष महोदय। किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। मैं आपसे इसके बारे में बात करना चाहता हूं।

प्रो. मधु दण्डवते : यह अखण्डता को चुनौती है।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को यहां उठाने से पहले आप मुझसे बात कर लीजिए।

प्रो. मधु दण्डवते : अब मैं आपसे बात कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं। मैं आपसे अलग से निजी रूप में बात करना चाहता हूं। पहले हम इस पर बात करेंगे और फिर उसके बाद आप उस मामले को यहां उठा सकते हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : भारत की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है और आप चाहते हैं कि मैं आपसे कक्ष में आकर बात करूं।

अध्यक्ष महोदय : कक्ष आपका है मेरा नहीं।

प्रो. मधु दण्डवते : क्या यह महत्वपूर्ण मामला नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं। मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट करूंगा और जो कुछ आप कहते हैं मैं वही करूंगा।

प्रो. मधु दण्डवते : कुछ भी, मैं कक्ष में आने के आपके निमन्त्रण को स्वीकार करता हूं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है। दिल्ली की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में कहा गया है ..।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को उठाने का यह कोई तरीका नहीं है। मैं इस पर विचार करूंगा। यह मेरे विचाराधीन है, परन्तु स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं।

श्री ई. बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, क्या आप इसे विचारार्थ रखेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। मैंने एक अन्य प्रस्ताव को अस्वीकृत नहीं किया है। आप इसे इस ढंग से क्यों ले रहे हैं ? कल मैंने आपको आश्वासन दिया था और वह वचन पूरा किया गया है इसी प्रकार आपके प्रस्तावों को भी अभी अस्वीकृत नहीं किया गया है।

मैं उन्हें बारी-बारी से ही ले सकता हूं प्रतीक्षा कीजिए और देखिए मैं उसे किस प्रकार लाऊंगा यदि आप चाहते हैं कि मैं उन सबको एक ही दिन में लाऊं, तो यह मैं कैसे कर सकता हूं ?

श्री आर. एन. राकेश (चैल) : मानतलाई में धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने···

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी बात नहीं है। यह तो राज्य का विषय है, इसकी अनुमति नहीं दी जायेगी।

राम विलास पासवान (हाजीपुर) : *

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

राम विलास पासवान : *

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी वह कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप किसी की रिक्वेस्ट को सुनते नहीं है। आप कहां थे जब मैं इनको कह रहा था ?

जब मैं माननीय सदस्य से बात कर रहा था तो क्या आप सुन नहीं रहे थे ? आप भी आमंत्रित हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने अन्य प्रस्तावों की अनुमति नहीं दी है।

श्री आर. एन. राकेश : अध्यक्ष महोदय मेरे एडजार्नमेंट मोशन का क्या रहा ?

अध्यक्ष महोदय : यह किसी स्थगन प्रस्ताव के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसे स्थगन प्रस्ताव के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

श्री आर. एन. राकेश : *

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य सरकार का काम है। वहां विधान-सभा का सत्र अभी भी चालू है। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री आर. एन. राकेश : *

अध्यक्ष महोदय : किसी की कोई बात नहीं। कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई-दक्षिण) : बलात्कार की घटनाओं ने एक राष्ट्रीय व्यापी स्वरूप धारण कर लिया है। इसमें बड़े-बड़े लोगों का हाथ है। आज के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के मुखपृष्ठ या अम्बाला डिपो के बारे में एक समाचार छपा है। मन्त्रीगण तक उसमें सम्मिलित हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह फिर से एक और निराधार बात उठाई गई है। श्री मनीराम बागड़ी इसे उस दिन उठा चुके हैं। मेरे पास लड़की की मां का हल्फनामा/शपथ पत्र है। मेरे पास सब कुछ है। इसलिए मैं सदैव यही कहता हूं कि ऐसी कोई भी बात मत कहो जो निराधार हो, जो तथ्यों पर आधारित न हो।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं एक भिन्न बात को उठा रहा हूं। यह एक अलग मामला है। हमें जानना चाहिए···।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया .

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये । जब तक मैं न कहूं कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जाना चाहिए ।

श्री रतनसिंह राजदा : *

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं । बहुत से क्षेप लगाए गये हैं । मैं उन पर विचार किए बिना उन्हें उठाने की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री रतनसिंह राजदा : *

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं होगा । आप मेरे पास आइये । कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है । जब तक मुझे तथ्य पता नहीं चल जाते हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री रतनसिंह राजदा : *

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये । पहले मुझे वह सब पता करने दीजिए कि आपने क्या लिखा है, फिर उसके बाद मैं देखूंगा ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्वी) : उसी मामले पर मुझे आपका विनिर्णय चाहिए । हम महाराष्ट्र की जनता के प्रतिनिधि हैं । हम कुछ बातें जानना चाहते हैं । सम्पादकीय छपे हैं और रहाराष्ट्र के बारे में अफवाएं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : ऐसे सम्पादकीय प्रकाशित हुए हैं ।

श्री रतनसिंह राजदा : इससे क्या निष्कर्ष निकलता है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है यह कोई सार्वजनिक घोटला सदन नहीं है ।

श्री रतनसिंह राजदा : यह कोई घोटाला सदन नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप कृपया सुनिए ।

श्री रतनसिंह राजदा : *

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : उन्हें सदन से निष्कासित किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान तिवारी जी, कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है ।

जब मैं यह कहता हूं कि "कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है" तो कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में नहीं जा रहा होता है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, आप बैठ क्यों नहीं जाते हैं । मैं अपना कर्तव्य समझता हूं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वह यह क्यों नहीं समझते हैं । कि कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है । मैं यह कह रहा हूं "कुछ भी भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है ।"

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो. के. के. तिवारी : आप उन्हें बोलने तो दीजिए ।

अध्यश महोदय । यह क्या हो रहा है ? श्री तिवारी जी कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है ।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : ये मुख्य मंत्री की मुखालफत करवाना चाहते हैं ।

(व्यवधान)

प्रो. के. के. तिवारी : आपने इन सज्जनों से पूछा है, जिन्होंने इसे उठाया है ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी नहीं उठाया गया है । मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं उठाया जा सकता है । यह क्या हो रहा है ? **(व्यवधान)**

श्री मनीराम बागड़ी : यह बात अब चलेगी । अब नहीं रूकेगी यह बात ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री हरिकेश बहादुर को बोलने की अनुमति दी है ।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी कांग्रेस के आदमी यह बात चलाना चाहते हैं । वे मुख्य मन्त्री के खिलाफ इसको लाना चाहते हैं तो आप क्यों रोकते हैं । आपने इस बात को रोक दिया था और वे इस बात को चलाना चाह रहे हैं । **(व्यवधान)**···आप मुख्य मन्त्री को क्यों बचाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी को नहीं बचाता । मैंने श्री हरिकेश बहादुर को बोलने की अनुमति दी है ।

श्री मनीराम बागड़ी : ये तो चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो उनकी आदत है ।

श्री मनीराम बागड़ी : वे इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि मुख्य-मन्त्री के खिलाफ जो यह बात है इसको हाऊस में लाया जाए । वे इस मात को चाह रहे हैं ।···**(व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह एक ऐसा गम्भीर आरोप है ··

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री हरिकेश बहादुर को अनुमति दी है ।

श्री हरिकेश बहादुर : मैंने इस मामले को इसलिए उठाया है क्योंकि राष्ट्रीय एकता का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है सिक्किम में ··

अध्यक्ष महोदय : आप फिर वही बात कह रहे हैं । मुझे आपसे ऐसी आशा नहीं थी । आप भी मुझसे आकर मिल सकते हैं ।

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री राजदा के निष्कासन की मांग के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : तो आप इन से भी कहिये कि वे भी इनके साथ आए । ··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह तो दिया है । मेरा घर नहीं है चेम्बर । ये सारे लोगों का है । मैंने कह तो दिया है कि ये भी ओर ।

श्री रतन सिंह राजदा (बंबई दक्षिण) : क्या वह किसी सदस्य को निकाले जाने की मांग कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता । वह अनावश्यक रूप से एक स्थिति पैदा कर रहे हैं ।

श्री रतन सिंह राजदा : उन्हें अपने शब्द अवश्य हमें वापिस लेने चाहिए :

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, पटना और बिहार के कई शहरों में टेलीफोन सिस्टम जो है, वह बिल्कुल काम नहीं कर रहा है।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह स्थगन प्रस्ताव के बारे में है। आप किसी और प्रस्ताव की सूचना दे सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन वित्त मंत्री द्वारा 27 फरवरी, 1982 को सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन घोषित छूटों आदि के बारे में अधिसूचनाएँ, केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क पाँचवा संशोधन नियम 1982 तथा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) :

मैं श्री जनार्दन पुजारी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 की धारा 35 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के 30 जून, 1981 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा निगम की आस्तियों और देयताओं का विवरण तथा लाभ और हानि लेखा।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 3469/82]

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 175(अ) से 229(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति जो दिनांक 28 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 27 फरवरी, 1982 को लोक सभा में वित्त मन्त्री द्वारा घोशित अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित बजट प्रस्तावों के संदर्भ में सीमाशुल्क में परिवर्तनों और छूट के बारे में है। (**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 3470/82**)

(3) केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 82(अ) से 168(अ) और सा. का. नि. 170(अ) से 174(अ) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 28 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 27 फरवरी, 1982 को लोक सभा में वित्त मन्त्री द्वारा घोषित अप्रत्यक्ष करों में सम्बन्धित बजट प्रस्तावों के सन्दर्भ में केन्द्रीय उत्पादशुल्क परिवर्तनों और छूट के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 3471/82]

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1982 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 28 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 169(अ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 3472/82]

(5) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के अध्याय 27 के टिप्पण 7 के अनुसरण में जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :—

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 3472/82]

(एक) सा. का. नि. 230(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 28 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसमें कतिपय पेट्रोलियम उत्पादों का "कार्बन रेजिडयू" (अवशेष) निर्धारित करने का तरीका दिया गया है।

(दो) सा. का. नि. 231(अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 28 फरवरी, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसमें कतिपय पेट्रोलियम उत्पाद का "रंग तुलना परीक्षण" करने का तरीका दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 3473/82]

मंडल आयोग के प्रतिवेदन के बारे में

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : मैं आपसे यह दरख्वास्त करूंगा कि जो गलतफहमी थी, जब आपके नोटिस में यह आ गया है तो इसको मिटा देना चाहिए। मुझको 'हां' या 'ना' में लिख कर कुछ नहीं मिला है। मैंने आपको लिखित दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भेज दूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी : श्री सूरज भान, मेम्बर आफ पार्लियामेंट ने इल्जाम लगाया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है कि उन को लगाना नहीं चाहिए था। मैंने पूछा है और मैं बगैर पूछे बात नहीं करता। मेरे पास उस लड़की की माँ का एफीडेविट आया है कि लड़की अपने नाना के पास है और सही सलामत है।

श्री मनीराम बागड़ी : आपने सूरजभान जी से पूछा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सूरजभान जी से क्यों पूछूं ? जब सूरजभान जी कहेंगे तब मैं पूछूंगा। अगर उनमें हिम्मत है तो वह कहें फिर मैं उनके खिलाफ ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। मैं इसकी अनुमति नहीं देता। हाँ, श्री चन्द्रजीत यादव। (व्यवधान)*

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैंने आपको पत्र लिखा था कि 18 तारीख को यह सभा बैठी थी तथा मंडल आयोग का मामला उठाया गया था···

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, मंडल आयोग के बारे में।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं जानना चाहता हूं। कि आप इस रिपोर्ट को सभा के समक्ष कब रखेंगे तथा आप उसकी क्रियान्वित कब करेंगे। मैं यह जानना चाहूंगा।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह): स्पीकर साहब, मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर जितनी एंगजायटी हाउस के नेम्बरों को है, उतनी ही एंगजायटी सरकार को भी है। हम जान-बूझ कर कोई डिले करने का इरादा नहीं रखते हैं। (व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : ये क्या कर रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री अनन्त प्रसाद शर्मा): जो यह कह रहे हैं उसे आप सुने (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह बोल रहे हैं, उन्हें बोलने दीजिए।

श्री जैल सिंह : मैं यह प्रार्थना करता हूं कि हमारी यह कोशिश है कि मेमोरेण्डम आफ एक्शन टेकन उस रिपोर्ट के साथ रखा जाय। उसके लिए मैंने पहले भी हाउस को यकीन दिलाया था कि हम इसी सेसन में रिपोर्ट टेबल पर रख देंगे। इस में कुछ वक्त लग सकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यथा सम्भव शीघ्र

श्री जैल सिंह : मैं कह सकता हूं कि हम जल्दी से जल्दी उसको लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह मेरा डेफिनिट प्रोमिज है कि इस सेसन में रिपोर्ट रख दी जाएगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : होम मिनिस्टर का अश्योरेंस तो यही था। जो उन्होंने कहा था वह यही था। (व्यवधान) प्लीज आर्डर।

पिछली दफा जब सेसन हुआ था तब मैंने इनिसियेटिव लिया था और आपके कहने से यह सब हुआ था। मैंने इनको कहा था कि मुझे वह दो। जो मोशन आया था, उसमें गवर्नमेंट ने माना था कि इस सेसन में रखनी है। (व्यवधान) उसमें तारीख की बात नहीं है। मेरे पास लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ नहीं हो तो आपसे माफी मांग लूंगा। अब आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अपनी जानकारी को सुधार लूंगा।

मैं आपको बताता हूं कि यही था। रिकार्ड जो मैंने देखा है, उसमें यह है कि गवर्नमेंट कह दे कि कौन-से सेसन में वह रखेगी। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि हम बजट सेसन में रखेंगे। अब मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से भी कहता हूं वह जल्दी से जल्दी उसको रखें।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि इन्होने कहा है कि वे रिपोर्ट बजट सेसन में रखेंगे। लेकिन मैं गृह मंत्री जी से पूछता हूं कि क्या वे रिपोर्ट ही रखने जा रहे हैं या एक्शन टेकन की बात भी रखने जा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : दोनों की बात है।

गृह कार्य और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बैया) : जब

तक की गयी कार्यवाही के बारे में भी रिपोर्ट न हो, हम इसे सभा-पटल पर नहीं रख सकते। (व्यवधान) यह अनिवार्य व्यवस्था है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री संगमा।

सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोचीन, पटसन उत्पाद विकास परिषद् कलकत्ता के 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षाएं, आदि

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1972 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सामुद्रिक उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखे और उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) सामुद्रिक उत्पाद विकास प्राधिकरण, कोचीन के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी. 3474/82)

(2) (एक) पटसन उत्पाद विकास परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पटसन उत्पाद विकास परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 3475/82)

(3) (एक) खेलकूद सामान निर्यात सम्वर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) खेलकूद सामान निर्यात सम्वर्धन परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपयुक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 3476/82)

(5) (एक) मूल रसायन, भेषजी तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात सम्वर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1980-81 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मूल रसायन, भेषजी तथा प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद्, बम्बई के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **(ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. /3477/82)**

(अनूदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य)—1981-82

वित्त मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुकर्जी) : मैं वर्ष 1981-82 के बजट (सामान्य) के संबध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

लोक लेखा समिति

(69वां और 74वां प्रतिवेदन)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) संघ उत्पाद शुल्कों के बारे में लोक लेखा समिति के 54वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वार की गई कार्यवाही संबधी 69वां प्रतिवेदन ।

(दो) खादी ग्रामोद्योग आयोग के बारे में लोक लेखा समिति के 52वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी 74वां प्रतिवेदन ।

ध्यानाकर्षण के बारे में

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिया जाएगा । श्री लारेंस ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बंबई उत्तर पूर्व) : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह केवल भविष्य में उल्लेख के लिए है। यह ध्यानाकर्षण का अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। परन्तु आज मैंने समाचार पत्र में देखा कि सरकार ने उस मामले पर निर्णय की घोषणा पहले ही कर दी है, जिस पर कि आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया जा रहा है। जाँच के बारे में समाचार-पत्रों में छप चुका है। जब यह कार्यवाही की जा रही थी तब उन्होंने इसकी घोषणा कल ही संसद में क्यों नहीं कर दी···

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने उसे पढ़ा है। हमें ये बातें समाचार पत्रों से ही पता चली है। और कल आपने बताया था कि आप इस मामले पर विचार कर रहे हैं। मन्त्री महोदय कल ही बता सकते थे कि गृह मंत्रालय ने जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक प्रशासनिक मामला है। कोई प्रश्न नहीं उठता ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मानता हूं। परन्तु यह प्रश्न औचित्य का है। हम जहां पर खड़े हो कर प्रश्न पूछते हैं। हां क्या आप यह नहीं समझते कि मंत्री महोदय को आ कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह कोई बजट प्रस्ताव नहीं हैं। जिसके लिए उन्हें मेरे पास आना पड़ता।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको संसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कोई प्रश्न नहीं है। इसमें संसद की गरिमा का प्रश्न नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं जी। मैं गारिमा को बढ़ाने की बात कर रहा हूं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : ध्यान देने से पहले ही उन्होंने अनुमान लगा लिया।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : मैंने नोटिस कार्यालय से तीन बार पता किया। मैंने तीन बार अपने व्यक्ति को नोटिस कार्यालय भेजा। अभी तक उसकी प्रति नहीं दी गई।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : श्रीमान, वह आ रही है। (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : नया-नया कार्य चल रहा है, नया-नया तरीका निकल रहा है। (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : क्या सरकार है ? सरकार इस तरीके से चलेगी क्या ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आगे से देखा करेंगे, पहले आ जाएगी कापी। अभी आ जाती है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री लारेंस।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब आप संदर्भ सहित पूरी बात पढ़िए। सभा को महत्व नहीं दिया गया। हम यह समाचार समाचार-पत्रों में पढ़ते रहे हैं। आप सभा का संरक्षण कर सकते हैं। आप मन्त्री महोदय से कह सकते हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : एक कापी तो लारेंस साहब के पास आ गई है, दूसरी भी आ जायेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : पत्र कहाँ पर है ? हम किस प्रकार वाद-विवाद में भाग लेगें ?

श्री सतीश अग्रवाल : ग्यारह बजे से मैं एक वक्तव्य की प्रति माँग रहा हूं। 11.30 तक भी वह नहीं दी गई है। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : हाउस को एक घंटे के लिए ड्राइजर्न कीजिए। हम सब लोगों को पढ़ने का मौका दीजिए। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : इसे अब क्यों दबाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : इसे कैसे दबाया जा रहा है ? यह सभा के समक्ष आ रहा है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमान विलम्ब से दी जाने वाली जानकारी न दिये जाने के बराबर है।

अध्यक्ष महोदय : यह इसके समान नहीं है कि विलम्ब से किया जाने वाला न्याय न्याय न दिये जाने के समान है। आप व्यवसाय से वकील बनने जा रहे हैं।

श्री मनीराम बागड़ी : ज्ञानी जी भी पंजाब के हैं, आप भी पंजाब के हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी लड़ाई कराना चाहते हैं, भले आदमियों का काम नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : आप लंच आवर तक के लिए हाउस को एडजर्न कर दीजिए।

इन लोगों को स्टेटमेंट तैयार करने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, अब क्यों वक्त जाया करते हैं । उनको तो एक कापी आ गई है, दूसरी कापियां भी आ जाती हैं । यह अच्छी बात नहीं है । (**व्यवधान**)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि उनकी इसमें रुचि नहीं है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूं । यह होना चाहिए मैं मानता हूं कि प्रतियां आपको दी जानी चाहिए थीं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही बात कह रहा हूं । अब वक्त क्यों जाया कर रहे हैं ।

श्री जार्ज फर्नांडीस : उन लोगों के पास अभी तक स्टेटमेंट नहीं है । यह बहुत ही गलत बात है । (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : हम इनको इस तरह से छोड़ेंगे नहीं । (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी : यह कोई तरीका नहीं है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन...। (**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : हमें आपके निर्णय का पालन करना है । परन्तु हम प्रश्न कैसे पूछेंगे ? सभा को उचित महत्व नहीं दिया जा रहा ।

श्री जार्ज फर्नाण्डीस : उन्हें शिक्षा देने का यही तरीका है । आप कृपया सभा को स्थगित कर दें ।

डा. सुब्रह्मण्यम् स्वामी : आप सभा को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दीजिए । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं खुश नहीं हूं, विवरण की एक प्रति आपके पास होनी चाहिये थी । मैंने तो खुद इसके बारे में कहा है । इनको कापी देनी चाहिए थी । यह बात अच्छी नही है । मैंने आप की बात की सराहना की है । मैं आपकी बात को लेता हूं । मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि विलम्ब नहीं होना चाहिए था । (**व्यवधान**)

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह भारत सरकार का गृह मंत्रालय है । आप सभा को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दीजिये । (**व्यवधान**)

कुछ मननीय सदस्य : आप सभा को स्थगित कीजिये ।

श्री पी. वेंकट सुब्बया : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं । (**व्यवधान**)

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : यह बात ठीक है कि विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों के हाथ में होनी चाहिये थीं । इसमें एक प्रकार का अपरिहार्य विलम्ब हुआ है । इसी कारण हम अप्रसन्न हैं; हमें बहुत खेद है । इसके बाद हम यह सुनिश्चित करने के लिये सभी प्रबन्ध करेंगे कि प्रतियां सदस्यों को उचित समय पर दे दी जायें । (**व्यवधान**)

डा सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह एक बहुत गम्भीर पूल है; गृह मंत्रालय में कोई न कोई मामला अवश्यक निंदनीय है । (**व्यवधान**) आप सभा को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दीजिये ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप सभा को स्थगित कीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में एक उपाय है ।

श्री पी. बेंकटसुब्बय्या : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? मैं अभी वक्तव्य दूंगा । इसे 2 बजे होने दीजिये ।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं (व्यवधान) आप सभा को स्थगित कर दीजिए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आपका यह मानकर नहीं चलना चाहिये कि सभा आपकी हर बात से सहमत होगी ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री श्री भीष्म नारायण सिंह : क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ? (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं आप सभा को स्थगित कर दीजिए । (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : सभा को स्थगित कर दीजिए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सभा को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

तत्पश्चात लोक सभा 12 बजकर 35 मिनट म. प. तक के लिए स्थगित हुई ।

लोक सभा 12 बजकर 38 मिनट म. प. पर पुनः समवेत हुई ।

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।

अध्यक्ष महोदय : शुरु करने से पहले ··

श्री हरीशकुमार गंगवार—(पीलीभीत) अध्यक्ष जी हिन्दी का स्टेटमैंट नहीं आया ।

अध्यक्ष महोदय : बैठिये ।

मैं यह कह रहा था कि अगर हिन्दी के लिये इन्तजार करना है तो 10 मिनट और लगेंगे । कहें तो 10 मिनट और लगा दें । (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : हो जाये 10 मिनट और इन्तजार ।

अध्यक्ष महोदय : तो फिर मैं सभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित करूंगा ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 बजे म. प. तक के लिए स्थगित होती है ।

तत्पश्चात् लोक सभा 2 बजे म.प तक के लिये स्थगित हुई

मध्यहन भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 2 मिनट म प. पर पुनः समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानार्कषण प्रस्ताव-श्री लारेंस

श्री आर.एन. राकेश (चैल) : पार्लियामैंट के एक मिनट पर कितना पैसा खर्च होता है ?

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह वह सरकार है जो काम नहीं करती ।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस बात पर ध्यान दिया जाये तो मुझे प्रत्येक को धोखे में रखना पड़ेगा··· (व्यवधान) कुछ को सबको नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : ये मुख्य अपराधी हैं ।

श्री सतीश अग्रवाल : (जयपुर) : हम यह शिकायत करते आये हैं कि यह सरकार व्यय नहीं करती । आज आपने हमारे साथ एकता प्रकट की है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं एक निष्पक्ष व्यक्ति हूं और मैं वही कुछ करता हूं जो मैं करने योग्य समझता हूं ।

श्री सत्य नारायण जाटिया (उज्जैन) : आपका निर्णय अतिदनीय है ।

श्री पी. बेंकट सुब्बय्या : मैं अपना खेद प्रकट कर चुका हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपको खेद बहुत पहले करना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आपने उन्हें करने नहीं दिया ।

अविलम्बनीय लोक महत्व की विषय के ओर ध्यान दिलाना

लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी, के निदेशक द्वारा समय से पूर्व सेवा निवृत्ति मांगे जाने का समाचार

श्री एम. एम. लारेंस (इडुक्की) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इसके बारे में एक वक्तव्य दें :—

"भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक परिवीक्षाधीन अधिकारी, जिस पर उसी सेवा के एक अन्य परिवीक्षाधीन अधिकारी के साथ बलात्कार करने का प्रयास करने का आरोप है, के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने से सरकार द्वारा इंकार किये जाने के विरोध में लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मंसूरी के निदेशक द्वारा समय से पूर्व सेवानिवृत्ति मांगे जाने के समाचार ।"

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. बेंकटसुब्बय्या) : भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक परिवीक्षाधीन द्वारा मंसूरी अकादमी में प्रशिक्षण ले रहे महिला परिवीक्षाधीनों सहित कुछ परिवीक्षाधीनों के प्रति अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त उद्विग्नता से सरकार भी चिन्तित है । सरकार सिविल सेवकों, विशेष रूप से सेवाओं की उच्चतर श्रेणी के सदस्यों से अपेक्षित अनुशासन, आचरण और लोक व्यवहार के उच्चतर मानदंडों के प्रति जागरूक है । समाचार पत्रों की रिपोर्टों में इस घटना के कतिपय उन पहलुओं को विशेष रूप से प्रकाशित किया गया है जो बद्रीनाथ—वैली आफ फ्लावर्स—हेमकुंट—केदारनाथ की ट्रेकिंग टूर के दौरान घटित हुई थीं । समाचार पत्रों में प्रकाशित भारतीय प्रशासनिक सेवा के उक्त परिवीक्षाधीन द्वारा बलात्कार किए जाने अथवा बलात्कार का प्रयास किए जाने के आरोप अकादमी के निदेशक से हमें प्राप्त हुई रिपोर्ट से सिद्ध नहीं होते । मैंने जिस घटना का उल्लेख किया है उसके बारे में न तो उपायुक्त ने अकादमी को कोई रिपोर्ट भेजी है और न पुलिस में क ई शिकायत ही दर्ज कराई गई थी ।

2. सरकार को मंसूरी अकादमी के निदेशक से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार 25 सितम्बर तथा 3 अक्तूबर, 1981 के बीच बद्रीनाथ—वैली आफ फ्लावर्स—हेमकुंट—केदारनाथ के ट्रेकिंग टूर के समय, जिसमें 40 परिवीक्षाधीनों ने भाग लिया था, (ट्रेकिंग-ग्रुप नं० 2), भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक परिवीक्षाधीन ने 1 अक्तूबर, 1981 को अपने साथी परिवीक्षाधीनों के प्रति, जिनमें कुछ महिला परिवीक्षाधीन भी शामिल थीं, घोर कदाचार किया। यह रिपोर्ट अकादमी के एक उप निदेशक द्वारा मौके पर मौजूद परिवीक्षाधीनों का साक्ष्य लेकर की गई जांच पर आधारित है। रिपोर्ट से पता चलता है कि अगले दिन अर्थात् 2 अक्तूबर, 1981 को उक्त परिवीक्षाधीन ने अपने साथी परिवीक्षाधीनों से जिनमें दो महिला परिवीक्षाधीन भी शामिल हैं, पिछली संध्या को किए गये अपने आचरण के लिए माफी मांगी। इस रिपोर्ट के आधार पर निदेशक ने यह सिफारिश की कि सम्बन्धित परिवीक्षाधीन को संगत नियमों के अधीन सेवा से निकाल दिया जाये। प्रारम्भ में सरकार ने सोचा था कि सुधारात्मक रवैया ही पर्याप्त होगा किन्तु इस मामले के सभी पहलुओं की आगे पुनरीक्षा करने पर सरकार ने अब यह निर्णय किया कि उक्त परिवीक्षाधीन को भारतीय प्रशासनिक सेवा परिवीक्षा नियमावली की धारा 12 (ख) के अधीन बर्खास्त कर दिया जाये और यह निर्णय अकादमी के प्रभारी संयुक्त निदेशक को सूचित कर दिया गया है। 8 फरवरी, 1982 को निदेशक ने छुट्टी का आवेदन पत्र भेजा जिसमें 31 मई, 1983 के अपरान्ह से स्वेच्छिक रूप से सेवा निवृत्त होने के लिए 457 दिन की निवृत्ति-पूर्व छुट्टी का अनुरोध किया था। उसके बाद निदेशक ने अपने छुट्टी के आवेदनपत्र में संशोधन कर लिया था। और पहली मई, 1983 के अपरान्ह से स्वेच्छिक रूप से सेवा निवृत्त होने के लिये 2 मार्च, 1982 से 426 दिन की सेवा-निवृत्ति-पूर्व छुट्टी मांगी। तदानुसार उन्हें अपने पद का कार्यभार छोड़ने और छुट्टी पर जाने की अनुमति दे दी गई है।

श्री एम. एम. लारेंस : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सम्बन्धी विवरण में राज्य मंत्री ने कहा है :

"भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक परिवीक्षाधीन अधिकार द्वारा बलात्कार अथवा बलात्कार की चेष्ठा संबंधी समाचार पत्रों में प्रकाशित आरोपों की पुष्टि अकादमी के निदेशक से प्राप्त रिपोर्ट से नहीं होती है।"

इसमें यह भी कहा गया है :

"फिर भी इस मामले के सभी पहलुओं को आगे पुनरीक्षा करने पर सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि उक्त परिवीक्षाधीन के भारतीय प्रशासनिक सेवा परिवीक्षा नियमावली की धारा 12 (ख) के अधीन बरखास्त कर दिया जाये।"

इस सभा को यह जानने का अधिकार है कि परिवीक्षाधीन को अब किन विशिष्ट आरोपों के अधीन बरखास्त किया गया है। यदि अब श्री वी. के. सिंह को बरखास्त करना उपयुक्त है तो पहले प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर, गृह मंत्रालय ने पहले ऐसा क्यों नहीं किया ?

यह बात स्पष्ट है कि बलात्कार की चेष्टा के इस मामले में निर्णय लेते समय कोई गड़बड़ अवश्य हुई है गृह मंत्रालय अपने इस उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता कि इस असमाजिक व्यक्ति को, जो एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का परिवीक्षाधीन अधिकारी है, बचाने का प्रयास किया गया है।

समाचारों पत्रों में कहा गया है कि श्री वी. के. सिंह के लगभग 40 सहयोगियों ने लिखित रूप में यह प्रमाणित किया है कि उसने भरा हुआ रिवोल्वर उस महिला की कनपटी पर रखकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था। इस प्रकार के व्यक्ति को परिवीक्षा में कैसे रहने दिया गया ? भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियम 1954 के नियम 12(ख ख) में यह स्पष्ठ रूप से लिखा है कि :

"यदि सेवा के लिए आवश्यक मानसिक तथा चारीत्रिक गुणों तथा जन सेवा के लिये सामान्यत: आवश्यक स्वनात्मक दृष्टिकोण तथा मानवीय सहानुभूति का उसके अन्दर अभाव पाया गया हो।"

अत: यदि नियम 12(ख ख) के अन्तर्गत यदि वह दृष्टिकोण में रचनात्मक नहीं है और उसमें मानवीय सहानुभूति नहीं है तो उसे सेवा मुक्त किया जाये।

श्री वी. के. सिंह पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षणार्थी थे। वहां से भी उन्हें यह ज्ञात होने पर निकाला गया कि वह देश की शत्रु से रक्षा करने योग्य नहीं है। तो फिर उसे सिविल सेवा के योग्य कैसे समझा गया ? क्या इसका कारण यही है कि सरकार को उस जैसे ही लोगों की जरूरत है जो लोगों को शत्रु समझते हैं और जिनके अन्दर रचनात्मक दृष्टिकोण तथा मानवीय सहानुभूति का अभाव है।

यह सरकार, केन्द्रीय सरकार में रोजगार देने के मामले में दोहरी नीति अपनाती है। नौकरी चाहने वालों के एक-एक स्तम्भ में लिखना पड़ता है कि क्या वे एक वर्ष से अधिक समय पश्चिम बंगाल तथा केरल में रहे हैं वे आवेदकों के वैचारिक पूर्व वृत्तों को देखते हैं। और उस आधार पर उन्हें नौकरी देने से इनकार कर देते हैं और उनकी छंटनी तक भी कर देते हैं। लेकिन यही सरकार उच्च पद पर आसीन समाज विरोधी लोगों तथा अपराधियों को बचाने में संकोच नहीं करती चाहे उनके अपराध खुले रूप में प्रकाश में क्यों न आये हों।

इस मामले में सरकार के दृष्टिकोण ने अकादमी के निदेशक श्री पी. एस अप्पू को विरोध स्वरूप अपने पद से त्याग पत्र देने के लिए बाध्य किया। अब विवरण में कहा गया है कि उन्हें अपने कार्यभार को त्यागने तथा अवकाश पर जाने की अनुमति दी गयी है। यह केवल कार्यवाही सम्बन्धी शब्दों की जादूगरी है। यह किसी व्यक्ति को फांसी चढ़ने देने जैसी बात है। सरकार को श्री अप्पू को, जो एक सच्चरित्र और कार्यकुशल व्यक्ति है, शीघ्र वापिस बुलाकर उनकी निर्भीकता रचनात्मक दृष्टिकोण तथा मानवीय सहानुभूति का आदर करना चाहिए।

17 सितम्बर, 1981 को अविश्वास प्रस्ताव के उत्तर में प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था :

"महिलाओं पर होने वाले अपराध सचमुच हम सब के लिये शर्म की बात है। मुझे बताया गया है कि इनमें कमी हो रही है और कानून तथा व्यवस्था की मशीनरी इस बारे में सतर्क है लेकिन दुर्भाग्यवश ये अपराध अब भी हो रहे हैं। दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम के संशोधन से यह आशा है कि उन पर और नियन्त्रण पा लिया जायेगा। यह एक ऐसा मामला है जिसमें जनमत तथा पड़ौसियों का मत महत्वपूर्ण होता है।'

उन्होंने आगे यह भी कहा :

"मैं चाहती हूं कि सभा तथा राष्ट्र यह जान ले कि मेरी सरकार तथा मेरा दल सार्वजनिक जीवन के उच्च सिद्धान्तों का समर्थन करेगी और इस बात को सुनिश्चित करेगी कि उन सिद्धान्तों की शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रतिष्ठित लोग पालन ही न करें बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि इनका पालन होते हुये नजर आये।"

इन सब बातों को प्रधान मंत्री ने हमारे गृह मंत्री तथा मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए कई बार कहा है। यदि हमारी प्रधान मंत्री अपनी घोषणाओं और अपने बयानों के प्रति सच्ची है तो उन्हें गृह मंत्री से तुरन्त त्याग पत्र देने के लिए कहना चाहिये। मेरा गृह मंत्री से पुरजोर अनुरोध है कि यदि उनके अन्दर थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें तुरन्त त्याग पत्र दे देना चाहिए और मैं गृह मंत्रालय तथा गृह मंत्री द्वारा इस ओर दिये गये योगदान सहित सारे मामले तथा दुर्घटना की न्यायिक जांच की माँग करता हूं। मैं समझता था कि प्रधान मंत्री यहां आयेंगी और इस बारे में स्पष्टीकरण देंगी क्योंकि इससे अनेक प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया जल्दी कीजिये। आप अधिक समय ले रहे हैं।

श्री एम एस. लारेंस : क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का यह परिवीक्षाधीन व्यक्ति, श्री सिंह, इससे पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में था ? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से उसे क्यों निकाला गया ? क्या मंत्री महोदय श्री वी. के. सिंह के पदच्युत करने सम्बन्धी अकादमी के पत्र की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ? जब उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किया गया तो इस तथ्य को क्यों छिपाया गया ? सरकार परिवीक्षाधीन व्यक्ति के विरुद्ध अपनी अतीत की पृष्ठभूमि को छिपाने और पुलिस के विरुद्ध मिथ्या सत्यापन रिपोर्ट देने के बारे में किस प्रकार की कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? अकादमी में प्रवेश होने के बाद परिवीक्षाधीन व्यक्ति से संबंधित ऐसी कितनी घटनाए हुई हैं ? जब यह परिवीक्षाधीन व्यक्ति अपने सहयोगियों के साथ बद्रीनाथ की यात्रा पर गया था, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, तो उस व्यक्ति ने क्या किया था ? सत्तारूढ़ दल के सदस्यों के सिर शर्म से झुक जाने चाहिए। क्या पुलिस ने इस घटना के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध मामला दर्ज किया था ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में इस मामले को दबाया गया ? क्या इस मामले को दबाने में अपना योगदान*

अध्यक्ष महोदय : कोई नाम न लें।

श्री एम. एम. लारेंस : क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के 40 परिवीक्षार्थियों ने इस मामले में लिखित वक्तव्य दिये हैं ? क्या सरकार अकादमी के उप-निदेशक श्री आलोक सिंह, द्वारा घटना की जांच के बारे में दी गई रिपोर्ट को सभा पटल पर रखेंगी ? क्या यह सच है कि परिवीक्षार्थी लड़की (जिसके साथ दोषी अधिकारी ने छेड़खानी की और उसकी इज्जत लूटी) का पिता हाल ही में इस दुःख में चल बसा है ? (**व्यवधान**)

मैं गृह मंत्री जी से एक बार पुनः तत्काल त्याग पत्र देने और इस घटना की पूरी जांच कराने का आग्रह करता हूं।

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : सभा में दिए गए अपने वक्तव्य में मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है।

(व्यवधान)

···कि आप इस परीवीक्षार्थी ने अन्य परिवीक्षार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार के किया था ··

(व्यवधान)

मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं ?

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : कृपया अभद्र व्यवहार की घटना को स्पष्ट कीजिए।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : मैं उसी पर आ रहा हूँ। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए। अन्यथा वह उत्तर कैसे देंगे क्या मूक दूर-संवेदी (टैलीपैथी) तरीका अपनाया जा सकता है ? (व्यवधान)

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (वड़ागरा) : इसी कारण हमें हस्तक्षेप करना पड़ा था···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमें उनकी बात सुनने दीजिए।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते। (व्यवधान)

इस परिवीक्षार्थी के बारे में माननीय सदस्यों ने मुझसे कुछ बातें पूछी हैं। एक जब यह श्रीमान पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में थे, उस समय उन्होंने क्या दुराचरण किया था ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम एक-एक करके प्रत्येक मुद्दे को लेते हैं।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : वहां से उन्हें हटा दिया गया है और ऐसे व्यक्ति को क्यों लिया गया है ? मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उसे वहां से क्यों हटा दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों बेकार में व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री पी वेंकट सुब्बय्या : महोदय, रक्षा अकादमी से प्राप्त सूचना के अनुसार मैं यह कह सकता हूं कि उसे रक्षा अकादमी से निकाल दिया गया था और वहां से निकालने से कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी के अयोग्य नहीं हो जाता है। (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। (व्यवधान)

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : वहां से निकाले जाने से आपका क्या तात्पर्य है ? कृपया इसे स्पष्ट करें।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : निकाला क्यों गया ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुनने दीजिए। आप निष्कर्ष निकालने में शीघ्रता कर रहे हैं और उन्हें कुछ नहीं बोलने दे रहे। (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : अध्यक्ष जी, *

(व्यवधान)···यह क्या* है। जब मंत्री जवाब दे रहे हैं, तो इनको सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

आचार्य भगवान देव : यह कोई तरीका है। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों बाहर क्यों नहीं चले जाते। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जो कुछ कहना है, कृपया उसे सुनिए।

आचार्य भगवान देव : जब इन्होंने अपना पक्ष रख लिया, तो मंत्री जी का जवाब सुनें। उसके बाद जो कुछ कहना है, कह सकते हैं। गलत गलत है और सही सही है लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि बीच में खड़े हो गये। ···(व्यवधान) ··

श्री नारायण चोबे : इनको क्यों मिर्ची लग रही है। ···(व्यवधान)···

आचार्य भगवान देव : मुझे चौबे जी से यह कहना है कि इनको जो कुछ कहना है, बाद में भी पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक बात है।

आचार्य भगवान देव : ये खड़े होकर कहना शुरू कर देते हैं।···व्यवधान···

अध्यक्ष महोदय : जो शब्द, श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने कहा और उन्होंने कहा ये दोनों शब्द कार्यवाही से निकाल दो। बात यह है ···व्यवधान···मेरी बात सुनिये, श्री अमर राय प्रधान बड़े तेज हो जाते हैं। आ शान्ति से क्यों नहीं बैठ सकते। थोड़ा शान्त रहिए और इनकी बात को सुन लीजिए। कोई बात होगी, तो दोबारा आ जाएगी। ये कहां जा रहे हैं और आप कहाँ जा रहे हैं। मैं भी यहां बैठा हुआ हूं। आप बेफिक्र रहिए। **लैट अस हियर व्हाट ही सेज।** जब तक कहने का मौका नहीं देंगे तो गलती क्या है, कैसे पता चलेगी। ···व्यवधान···

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : किसी का दामाद है, किसी का साला है और किसी का लड़का है।···व्यवधान···

अध्यक्ष महोदय : किसी का कुछ हो। मुझे दामाद अथवा साला से क्या वास्ता। मैं केवल तथ्य चाहता हूं।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : महोदय, आप प्रो. चक्रवर्ती द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों* को कार्यवाही वृतान्त से निकाल रहे हैं। परन्तु हाल ही में प्रधान मन्त्री द्वारा अपने उत्तर में उनका प्रयोग किया गया था।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने जो शब्द*···प्रयोग किये हैं, आप के अनुसार वे असंसदीय हैं। यदि प्रधान मन्त्री द्वारा इस्तेमाल किए जाने पर ये शब्द असंसदीय नहीं थे तो मेरे द्वारा उनका प्रयोग किये जाने पर वे असंसदीय क्यों हो गये। आप इन्हें कार्यवाही वृतान्त से कैसे निकाल सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : किस कान्क्टेसट में कहां यूज हुआ है, मैं देख कर दूंगा मैं दूखूगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यहां आप प्रधान मन्त्री और एक सदस्य में भेदभाव कर रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां तो सारे के सारे साथी बराबर होते हैं, यहां उसकी कोई चिन्ता

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

नहीं होती है । यहां दर्जा के अनुसार नहीं होता । नियमों के अनुसार होता है । यहां ऐसा होता है ।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : मुझे खेद है मैं अपनी गलती मानता हूं । मैं सभा को वास्तविक स्थिति बताना चाहता हूं कि श्री वी. के. सिंह को कुछ अनुशासनिक कारणों से खण्ड़ गवासला अकादमी से वापस बुलाया गया था, निकाला नहीं गया था ।

श्री नारायण चौबे : इसका क्या अर्थ हुआ ?

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : एक अन्य बात जो माननीय सदस्य ने कही है, वह यह है कि एक परिवीक्षार्थी के पिता का दिल का दौरा पड़ने से देहान्त हो गया है । यह सही नहीं है । यह बिल्कुल गलत है ।

श्री नारायण चौबे : सही क्या है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : परिवीक्षार्थी के पिता का देहान्त नहीं हुआ, यह सही है । इसका यही अर्थ निकलता है ।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : इसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है । (**व्यवधान**)

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : उनका देहान्त हो गया है, क्या उसका देहान्त हुआ भी है ?

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : नहीं - (**व्यवधान**)

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : मेरे पास पूर्ण तथ्य मौजूद हैं, यदि इस प्रकार 'रनिंग कमेन्ट्री' चलती रही तो कुछ मुद्दों का उत्तर देना मेरे लिए असम्भव है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिए । यदि आपकी कार्यवाही इसी प्रकार चलती रही तो मैं बिना कुछ किए अगली मद को ले लूंगा । यह अनुसूचित है । मैं इसे पसन्द नहीं करता ।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : मैं इस मामले के तथ्यों को, जिन्हें माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं सभा को बताऊं, क्रमवार दूंगा ।

25 सितम्बर, 1981 को ट्रेकिंग ग्रुप नं० 2 ने, जिसमें 8 महिलाओं सहित 40 परीवीक्षार्थी थे, ट्रैकिंग के लिए प्रस्थान किया । इसमें मंसूरी, बद्रीनाथ, फूलों की घाटी, हेमकुंड, केदारनाथ और मंसूरी सम्मिलित थे । एक अक्तूबर, 1981 को बद्रीनाथ में श्री वी. के. सिंह की अन्य कई परिवीक्षार्थी के समक्ष एक महिला परिवीक्षार्थी से जो कि ग्रुप की खजान्ची भी थी, एक रेस्टोरेन्ट से निकलते समय झड़प हो गई । आधे घन्टे के पश्चात श्री वी. के. सिंह ने धर्मशाला जहां परीवीक्षार्थी ठहरे हुए थे के बरामदे में एक अन्य महिला परिवीक्षार्थी को धमकी दी । पांच परिवीक्षार्थी जो इस घटना के साक्षी थे, इस बात की पुष्टि की कि इस महिला परिवीक्षार्थी को धमकी दी गई थी । बाद में श्री वी. के. सिंह ने धर्मशाला के उस कमरे में दाखिल हुए जहां पुरुष परिवीक्षार्थी ठहरे हुए थे उसने उन्हें विशेष रूप से उनके ग्रुप लीडर को आग्नेय अस्त्र दिखाकर धमकी दी । ट्रेनिंग ग्रुप की वापसी यात्रा 2 अक्तूबर, 1981 आरम्भ हुई और वे 3 अक्तूबर 1981, को अकादमी में मसूरी आगए ।

तत्पश्चात् 4 अक्तूबर, 1981 को पाठ्यक्रम निदेशक (कोर्स डायरेक्टर) श्री एस. एच मोहन ने दुराचरण की घटना सुनी और अभद्र-व्यवहार से संबंधित तथ्यों को निदेशक के ध्यान

में लाया गया जिन्होंने बाद में आलोक सिन्हा, उप निदेशक को इस मामले की विस्तार से जांच करने के लिए कहा। बहरहाल, विस्तृत जांच तत्काल नहीं की जा सकी, क्योंकि परीवीक्षार्थी दशहरा की छुट्टियों पर चले गये थे। जांच 14 अक्तूबर, 1981 को आरम्भ हुई और श्री वी. के. सिंह के विरुद्ध चार आरोप लगाए गए। इसके बाद 15 अक्तूबर, 1981 को श्री वी. के. सिंह थोड़े समय के लिए अकादमी में नजर आए और बाद में बिना अनुमति के छोड़कर चले गए। जब जांच आरम्भ हुई तो अठारह परिवीक्षार्थियों ने अपने बयान लिख कर दिए। 16 अक्तूबर, 1981 को पांच परिवीक्षार्थियों ने अपने बयान लिख कर दिए। 17 अक्तूबर, 1981 को अकादमी को श्री वी. के सिंह से नई दिल्ली से छुट्टियों के लिए एक तार प्राप्त हुआ। तीन और परिवीक्षार्थियों ने अपने बयान पेश किए।

18 अक्तूबर, 1981 को श्री के. अलादीन ग्रुप लीडर ने अपना बयान पेश किया। 19 अक्तूबर, 1981 को श्री वी. के. सिंह अकादमी लौट आए और उसी दिन एक और परिवीक्षार्थी ने अपना बयान पेश किया। श्री वी. के सिंह को भी अपना बयान देने के लिए कहा गया परन्तु उसने कुछ समय मांगा। 20 अक्तूबर 1981 को उसके कमरे की भी तलासी ली गई परन्तु कोई हथियार नहीं मिला। उसी दिन एक और परिवीक्षार्थी ने अपना बयान पेश किया. श्री वी. के. सिंह 21 अक्तूबर, 1981 को अकादमी छोड़कर चला गया और 5 नवम्बर, 1981 तक उसकी छुट्टियां थीं।

24 अक्तूबर, 1981 को उप-निदेशक ने निदेशक को अपनी रिपोर्ट दी जिसमें चार में से तीन मामलों को सही साबित किया गया। निदेशक ने अपने अर्ध-सहकारी पत्र के साथ जांच रिपोर्ट भेजी तथा निदेशक की यह सिफारिश कि श्री वी. के. सिंह को भारतीय सेवा परिवीक्षार्थी नियम, 1954 के अधीन सेवा से निकाल दिया जाए सरकार को प्राप्त हुई।

जांच प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किसी भी रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया था कि बलात्कार का कोई प्रयास किया गया था। अतः यह सोचा गया कि .....

एक माननीय सदस्य : यह अर्ध शासकीय पत्र कब प्राप्त हुआ था ?

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : निदेशक ने 28 अक्तूबर, 1981 को रिपोर्ट आदि के साथ अपना अर्धशासकीय पत्र भेजा था और यह 29 अक्तूबर, 1981 को हमें प्राप्त हुआ था (व्यवधान)

निदेशक का पत्र यहां हमारे कार्यालय में 28-12-1981 को प्राप्त हुआ।

और उस रिपोर्ट में भी बलात्कार या बलात्कार के प्रयास का कोई इस प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया था।

मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् सरकार ने सोचा कि सुधारात्मक रुख अपनाने से उसका व्यवहार ठीक हो जाएगा और न्याय की पूर्ति हो जाएगी। परन्तु मामले के सम्पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तथा, जैसा कि मैंने स्पष्ट रूप से कहा है यह सेवा देश के विभिन्न एककों के प्रशासन के लिए है तथा इसमें ईमानदारी तथा चरित्र का उच्चतम् स्तर होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि उसको बर्खास्त किया जाये। यही इस मामले के तथ्य हैं।

इस सम्बन्ध में दो महिला सदस्यों के वकत्तव्य भी रिकार्ड किये गये हैं। उन्होंने कहीं भी

यह नहीं कहा कि इस परिवीक्षार्थी ने उनके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया। या इस सम्बन्ध में ऐसा कोई कार्य किया। सभी कारणों पर विचार करने के बाद, निदेशक श्री आलोक सिन्हा जो जांच कराने के प्रभारी अधिकारी थे, ने यह रिपोर्ट दी और यह रिपोर्ट हमारे पास निदेशक के द्वारा भेजी गयी जिसने उन्हे जांच कराने के आदेश दिये थे।

महोदय यह कार्यवाही परिवीक्षार्थी नियम 12 (ख) के अन्तर्गत की गयी है और मैं उद्धृत करता हूं :

"यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि परिवीक्षार्थी सेवा में भर्ती के अयोग्य है या सेवा का सदस्य होने के योग्य नहीं है ..."

हमें वह इस सेवा का सदस्य होने योग्य नहीं लगा। इसी लिए उसको बर्खास्त किया गया है।

श्री एम. एम. लारेंस : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है बल्कि वे उसे टाल रहे हैं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री लारेंस क्या मैं आपको बताना चाहता हूं कि नियम 197 (ख) के अन्तर्गत ऐसे किसी भी वकत्तव्य पर इसके दिये जाने के समय कोई बादविवाद नहीं हो सकता, परन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम से वह मद कार्य सूची में दिया गया हो, अध्यक्ष पीठ की अनुमति से प्रश्न पूछ सकता है। आपने मद संख्या 7 या 8 पर प्रश्न पूछे हैं। वह काफी है। अतः अब मैं श्री जार्ज फर्नान्डीस को बोलने के लिए कहूंगा।

श्री एम. एम. लारेंस : महोदय उन्होने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उनको मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहिए (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री जार्ज पूछेगे। आप नहीं पूछ सकते।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : महोदय, मुझे आशा है कि आप मंत्री से मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवायेंगे जिसको मै पूछूंगा। मैं अपने साथी श्री लारेंस से सहमत हूं कि मंत्री जी ने उन बहुत ही विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है जो उनसे पूछे गये थे।

महोदय मैं प्रारम्भ में श्री अप्पू को बधाई देना चाहूंगा। वह भारतीय प्रशासनिक सेवा के सबसे अच्छे अधिकारी हैं। यह वास्तव में खेद की बात है कि गृहमत्री ने एक अपराधी अधिकारी को देकर एक अच्छे अधिकारी की बलि दे दी थी। (**व्यवधान**)

इस सब के आरम्भ में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वादविवाद शुरू करते समय हमारे सर्वाधिक आदरणीय सदस्य, सभा में काँग्रेस (इ) के उपनेता प्रो० रंगा ने सिविल सेवा तथा सिविल सेवा के उच्च हौंसले तथा उन सभी बातों के बारे में, जो एक व्यक्ति को सिविल सेवाओं के बारे में कहनी व करनी चाहिए, बहुत प्रवाहपूर्ण ढंग से बोला था। मुझे नहीं मालूम कि उस समय प्रो० रंगा को मंसूरी में हुई घटना की जानकारी थी या नहीं वह कुछ समस्याओं के सम्बन्ध के वेदना व्यक्त कर रहे थे जो कि सिविल सेवा के कुछ सदस्यों...

(**व्यवधान**)

श्री हरिकेश बहादुर : वह बोलेंगे। आप इस प्रकार से व्यवधान नहीं डाल सकते।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या हो रहा है ? यह कोई नई बात नहीं है। मैं कोई और नया दृष्टांत स्थापित करने की अनुमति नहीं दूगां मैं अपना काम जानता हूं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, मैं इस मामले के तथ्यों में नहीं जाऊंगा जैसा कि मंत्री ने अभी कहा है और न ही मैं समाचर पत्रों में प्रकाशित हुई खबरों को दोहराऊंगा क्योंकि समाचार पत्रों ने तथ्यों को प्रस्तुत करके, जिनमें सरकार तथा संस्थान के निदेशक श्री अप्पू के बीच हुए पत्र व्यवहार के उद्धारण भी सम्मिलित थे बहुत अच्छा कार्य किया है।

परन्तु महोदय कुछ प्रश्न उठते हैं। पहले तो मन्त्री जी के वकत्व्य से तथा दूसरे मन्त्री जी द्वारा दवाये गये तथ्यों से उदाहरण के तौर पर इस विषय के दूसरे पहलू पर आने से पहले। मैं मेरे मित्र श्री लारेंसन ने जो कहा है तथा वकत्व्य के बारे में जो प्रश्न उठाया है, उनको दोहराना चाहूंगा। उन्होंने कहा है : प्रारम्भ में सरकार ने सोचा था कि एक सुधारात्मक रुख पर्याप्त होगा। मगर मामले के सभी पहलुओं की और पुनरीक्षा करने पर, अब सरकार ने निर्णय किया है कि परिवीक्षार्थी को बर्खास्त किया जाये इत्यादि।

अब अपने अपना यह पहला निर्णय कि एक सुधारात्मक रुख पर्याप्त होगा, किस आधार पर लिया था। तथा उस संदर्भ में मैं मन्त्री महोदय से बहुत ही सटीक प्रश्न पूछना चाहूंगा। यह सत्य है। या नहीं कि व्यक्तिगत सचिव ने एक बार नहीं दो बार गृह मन्त्री को यह नोट प्रस्तुत किया कि इस व्यक्ति को निकाला जाना चाहिए ? और यह सत्य है या नहीं कि गृह मन्त्री ने एक बार नहीं दो बार व्यक्तिगत सचिव के नोट के ऊपर यह लिखा है कि इस व्यक्ति को निकाला नहीं जायेगा। उसको सुधार करने की अनुमति दी जानी चाहिए ? और यदि ये सब बातें सत्य हैं तो मैं जानना चाहूंगा कि अब कौन सा नया विचार आ गया है ? मामले के सभी पहलुओं की पुन: पुनरीक्षा क्या है ? यदि कोई पुनरीक्षा की जाती है तो वह गृह मन्त्री की टिप्पणी की की जानी है और श्री अप्पू की टिपणी की नहीं। गृह मन्त्री द्वारा लिये गये निर्णय की पुनरीक्षा की जाती है।

जहां तक मामले के तथ्यों का सम्बन्ध है वे तथ्य सुविदित है परन्तु हम यह जानना चाहते हैं कि गृहमन्त्री ने पहले जो कुछ निर्णय लिया वह किस आधार पर तथा किस आधार पर उन्होंने अपना निर्णय बदला, क्योंकि इस मामले के बारे में बहुत सी बतें कही गयी हैं। लोग कहते हैं कि श्री वी. के. सिंह के ससुर यह कहते घूम रहे थे कि मैंने सब कुछ निश्चित कर दिया है। मंत्री मंडल में मेरा एक मित्र है और मैंने सब कुछ निश्चित कर दिया है। वह बहुत जल्दी जल्दी ···(**व्यवधान**)*

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय मैं आशा करता हूं कि आप एक अवसर देगें*

इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए अवसर देंगे ताकि ये सभी बातें (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप शांत नहीं रह सकते ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्री अप्पू ने एक लिखित वक्तव्य दिया है। (**व्यवधान**) कि श्री वी. के. सिंह ··

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

*कार्य वाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नांडीस : श्री अप्पू ने अपने पत्र में जिसमें उन्होंने प्रशासनिक सेवाओं से त्याग-पत्र दिया है एक लिखित वक्तव्य दिया है कि ये सज्जन ·· (**व्यवधान**) मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप समझते क्यों नहीं ? (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : आप उनका नाम क्यों घसीटते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्री अप्पू ने अपने पत्र में कहा है कि यह श्री वी. के. सिंह ·· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कुछ नहीं। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : श्री वी. के. सिंह ने यहां दिल्ली में तीन सप्ताह गुजारे हैं और वह यह कहते रहे हैं कि उन्होंने सत्ता धारी लोगों को प्रभावित कर दिया है। उनके पास प्रभावशाली व्यक्ति है, और इन्हीं व्यक्तियों ने अखिर गृह मत्री को अपने सचिव (व्यक्तिगत) की बात टालने के लिए विवश किया। किसी न किसी को इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि यह क्यों हुआ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उठाया जा चुका है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : किसी को इसका स्पष्टीकरण देना है—गृह मन्त्री को*

अध्यक्ष महोदय : क्यों ? यह गृह मंत्री हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : फिर श्री वी. के. सिंह का दूसरा पहलू भी है जिसको कि मुझे लगता है अब मंत्री दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने एक बहुत ही सीधा सा स्पष्टीकरण दिया है कि यह सज्जन श्री वी. के. सिंह · (**व्यवधान**) को 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी' से वापस भेज दिया गया था यह सत्य है या नहीं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी ने मसूरी सस्थान के निदेशक श्री अप्पू को लिखे गये पत्र में कहा है—मैं उद्धृत करता हूं,

श्री वी. के. सिंह सुपुत्र श्री एन. के. सिंह जो 26 जुलाई 1968 को अकादमी में दाखिल किए थे को 7 अप्रैल 1971 को अनुशासनात्मक आधारों पर वापस भेजा गया।

ऐसी बात नहीं है कि उसको वापस बुलाया गया था। यह भिन्न बात है। (**व्यवधान**) कोई अपने बच्चे को इस आधार पर किसी कालिज, स्कूल या अकादमी से वापस बुला सकता है क्यों कि वह संस्था उसको पसंद नहीं है इस मामले में यह वापस लेने की बात नहीं थी कि श्री वी. के. सिंह के पिता राट्रीय रक्षा अकादमी को पसन्द नहीं करते थे उसको अनुशासन के आधार पर वापस भेजा गया था।

अध्यक्ष महोदय : क्या उनको वापस भेजा गया था।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हां उसको वापस भेजा गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप वापस कैसे लेते हैं ?

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन् : मंत्री कहते हैं कि उनको वापस लिया गया था।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : या तो यह निकाला जाना है या निष्कासन या वापस लेना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप किसमें से पढ़ रहे हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के दिसम्बर 19 के पत्र के उद्धरण को पढ़ रहा था ··

अध्यक्ष महोदय : यह किसमें कहा गया है कि उनको वापस भेजा गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अनुशासनात्मक आधार पर मैं निवेदन करूंगा कि इस सज्जन से सम्बन्धित सभी कागजातों **(व्यवधान)** अगला प्रश्न जो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। वह पद क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि उसको नियम 12 (ख) के अन्तर्गत निकाला गया है। परन्तु मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या श्री वी. के. सिंह गृह मन्त्रालय की विदेश सेवा ग्रेड (ख) में भारत सरकार के कर्मचारी थे **(व्यवधान)** या वह कर्मचारी नहीं थे। यह सत्य है या नहीं कि इस व्यक्ति को विदेश सेवा ग्रेड 'ख' से **(व्यवधान)** मंसूरी अकादमी को भेजा गया था ? उसके चुनाव का आधार क्या था ? वह सरकारी कर्मचारी था सरकारी सेवा से इस व्यक्ति को अकादमी में भेजने के लिए चुना गया जहाँ पर अब उसको भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिये प्रशिक्षण दिया जा रहा है या कम से कम इस आदेश के भारी होने तक प्रशिक्षण दिया जा रहा था। पहली बात तो यह है कि उनका चयन कैसे हुआ जबकि पहले ही उनको राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से निकाला जा चुका था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (जादवपुर) सारा मामला आपत्ति जनक है

श्री जार्ज फर्नान्डीस : भर्ती करने सम्बन्धी मार्गदर्शक, सिद्धांत क्या हैं ? क्या आप भर्ती करने से पूर्व लोगों की जांच पड़ताल नहीं करते हैं ? क्या आपने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से रिपोर्ट ली थी अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय: कृपा संक्षेप में कह दीजिए।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरे अनुसार, ये कुछ प्रश्न हैं जो इस इस घटना से उत्पन्न होते हैं और इसीलिये मैं चाहता हूं कि अब मन्त्री महोदय हमें बताएं कि क्या अंत्तोगत्वा श्री वी. के. सिंह जा ही रहे हैं क्योंकि अन्ततः उन्होंने ये श्री अप्पू द्वारा दी गई रिपोर्ट और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। अथवा श्री वी. के. सिंह के साथ श्री अप्पू को भी जाना चाहिए ? यदि हां, तो श्री अप्पू की क्या गलती है जो उन्हें भी चले जाना चाहिये ? क्या सरकार प्रशासनिक सेवा के इस वरिष्ट अधिकारी से जो एक विश्वसनीय व्यक्ति, अनिन्य, विश्वसनीय और योग्य व्यक्ति है—क्षमा याचना करेगी ? क्या सरकार इस व्यक्ति से क्षमा मांगेगी और उसे वापिस उसी पद पर अथवा अन्य किसी पद पर आसीन करेगी, लेकिन किसी तरह से उन्हें वापिस लायेगी ? अथवा क्या सरकार श्री अप्पू और श्री वी. के. सिंह को एक ही मानदंड से बराबर मानना चाहती है ?

मैं मंत्री महोदय से इन प्रश्नों का उत्तर चाहता हूं।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : स्पीकर साहब, जार्ज साहब ने जो क्वैश्चन किये हैं, उनमें उनका यह ख्याल सिलैक्शन किस ग्राउन्ड पर इसकी की गई, कालिंग अटैंशन के साथ इसका

सम्बन्ध नहीं है। सलैक्शन हुए बहुत मुद्दत हो गई है। अगर कोई मेम्बर पूछना चाहे तो मैं इसकी जानकारी करूं कि जब इसका दाखिला किया गया, सिलेक्शन करने के वक्त जो सिलैक्शन के रूल्स हैं, उनकी पालना की गई या नहीं की गई ? अकादमी से वह डिसिप्लिनरी ग्राउन्ड पर विद्ड्रा हुआ तो कैसा था, क्या, था, यह डिटेल मेरे पास नहीं है। मैं यह भी समझता हूं कि जब एक व्यक्ति सजा पा चुका है तो उसके बाद इस डिटेल में जाने का कोई लाभ नहीं होगा, मगर हम छिपाना नहीं चाहते।

दूसरे उन्होंने यह कहा कि मन्त्री साहब यह बतायें कि पहले लीनिएन्ट-ब्यू लिया और उसके बाद उसको निकाल दिया गया, ऐसा क्यों हुआ ?

एक तो स्पीकर साहब, डिपार्टमैंट के मन्त्री का सैक्रेटरी, एडीशनल सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी से क्या नोटिंग एक्सचेज हुआ, उसके बाद मैं समझता हूं कि रुटीन के हिसाब से कोई ज्यादती नहीं हुई है। हम हमेशा फैसला यह करते हैं—विद्आउट फीयर और विद्आउट फेवर, लेकिन फेअर फैसला करते है। यह हमने कसम खाई हुई है। इस कसम के मुताबिक हम डिसीजन लेते हैं।

इन्साफ के लिये जरूरी है कि छोटे गुनाह की बड़ी सजा न दी जाये और बड़े गुनाह को छोटी सजा देकर माफ न किया जाय। दोनों बातों में बेइन्साफी होती है।

हमने पहले ब्यू लिया, हमारा स्टेटमेंट भी है कि सुधारक तरीका अख्त्यार किया जाये, इसको सख्त वार्निंग दी जाये और वाच किया जाये। इस तरीके से हो सके तो ठीक रहेगा। छोड़ा नहीं गया था, लेकिन सजा कम दी गई थी।

अब उसके बाद जब कुछ और बातें नोटिस में आई हैं,...

एक माननीय सदस्य : क्या बातें ?

श्री जेल सिंह :...उन बातों से इस बात का विश्वास होता है। कि उसने न तो बलात्कार किया और बलात्कार करने की कोशिश की। वह बदचलन नहीं है, बद-कलाम है। यह पता चला कि वह बद-कलाम है और इस बात से दूसरे प्राबेशनर जी थे, उनको परेशानी हुई। तो हमारे डिपार्टमेंट ने, सेक्रेटरी ने फिर हमसे डिसक्स लिया, और डिसक्स करने पर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि उसको निकाल दिया जाये। इस लिए दोबारा सोचा गया और दोबारा सोचने के बाद निकाल दिया गया। दुनिया में ऐसा कोई फैसला नहीं है, जिस पर दोबारा गौर नहीं किया जाता है। दोबारा गौर करने की फर्नान्डीस साहब को प्रशंसा करनी चाहिए थी, मगर प्रशंसा करने के बजाए वह कह रहे हैं कि हमने क्यों किया। (व्यवधान) माननीय सदस्य को जार्ज कहें या फर्नान्डीस कहें। नाम का प्रोनंसीएशन अलंहदा अहलदा हो जाता है। मैं जान बूझ कर उनका नाम बिगाड़ कर नहीं कहता हूं। मेरे मन में कोई दुविधा नहीं है। मैं तो पूरी श्रद्धा से और प्यार से कहता हूं।

दो सवाल आनरेबल मेम्बर साहब के थे। उनका मैंने जवाब दे दिया। आशा रखता हूं कि उनको तसल्ली हो गई होगी। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्री अप्पू के बारे में क्या हुआ ? (व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, क्या अब आप मेरी बचत करेंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे श्री अय्यू के बारे में बात करना चाहते हैं।

श्री जैल सिंह : उसने रिजाइन नहीं किया। उसने छुट्टी मांगी है और लीव एप्लिकेशन पर हमने उसकी लीव मन्जूर कर दी है। इसके सिवा दूसरी कोई बात नहीं है। वह बिहार कैडर का अफसर है। अगर उसने रिजाइन करना हुआ, तो वह बिहार को करेगा। (**व्यवधान**)

श्री एम. एम. लारेंस : श्री अय्पु ने विरोध स्वरूप छुट्टी का निवेदन किया है। वह विरोध के लिये ही किया गया है (**व्यवधान**) विरोध करने के लिए ही उन्होंने छुट्टी मांगी है। (**व्यवधान**) क्योंकि उनकी रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने श्री वी. के. सिंह के विरुद्ध कोई कार्य वाही नहीं की (**व्यवधान**)

श्री जैल सिंह : इस बात की कोई हद नहीं होगी। आनरेबल मेम्बर साहब पहले बोल चुके हैं और उनका जवाब हो चुका है।

अध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें जवाब नहीं देना है। आप जार्ज साहब को जवाब दें।

श्री जैल सिंह : हमने केवल इतनी कार्यवाही की है कि उनकी लीव एप्लिकेशन को मंजूर कर लिया है। (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : वह शर्त बंध था।

श्री जैल सिंह : कन्डीशनल, ने कन्डीशनल का, जब छुट्टी का वक्त खत्म होगा, तब समय आयेगा। अब तक उसका समय नहीं है

अध्यक्ष मोहदय : श्री इम्बीची वाघा। माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। श्री सतीश अग्रवाल।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रथमतः मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सदस्यों की भावनाओं को समझते हुए ऐसे मामले पर सदन में चर्चा करने का अवसर दिया, जिससे केवल एक ही व्यक्ति के बारे में कुछ प्रश्न नहीं उठते बल्कि इस देश में प्रशासकीय सेवा के सम्पूर्ण स्तर के बारे में तथा सरकार अनुशासन तथा नैतिकता का जो स्तर बनाए रखना चाहती है उसके बारे में भी प्रश्न उठते हैं और केवल इतना ही नहीं, कार्य संचालन में इन व्यक्ति की गुणवता का भी प्रश्न उठता है। अतः मैं आपको प्रशंसा करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

राज्य मन्त्री श्री वेंकटसुब्बय्या ने इस मासले में जो निर्भीक व उचित दृष्टिकोण अपनाकर यदि मैं उसकी प्रशंशा न करूं तो मैं अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पाऊंगा। उन्हें सन्तुष्ट होना चाहिये कि उनके मत का समर्थन किया गया है।

श्री पी. वेंकट सुब्बैया : जो भी निर्णय लिया गया है वह ज्ञानी जैलसिंह जी द्वारा लिया गया है। मेरे साथ भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। मैं सम्पूर्ण गृह मंत्रालय का एक अंश हूं तथा गृह मन्त्री महोदय ने सरकार के समूचे दृष्टिकोण के बारे में बताया है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक सतीश जी की मित्रता का सम्बन्ध है, उन्होंने तो यह शेर पढ़ दिया है :—

"मुझे मेरे दोस्तों की तादाद तो बता दो,
मैं अपने दुश्मनों की गिनती तो कर लूं।"

श्री सतीश अग्रवाल : कभी-कभी सत्तारूढ़ दल के सदस्यों की ओर से यह आम शिकायत होती है कि यदि वे कुछ अच्छा काम करते हैं तो हम उनकी प्रशंसा नहीं करते । श्री वेंकट सुब्बैया के अन्य कनिष्ठ मंत्रियों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि उन्हें अपनी परिपाटियों का पालन करना चाहिये तथा उनकी बात को फाइल में रिकार्ड किया गया है कि श्री वी. के सिंह को पदच्युत किया जाना ही चाहिये । वह निदेशक की सिफारिश से सहमत हुए । उन्होंने गृह मन्त्री की परवाह नहीं की । इसी कारण से मैंने कहा है कि इस मामले में उन्होंने वरिष्ठमंत्री की परवाह न करके अन्य कनिष्ठ मंत्रियों के लिये उदाहरण प्रस्तुत किया है। ज्ञानी जैलसिंह जी ने अभी-अभी कहा था "हमने इस निर्णय में संशोधन किया है।" दोपहर पहले सदन को दो घंटे के लिये स्थगित करना पड़ा क्यों ? क्योंकि सुबह, प्रारूप का वह अंश जिसे ज्ञानी जैलसिंह जी ने तैयार किया था, कुछ भिन्न था । यह संशोधित किया गया वक्तव्य है संशोधित वक्तव्य के दूसरे पृष्ठ पर यह कहा गया है ।

"प्रारम्भ में सरकार ने सोचा कि सुधारात्मक रवैया ही पर्याप्त होगा । किन्तु इस मामले के सभी पहलुओं को आगे पुनरीक्षा करने पर, सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि उक्त परिवीक्षाधीन को भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली की धारा (ख) के अधीन बर्खास्त कर दिया जाये तथा यह निर्णय अकादमी के प्रभारी संयुक्त निदेशक को सूचित कर दिया गया है।

इस प्रारूप में अब यह उल्लेख किया गया है । लेकिन इसमें इस कारण देर हो गई क्योंकि ज्ञानी जैलसिंह ने अन्त तक यह अंश प्रारूप में रखा था ।'

"विचार विमर्श के बाद, सरकार ने यह विचार किया कि परिवीक्षार्थी को सख्त चेतावनी देते हुये तथा उसके आचरण तथा व्यवहार पर नजर रखते हुये सुधारात्मक सिफारिश स्वीकार करना उचित होगा । सरकार ने यह निर्णय भी लिया कि निदेशक को सरकार के विचार-विमर्श के लिये परिवीक्षार्थी के आचरण तथा व्यवहार के सम्बन्ध में छः महीने की विशेष रिपोर्ट भेजनी चाहिये ।"

यदि कोई प्रशंसा के योग्य है तो मुझे इसके लिये गृह मन्त्री की बजाय प्रधानमन्त्री की प्रशंसा करने में हिचकिचाहट नहीं होगी जिन्होंने इस निर्णय में परिवर्तन किया । इसमें हम किसी की भी प्रशंसा करने को तैयार हैं; लेकिन ज्ञानी जी नहीं।

श्री जैलसिंह : यदि सारा श्रेय मेरी प्रधानमन्त्री को मिलता है तो मुझे खुशी है । मैं खुश हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : यह एक कारण था जिसकी वजह से इस प्रारूप को बदलना पड़ा और वह देर से साइक्लोस्टाइल हुआ । ज्ञानी जी, यहां भी आपने प्रधानमन्त्री को गुमराह किया क्योंकि श्री शिव शंकर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि हटाने, सेवामुक्त करने और बर्खास्त करने में अन्तर है। वह व्यक्ति जिसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, उसे बाद में सरकारी नौकरी से भी वंचित कर दिया जाता है वह व्यक्ति जिसे सेवामुक्त किया जाता है, वह पुनः नौकरी में आने का अधिकारी है। इस विशेष मामले में, मैं नहीं जानता कि क्या वह व्यक्ति भारतीय वन सेवा में है अथवा भारतीय विदेश सेवा में लेकिन अभी तक किसी सेवा में है।

श्री वेंकटसुब्बय्या ने बड़ी चतुराई से नियम 12 (ख) पढ़ा है। लेकिन सुसंगत नियम क्या है? अनुशासन और आचरण के नियम में कहा गया है :

"(2) किसी परिवीक्षार्थी को उस समय नौकरी से हटाया अथवा पदच्युत किया जा सकता है यदि वह केन्द्रीय सरकार से अथवा किसी अन्य सक्षम अधिकारी से प्राप्त किसी आदेश का पालन नहीं करता अथवा केन्द्रीय सरकार के मतानुसार उसने अपने परिवीक्षार्थी अध्ययन अथवा कर्त्तव्यों की जानबूझ कर उपेक्षा की है अथवा ऐसा आचरण करने का दोषी है जो प्रशासकीय सेवा के सदस्य के लिये अशोभनीय है।"

यह नियम 11 है जिसमें बर्खास्तगी के अधिकार दिये गये हैं। उन्होंने नियम 11 के अधीन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने इसे पदच्युत नहीं किया है, बल्कि उन्होंने नियम 12 के अन्तर्गत अधिकारों का उपयोग किया है, जिसे मेरे सहयोगी, श्री वेंकट सुब्बय्या ने पढ़ा है।

"12 (ख) : यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये परिवीक्षार्थी सेवा में भर्ती किए जाने का पात्र नहीं है अथवा सेवा का सदस्य बनने के उपयुक्त नहीं है ----

आपने इसे पढ़ा है। लेकिन मुख्य धारा कौन सी है? मुख्य धारा नियम 12 है, जिसमें कहा गया है :

"किसी परिवीक्षार्थी को सेवा से पदच्युत किया जा सकेगा अथवा यथास्थिति उसे उसके स्थाई पद पद जिस पर उसका ग्रहणाधिकार है अथवा होगा लौटाया जा सकेगा। यदि उसे उस पर लागू नियमों के अनुसार निलम्बित न किया गया होता"

अतः नियम 12 के आधीन आपने उसके लिए अवसर रखा है वह उसे पद का पुनः भारग्रहण करेगा जिसपर उसका ग्रहणाधिकार है। आपको इस व्यक्ति विशेष को सीधे पदच्युत कर देना चाहिए था।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : विदेश सेवा की महिला कर्मचारियों की परमात्मा ही रक्षा करे।

श्री सतीश अग्रवाल : आपने प्रातः सभा को बताया था कि यह निर्णय संयुक्त निर्देशक को भेज दिया गया है। पर वक्तव्य में कहा गया है। क्या मैं श्री वेंकटसुब्बय्या जी से पूछ सकता हूं कि किस तारीख को और किस समय यह निर्णय संयुक्त निदेशक के पास भेजा गया था? क्या वह वक्तव्य में इन संशोधनों के बाद भेजा गया है? कल उसी श्री बन्दोपाध्याय ने, जिन्होने उसकी बात सुनी थी तथा निदेशक श्री अप्पू को टेलीफोन द्वारा सूचित किया कि उन्होंने स्वयं उसकी बात सुनी है, तथा जांच के आदेश दे दिये। गृह मंत्री महोदय, आपको मिसिल कब पेश की गई? मैं इसके पूरे इतिहास में नहीं जाना चाहता। इतने समय तक आप मिसिल को लिए बैठे रहे। मामले का अनुसरण किया जा रहा था। आपसे निवेदन किए गये थे कि आप उसे पदच्युत कर दें। विगत काल में कई बार प्रशासकीय सेवा के मनोबल को ऊंचा बनाये रखने के तथा अकादमी में अनुशासन बनाये रखने के लिये व्यक्तियों को छोटी-छोटी बात पर पदच्युत किया गया है सेवामुक्त किया गया है या सेवा से हटाया गया है। श्रीमान, वास्तव में इस सेवा में आने वाले तरुण अत्यन्त प्रतिभाशाली होते हैं। लोक लेखा समिति के चेयरमैन की हैसियत से मुझे कई बार उन्हें सम्बोधित करने का अवसर मिला। ज्ञानी जी, ऐसी कारवाई करके आपने

अनुशासनहीनता, अपराध, दुर्व्यवहार और कदाचार को बढ़ावा दिया है। यह बात आपको शोभा नहीं देती । मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि अब आप पंजाब के मुख्य मंत्री नहीं हैं । आप इस समय भारत के गृह मंत्री हैं तथा आप उस प्रतिष्ठाजनक स्थान पर विराजमान हैं जिसपर कभी पं. जी. बी. पंत तथा सरदार बल्लभभाई पटेल जैसे महान व्यक्ति सुशोभित थे । आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं । पंजाब का मुख्यमंत्री रहते हुए आपने राज्य सभा के निर्वाचन में जो धांधलियां तथा मतपेटियों में हेराफेरी की कारवाईयां की थीं, जिसके बारे में पंजाब उच्च न्यायालय का विनिर्णय है, जिसमें आप पर आरोप लगाया गया है, उसे तो मैं क्षमा कर सकता हूं । उस बारे में एक प्रश्न यह भी है कि वह यह व्यक्ति था जिसने मत-पेटियों में गड़बड़ी की तथा जेल से प्राप्त मत-पत्रों के मामले में भी हस्तक्षेप किया। (व्यवधान) परन्तु यहां पर आप गृह मंत्री हैं तथा इस समय उस प्रतिष्ठाजनक आसन पर विराजमान हैं जिस पर पहले पं. गोविन्द वल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान व्यक्ति सुशोभित थे, जिन्होंने पहले छोटी सी रेल दुर्घटना पर त्याग-पत्र दे दिया था । इन सभी घटनाओं से आपका रवैया तथा दृष्टिकोण पूरी तरह प्रकट हो जाता है । यहां भी आप बचने की कोष्टा कर रहे हैं । क्या मैं आपसे एक विशिष्ट प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या यह सच नहीं है कि जब यह घटना घटी तब परिवीक्षाधीन महिलाओं ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया तथा उस क्षेत्र के कलेक्टर ने उनकी सहायता तथा रक्षा की तथा उन्हें मुक्त किया । क्या आपको इस सचाई का पता नहीं है ?

मुझे बताया गया है कि पुलिस में भी मामला दर्ज कराया गया था, परन्तु उसे दबा दिया गया है । ज्ञानी जी, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी । आखिर इन सभी बातों को छिपा कर आपको क्या मिलेगा, तथ्यों को प्रकट करने के स्थान पर उन्हें दबाने के लिए इतिहास आपको याद रखेगा । इस रक्तिम पुष्प से आपकी आभा, आपका आचरण तथा गृह मंत्रालय में आपके कृत्य सुशोभित नहीं होंगे ।

क्या यह सच नहीं है कि कलक्टर को मामले का पता था और यह कि मामला पुलिस में दर्ज कराया गया था । क्या यह सच नहीं है कि कलक्टर स्थल पर गया और उन लड़कियों को बचाया ? फिर आप इन सभी बातों को इतने दिन दबाकर क्यों बैठे रहे । आप यहां पर यह वक्तव्य दे रहे हैं कि आपको इस बारे में संयुक्त निदेशक से कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई कि कोई बलात्कार की घटना हुई थी, अथवा बलात्कार का प्रयत्न किया गया था । यदि बलात्कार की कोई घटना नहीं हुई, तो इस पर मुझे प्रसन्नता है । परन्तु क्या उनके साथ छेड़खानी नहीं की गई थी ? क्या उन पर हमला नहीं किया गया था ?

क्या आप इन सब बातों को भुलाने जा रहे हैं ? उसे सेवा में लिया जा रहा था। जहां तक राजनीतिज्ञों का सम्बन्ध है आप उन्हें ऐसी बातों के लिए माफ कर सकते हैं । आप उन्हें मुख्य मंत्री बना सकते हैं । इस पर मुझे आपत्ति नहीं है । परन्तु जहां तक सेवाओं का संबन्ध है आपको पता होगा—अजमेर के भगवान देव जी इस बात की पुष्टि करेंगे—कि राजस्थान में आइ. ए. एस. कलक्टर था, जिसने अजमेर में किसी स्थान पर कुछ समय पहले दुर्व्यवहार किया था । सरकार ने उसके विरुद्ध कारवाही की । बाद में उसे पुलिस थाने ले जाया गया । तब उसने बताया कि वह कलक्टर है । इस तरह आप इस कारण से कोई कारवाही नहीं करते तो

सेवाओं का नैतिक पतन हो जायेगा। क्या लोगों को डराने धमकाने के लिए परिवीक्षार्थियों को अथवा .38 का रिवाल्वर रखने की अनुमति है ? क्या इससे आयुध अधिनियम का उल्लंघन नहीं होता ? क्या परीवीक्षार्थियों को ऐसे शस्त्र रखने की अनुमति है ? मैं तो ऐसा नहीं समझता ? क्या उसके पास इसका लाइसेंस था ? यदि नहीं तो क्या आपने उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया ?

आपने उन्हें निदेशक की रिपोर्ट के विरुद्ध जो कि एक श्रेष्ठ सिविल अधिकारी हैं व्यक्तिगत बातचीत के लिये क्यों बुलाया ? निर्देशक की रिपोर्ट के विरुद्ध, आपने एक दोषी अधिकारी को दिल्ली आकर आपके अपने निजी सचिव को तीन सप्ताह तक व्यक्तिगत संपष्टीकरण देने का अवसर क्यों दिया ? तब आपको निदेशक को भी बुलाना चाहिए था। परन्तु आपने निदेशक को नहीं बुलाया। आपने केवल उसी व्यक्ति को बुलाया जो कि अपराधी है। यह तो अपराधी को संरक्षण देने वाली बात हुई। यदि आपने अपराध प्रक्रिया संहिता नहीं पढ़ी तो आप श्री शिवशकर से परामर्श कर लेते। अपराध प्रक्रिया संहिता में व्यवस्था है कि यदि आप को किसी अपराध की जानकारी है और आप मामले की सूचना पुलिस में नहीं देते तो कानून के अधीन आप अपराधी हैं। यह सभी अपराध आपको पता चल गये थे, तथा उन्हें पुलिस में दर्ज न कराने के कारण आप भी अपराध प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन के दोषी हैं। इन उपबन्धों का आम नागरिकों के बारे में तो पालन किया जा रहा है, परन्तु आपके मामले में नहीं किया जाता, तो यह तो वास्तव में अति दुःखद बात है।

तब आप यह कहानी पेश करते हैं कि लड़की के पिता शोक से कारण नहीं मरे। मैं लड़की का अथवा उसके पिता का नाम नहीं लेना चाहता। परन्तु यह बात सत्य है—जिसकी पुष्टि श्री केरल से निर्वाचित सदस्य श्री उन्नीकृष्णन ने, तथा अन्य सदस्यों ने भी की है, कि लड़की का पिता इस दर्दनाक कहानी को सुनकर हृदयगति रूक जाने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस पर खेद प्रकट करने के स्थान पर आपने कहा है कि वह हृदय गति रुकने से नहीं मरे, जैसे कि आप ही वह डाक्टर थे जिसने उनकी शव परीक्षा की। आपको इस पर शोक व्यक्त करना चाहिए था। वह कई बार आपके पास आये तथा आपका द्वार खटखटाया। कई लोगों ने आपको समझाना चाहा. निदेशक, संयुक्त निदेशक, आपके अपने विभागीय अधिकारी सभी ने आपको समझाना चाहा। बिना भय तथा पक्षपात के कार्य करने के लिए उनकी प्रशसा की जानी चाहिए। परन्तु केवल आपही दाल-भात में मूसलचन्द हैं, बाकी कोई नहीं ' बाकी सभी ठीक थे, उन्होंने दय नतदारी से रिपोर्टें दीं। सयुक्त निदेशक, उप-निदेशक, एकादमी में सभी लोग छुट्टी पर जा रहें हैं।

सरकार को कम से कम इतनी देर के बाद तो संभल जाना चाहिए। अतः कृपया यह बात स्पष्ट करें कि क्या 4 मार्च के हिन्दुस्तान टाइम्स तथा 5 मार्च के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित तथ्यों का आप खण्डन करते हैं ?

दूसरे, क्या उसके पास गैर-लाइसेंस शुदा छात्र थे ? यदि हां, तो आपने उसके विरुद्ध मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया ? तीसरे आपने उसे नियम 12(ख) के अधीन सेवा सुयुक्त क्यों किया ? आपने उसे नियम 11 के अधीन पदच्युत क्यों नहीं किया ताकि वह भविष्य में सरकारी सेवा में न लिया जा सके ?

तीन घटनाएं हुई बताई गयी हैं। आपने केवल दो का ही उल्लेख किया है। क्या गृह मंत्री न्यायपूर्वक, इस बारे में हुए पूरे पत्र-व्यवहार को सभा-पटल पर रखेंगे तथा इस पूरे मामले की जाँच करने के लिए एक सर्व-दलीय संसदीय समिति गठित करेंगे ताकि सभी बातें साफ हो जायें।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : श्री सतीश अग्रवाल ने कहा कि मैंने भारतीय प्रशासन सेवा परिवीक्षार्थी अधिनियम के नियम 11 के अन्तर्गत कार्यवाही करने के बजाय नियम 12(ख) के अन्तर्गत कार्यवाही करके काफी चतुराई की है। यह कार्यवाही निदेशक द्वारा की गयी सिफारिशों के आधार पर की गयी है। क्योंकि उनकी सिफारिश यह थी कि हमें नियम 12(ख) के अंतर्गत कार्यवाही की जानी चाहिए, अतः हमने उसी के अनुसार कार्यवाही की है।

एक माननीय सदस्य : बहुत अच्छा बहाना है।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : दूसरे यह सत्य है कि वह व्यक्ति भा. प्र. सेवा में आने से पहले भा. वि. से. के ग्रेड ख में था। परन्तु अब उसका पहली सेवा में कोई ग्रहणाधिकार नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनका ग्रहणाधिकार कैसे खत्म हुआ ?

श्री पी. वेंकटसुब्बैय्या : सिविल सेवा परीक्षा 1980 के आधार पर उसने भा. प्र. सेवा में नियुक्त होने के लिए योग्यता प्राप्त कर ली थी। अतः कोई ग्रहणाधिकार नहीं था और वह परीक्षा में बैठा था।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जब तक उसने त्याग पत्र न दिया हो अथवा न छोड़ा हो तब तक उसका ग्रहणाधिकार कैसे समाप्त हो सकता है ?

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : उसका कोई ग्रहणाधिकार नहीं है। उसने ग्रहणाधिकार को छोड़ दिया था। पहली सेवा में अब उनका कोई ग्रहणाधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय कहते हैं कि पहली सेवा में उसका कोई ग्रहणाधिकार नहीं है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आपने भर्ती से पहले पुलिस से जाँच नहीं करायी थी ? क्योंकि आप प्रत्येक बात पर तो हमारे पीछे पुलिस को छोड़ देते हैं।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : इसको कहने की आवश्यकता नहीं कि ये सभी जाँच करायी गयी थीं।

दूसरी बात के बारे में कि श्री उन्नीकृष्णन ने इस बात का पता लगा लिया था जैसा कि श्री अग्रवाल ने कहा, कि लड़की केरल की है। यह बात आपने कही है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि वे लड़कियां जो इस मामले से सम्बन्धित हैं केरल की बिल्कुल नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य : वे कहां की हैं ?

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : हमें भा० प्र० सेवा के परिवीक्षार्थियों के नाम प्रकट न करने की मर्यादा बनाये रखनी चाहिए। इसी लिए मैं इन ब्यौरों में नहीं जाना चाहता। इस मामले में अन्तर्ग्रस्त लड़कियों के वक्तव्य ले लिए गए हैं। अपने वक्तव्य में उन्होंने यह नहीं कहा कि बलात्कार का कोई प्रयास किया गया था; और न वे केरल की ही हैं। मैं यह सूचना फाइल के रिकार्ड से दे रहा हूं।

श्री ई. बालानन्दन (मुकुदपुरम) : मैंने मंत्री का स्पष्टीकरण सुना है और उनके द्वारा प्रयोग किये गये कुछ शब्दों को सुनकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैंने सोचा था कि इस प्रश्न पर उच्च स्तर पर चर्चा की जायेगी तथा सभा में प्रस्तुत किये गये हमारे प्रस्ताव को प्रत्येक व्यक्ति समर्थन देगा तथा इस प्रश्न पर दूसरी तरफ से कोई सफाई नहीं दी जायेगी। परन्तु यहां हम देख रहे हैं कि एक दूसरे के विरुद्ध जोर-जोर ने बोल रहे हैं। हम यहाँ पर किस बात पर चर्चा कर रहे हैं ? हम प्रशासनिक अधिकारियों के चरित्र पवित्रता के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। जिन्हें देश पर शासन करना है।

अध्यक्ष महोदय : देश की सेवा करनी है; शासन नहीं। मैं आप से सहमत हूं। उन्हें देश की सेवा करनी है।

श्री ई. बालानन्दन : आखिर वे जिले के कलक्टर या सरकार के सचिव बनेंगे। फिर भी सरकार द्वारा क्या रुख अपनाया गया है ? मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है कि प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने पूरी रिपोर्ट को प्रकट नहीं किया है इस परिवीक्षार्थी ने हाथ में रिवोल्वर लेकर दूसरे परिवीक्षार्थियों को धमकी दी ये सभी तथ्य आपके पास हैं। फिर भी सरकार इस मामले में उदारता वरतना चाहती है।

दूसरे, यह कोई छोटी गलती नहीं है। अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, आपको उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए था। परन्तु इस मामले में यह नहीं किया गया। इसके बजाय पहले सरकार ने उदारता का रुख अपनाया और अब सरकार ने उनको बर्खास्त करने का निर्णय लिया है। क्यों ?

श्री हरिनाथ मिश्रा पीठासीन हुए

मेरे माननीय मित्र श्री अग्रवाल ने एक प्रश्न पूछा है कि उनको बर्खास्त करने का निर्णय कब लिखा गया था ? इस प्रश्न पर कोई उत्तर नहीं दिया गया है। क्या उसे इस निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है ? इसकी सूचना किस समय भेजी गयी थी ? इन बातों की जानकारी मंत्री द्वारा नहीं दी गयी, यद्यपि ये प्रश्न उनसे पूछे गये थे। और क्या मैं उनसे यह भी पूछ सकता हूं कि क्या अकादमी के सहायक निदेशकों व अन्य अधिकारियों ने छुट्टी ले ली है ? वे इस बात पर विरोध प्रकट कर रहे हैं कि उन निदेशकों ने दो महीने की छुट्टी ले ली है। अपने त्याग पत्र में निदेशक ने कहा है कि यदि श्री वी. के. सिंह के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जाती तो उनको सेवा निवृत्त होने की अनुमति दी जाए। इसके बाद सरकार ने कार्यवाही नहीं की, और फिर अन्य अधिकारी जो वहां हैं, उपनिदेशक तथा अन्य, उन्होंने भी छुट्टी ले ली तथा किसी ने भारत सरकार के सचिव (कार्मिक) से मिलने का समय लेना चाहा। इस प्रकार से अब पूरी अकादमी में कार्य नहीं हो रहा है। क्योंकि एक तो अध्यक्ष महोदय ने यहां पर चर्चा करने के लिए अनुमति दे दी है तथा दूसरे सभी समाचार पत्रों ने पूरा समाचार छाप दिया है अतः अब सरकार यह कहने के लिए बाध्य हो गयी है कि श्री वी. के. सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन इन सब प्रश्नों पर निष्पक्षता से विचार किया जाना चाहिए। जब इस प्रकार की रिपोर्ट आयी थी तो हमारे गृह मंत्री को तुरन्त बर्खास्त करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी। उन्होंने पूरी जाँच कराने के बाद ही रिपोर्ट भेजी थी अतः उसे उसी समय बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। परन्तु कुछ उच्च व्यक्त—मैं यह नहीं कहना

चाहता कि वे कौन थे आगे आये और उन्होंने सरकार को तथा विशेष रूप से गृह मंत्री पर प्रभाव डाला इसलिए गृहमंत्री ने उदारता का रुख अपनाया। किस लिए ? एक महिला से बलात्कार करने या बलात्कार करने का प्रयास करने के लिए। भारतीय प्रैस में यह समाचार प्रकाशित हुआ था। तकनीकी रूपसे, सरकार को रिपोर्ट करते समय जिस महिला के साथ ऐसा हुआ उसका नाम नहीं दिया जायेगा। हमारे गृहमंत्री ने भी कहा है कि सामान्यतः लोग इस प्रकार की रिपोर्ट देते समय नाम तथा अन्य विस्तृत सूचनायें नहीं देते। क्योंकि भारतीय संस्कृति तथा परम्परा के अनुसार यह बहुत बुरा है अतः वे ऐसा नहीं करते। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि ऐसा हुआ ही नही। हम ऐसी मनाहीं को स्वीकार नहीं करते। प्रश्न यह है कि यह घटना हुई है और यदि आप प्रशासनिक सेवाओं के स्तर में एक मर्यादा या शालीनता बनाये रखना चाहते हैं, तो उसे तुरन्त बर्खास्त करना चाहिए था। अब मैं सरकार से इस बारे में स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।

सारे मामले पर बात चीत हुई है। क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि आपने उसे बर्खास्त करने का निर्णय कब लिया था तथा सम्बन्धित व्यक्ति को इसके बारे में कब सूचना दी गई थी ? मैं यह भी मांग सकता हूं कि श्री अप्पू को सेवा में वापस बुलाया जाना चाहिए जिससे भारत के लोगों को यह पता लग सके कि जो सिद्धान्तों पर अडिग रहते हैं उनको उनका उचित स्थान मिलेगा तथा भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नैतिक स्तर ऊंचा बनाये रखा जाये। इस प्रकार से श्री अप्पू को अकादमी में बुलाया जाना चाहिए। तथा मैं सरकार से इस बारे में विशिष्ट उत्तर चाहता हूं कि सेवा मुक्ति का आदेश किस तारीख को भेजा गया तथा यह आदेश किस समय भेजा गया। क्या सरकार निदेशक श्री अप्पू को तुरन्त वापस बुलायेगी ?

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : महोदय केवल निदेशक छुट्टी पर गये हैं। अकादमी के किसी भी अन्य अधिकारी ने छुट्टी के लिए आवेदन नहीं दिया, सिवाय एक के जिसकी छुट्टी अभी मंजूर नहीं की गयी, क्योंकि वह किसी तारीख विशेष से छुट्टी नहीं चाहता था। अतः अकादमी में कार्य हो रहा है।

अगला प्रश्न यह है कि इस परिवीक्षार्थी को बर्खास्त करने के अनुदेश कब दिए गए थे। हमने प्रातः ही उसको बर्खास्त करने के अनुदेश दिये।

श्री सूरजभान : किस समय ?

एक माननीय सदस्य : आज से क्या मतलब है ?

सभापति महोदय : इस सुबह का तात्पर्य है आज सुबह।

श्री पी. वेंकट सुब्बय्या : महोदय अकादमी में कार्य चल रहा है।

सरकार इन लोगों का जो भा. प्र. सेवा में भर्ती किये गए हैं तथा देश की सेवा के लिए प्रशिक्षित किये जा रहे हैं, सम्मान तथा गरिमा बनाये रखने में ईमानदारी से प्रयत्नशील है। सरकार इस उच्च परम्परा को बनाये रखने में पीछे नहीं रहेगी। माननीय सदस्यों ने जो कुछ काल्पनिक अनुमान लगाये हैं मैं वहां पर उन मनगढ़न्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए नहीं हूं। परन्तु मैंने मामले से सम्बन्धित तथ्य माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत कर दिए हैं।

श्री ई बालानन्दन : क्या सरकार पुनर्विचार करेगी तथा श्री अप्पू को वापस बुलायेगी ?

दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 1980 के बारे में याचिका

श्री वी. एन. गाडगिल : मैं मकान बनाने पर लगाये गये धन से पर्याप्त आय और अपने उपयोग के लिये परिसरों से बेदखली के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए उपबंध करने हेतु दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 1980 के बारे में श्री जे. पी. जैन तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

बम्बई अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों के ईंधन में पानी के बारे में वक्तव्य

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान और श्री जैनुल बशर ने कल "बम्बई में इंडियन आयल ईंधन में पुनः पानी" के सम्बन्ध में पृथक-पृथक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिये हैं। मेरे सहयोगी, श्री ए. पी. शर्मा, पर्यटन और सिविल विमानन मंत्री ने "बम्बई में इंडियन आयल ईंधन में पानी" से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विस्तृत रूप से विचार प्रकट किये थे। मैंने स्वयं ही इस सदन में सारे तथ्य तुरन्त ही प्रस्तुत कर दिये गये होते, परन्तु ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुए विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए, मैंने यह अनुभव किया कि मेरे द्वारा अलग से कोई वक्तव्य दिया जाना आवश्यक नहीं है, परन्तु मुझे इस बात का हार्दिक खेद है कि मैं इस सम्बन्ध में स्थिति बताने के लिए सदन में नहीं आ सका। मेरे सहयोगी श्री ए. पी. शर्मा ने दिनांक 3 मार्च ,1982 को इस सदन को सूचित किया था कि 4 अधिकारियों को जिनके विरुद्ध भूल/लापरवाही का मामला प्रारंभिक रूप से सिद्ध हो गया था, को निलम्बित कर दिया गया था। यह 27 और 28 फरवरी 1982 को हुई घटनाओं के लिए संक्षिप्त कार्यवाही थी।

28 फरवरी, 1982 की घटना के सन्दर्भ में शिफट इन-चार्ज श्री अरुण देसाई ने बम्बई से मरीशस की एयर इण्डिया फ्लाइट में पुनः ईंधन भरने से पूर्व आई. ओ. सी. के विमानन अधीक्षक द्वारा एयर इण्डिया इन्जीनियरों की उपस्थिति में ईंधन के नमूने लिये गये थे। ईंधन दूषित पाया गया था और नमूने में पानी पाया था। अतः रिफ्यूलर को वापस भेज दिया गया और दूषित तेल की सप्लाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। प्रारंभिक जाँच के फलस्वरूप शिफ्ट इन्चार्ज श्री ए. सी. देसाई को 1 मार्च, 1982 को निलम्बित किया गया।

श्री सी. वी. वी. राव, महाप्रबन्धक आई. ओ. सी. मद्रास की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित की गई थी, और उसी समिति द्वारा कल 6 मार्च, 1982 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने की संभावना है। इसी बीच सभी तेल कम्पनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश पहले ही जारी कर दिये गये हैं कि वे देश भर में अपने सभी रिफ्यूलिंग स्टेशनों के इस सप्ताह के अन्दर ही कड़े निरीक्षण शीघ्र करें। उन्हें ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वह कार्यपद्धति की विस्तार-पूर्वक समीक्षा करें और यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी भी रिफ्यूलिंग स्टेशन में किसी प्रकार की कोई कमी हो, तो स्टेशन की गतिविधियों को तत्काल स्थगित किया

जाए । मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को यह भी सूचित किया गया है कि वे इन विस्तृत परीक्षणों के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे ।

मुझे विश्वास है कि की गई कार्यवाही की सराहना की जायेगी और मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि जांच समिति की रिपोर्ट के उपबन्ध हो जाने पर कानून और पद्धति के अनुसार आवश्यक कार्यवाई तत्काल ही की जायेगी ।

यह बताना आवश्यक है कि ऐसी घटनाएं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होती हैं ।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : हम चर्चा चाहते हैं इस पर डिसकशन होना चाहिए । बहुत ही गम्भीर मामला है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इस पर डिसकशन जरूर करवाइए ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : हम चर्चा चाहते हैं । मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं । कृपया: मेरी बात सुनें, सचिव की बात न सुनें ।

सभापति महोदय : मैं सभा का हूं, मैं अपनी बात कहूंगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप हमारे हैं । मैं केवल एक निवेदन करूंगा । अब एक और समाचार मिला है जिसमें कहा गया है कि वे नये हवाई अड्डे पर वे एयर इण्डिया के बोईंग विमानों में पुन: ईंधन भरने के लिये अनकमिशन्ड हाईड्रेन्टस कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : आप उचित नोटिस दें ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : एक समाचार मिला है; हममें से कुछ वायुयान का उपयोग करते हैं····· (व्यवधान)

डा. सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : यह जीवन और मृत्यु का मामला है ।

सभापति महोदय : आप उचित नोटिस दें ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : विशेषाधिकार समिति में आप बहुत धैर्यवान रहते हैं । यहाँ आप इतने अधैर्यवान हैं ।

सभापति महोदय : मैं अधैर्यवान नहीं हूं । 3 बजकर 30 मिनट पर हमें गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को लेना है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मन्त्री महोदय ने अब साफ, स्पष्टीकरण आदि ताजा वक्तव्य दिया है । मेरा अनुरोध यह है कि इन्हें आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित उस समाचार के बारे में भी स्पष्टीकरण देना चाहिए था जिससे हवाई जहाज के यात्रियों के बीच आतंक फैल गया है । जिन हाईड्रेन्टस का परीक्षण नहीं किया गया जिन्हें चालू नहीं किया गया यदि उन्हें एयर इण्डिया वायुयानों को रिफियूल करने के लिये व्यय में लाया जाता है तो इससे यात्रियों के बीच आंतक फैलेगा और वे इस विमान में यात्रा नहीं करना चाहेंगे । हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण दें ।

सभापति महोदय : जैसे कि मैंने कहा आप उचित नोटिस दें ।

संचार मन्त्री (श्री एम. एम. स्टीफन) वह अनावश्यक रूप से आतंक फैला रहे हैं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : आप मेरे पत्र देने में दो महीनों का समय ले रहे हैं । मैं आपके विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव दे रहा हूँ । आप मेरे पत्र नहीं दे रहे ।

सभा का कार्य

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 8 मार्च, 1982 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्यसूची के बकाया सरकारी कार्य की किसी मद पर विचार।

2. वर्ष 1982-83 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में लेखानुदानों की मांगों पर मतदान।

3. वर्ष 1981-82 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों (सामान्य) चर्चा और मतदान।

श्री जार्ज फर्नान्डीस (मुजफ्फरपुर) : बम्बई के कपड़ा कारखानों के श्रमिकों की हड़ताल के बारे में क्या हुआ।

श्री सुधीर गिरि (कटाई) : मैं अगले सप्ताह के सभा कार्य में शामिल किये जाने के लिये आज सभा के सामने निम्नलिखित विषय रखता हूं।

(1) पश्चिम बंगाल में उस वर्ष चक्रवात:, बाढ़, सूखे तथा युर्गो कीटाणु के हमले के कारण धान की फसल को हुये नुकसान से एक गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा समय पर सप्लायी न किये जाने के कारण ग्रामीणों को एम. आर. जहाजों से गेहूं तथा चावल नहीं मिल रहे हैं। इस मामले पर सभा में चर्चा की जाये।

2. देश के रुई तथा पटसन उत्पादक लाभप्रद मूल्य न मिलने के कारण बहुत मुसीबत में हैं बिचौलिये तथा उद्योगपति गरीब किसानों की मेहनत का आनन्द लूट रहे हैं। अत: मैं मांग करता हूं कि इन प्रश्नों पर अगले सप्ताह के दौरान चर्चा की जाये।

सभापति महोदय : साधारणत: गैर सरकारी कार्य 3 बज कर 30 मिनट पर लिया जाता है। लेकिन . और सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं। अत: यदि सभा सहमत हो तो सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर दे दिया जाये और उसके बाद हम गैर सरकारी कार्य को लेगे।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उस सीमा तक गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये समय बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : समय बढ़ाया जायेगा। गैर-सरकारी सदस्यों के लिये निर्धारित समय में कोई कटौती नहीं की जायेगी।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र की बड़ी समर्थक है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : अगले सप्ताह से सभा के बारे में निम्न-लिखित बातें कहना चाहूंगा :—

बम्बई के जो यात्री उपनगरीय रेल सेवा द्वारा यात्रा करते हैं उन्हें रेल मंत्री की उपेक्षा के कारण बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 30 प्रतिशत रेल डिब्बे 1951 के हैं और गाड़ियां बार बार रद्द की जाती हैं। सरकार ने रेल बजट में इस बारे में कुछ भी नहीं

कहा है । मैं इस पर विशेष चर्चा की मांग करता हूं ताकि मैं उपनगरीय सेवा के आधुनिकिकरण सम्बन्धी एक योजना सभा के विचारार्थ रख सकूं ।

अब दूसरे प्रश्न पर आता हूं जिस पर मंत्री महोदय तुरन्त प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं। यह लगभग 50,000 गन्दी बस्तियों के निवासियों के कष्टों के बारे में है। मन्त्री महोदय मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। गंदी बस्तियों के निवासियों के प्रति मन्त्री महोदय के निर्दयतापूर्ण रवैये को देखें। **(व्यवधान)**

बम्बई में केन्द्रीय सरकार की जमीन पर रहने वाले 50,000 गंदी बस्तियों के निवासियों की सुविधाओं के अभाव में और तत्सम्बन्धी सरकारी नीति न होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वे गरीब लोग हैं। मैं जानता हूं लेकिन आप उनकी परवाह नहीं करते। मेरी मांग है कि सरकार गन्दी बस्तियों के सुधार के लिये एक नीति बनाये, यदि आप को उनका कोई ध्यान है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : ओलावृष्टि से रबी फसल को बहुत नुकसान हुआ है। और किसानों के कृषि उत्पादन को बहुत क्षति पहुंची है। इस विनाश से हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था प्रभावित होगी और छोटे तथा सीमांत किसानों सहित गरीब लोगों के लिये असंख्य समस्यायें पैदा होंगी। कुछ लोग पहले ही भूखें मर रहे हैं यह एक गम्भीर मामला है और इस लिए इस पर अगले सप्ताह के दौरान सभा में चर्चा होनी चाहिये।

दूसरे, यह बात भी चिंताजनक है कि कुछ विधान सभा सदस्यों ने एक रुपये के स्टाम्प पेपर पर यह लिख कर हस्ताक्षर कर दिये हैं कि वे श्री चोग्याल के पत्र को परम्परागत चिन्ह दे रहे हैं और उन्हें सिक्किम का 13वां चोग्याल घोषित कर रहे हैं : यह बात राष्ट्रीय एकता की भावना के विरुद्ध है। अतः अगले सप्ताह के दौरान उस विषय पर सभा में चर्चा की अनुमति दी जाये। धन्यवाद।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : मान्यवर, मैं आगामी सप्ताह की कार्यबाही में निम्न दो मदें सम्मिलित कराना चाहता हूं :

1. बदायूं में स्थित किसान सहकारी चीनी मिल में गंभीर अनियमिततायें चल रही हैं। किसानों का गन्ना क्रम केन्द्रों पर 13 रु० प्रति क्विंटल अधिकारियों द्वारा ही खरीदकर फैक्ट्री को निर्धारित कीमत पर बेच दिया जाता है, इसके अलावा क्रय केन्द्रों पर तौल में गम्भीर अनियमिततायें हैं जिससे हजारों क्विंटल गन्ने की प्रति दिन चोरी हो रही है। उपरोक्त फैक्ट्री के प्रशासन प्राइवेट क्रेशर मालिकों से मिल कर 11 रु० प्रति क्विंटल के भाव पर गन्ना बिकवा रहे हैं और फैक्ट्री पूरी क्षमता से काम नही कर रही है, व फैक्ट्री की मशीनें जो अभी खरीदी गई है उनको बन्द कर दिया जाता है और फैक्ट्री में लाखों रुपये की अनियमितताये व्याप्त हैं। शीघ्र ही इस मामले पर चर्चा होना व किसानों को राहत मिलना आवश्यक है।

2. बदायूं-बरेली के मध्य चापट नामक स्थान पर गैस द्वारा चालित रासायनिक खाद की फैक्ट्री के लिए इस क्षेत्र की जनता की काफी दिन से मांग चल रही है। सारी सुविधाये, रेल सड़क व पानी, इस स्थान पर उपलब्ध हैं वे बड़ी मात्रा में जमीन भी बिना मूल्य के उपलब्ध है। इसलिये चापट में शीघ्र ही खाद का कारखाना स्थापित होना आवश्यक है और फरीदपुर, दातागंज, बिनायर, वजीरगंज, भसौरा व आंवला में सूती कताई मिल व चीनी कारखानों की

स्थापना भी आवश्यक है ताकि इस क्षेत्र की बेरोजगारी दूर हो सके। इस मामले को भी आगामी सप्ताह की संसद की कार्यवाही में सम्मिलित किया जाय।

प्रो. मधु दंडवते : मैं अगले सप्ताह के सरकारी कार्य के लिये केवल एक विषय का सुझाव देता हूं : 'सिक्कीम के भारत के साथ विलीन होने को चुनौती। यह समाचार मिला है कि कुछ विधान सभा सदस्यों तथा सिक्किम के राजनैतिक नेताओं ने एक स्टाम्प पेपर पर बयान दिया है जिसके द्वारा उन्होंने चोग्याल के सबसे बड़े जीवित पुत्र को परम्परागत सफल होने की पेशकश की है ··

सभापति महोदय : इस स्टाम्प पेपर का क्या महत्व है ?

प्रो. मधु दंडवते : इसकी कानूनी वैधता है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह एक बहाना है। यह अवैध है क्योंकि इसी बीच श्री सी. एम. स्टीफन ने मूल्य बढ़ा दिये हैं।

प्रो. मधु दंडवते : यह सरकार ऐसा स्टाम्प पेपर बनाती है जिस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा उन्हें सिक्किम का 13वां चोग्याल घोषित करना···

समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचना के अनुसार जो बहुत दिलचस्प है, कुछ विधायकों ने ब्यान से अपने हस्ताक्षर वापिस ले लिये हैं और अपने पत्र के मूल प्रारूप में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने शराब के प्रभाव में इस पर हस्ताक्षर किये थे।

भूतपूर्व चोग्याल के पुत्र श्री नामग्याल ने घोषणा की है कि उसके पिता की मृत्य के बाद हुई घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि सिक्किम के लोग सिक्किम के भारत में विलीन होने से राजी नहीं हुये हैं और उन्होंने आगे यह घोषणा भी की है कि वह चोग्याल की शक्ति ग्रहण करने के विरुद्ध नहीं हैं। उसने सिक्किम के भारत में विलीन होने सम्बन्धी सिक्किम विधान सभा के प्रस्ताव को भी चुनौती दी है और कहा है कि प्रस्ताव डरा धमका कर पारित किया गया था।

सिक्किम की ये घटनायें सिक्किम के भारत में विलय के लिए सिधी चुनौती हैं और इन पर इस सभा में अगले सप्ताह के दौरान चर्चा होनी चाहिये।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति महोदय, मैं निम्न दो विषयों को आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में सम्मिलित किये जाने का उल्लेख करता हूं—

सस्कृत को राष्ट्रीय सम्मान की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया जाये। भारतीय सांस्कृतिक गौरव और परम्पराओं का दर्शन, राष्ट्रीय पर्व, उत्सवों, समारोह और आयोजनों के अवसर पर सम्मान प्रदर्शित करने का माध्यम संस्कृत होनी चाहिये।

सस्कृत, भारतीय भाषाओं की जननी है, जिसमें विपुल ज्ञान और विज्ञान समाये हुए हैं, इसे प्रतिष्ठित किया जाना चाहिये।

देश के अनेक प्रदेशों में विद्युत संकट व्याप्त है, जिसमें प्रमुखत: मध्यप्रदेश अपनी औद्योगिक माँग की पूर्ति करने मेंकृषि के लिये सिंचाई विद्युत पम्पोंको विद्युत प्रदाय करने में तथा घरेलू उपभोक्ताओं की खपत की पूर्ति करने में विफल हो गया है। मध्य प्रदेश की कुल उत्पादन क्षमता 1630 मेघावाट का आधा भी उत्पादन नहीं हो रहा है।

ताप बिजली घरों की उत्पादन इकाइयां प्राय: किसी न किसी दोष के कारण खराब हो जाती हैं। इन बिजली घरों को जिस किस्म के कोयले की जरूरत होती है, उस किस्म का कोयला उपलब्ध नहीं है। बिजली उपलब्ध नहीं होने के कारण औद्योगिक उत्पादन तो प्रभावित हो ही रहा है, अनेक उद्योगों में लोग बेरोजगार हो गये हैं। मध्य प्रदेश में बिजली की इस कमी की ओर केन्द्र सरकार ध्यान दे, उसे अन्य प्रदेशों से मिलने वाला उसका हिस्सा तथा कमी की पूर्ति के लिये अतिरिक्त विद्युत उपलब्ध कराये। मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार की योजना के तहत बनाये जा रहे बिजली घरों के निर्माण कार्य में गति लाकर मध्य प्रदेश को वर्तमान तथा भविष्य के ऊर्जा संकट से बचाया जाये।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं चाहता हूं कि निम्नलिखित के विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाये।

एक विषय 16 उद्योगों तथा सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करने से संबंधित है। सरकार ने हाल में एक अधिसूचना जारी की है जिसका प्रभाव यह होगा कि सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा तथा अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे किसी भी श्रमिक या कर्मचारी को नजरबन्द करने की शक्ति होगी जो इन उद्योगों तथा सेवाओं में हड़ताल करें। उद्योगों तथा सेवाओं की सूची लम्बी है और श्रमजीवी वर्ग के अधिकांश भाग इसके अन्तर्गत आ जाते हैं। एक खंड के अनुसार यह शक्ति सरकार को उन सभी उद्योगों के बारे में देने की व्यवस्था की जा रही है जो उद्योग के (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। यह प्रजातंत्र विरोधी घृणित तथा अधिनायकवादी है। यह श्रमजीवी वर्ग के मजदूर संघ के अधिकारों पर एक आक्रमण है। मैंने एक प्रस्ताव दिया है जो स्वीकृत हो चुका है। मेरे विचार में इस विषय पर चर्चा करने के लिये समय निश्चित किया जाना चाहिए।

दूसरा प्रश्न लगभग 14 पटसन कारखानों के बन्द होने के बारे में है। अभी हाल में तालाबन्दी के कारण पश्चिम बंगाल के 14 पटसन कारखानें बन्द कर दिये गये हैं और 50 000 से अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं - इससे पश्चिम बंगाल की वर्तमान सामाजिक आर्थिक दशा पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अत: यह मामला महत्वपूर्ण है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए।

प्रो. अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, योजना आयोग की 28 दिसम्बर, 1981 की बैठक में फैसला किया गया कि अब पूंजी निवेश पर कम और उत्पादन पर अधिक बल दिया जाए तथा प्रौद्योगिक क्षेत्र के मर्म भाग यानी कोर सेक्टर पर अधिक लागत बढ़ाई जाए। कोर सेक्टर का भी मुख्य मर्म भाग है तेल और बिजली। राष्ट्रीय धन का बहुलांश इन्हीं दोनों पर लगाने का फैसला किया गया है। इसका कारण यह है कि सरकार ने अतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई. एम. एफ.) को आश्वासन दिया है कि वह 1985 तक देश में 300 लाख टन तेल प्रति वर्ष उत्पादन के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी। 1981 में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने से लगभग 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि में सरकार को करों आदि के जरिये अधिकांश भाग मिला। इस तरह के मद में अधिक लागत का सीधे कोई औचित्य नहीं था, तो भी औद्योगिक दुश्चक्र जारी रखने के लिए आवश्यक समझा गया कि तेल की आमदनी छिपा कर

उसकी लागत में वृद्धि प्रदर्शित की जाए, ताकि यह आमदनी सरकारी ठाट-बाट में गैर योजना मदों में तथा गैर-विकास कार्यों में धड़ल्ले के साथ खर्च की जा सके।

कोर सैक्टर के दूसरे मुख्य भाग बिजली के बारे में राज्यों के बिजली बोर्डों की अक्षमता को दूर करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा की गई है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारे वर्तमान ताप बिजली घरों की उत्पादन-क्षमता का ही पूरा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। ऊर्जा की जिस देश व्यापी कमी का शोर मचा कर इस कोर सैक्टर में और अधिक राष्ट्रीय धन लगाने की आवश्यकता बताई जा रही है, उस कमी का कारण उत्पादन-क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाना ही है। 1976-77 में ताप बिजली घरों का संयंत्र भाग 56 प्रतिशत था। मगर वह 1979-80 में 45.4 प्रतिशत और 1980-81 में 42.2 प्रतिशत ही रह गया है। छठी योजना में ऊर्जा उत्पादन में 20 000 मेगावाट की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, पर एक आंकलन के अनुसार अधिकतम, 17,500 मेगावाट की ही वृद्धि हो पायेगी और कुल मांग की पूर्ति में 15, 20 प्रतिशत की कमी रह जायेगी। इस प्रकार ऊर्जा संकट का शोर बराबर जारी रहेगा तथा कोर सेक्टर की इन दोनों मदों में अधिक धन विनियोजन का आग्रह किया जाता रहेगा। दूसरी ओर कोर सेक्टर के इन मर्म-भागों की खुराक के लिए अत्यधिक आयात होता रहेगा। इस प्रकार यह दुष्चक्र बराबर जारी रहेगा। राष्ट्र को इससे त्राण मिलना चाहिए।

इस लिए मैं आग्रह करता हूं कि अगले सप्ताह के कार्यक्रम में इस विषय पर चर्चा को सम्मिलित किया जाए।

सभापति महोदय : श्रीमती प्रेमलता दण्डवते वह अनुपस्थित हैं।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं माननीय सदस्यों का बहुमूल्य सुझाव देने के लिए अत्यन्त आभारी हूं। मैं रिकार्ड देखूंगा और यदि मुझे उचित लगा तो मैं उन्हें कार्य मंत्रणा समिति के ध्यान में लाऊंगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : गन्दी बस्तियों के बारे में क्या है ? आप प्रभारी मंत्री हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : कार्यमंत्रणा समिति के ध्यान में भी लाया जायेगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप प्रभारी मंत्री हैं।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं इस पर विचार करूंगा।

चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चूना पत्थर और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 का

संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री भागवत झा आजाद : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेंगे।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : महोदय, मैं एक स्पष्टी करण चाहता हूं। यह इस सभा की सुनिर्धारित प्रथा है कि गैर-सरकारी सदस्यों के समय में कटौती नहीं की जाती···

सभापति महोदय : इस मामले पर मैं पहले ही विनिर्णय दे चुका हूं कि जितने समय की कटौती की जायेगी उतना समय बढ़ाया भी जायेगा। अब श्री सावंत।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

36वां प्रतिवेदन

श्री टी. एम. सावन्त (उस्मानाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 3 मार्च, 1982 को सभा में प्रस्तुत किए गए छत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 3 मार्च, 1982 को सभा में प्रस्तुत किये गये छत्तीसवें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

भारतीय सामाजिक क्रांति विधेयक, 1981

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (मैनपुरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का, संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत, उत्पादन करने के प्रयोजनार्थ आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ सिंह मिश्र) : प्रश्न यह है :

"कि पिछड़े वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन का, संविधान की व्यवस्था के अन्तर्गत उत्पादन करने के प्रयोजनार्थ आरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रघुनाथ सिंह वर्मा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

जाति पदवियाँ और जाति नाम उत्पादन विधेयक, 1982

श्री रणजीत सिंह (चतरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि जाति पदवियां और जाति नामों का उत्पादन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि जाति पदवियां और जाति नामों का उत्पादन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रणजीत सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1982

(अनुच्छेद 124 और 217 का संशोधन)

श्री बी वी देसाई (रायचूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बी. वी. देसाई : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

गन्ना मूल्य (नियतन) विधेयक, 1982

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि गन्ने का मूल्य नियत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि गन्ने का मूल्य नियत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक, 1982

अनुच्छेद 368 का संशोधन

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : डा. पंडित।

प्रो. मधु दण्डवते : महोदय, मेरा एक विधेयक और है। कृपया विषय सूची के पिछली ओर देखें।

सभापति महोदय : इसमें नहीं है। आप उसे बाद में ले सकते हैं। डा. पंडित।

शिक्षा संस्थाओं में छेड़छाड़ (रैंगिंग) निवारण विधेयक, 1982

डा. वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि शिक्षा संस्थाओं में वरिष्ठ छात्रों द्वारा कनिष्ठ छात्रों से छेड़छाड़ (रैंगिंग) के निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि शिक्षा संस्थाओं में वरिष्ठ छात्रों द्वारा कनिष्ठ छात्रों से छेड़छाड़ (रैंगिंग) के निवारण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वसन्त कुमार पंडित : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण विधेयक, 1982

डा. वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि समर्थ शरीर वाले सभी व्यक्तियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

''कि समर्थ शरीर वाले सभी व्यक्तियों के लिए सैनिक प्रशिक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डा. वसन्त कुमार पंडित : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता करता हूं।

छोटे किसान और कृषि कर्मकार सुरक्षा विधेयक, 1982

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : प्रो. रंगा, मैं आपके लिए इस विधेयक को पुरःस्थापित कर रहा हूं ।

सभापति महोदय (श्री हरिनाथ मिश्र) : दो प्रोफेसर आपस में मिल रहे हैं।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सरकार द्वारा छोटे किसानों और कृषि कर्मकारों को दुर्घटना से होने वाली क्षति के लिए प्रतिकर देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकार द्वारा छोटे किसानों और कृषि कर्मकारों को दुर्घटना से होने वाली क्षति के लिए प्रतिकर देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित ररने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रो मधु दण्डवते : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

भारतीय तार यत्र (संशोधन विधेयक)—जारी

(धारा 5 का संशोधन)

सभापति महोदय : (श्री हरिनाथ मिश्र)—अब सभा श्री योगेन्द्र झा द्वारा 19 जनवरी, 1982 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करगी, अर्थात् :—

"कि भारतीय तार-यंत्र अधिनियम, 1885, का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

माननीय सदस्यों, केवल 17 मिनट शेष हैं। अतः,...

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) महोदय, एक महत्वपूर्ण विधेयक है। समय आधा घंटा और बढ़ाया जा सकता है ।

ससापति महोदय—क्या सभा चाहती है कि समय आधा घंटा और बढ़ाया जाये ?

कुछ माननीय सदस्य—जी, हां ।

सभापति महोदय—अतः समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है।

श्री ई. बालानंदन (मुकुन्दपुरम्) महोदय । मेरे मित्र पहले ही इस विधेयक की मुख्य बातों के बारे में कह चुके हैं तथा इसीलिये, मैं कुछ ही बातें कहूंगा ।

महोदय, वर्तमान विधेयक में भारतीय तार यत्र अधिनियम, जो कि 100 वर्ष से भी पहले अर्थात् 1885 में पारित किया गया था, में संशोधन किए जाने का प्रयास किया गया है। 1885 को इस अधिनियम, में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों तथा उनके द्वारा नियुक्त अधिकारियों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वे किसी संदेश अथवा तार की विस्तृत जांच के लिए उसे बीच में रोक सकते हैं। मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह स्वतत्रता का अतिक्रमण है ।

महोदय, 1885 के मूल अधिनियम में "उस वर्ग के लोग" कहा गया है। स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद अब हम सन् 1982 में हैं तथा महोदय, 19 जनवरी 1982 की एक दिन की हड़ताल के संबन्ध में मजदूर संघों द्वारा अपने मुख्य कार्यालयों को भेजे गये पत्र उन्हें हड़ताल के बाद प्राप्त हुए वे हड़ताल से एक माह अथवा दो सप्ताह पहले भेजे गये थे। लेकिन वे हड़ताल के बाद ही प्राप्त हुए। तार तुरन्त दिया जाना चाहिये लेकिन दो सप्ताह पूर्व भेजे गये तार 19 जनवरी 1982 की हड़ताल के बाद ही प्राप्त किए गये।

महोदय, स्वन्त्रता संग्राम के दौरान हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों द्वारा भेजा गया कोई भी तार, जांच करने के लिये नियुक्त पुलिस कर्मचारी द्वारा निर्णय लिये जाने के बाद ही भेजा जाना था। जैसा कि श्री भोगेन्द्र झा ने अपने संशोधी विधेयक में सुझाव दिया है कि आपात्तकाल की घोषणा के समय इसी तरह का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन इस तरह का प्रतिबन्ध अपने हमेशा के लिए क्यों लगाया है? इस अधिनियम का सभी लोगों पर हर वक्त प्रभाव पड़ता है, विशेषकर, श्रमिक वर्ग पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है, मंत्री श्री स्टीफन स्वयं मजदूर संघ के नेता हैं। वह स्थिति से भली भांति परिचित हैं। कार्मचारी द्वारा की गई साधारण कार्यवाही में भी उसके विरुद्ध इस अधिनियम का प्रयोग किया जा रहा है। इस अधिनियम का मूल उद्देश्य स्वतन्त्रता सेनानियों के विरुद्ध कार्यवाही करना था, लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, सरकार इसका प्रयोग कुछ राजनैतिक दलों विशेषकर मेरे दल के विरुद्ध कर रही है। मैं यह कहने के लिये बाध्य हूं मैं नहीं जानता कि क्या हमारा दल अभी तक सूची में शामिल है अथवा नहीं, लेकिन मुझे यह कहा गया है कि हमारे नाम पर किये गए टेलिफोन, तारों, पत्रों आदि में अधिकतर हेर-फेर की जा रही है। कभी-कभी तो वह हमें दिये भी नहीं जाते हैं।

जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है उसके लिए आम संहिताओं में भी पर्याप्त उपबन्ध हैं। डाक, टेलीफोन और तारों आदि में इस तरह की हेर-फेर को तुरन्त रोका जाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि श्री स्टीफन भोगेन्द्र झा द्वारा सुझाये गये संशोधन से समहत होंगे। 1885 का यह कानून पुराना हो चुका है और इसे हटाया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है, इसे स्पष्ट रूप से देश के स्वतन्त्रता सेनानियों के विरुद्ध प्रयोग करने के इरादे से ही बनाया गया था। और स्तन्त्रता प्राप्ति के बाद, इस तरह के अधिनियम को हमारी संविधि पुस्तक में से निकाल दिया जाना चाहिए, जैसा कि श्री भोगेन्द्र झा ने सुझाव दिया है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री जेवियर अराकल—महोदय, यदि आप इस संशोधन किए जा रहे विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को देखें तो आप को पता चलेगा कि यह सरकार के कार्यों से संबंधित है। उद्देश्यों और कारणों के विवरण का एक भाग 1885 तारयंत्र अधिनियम की धारा 5 को हटाने से सम्बन्धित है। उन्होंने इस सम्बन्ध में एक संशोधन जोड़ा है।

भाग (ख) सरकार की मूलभूत विचारधारा सरकार तथा नागरिकों के स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र, आदि का अधिकार से सम्बन्धित है।

इस संदर्भ में, हमें यह देखना है कि सरकार किस हद तक नागरिकों की स्वतंत्रता बनाये रख सकती है। यदि सरकार को प्रभावपूर्ण ढंग से काम करना है, नागरिकों की स्वतन्त्रता

और अधिकारों की रक्षा करनी है तथा देश की अखंडता को सुरक्षित रखना है तो निःसंदेह सरकार को कुछ उपाय करने होंगे कुछ तरीके अपनाने होंगे तथा कुछ नियम और विनियम बनाने होंगे।

माननीय प्रस्तावक ने अपने भाषण के आरम्भ में यह संकेत दिया है कि यह अधिनियम बहुत पुराना अर्थात 1885 का है। यह हमारे देश में अब विद्यमान स्थिति में पुराना हो चुका है मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ।

महोदय, हमारे पास ऐसा संविधान है जिसमें नागरिको के अधिकार, तथा सरकार की भूमिका का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

यदि मूल अधिकारों से संबोधित कोई प्रतिबंध है तो उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है अत: वह तर्क, मेरे अनुसार एकदम अप्रासंगिक है और चालू रखने के लायक नहीं है।

यदि आप इस अधिनियम की धारा 5 को देखेंगे तो आप पायेंगे कि इस धारा का शीर्षक इस प्रकार दिया गया है :

"अनुज्ञप्त तार यंत्रों का कब्जा लेने की और संदेशों के अन्तरावरोधन का आदेश देने की सरकार की शक्ति।"

मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी एक व्यक्ति के निजी अधिकार को समाज और सरकार से ऊपर नहीं माना जाना चाहिए। यह सरकार की सुरक्षा नागरिकों की सम्पत्ति आदि के लिये राष्ट्र के अधिकारों के अनुपरूप होने चाहिए। उस संदर्भ में आपने भारतीय तार यत्र अधिनियम, 1885 के प्रस्तावित संशोधन खंड धारा 5 की उपधारा (1) की ओर सकेत किया है, जिसमें इस प्रकार कहा गया है—

उपधारा (1) (एक)—

(क) "किसी लोक लापात घटित होने पर, या लोकक्षेमार्थ शब्दों के स्थान पर" राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन किसी वाह्य आपस्त की उद्घोषणा के जारी किए जाने पर जिसमें ऐसा घोषित किया गया हो कि भारत की सुरक्षा युद्ध या बाह्य आक्रमण से सकट में है और उस अवधि के दौरान जिसमें ऐसी उद्घोषणा प्रवर्त्तन में है" मुझे विशेषकर उस पर घोर आपत्ति है क्योंकि इसमें कहा गया है कि यह सिर्फ बाहरी आपात्त स्थिति के मामले में ही होगा। में समझता हूं कि इस विधेयक के प्रस्तावक ने इसके परिणाम के बारे मैं नहीं सोचा है तथा उन्होंने मात्र यह मान लिया है कि बाहरी आक्रमण अथवा आपातस्थिति न होने के समय किसी भी तरह के कार्य करने के लिए उदारतापूर्वक और अनियंत्रित है कैसे खुली छूट होनी चाहिए, यह लोकतांत्रिक ढग नही है। मैं नहीं समझता कि संसार के किसी भी देश ने ऐसा तरीका अपनाया है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि इस विधेयक के प्रस्तावक ने इस खड में यह संशोधी प्रस्ताव का सुझाव क्यों दिया है? वह एक मात्र आकस्मिकता बाहरी आपातस्थिति से सम्बन्धित है। मुझे इस पर आपत्ति है।

दूसरी बात यह है कि इस सम्बन्ध में पहले ही 15 संशोधन किये गये हैं। यह 16वां संशोधन है जिसको सरकार कर रही है। हमें इस बारे में बहुत अधिक अनुभव है तथा संचार क्षेत्र में बहुत उन्नति की जा चुकी है। इसी लिए मेरा प्रस्ताव है तथा मेरी मांग है कि इन सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाना जाहिए।

मेरा अंतिम अनुरोध यह है कि शांति काल के समय। यदि सरकार किसी प्रकार के पत्र संदेश अथवा तार आदि में अन्तरावरोध करने का प्रयत्न करती है तो उसके लिए कुछ मानदंड तथा शर्तें रखी जानी चाहिए इस प्रकार से किसी तरह का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा। अधिकारियों की उस शक्ति का मनमाने या विवेकपूर्ण ढंग से प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। मैं ये दो अनुरोध करना चाहता था। अपनी बातों को समाप्त करते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि इसे बाहरी आपात्तस्थिति के दौरान ही करना व्यवहार्य नहीं है और विश्व में ऐसी बात कहीं भी नहीं अपनाई गई है। दूसरे, इन सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए। तीसरे, शांति काल के दौरान ऐसे कुछ मानदण्ड और शर्तें होनी चाहिए जिनमें इसे किया जा सके। ये ही मेरे अनुरोध हैं। धन्यवाद।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति जी, यह जो बिल लाया गया है, इस का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि देश की आजादी के बाद भी ये प्रतिबंध लगे रहें जो कि देश की आजादी से पहले लगाये गये थे। आप यह कह सकते हैं कि सरकार चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाने होते हैं और उन में कुछ इस प्रकार की चीजें रखना जरुरी हो जाती है। कहने के लिए अनेक बहाने हो जाते हैं, अनेक बातें कह दी जाती हैं। ऐसे समय पर जबकि देश में शांति और अमन हो, ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का कानून देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करता है। देश में जब स्वतन्त्रता और प्रजातन्त्र की बात हो तो ऐसे समय में स्तन्त्रता को अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए। इस पर कोई निगाह रखने की बात हो तो यह बात जंचती नहीं है। ऐसी बातों से हमारी अभिव्यक्ति की भावना सीमित हो जाती है।

हमें बहुत सी अपनी बातें कहनी पड़ती हैं, हमें अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने पड़ते हैं। जब हमें यह लगता है कि हमारा टेलीफोन टेप हो रहा है तो हमें अपनी बहुत-सी बाते छोड़ देनी पड़ती है। हमें जो टेलीफोन की सुविधा मिली हुई है उसका भी हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते।

इसी प्रकार हमारे पत्रों को जब सेंसर किया जाता है तो हमें उनका उपयोग करने से भी वंचित होना पड़ता है। जब हम विदेशियों के अधीन थे, हमें जब तक आजादी प्राप्त नहीं हुई थी उस समय हम क्रांतिकारियों को डिक्शनरी या पुस्तकों में रख कर सूचना पहुंचाया करते थे। उस समय तो हमें विदेशी शासन से लड़ना था। लेकिन आज तो हम आजाद हैं, हम अपनी सरकार को स्वयं चुनते हैं। आज हमारी अपनी ही सरकार है। उसमें इस प्रकारकी स्थिति की आशंका करना ठीक नहीं है। हमारे देश के स्वतंत्र नागरिक पर इस प्रकार की शंका करना उचित नहीं है।

यह जो बिल लाया गया है उसके पीछे यही भावना है कि यह जो पुराना कानून है, इसकी अब कोई उपयोगिता नहीं है। यह कानून उपनिवेशवाद के समय का है और आज उपनिवेशवाद नहीं है, दुनिया के बहुत से देश आजाद हुए हैं और उन आजाद देशों ने अपने-अपने कानून बना कर लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता दी हैं। हमने भी ब्रिटिश टाइम के बहुत से कानूनों को समाप्त किया है। यह जरूरी है कि ऐसे कानून को समाप्त करने के लिये हमारा संचार मंत्रालय आगे आए। लोगों की स्वतन्त्रता में बाधक होने वाली बात ठीक नहीं है आजादी

को ठीक रूप से रखने के लिए इस प्रकार के कानून में संशोधन किया जाना चाहिये। हां, अगर देश के अन्दर कोई संकट हो, या देश पर कोई बाहर से आक्रमण हो तो उस समय यह बात की जा सकती है। आज जबकि देश स्वतंत्र है, हमारे देश में प्रजातन्त्र की कार्यपद्धति स्थापित है तो इस प्रकार के कानून को समाप्त किया जाना चाहिए।

इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : जो भारतीय टेलीग्राफ संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हू। इसके सम्बन्ध में विरोधी पार्टीज के लोगों ने दलील दी है विशेषतौर से यहयह दी है कि इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1985 जो है वह बहुत पुराना हो गया है इसलिए इस में तबदीली लानी चाहिए। परन्तु हमारा जो इण्डियन एवीडेंस एक्ट 1899 है वह भी बहुत पुराना हो गया है। उसमें भी अभी तक हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सके हैं। इसी प्रकार हम आई. पी. सी. एक्ट में भी बहुत ही कम चेंजिज कर सके हैं। इसलिए यह जो आरगुमेंट दी गई है कि यह एक ओल्ड एक्ट है, इसलिए इसमें परिवर्तन होना चाहिए, यह अरगुमेंट कहीं स्टेंड नहीं करता है।

दूसरी बात यह है कि देश की आजादी, देश की स्वतंत्रता, देशकी एकता ये हमारी परसनल लिबर्टी से अधिक बड़ी हैं। व्यक्ति को स्वतंत्रता, देश की एकता, देश की सुरक्षा मजबूत रह कर ही बनी रह सकती है। आज अगर राष्ट्र की सुरक्षा या एकता को खतरा पहूंचता है तो हमारी स्वतंत्रता भी कायम नहीं रह सकती अभी भी हमारे देश में राष्ट्र विरोधी तत्व है और ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिये इस प्रकार का प्रोविजन रहना चाहिए। आज भी ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो इस तरह की कार्यवाहियां करती हैं, देश के विरोध में काम करती हैं। ऐसी नक्सलवादी पार्टियां हैं, जो देश के लिए खतरनाक हैं। इस प्रकार की विचारधारा के लोगों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पर्सनल लिबर्टी को नियंत्रित करना आवश्यक है। पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों से कौन वाकिफ नहीं है, इनकी स्पाइस एक्टीविटीज को रोकने के लिए यह प्राजीवन होना चाहिए।

इसके साथ ही मैं इस बिल का बिरोध करता हूं।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी सभी पुराने कानून खराब नहीं होते और सभी पुराने आदमी बुरे नहीं होते और सभी नये आदमी और नये कानून अच्छे नहीं हो जाते। मुझे समझ में नहीं आया कि इस नये कानून में जो माननीय सदस्य लाये हैं क्या नया है। दोनों कानूनों में क्या फर्क है ? मुझे तो कोई फर्क मालूम नहीं पड़ता।

मैं समझता हूं कि आज भी पाकिस्तान की गतिविधियों के बारे में आप जानते हैं। पाकिस्तान के पास इतने हथियार हैं, आपने भी कई बार ध्यान दिलाया है कि खालिस्तान आदि पृथकता-वादी शक्तियाँ काम कर रही हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह कानून आवश्यक है।

इस कानून में नया क्या है ? गवर्नमेंट इफ सेटिसफाईड शासन को पूरा संतोष हो जाता है तो ऐसी पृथकतावादी ताकतें जो देश के हित में काम नहीं कर रहीं हैं, उनके विरुद्ध इस तरह

की कार्यवाही करनी चाहिए। उनको तो कान्फीडेंशली करना चाहिए, एक्ट मे तो सारी खुली हुई बात है। इसलिए इस कानून को लेकर कोई नई बात नहीं लाई गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे मेरे साथी वापिस ले लें।

श्री के. ए. राजन (त्रिचूर) : सभापति महोदय मैं यह अनुभव करता हूं कि यह एक ऐसा विधेयक है जो संविधान के लोकतान्त्रिक सिद्धान्तों और मूल्यों को बनाये रखने के लिए हमारी लोकतान्त्रिक परम्पराओं से मेल खाता है। विचित्र बात तो यह है कि हम आज भी उन अंग्रेज साम्राज्यवादियों की विरासत को ढो रहे हैं जिनको कि अपने हितों, शक्ति और शासन की सुरक्षा हेतु इस प्रकार के अधिनियम की महती आवश्यकता थी। अब, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि वास्तव में इसकी क्या आवश्यकता है। यदि यह विघटनकारी या राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र के अन्य तत्वों से निपटने का प्रश्न है, तो निस्सदेह इससे निपटने के लिये अन्य कानून भी हैं और आप ऐसे मामलों से तो राजनीतिक स्तर पर भी निपट सकते हैं। परन्तु दुर्भाग्य से संसद के भीतर और बाहर भी शोर मचा हुआ है कि यहाँ तक सांसदों तथा राजनीतिक दलों के अन्य जिम्मेवार व्यक्तियों तक को सेंसर तन्त्र द्वारा बख्शा नहीं जा रहा है। मैं सशोधन का समर्थन करता हूं क्योंकि इस पुराने कानून को बनाये रखना सरकार के लिये बड़े ही शर्म की बात हैं, जिसके फलस्वरूप स्वाधीनता के मूलसिद्धान्तों को जोखिम में डाला जाता है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय, जिन्होंने कि स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लिया था, भली भांति यह जानते हैं इसका उपयोग सत्तारूढ़ दल किस प्रकार कर रहा है, विशेषकर विपक्षी दलों और व्यक्तियों विशेष के विरुद्ध अतः उस आधार पर मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। यह संशोधन हमारी लोकतान्त्रिक परम्पराओं के अनुरूप उपयुक्त एव उचित है।

संचार मन्त्री (श्री सी. एम. स्टीफन) महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इससे सम्पूर्ण विधि पर दृष्टिपात करने का अवसर मिला है तथा मुझे यह आवश्यक नहीं है कि सरकार की ओर से अपितु इस देश का नागरिक होने के नाते अपने विचार रखने का अवसर मिला।

मुझे दूसरी ओर बैठे विपक्ष के लगभग सभी धुरन्धर नेताओं में एकाएक सुधार वादी उत्साह की प्रवृत्ति को देखकर वास्तव में खुशी हुई है। यहा पर भी सभी दलों के शीर्षस्थ नेताओं ने उसकी चर्चा में भाग लिया और दूसरे सदन में भी इस अधिनियम के संशोधन को लेकर चर्चा हुई।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बहुत से वर्ष बीत गये हैं और पहली बार प्रत्येक व्यक्ति ने इस ओर ध्यान दिलाया है। मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि इसे जनता पार्टी के शासन काल के दौरान क्यों नहीं लाया गया था और अब अचानक इसे क्यों लाया गया है। जब जनता पार्टी सत्तारूढ़ हुई तो वह उन उपबन्धों और अधिनियमों को सही करने के लिए बहुत सारे विधेयक लाये जिनका कि दुरुपयोग किया जा सकता था। उन्होंने उन अधिनियमों का पता लगाया जिनको वे रद्द करना चाहते थे और बड़ी ही तत्परता से उन्होंने पहले के कुछ कानूनों को रद्द करने के लिये विधान प्रस्तुत किये। और यह कानून उनके उस सीमा क्षेत्र में नहीं आया जिसका अर्थ है कि विपक्ष के अपने लम्बे अनुभव के दौरान उन्हें यह कभी भी अनुभव नहीं हुआ कि इस अधिनियम का कभी दुरुपयोग भी हुआ था। यदि उन्होंने यह अनुभव किया होता तो वे उन अन्य

विधेयकों के साथ एक और विधेयक लाते जो कि वे इस आधार पर लाये थे कि उन विधेयकों का दुरुपयोग किया जा रहा था।

जब वे सत्ताच्युत हो गये तो वे अचानक उसके प्रति जागृत हुए और इस विधेयक को लाये। मुझे यह आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ तो इसका तो सरल सा कारण था कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने पाया कि एक ऐसा प्रावधान है जिसका कि दुरुपयोग किया जा सकता है। अपने स्वयं के अनुभव से उसका दुरुपयोग करके, उन्होंने अचानक यह अनुभव किया कि यह एक ऐसा उपबन्ध है जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है अतः उस वस्तुपरक शिक्षा से स्वयं के लिए एक वस्तुपरक कार्यवाही के रूप में उन्होंने इसका दुरुपयोग किया और उन्होंने यह अनुभव किया कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अब वे यह अनुभव करते हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है वे यह कल्पना कर रहे हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः वे इसका संशोधन करना चाहते हैं। इसको प्रस्तुत करने का यही कारण है।

मैं दूसरी ओर के अपने मित्रों को आश्वासन देना चाहता हूं कि उनकी कल्पना एकदम निराधार है। इसका कोई ऐसा दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है। परन्तु यह मेरा दुर्भाग्य है कि सिवाय यह सकारात्मक आश्वासन देने के कि जैसे हम 1977 से पहले थे वैसे ही अभी हैं, मैं सभा पटल पर यह नहीं रख सकता हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उसी प्रकार जैसे कि हम 1977 से पहले इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे थे, वैसे ही हम आज भी इसका दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं यही मुख्य बात यहाँ बता देना चाहता हूं।

श्री झा अच्छी नियत से यह विधेयक लेकर आये हैं। परन्तु मुझे डर है कि उन्होंने और दूसरी ओर बैठे बहुत से सदस्यों ने विद्यमान धारा 5 के महत्व और प्रस्तुत किए गए संशोधन के प्रभावों को नहीं समझा है। धारा 5 के दो उप-खण्ड हैं और दोनों पूर्णतया भिन्न-भिन्न उद्देश्यों के लिए हैं मेरे मित्र श्री झा और दूसरी ओर बैठे बहुत से सदस्यों ने यह स्वीकार किया है कि जब इस देश में वास्तविक आपात स्थिति होती है और जब असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो संचार के इस माध्यम में हस्तक्षेप करने की सरकार के पास शक्ति होनी चाहिए। उन्होंने यह बात स्वीकार की है।

श्री झा ने बड़े खुले मन से स्वीकार किया और अन्य बहुत से मित्रों ने भी इस स्थिति को स्वीकार किया है। प्रश्न यह है कि उस स्थिति को स्वीकार कर लेने के बाद यह उपबन्ध किस सीमा तक वहाँ रहना चाहिए। यह स्वीकार करने पर भी वे कहते हैं कि उप-खण्ड (2) समाप्त होना चाहिये और वे कहते हैं कि उप-खण्ड (1) कुछ संशोधनों के साथ रहना चाहिये। मैं कुछ समय के लिए संशोधन को भुला देता हूं।

उप-खण्ड (1) का केवल एक उद्देश्य है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि विधि के अधीन सचालन करने की शक्ति मैं उद्धृत करता हूं;

"देश (भारत) में, टेलीग्राफों को स्थापित करने, उनका रख-रखाव करने तथा कार्य चालन करने का एक मात्र विशेषाधिकार केन्द्रीय सरकार का होगा।"

ऐसी बात केवल इस देश में ही नहीं है, अपितु विश्व में हर कहीं यही स्थिति है। यह

सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है और टेलीग्राफ संस्थापनायें सरकार की है। किसी को भी टेलीग्राफ सेवा, टेलीफोन, बेतार, जो कुछ भी हो, इस संचार सेवा को चलाने की स्वतन्त्रता नहीं है। वह तो पूर्णरूपेण सरकार का काम है। सरकार कुछ लोगों को इन सेवाओं को चलाने का लाइसेन्स दे सकती है। परन्तु वह संचालन लाइसेन्स के अधीन रहेगा और सरकार के पास उस लाइसेन्स को रद्द करने का अधिकार होगा। जो व्यक्ति बिना लाइसेन्स के टेलीग्राफ सेवा चला रहा है या इन उपकरणों का प्रयोग कर रहा है। उसे पकड़ा जा सकता है और उसे तीन वर्ष की कैद की सजा है और न्यायालय सरकार को उसे जब्त किये जाने का आदेश दे सकता है। आज तो यही कानून विद्यमान है जिस पर किसी का कोई विवाद नहीं है।

अब उप-खंड (1) को दो उद्देश्यों से पुरःस्थापित किया गया है : यह मानते हुए कि आपात काल में, जैसा कि श्री झा कह रहे हैं, आपात स्थिति लागू हो जाती है या वास्तविक आपातकाल आ जाता है, उदाहरणार्थ बाह्य युद्ध के अलावा जिसके परिणाम स्वरूप असम में ऐसी कुछ स्थिति हो सकती है, मिजोरम, नागालैण्ड में विशेष स्थिति उत्पन्न हो सकती है, खालिस्तान का आन्दोलन और ऐसी ही और बहुत सी बातें हो सकती हैं, तो मान लो कि वे बेतार सेवा काम में लाने लगते हैं जो कि आसानी से किया जा सकता है यह कोई उच्च प्रोद्यौगिकी वाली बात नहीं है और मान लो यह किया जा रहा है तो अब क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि सरकार के पास इसको अपने हाथ में लेने की ताकत है या आप उनको वह सब करने देंगे ? सरल सी बात यह है कि यह कोई बाहरी युद्ध नहीं है। यह कोई आपातकाल की उद्घोषणा नहीं है। परन्तु ऐसी स्थिति होती है। मान लो कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम जानते हैं कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश प्रेषण हेतु और इस देश में किसी प्रकार की वशवर्ती स्थिति की निगरानी के लिए बेतार के उपकरणों को प्रयोग में ला रहे हों तो क्या माननीय सदस्य यह कहेंगे कि सरकार को चुप्पी साधकर यह कहना चाहिए "आप अपनी गतिविधि जारी रखिये।" मान लो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो खण्ड (1) के अन्तर्गत सरकार के पास अस्थायी रूप से उसको अपने हाथ में ले लेने की शक्ति है। जहां तक यह अस्थायी तौर इसे हाथ में लेने का सम्बन्ध है वे उन्हें उससे वंचित कर सकते हैं। यह सब तो उप-धारा (1) के बिना भी किया जा सकता है जो कि वास्तव में लाइसेन्स को वापिस लेकर किया जा सकता है और उसके बाद उसको अपने हाथ में लिया जा सकता है। परन्तु लाइसेन्स को वापिस लिए बिना इसको अपने हाथ में लेकर रखा जा सकता है। एक उद्देश्य तो यह है।

दूसरा प्रयोजन यह है कि एक यह ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब हमें इस यन्त्र की स्वयं आवश्यकता पड़ सकती है। जो उपकरण हमारे पास हो, हो सकता है वह पर्याप्त न हो हमने उपकरण को प्रयोग में लाने के लिए हो सकता बड़ी संख्या में लोगों को लाइसेन्स दे दिये हों। एक वास्तविक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसका निर्माण करने के बजाय हम राष्ट्रीय हितों के रक्षार्थ इनको अपने हाथ में लेकर उनका प्रयोग कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से उप-खण्ड (1) को रखा गया है और आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह किसी भी प्रकार से ब्रिटिश सरकार की विरासत नहीं है। आज ब्रिटेन में, ब्रिटिश कानून के अधीन, 1863 के टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 52 के अधीन, यह कानून स्वयं उनके यहाँ लागू है न कि उप-

निवेश में ऐसी बात नहीं कि वे इसको लेकर आए थे। आप ऐसे उपबन्ध की आवश्यकता और गैर-आवश्यकता वाली इस विशेष स्थिति में आप ही विचार करिए जो कि इस उपकरण के अवैध प्रयोग में लाने वाले उन तोड़ फोड़ करने वाले तत्वों को इससे वंचित करने और हमारे देश की रक्षा एवं सेवा के लिए अन्य स्थिति में इसका प्रयोग कर सकने के लिए सरकार को समर्थ बनायेगा जहां तक उप-धारा (1) का सम्बन्ध है यह सरल सा उद्देश्य है। कुछ भी हो, उस पर तो मेरे मित्र श्री झा का कोई झगड़ा नहीं है।

मैं कुछ ही समय और लूंगा यह केवल उनका ही कहना है कि आपात स्थिति की घोषणा अवश्य की जानी चाहिए। मेरा सीधा सा उत्तर यह है कि वह उद्घोषणा की बात भूल जायें। मान लीजिए मिजोरम में, नागालैंड और असम में इस प्रकार के हालात बने हुए हैं, खालिस्तान का आन्दोलन चल रहा है अथवा नक्सलवादी क्रियाकलाप पूरे देश में फैल जाते हैं। तो क्या इस बात से सहमत होंगे या नहीं कि उन्हें इस देश मे अपने षडयंत्रों को जारी रखने के लिए सेमानान्तर तार व्यवस्था चलाने नहीं देनी चाहिए ? यह एक गम्भीर प्रश्न है और मैं इसका और अधिक उत्तर नहीं देना चाहता। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। और इसे मैं वहीं पर छोड़ूंगा।

अब हम उप-खण्ड 2 को लेते हैं। उप-खण्ड 2 में दो बातों की व्यवस्था है। एक, यदि कोई तार मुझे प्राप्त होता है, यदि यह किसी विशेष खण्ड के अधीन आता है तो मैं उसे भेजने से इनकार कर दूंगा, और दूसरे यदि कोई सन्देश भेज दिया जाता है तो सरकार का कहना है कि उस सम्प्रेषण की प्रक्रिया में उसे खोल कर देखने की शक्ति हमारे पास अवश्य होनी चाहिए। तीसरे मामलों में हमारे पास यह शक्ति होनी चाहिए कि यदि उपयुक्त सरकार यह निर्णय करें कि उस विशेष वर्ग का तार उसके लिये आवश्यक है तो हम उस तार अथवा सन्देश को सरकार के पास भेज सकें। इन तीनों के प्रयोजन पृथक-पृथक हैं। यह धारा उसी रूप में नहीं है जिस रूप में यह उस समय थी जब अंग्रेजों ने सत्ता छोड़ी। कानून पूरी तरह बदल दिया गया है। 1972 में जब हम सत्ता में थे तब हमने उप-खण्ड 2 में आमूल परिवर्तन किया तथा उस संशोधन ने कानून को पूरी तरह बदल दिया। इस संशोधन से पूर्व कानून इस प्रकार था :

"किसी लोक आपात के घटित होने पर, या लोक क्षेमार्थ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा तन्निमित्त विशेष रूप से प्राधिकृत कोई पदाधिकारी आदेश दे सकेगा कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को या द्वारा या किसी विशिष्ट विषय से संबंधित, संदेश या संदेशों का वर्ग, जो कि किसी तार यंत्र द्वारा पारेषणार्थ लाया गया है या पारेषित या प्राप्त हुआ है, पारेषित नहीं किया जायेगा या अंतरावरुद्ध या निरुद्ध किया जायेगा या आदेश देने वाली सरकार या आदेश में वर्णित उसके पदाधिकारी से प्रकट किया जायेगा।"

यह एक स्वेच्छाचारी खण्ड था, किसी भी बात को इसके अन्तर्गत लिया जा सकता था तथा उसे अधिकार में लिया जा सकता था। 1972 में हमने आमूलसंशोधन किया। उस संशोधन में कुछ नये उपबन्ध किये गये। आज कानून इस प्रकार है :

'किसी लोक आपात के घटित होने पर या लोक सुरक्षार्थ केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस बारे में विशेष रूप से

प्राधिकृत कोई अधिकारी यदि इस बात से संतुष्ट है कि भारत की प्रभुसत्ता, और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्री सम्बन्धों के हित में, या सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने या किसी अपराध को बढ़ावा देने को रोकने के लिए, ऐसा करना आवश्यक है तो वह लिखित रूप से कारण बताते हुए, आदेश देकर निदेश दे सकेगा कि कोई सन्देश या संदेशों का वर्ग···।"

शेष बात वैसी ही है महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए चाहे कोई आदेश नहीं दे सकता। आपातस्थिति का होना ही काफी नहीं है। यह काफी नहीं है कि जनहित में ऐसा किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भी सरकार की इस बारे में संतुष्टि है कि भारत की प्रभुसत्ता एवं एकता, राज्य का सुरक्षा, विदेशों के साथ मैत्री संबन्धों के हित में अथवा सार्वजनिक हित में अथवा किसी अपराध को रोकने के लिये इसकी आवश्यकता है। इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसके कारण लिखित रूप से दिये जाने चाहिए। 1972 में किया गया यह संशोधन था। बिना किसी गैर-सरकारी सकल्प के 1972 में हमने यह संशोधन किया। जोकि ब्रिटिश कानूनों में सुधार के रूप में थे। हमने इसे न्याय योग्य बनाया। हमने कुछ शर्तों की व्यवस्था की। हमने व्यवस्था की कि आदेश के लिए कारण लिखित रूप से रिकार्ड किये जायें तभी आदेश जारी किया जा सकेगा। उन्हें सन्देशों का वर्गीकरण करना होगा। उन्हें इस वर्ग के लोगों का भी वर्गीकरण करना होगा। जिनके सन्देशों में हस्तक्षेप किया जा सकेगा। गृह मन्त्रालय का एक अति उच्च वर्ग का अधिकारी इसे संचालित करता है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो का निदेशक इसकी जांच करेगा। तथा लिखित रूप में विस्तृत आदेश देकर यह निर्धारित करेगा कि किन-किन व्यक्तियों से संदेश बीच में पढ़े जायें। यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में सन्देह है तो यह न्याय योग्य है। वह न्यायालय में जा सकता है तथा यह मांग कर सकता कि उसे इसके लिए स्पष्टीकरण दिया जाये तथा कारण लिखित रूप से बताये जायें। न्यायालय उन कारणों की जांच कर सकता है तथा यह निर्णय कर सकता है कि क्या वे उचित ढंग से दिये गये हैं अथवा नहीं। यह एक प्रमुख परिवर्तन किया गया है। कोई व्यक्ति ज्यूं ही आदेश जारी करके किसी सन्देश को बीच में नहीं पढ़वा सकता। यह केवल ऐसा आदेश जारी किये जाने पर ही किया जा सकता है। बात ऐसी नहीं है जैसी कि श्री झा अथवा अन्य सदस्य ने की है कि इसमें कोई बात गुप्त नहीं है। यही बात कही गई है। इस बारे में सभी बातें गुप्त हैं। इस सेवा का यही सार है। ऐसी विभिन्न धाराएं हैं जिनके अंतर्गत गम्भीर अपराधों के मामले में जुर्माना तथा कैद की सजा दी जा सकती है इस प्रकार गोपनीयता का आश्वासन है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो वह दण्डनीय है। यदि कोई व्यक्ति तार के विषय को प्रकट करता है तो वह दण्डनीय है। इन दण्डनीय अपराधों के लिए धारा 26 के अन्तर्गत भारी दण्ड दिये जा सकते हैं यह दण्डनीय है। जब तक कोई उचित आदेश न हो कोई भी सन्देश को अन्तरोंधि नहीं कर सकेगा न ही उसका प्रेषण रोक सकेगा। इसीलिए आपात स्थिति में सरकार को यह स्वतंत्रता है कि वह ऐसे लोगों को आदेश में निर्धारित कर सकेगी जिनके बारे में कोई अन्तराव-रोधन किया जा सकेगा। यदि कोई व्यक्ति अन्तरोंध करता है तो वह उसके लिए जवाबदेह भी है। इस कार्यवाही को न्याय योग्य बताया गया है। मैं जिस बात पर बल दे रहा हूं वह यह है कि यह व्यवस्था उस व्यवस्था से बिल्कुल भिन्न है जोकि उस समय विद्यमान थी जब अंग्रेजी

सरकार शासन छोड़कर गई थी हमने 1972 में इसे संविधान के अनुकूल बनाने के लिए इसमें संशोधन किया। संविधान के लागू होने के 22 वर्ष पश्चात् हमने इसमें संशोधन किया। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने स्वतः ही भारी परिवर्तन करने वाला संशोधन रखा। हमने इसे न्याय योग्य बनाया तथा इसके दुरुपयोग को रोकने के सभी उपाय किये। यदि किसी मित्र को सन्देह हो कि उसके सन्देशों का अन्तावरोध किया जा रहा है तो उसे न्यायालय जाकर रिट् दायर करने की छूट है। तुरन्त ही हमें बुलाया जायेगा तथा वह आदेश पेश करने को कहा जायेगा जिसके अन्तर्गत सन्देश में अन्तावरोध किया गया है। हमें 'हां' या 'ना' में उत्तर देना होगा और यदि हमारे उत्तर 'हां' में हैं तो हमें आदेश पेश करने के लिये कहा जायेगा। (व्यवधान) किसी ने अन्तावरोधन नहीं किया है, आप कल्पना के आधार पर श्रम कर रहे हैं। सभा के विचार के लिये केवल यही बात है कि क्या उन हालात में जिनका मैंने उल्लेख किया है लोगों को अपनी इच्छानुसार तार भेजने की छूट दी जानी चाहिए। भारत में तार व्यवस्था बहुत व्यापक है। डाक व्यवस्था बहुत व्यापक है। इस तंत्र को उन लोगों की सेवा में नहीं लगने दिया जा सकता जोकि राष्ट्र में तोड़फोड़ करना चाहते हैं तथा जो देश की प्रभुसत्ता और एकता के विरुद्ध कार्य करते हैं : अन्यथा वे ऐसे कार्य करते रहेंगे।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आपने कहा, "अन्यथा वे ऐसा कर सकते हैं।" क्या आप इस पर कायम हैं ?

श्री सी. एम. स्टीफन : नहीं, किसी भी तरह उन्हें यह सेवा उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा कि केन्द्रीय जांच ब्यौरा अथवा जाँच सेवा की तरह जांच कार्य के लिए कोई गुप्तचर सेवा होनी चाहिए। मान लीजिए मैं किसी पत्र को स्वयं ही ले जाता हूं, गुप्तचर अधिकारी कह सकता है, "इसे मुझे दिखायें।" वह पत्र को पढ़ सकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। वह मुझसे पूछताछ कर सकता है। वह मेरे घर पर आकर तलाशी ले सकता है। क्या यह उसकी जाँच प्रक्रिया का एक भाग नहीं है ? परन्तु यदि कोई सन्देश डाक या तार सेवा के माध्यम से भेजा जाता है तब जांच अधिकारी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। क्या यह बात उचित होगी ? जांच प्रक्रिया के एक अंग के रूप में इसकी जांच का भी अधिकार अवश्य रहना चाहिए। जैसे कि उसे किसी के भी निजी पत्र व्यवहार को देखने का अधिकार है। यदि जाँच प्रक्रिया में अन्य माध्यमों को लिया जाना आवश्यक हो तो केवल इसलिए उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए कि यह एक विशेष सेवा के अन्तर्गत है, जैसे कि किसी चर्च गुरुद्वारे अथवा किसी अन्य पवित्र स्थल पर बैठे व्यक्ति को वहाँ से निकाला नहीं जा सकता, तार सेवा को इस प्रकार नहीं बनाया जा सकता जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने की अनुमति दी जा सके। जांच प्रक्रिया को उसमें भी हस्तक्षेप होना चाहिए।

ये इसके उद्देश्य हैं। यह मूलतः देश की सुरक्षा अथवा प्रभुसत्ता की रक्षा के लिए है। सभी तरफ खतरा है, तोड़फोड़ की कार्यवाहियां जारी हैं। जबकि यह सब कार्य हो रहा है, तब सरकार के लिए यह नितान्त आवश्यक है, कि जांच सेवा इस बात पर ध्यान दे कि क्या कहीं पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, अथवा नहीं। षड्यंत्रकारी तत्वों का सन्देश लेजाने के लिये हम बाध्य नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति तोड़-फोड़ अथवा षडयंत्र में लगा हुआ पाया जाता है तो अवश्य

ही हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम उसके सन्देश पर रोक लगायें। इस अधिनियम का सीधा सा दृश्य यही है।

मुझे उम्मीद है कि 1972 के संशोधन की प्रशंसा करते हुए विधेयक को वापस ले लिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत हमने इसे न्याय योग्य तथा दोष रहित बताया है। लोगों के सभी हितों तथा मौलिक अधिकारों का ध्यान रखा गया है। मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं उन माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। मैं मन्त्री महोदय का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक बिगड़े मामले को बनाने का प्रयास किया है। कितना अच्छा होता यदि मैं दूसरे पक्ष के माननीय सदस्यों का धन्यवाद भी कर सकता। लेकिन खेद है कि मैं इस बारे में असमर्थ हूं।

इससे निर्वाचित प्रतिनिधि मंत्री स्वयं संसदीय संस्था, प्रेस, देश के नागरिक आदि अनेक श्रेणी के लोग सम्बद्ध हैं। अध्यक्ष महोदय ने विशेषाधिकार के प्रश्न पर इसी सभा में अगस्त में अपने विनिर्णय में आस्ट्रेलियन ससद का हवाला देते समय कहा था कि देश का कानून हमें असहाय बनाता है। उन्होंने संसद को इस कानून का संशोधन करने के लिये कहा था ताकि संसद सदस्यों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों को इस प्रकार की टेरिंग, जख्मी अथवा निन्दा से बचाव किया जा सके। उनकी वह मजबूरी थी।

कानून के बारे में अध्यक्ष महोदय ने कहा है :

"फिर भी वे सदस्यों के समाज के प्रति जिम्मेवारियों से छूट नहीं देते जो अन्य नागरिकों पर लागू होती हैं। कानूनों को लागू करने के मामले में ससद के विशेषाधिकार संसद सदस्य को एक साधारण नागरिक से अधिक या भिन्न नहीं बनाते, जब तक कि संसद के हित में ऐसा करने के लिये अच्छे तथा पर्याप्त कारण न हों और जब तक कि इस प्रकार की कोई व्यवस्था संविधान अथवा किसी कानून में न हो। मूलभूत सिद्धांत यह है कि संसद सदस्यों सहित सभी नागरिकों के साथ कानूनी दृष्टि से समान व्यवहार करना पड़ता है।"

मैं कहना चाहूंगा कि इसी कारण मैंने न केवल संसद सदस्यों अथवा निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिये बल्कि सभी नागरिकों के लिये, कानून का संशोधन करने की मांग की है। यहां कानून संसद को असहाय बनाता है। मैं फिर से अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय को उद्धृत कर रहा हूं :—

"विषय को समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा जो लोक सभा सचिवालय सहित मेरे कार्यालय से संसद सदस्यों को भेजे गये पत्रों के बारे में है। मुझे आशा है कि सम्बन्धित अधिकारी अनुभव करते हैं कि इस प्रकार के पत्रों की ओर सेंसर करने वाले अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट नहीं होगा।"

अत: उनकी यह दयनीय अपील है। ऐसा कोई कानून नहीं हैं जिसके द्वारा संसद, अध्यक्ष महोदय तथा लोक सभा सचिवालय के पत्रों की सेंसर से रक्षा हो सके। अत: अध्यक्ष महोदय को यहां दुख के साथ सम्बन्धित अधिकारियों से अपील करनी पड़ी। उनका तात्पर्य संचार मंत्रालय

से नहीं बल्कि गृह मन्त्रालय से है जो इस काम को करता है और जो वास्तव में इस काम से सम्बन्धित है। यह इस देश की संसद की दुखदायी स्थिति है। यह भी असहाय है।

आस्ट्रेलिया सम्बन्धी उद्धरण, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने अपना विनिर्णय देने के लिये निर्भर किया है, तथा समूचे विनिर्णय को मेरे विचार में सभा के सामने रखा जा सकता था।

सभापति महोदय : मेरे विचार में आप सब बातें नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : सारी बातें जरूरी नहीं हैं। मैं प्रासंगिक अंश को पढ़ने जा रहा हूं।

सभापति महोदय : इसका कारण यह है कि अब आपको संक्षेप से अपनी बात कहनी है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं केवल प्रासंगिक अंश को उद्धृत करूंगा। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं दिसम्बर, 1981 के 'इकोनामिक टाइम्ज' में प्रकाशित आस्ट्रेलिया की संसद के विनिर्णय को ही उद्धृत करूंगा :

"...साथ-साथ इसने घोषणा की : शांतिकाल में किसी नागरिक की डाक के साथ हस्तक्षेप करना एक गम्भीर मामला है लेकिन युद्धकालीन स्थिति में हर प्रकार से यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिये कि शत्रु तक कोई भी लाभदायक सूचना न पहुंच पाये..."

सभापति महोदय : आप ये सब बातें कह चुके हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : वह बात 1944 की युद्धकालीन परिस्थिति के बारे में थी। यहां यह विनिर्णय अप्रासंगिक है क्योंकि यह शांतिकाल से सम्बन्धित है और इसी कारण मैंने अपने संशोधन में आक्रमण के समय युद्धकालीन परिस्थितियों के लिये व्यवस्था की है।

मन्त्री महोदय ने मेरी बात ठीक ढंग से समझी है। उपधारा (1) के बारे में अधिक विवाद है। वास्तव में बात यह है कि देश की एकता तथा प्रभुसत्ता की रक्षा की जानी चाहिये। उस प्रश्न पर कोई भी विवाद नहीं है। लेकिन धारा 5 की उपधारा (2) के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि संचार मन्त्री ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा है लेकिन तत्कालीन रक्षा मन्त्री वर्तमान संसद सदस्य श्री जगजीवन राम ने शाह आयोग के सामने कहा था कि उन पर निगरानी रखी जा रही है और उनकी गतिविधियां सेन्सर की जा रही हैं। तत्कालीन लोक सभा सदस्य तथा सत्तारूढ़ दल के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर पर भी निगरानी रखी जा रही थी और उनके पत्रों को भी सेंसर किया जाता था और उनका टेलीफोन टेप होता था। त्रिपुरा के तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री चक्रवर्ती ने तत्कालीन संचार मंत्री श्री बृजलाल वर्मा से शिकायत की थी कि उनके टेलीफोन को टेप किया जाता है और संचार मन्त्री ने कहा था कि टेप या सेंसर करना उनका काम नहीं हैं।

सभापति महोदय : क्या ये सब बातें आपके भाषण में नहीं आयी हैं ?

श्री भोगेन्द्र झा: मैं समाप्त कर रहा हूँ। मैंने अनुरोध किया है कि गृह मन्त्री को उत्तर देने के लिये कहा जाये क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे मित्र श्री स्टीफन भी उसी श्रेणी में होंगे और उनका टेलीफोन भी टेप तथा सेंसर होता होगा।

सभापति महोदय : वह इस बारे में सचेत हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : वह सचेत नहीं होंगे अथवा वे असहाय होंगे।

सभापति महोदय : वह सचेत हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : ऐसी स्थिति में प्रेस भी बीच में आती है। इन्होंने जो एक बात स्पष्ट की है, वह यह है कि कानून पवित्र नहीं है। इसका संशोधन 1972 में किया गया था और मेरे विचार में दूसरे पक्ष के मेरे मित्र भी इस बात का ध्यान रखेंगे।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं समाप्त करता हूं। मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

सदस्यगण भी इससे सम्बद्ध हैं। संशोधित उपधारा (2) में कहा गया है :

"शर्त यह है कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के भारत में प्रकाशित होने वाले प्रेस संदेशों को उस समय तक पकड़ा या रोका नहीं जायेगा जब तक उन्हें इस उपधारा के अन्तर्गत आगे भेजा जाना प्रतिबन्धित न किया जाये।"

इस उपधारा को कौन कार्यवन्ति करेगा ? केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा विशेषरूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी कार्यान्वित करेगा। अतः किसी राज्य में प्रधान मंत्री की डाक सेंसर हो सकती है। कानून उस पर पाबंदी नहीं लगाता। यदि मुख्य मंत्री को सेंसर किया जा सकता है तो कोई अन्य मन्त्री भी सेंसर हो सकता है। ऐसी स्थिति में इस उपधारा के कारण अराजकता की स्थिति भी हो सकती है। अतः प्रेस, नागरिकों निर्वाचित प्रतिनिधियों मंत्रियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को सेंसर किया जा सकता है। किस लिये ? आपातकालीन कारणों से नहीं तथा देश के लिये खतरों के कारण नहीं। लेकिन वे ऐसा सामान्य काल में करते हैं। टेलीफोन की टेपिंग भी होती है। मेरे विचार में इसे बन्द किया जाना चाहिये और मंत्री को साहस के साथ इसे स्वीकार करना चाहिये।

तारों के बारे में, जब तारें औपचारिक रूप से भेजी जाती हैं तो आसूचना अधिकारी उन्हें ले जाते हैं।

सभापति महोदय : अब कृपया समाप्त करें।

श्री भोगेन्द्र झा : इस तरह वे उन्हें एक सप्ताह के लिये छानबीन के लिये ले जाते हैं चाहे उनमें सांकेतिक शब्द ही क्यों न हों। और 10 दिनों के बाद वे उन्हें वापिस कर देते हैं उस समय तक तार का हर शब्द निरर्थक हो जाता है। अब तारें भी बहुत मंहगी पड़ती हैं। मैं ऐसा इसलिये कहता हूं कि ऐसा कुछ उस सभा के सदस्यों के साथ भी होता है। बिना लिखित उपदेश के, जैसे कि अध्याय I में कहा गया है, वे इसे ले जाते हैं और ऐसा करते करते इसमें देरी हो जाती है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये।

श्री भोगेन्द्र झा : मैंने केवल तारों का जिक्र किया है क्योंकि लिफाफे में कुछ रख सकता हूं। लेकिन तार खुली जायेगी। इसे कोई भी दे सकता है। मान लीजिये मैं सत्तारूढ़ दल अथवा सरकार के विरुद्ध कोई संदेश भेजता हूं, जो हानिकारक है, तो उसकी जानकारी होना उनके लिये अच्छा है। अतः वे इसे जानने की स्थिति में होते हैं। कोई भी इसे खुला नहीं भेजना चाहेगा। ऐसी स्थिति में प्रश्न नागरिक आजादी का है जो हमारे प्रजातंत्र से सम्बन्धित है। हम अपने प्रजातंत्र की सीमायें जानते हैं। यह एक पूंजीवादी प्रजातंत्र हैं। लेकिन हमें एक स्कीम के बाद दूसरी स्कीम नहीं जोड़नी चाहिये जिससे प्रजातंत्रीय ढांचा कमजोर हो जाताहै और मन्त्रियों, मुख्य मंत्रियों अथवाअध्यक्षों के संदेशों का सेंसर होता है।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह मेरे द्वारा पुरःस्थापित विधेयक को स्वीकार करें और मंत्री महोदय को इसका विरोध न करने का साहस होना चाहिये।

सभापति महोदय : मंत्री को तो इसका विरोध करना है। क्या आप इसे वापिस ले रहे हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : जी, नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"

लोक सभा में मतविभाजन हुआ

मत-विभाजन संख्या 2 16.56 **बजे**

पक्ष में

बालन, श्री ए. के.
बालानन्दन, श्री ई
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चौबे, श्री नारायण
दण्डवते, प्रो. मधु
*देसाई, श्री बी. वं.
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल,
लारेंस, श्री एम. एम.
मैत्रा, श्री सुनील
मंडल, श्री मुकुन्द
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मुखर्जी, श्री समर
निहाल सिंह, श्री
*पटेल, श्री शान्तुभाई
राजन, श्री के. ए.
रामकिंकर, श्री
राय, डा. सरदीश
साहा, श्री अजीत कुमार
सामन्ता श्री टी. आर.
शर्मा, श्री विश्वनाथ
शास्त्री, श्री रामावतार
सूरजभान, श्री
स्वामी, डा. सुब्रह्मण्यम
वर्मा, श्री चन्द्रदेव प्रसाद
यादव, श्री चन्द्रजीत
जैनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अजीत प्रताप सिंह
अनुरागी, श्री गोदिल प्रसाद
अराकल, श्री जेवियर
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बन्सीलाल, श्री
बरोट, श्री मगनभाई
बरवे, श्री जे. सी
भगत, श्री एच. के. एल.
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
बीरबल, श्री
वृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चरणजीत सिंह, श्री

*गलती से पक्ष में मतदान किया।

चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
डागा, श्री मूलचन्द
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
गहलौत, श्री अशोक
गेवित, श्री माणिकराव होडल्या
गोमांगो, श्री गिरिधर
हाकम सिंह, श्री
जाफर शरीफ, श्री सी. के.
झा, श्री कमल नाथ
कर्मा, श्री लक्ष्मण
कोसलराम, श्री के. टी.
कुन्हम्बु, श्री के.
लकप्पा, श्री के.
महाबीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लु, श्री अनन्त रामुलु
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मूर्ति, श्री एम.वी. चन्द्रशेखर
नारायण, श्री के. एल.
निहालसिंहवाला, श्री जी. एस.
पनिका, श्री राम प्यारे
पटेल, श्री अहमद मोहम्मद
पटेल, श्री सी. डी.
पाटिल, श्री विजय एन.
प्रसन्न कुमार, श्री एस. एन
कादरी, श्री एस. टी.
राम, श्री रामस्वरूप
राव, श्री जगन्नाथ
राठौर, श्री उत्तस
रेड्डी, श्री के. विजय भास्कर
समीनुद्दीन, श्री
सतीश प्रसाद सिंह, श्री
शर्मा, श्री काली चरण
शास्त्री, श्री धर्मदास
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शुक्ल, श्री विद्याचरण
सिदनाल, श्री एस. बी.
सिंह, श्री सी. पी. एन.
सिंह देव, श्री के. पी.
सोरन, श्री हरिहर
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुल्तानपुरी, श्री कृष्णदत्त
सुन्दर सिंह, श्री
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसन, श्री
तिवारी, प्रो. के. के.
त्रिपाठी, श्री कमलापति
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले, श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जयराम
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारीलाल
यादव, श्री आर. एन.

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है

पक्ष में — 29

विपक्ष में — 72

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : श्री चित्त वसु।

मतदान

विपक्ष में : सर्वश्री ए. ए. रहीम, दृजमोहन महंती, रणजीत सिंह, नवल किशोर शर्मा, राजीव गांधी, महेन्द्र प्रसाद, ए. सेनापति गोंडर, आचार्य भगवान देव, पी. नामग्याल, विरदाराम फुलवारिया, वृद्धि चन्द्र जैन, शांति भाई पटेल तथा वी. वी देसाई।

Foot note

सभापति महोदय : हम अब अगली मद को लेते हैं।

श्री रामनगीना मिश्र (सलेमपुर) : सभापति जी, होली के अवसर पर केवल एक दिन की छुट्टी है। हम आप से निवेदन करेंगे कि कम से कम एक दिन की छुट्टी और बढ़ाई जाए। मंत्री मौजूद हैं और इस पर हाऊस की राय ले ली जाए। यह सबके सेंटीमेंट्स से संबंधित है। इसलिए होली की छुट्टी एक दिन की और बढ़ाई जाए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह उत्पादकता का वर्ष है। इसमें होली की बात क्या करनी ?

सभापति महोदय : श्री एडुआर्डो फैलीरो।

निःशुल्क विधिक सेवा विधेयक

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय मामलों में निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, सभा में इस विधेयक पर विचार करते समय आप पीठासीन हैं, इसे मैं एक शुभ लक्षण मानता हूं। मैं और हम में से अनेक लोग जानते हैं कि आप कई वर्षों तक इस आन्दोलन में भाग लेते रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं आज भी इसमें भाग ले रहा हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यदि मैं एक व्यक्तिगत बात कहूं तो वह यह है कि मैंने आपको इस नि:शुल्क विधि सहायता आन्दोलन के समय से ही जाना मुझे इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि नि:शुल्क विधि सहायता की ओर सरकार का दृष्टिकोण सहानुभूति पूर्ण है।

वास्तव में कांग्रेस सरकार ही 1976 में 42वां संशोधन लायी थी। इस संशोधन की आलोचना बहुत की गई थी परन्तु इसमें कई अच्छी बातें की भी। इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि इसकी सभी बातें अच्छी थीं क्योंकि इस संशोधन द्वारा कानून, संविधान और देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सही दृष्टिकोण परिलक्षित होता था। यह उस प्रतिक्रियावादी ढीलेपन के अनुरूप नहीं था जिसका उदय 1977 में हुआ था।

वास्तव में 1976 में ही 42वें संशोधन के द्वारा इस सभा ने ही, इस बात का पूरा ध्यान रखते हुए कि संविधान के निर्माताओं द्वारा अनुच्छेद 14 में प्रतिष्ठापित समान कानूनी सुरक्षा धारणा को हम पिछले 20 वर्षों में न तो व्यावहारिक रूप दे सके हैं और न ही उसे लागू कर सके हैं और इस बात को भली-भांति जानते हुए कि जहां तक देश के कमजोर वर्गों और निर्धन वर्गों का संबंध है उनके लिए समान कानूनी सुरक्षा केवल कागज पर ही है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान का अनुच्छेद 39क जोड़ा था, जो इस प्रकार है :

"39क राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक व्यवस्था इस प्रकार काम करे कि न्याय

समान अवसर के आधार पर सुलभ हो, और विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य असमर्थता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या अन्य प्रकार से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा।"

मैं आरम्भ में ही अवश्य कहना यह चाहूंगा कि विधिक सहायता की इस सम्पूर्ण धारणा का अर्थ वकीलों को रोजगार उपलब्ध कराना नहीं है जैसा कि कुछ लोग कुछ दिन पूर्व कह रहे थे। यह कोई ऐसा आन्दोलन नहीं है जो वकीलों को रोजगार प्राप्त करने में तथा अतिरिक्त धन प्राप्त करने में सहायता करेगा। ऐसी बात नहीं है यदि यह वकीलों द्वारा नियन्त्रित एक प्रभावी आन्दोलन बनने जा रहा है तो इसे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। यह वकीलों की शर्तों पर चलने वाला आन्दोलन नहीं है।

इसे एक जन आन्दोलन का रूप लेना होगा जिसमें न केवल वकील अपितु सामाजिक कार्य कर्त्ताओं तथा जीवन के प्रत्येक प्रकार के लोगों को सम्मिलित होना होगा। वास्तव में समस्या यह है कि चूंकि हम इस सभा में लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं, और हमारे लिए धनी और निर्धन के मत का समान मूल्य है और लोगों के प्रति उत्तरदायी होने के नाते हमने ऐसे कानूनों की पूरा एक एक श्रृंखला पारित की है जिससे लोगों की इच्छाएं परिलक्षित होती हैं जैसे कि सामाजिक कल्याण उपाय, भूमि सुधार कानून तथा और भी अन्य कानून जिनका लक्ष्य देश के निर्धन और कमजोर वर्गों के लोगों की दशा सुधारना है।

परन्तु केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हम कानून को लागू करने के लिए अन्य कोई कदम नहीं उठाते तो कानून बनाने मात्र से कोई लाभ नहीं होने वाला है। वास्तव में क्रियान्वयन के भी दो पहलू हैं।

एक तरफ, प्रशासनिक क्रियान्वयन है, प्रशासन के अभिकरणों द्वारा कानून लागू करना महत्व तो इस बात का है कि यहाँ पारित किए गए कानूनों में लोगों की जिन भावनाओं, आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का प्रतिष्ठापन किया गया है उनके प्रति हमारी कार्य-पालिका कितनी उत्तरदायी है। अतः मूल प्रश्न यह है कि कानून को पारित करते समय जिस भावना और उत्साह का प्रदर्शन किया गया है उसी भावना और उत्साह के साथ वास्तव में वह किस सीमा तक लागू किया जाता है।

यह एक बहुत ही व्यापक प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न जिसमें तात्कालिकता भी निहित है। यद्यपि यह प्रश्न इस वाद-विवाद के कारण उत्पन्न नहीं हुआ है।

विधान के कार्यान्वयन का एक अन्य पहलू न्याय प्रदान करने के रूप में कानूनों को लागू करना है। यह एक बहुत ही व्यापक धारणा है। यह धारणा पार्टियों में मुकदमेबाजी तक सीमित नहीं है इस धारणा का सम्बन्ध लोगों के अधिकारों और दायित्वों से है। इस धारणा का संबंध लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रत्येक वर्ग के लोगों को सम्मिलित करने से है। इसका सम्बन्ध निर्धन और कमजोर वर्गों को मुकदमेबाजी में कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है जबकि उन्हें यह सहायता आर्थिक अक्षमताओं अथवा सामाजिक अक्षमताओं के काटन उपलब्ध नहीं है। हमने इस सभा में कई बार न्याय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की है और कई बार हम लक्ष्य से चूकने के लिए जिम्मेदार रहे हैं और निरर्थक विषयों में उलझने

और व्यर्थ की आलोचना करने के जिम्मेदार रहे हैं। अतः न्यायप्रदान करने के बारे में कुछ कहने से हर कोई हिचकिचाता है, विशेष रूपसे उस स्थिति में जब न्यायाधीश स्वयं हमारी न्याया प्रणाली में सुधार की आवश्यकता को स्वीकार करते हों। उच्चतम न्यायालय के प्रतिष्ठित न्यायाधीश – न्यायाधीश कृष्ण अय्यर और न्यायाधीश भगवती सदैव कानूनी सहायता आन्दोलन के अग्रणी रहे हैं। क्या मैं उनके प्रतिवेदन से, जिसे मैं अंतिम प्रलेख मानता हूं, कुछ अंश उद्धृत करूं। मैं चाहता हूं कि इसे अन्तिम प्रलेख समझा जाए क्योंकि हम एक के बाद एक करके अनेक प्रतिवेदन तैयार कराते रहे हैं यहां तक कि प्रतिवेदन पर भी प्रतिवेदन तैयार कराया है। अतः मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सभा को यह आश्वासन देगी "कि न्यायाधीश कृष्ण अय्यर और न्यायाधीश भगवती द्वारा दिया गया यह राष्ट्रीय न्यायिक व्यवस्था-समान न्याय, सामाजिक न्याय संबंधी प्रतिवेदन" अब अन्तिम प्रतिवेदन होगा और इसे क्रियान्वित किया जायेगा। और अधिक प्रतिवेदन नहीं मांगे जाएंगे।

इस अन्तिम प्रतिवेदन से क्या मैं वह बात उद्धृत कर सकता हूं जो न्यायाधीश अय्यर और न्यायायाधीश भगवती को हमारी न्याय प्रणाली के बारे में कहनी पड़ी है। उन्होंने यह कहा है :

"अन्त में, हमारी न्याय प्रदान करने की प्रणाली, जो हमें अंग्रेजों से विरासत में मिली है, पुरातन है, अप्रचलित है और रूढ़िवादी है। यह हमारी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुरूप नहीं है और हमारी राष्ट्रीय विशिष्टताओं के प्रतिकूल है। इसके परिणाम स्वरूप यह लोगों में विश्वास पैदा करने में असफल रही है और लोगों को इस प्रणाली की न्याय करने की क्षमता में बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है। इस प्रणाली की असफलताओं की आलोचना उस देश में भी, अर्थात इगलैंड में भी, हुई है जहां इसका आरम्भ हुआ था। सर जान फास्टर, क्यू. सी. ने इस प्रणाली के बारे में कहा है :

"मेरे विचार में सम्पूर्ण अंग्रेजी कानून प्रणाली बेकार है। मैं इसके भूल में जाना चाहूंगा—दो प्राइवेट पार्टियों के बीच एक दीवानी मामला एक स्वांग मात्र होता है—जो कि साक्ष्य के मध्ययुगीन नियमों पर लड़ा जाता है।"

'लार्ड डेवलिन' ने भी **डेली टेलीग्राफ** में एक लेख में यह विचार व्यक्त किया है :

"यदि हमारी व्यवसायिक प्रणाली भी हमारी विधिक प्रणाली के समान प्राचीन होती तो हमारा देश दिवालिया होता।"

एक विशिष्ट राजनीतिज्ञ तथा तत्कालीन गृह मंत्री स्वर्गीय श्री गोबिन्द वल्लभ पंत ने भी विधि मंत्रियों के सम्मेलन में बोलते हुए कहा था :

"हमें न्यायिक प्रशासन की प्राचीन प्रणाली को, जो अब भी यहाँ चल रही है और हमारे देश में जिसका आधिपत्य है, पूरी तरह सुधारना होगा और उसका आधुनिकीकरण करना होगा।"

"इसमें रंचमात्र भी सन्देह नहीं कि हमारी विधि और न्याय प्रणाली हमारे देश में उदय हो रहे नए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह पैदा होने वाली नई समस्याओं को हल करने में प्रभावकारी नहीं है और

समकालीन समाज को चुनौती दे रही है । यह प्राचीन मानदण्डों और मूल्यों पर खरी नहीं उतरती और यह उस नए दृष्टिकोण को परिलक्षित नहीं करती जो कानून के सच्चे उद्देश्य और कार्यकरण को उजागर करता है । अतः विधि और न्याय प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है ताकि यह हमारी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अधिक अनुरूप हो सके और निर्धन तथा कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान में एक प्रभावकारी भूमिका निभा सके । यह अवश्य ही अनुभव किया जाना चाहिए कि 19वीं शताब्दी की प्रणाली से 20 वीं शताब्दी में काम नहीं लिया जा सकता । अतः इस बात पर विचार करना आवश्यक हो जाता है कि हमारी विधिक और न्यायपालिका का प्रणाली में क्या फेर-बदल और परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे कि उससे जो अन्तिम फल और जो सामाजिक परिणाम निकले उससे "केवल विशिष्ट वर्गों के लिए ही न्याय न मिले अपितु गरीब और निम्न वर्गों की समस्त जनता को न्याय मिले ।"

महोदय, मैं यहां न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति भगवती के प्रतिवेदन के उद्धारण को समाप्त करता हूं ।

इस लम्बे उद्धारण को देखकर मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह है कि विधिक और और न्यायिकि प्रणाली की आलोचना केवल संसद में और राजनीतिज्ञों द्वारा ही नहीं की जाती अपितु न्यायधीश लोग स्वयं यह जानते हैं कि जो प्रणाली हमने अपनाई हुई है वह यहां की उपज नहीं है, यह एक ऐसी प्रणाली नहीं है जो कि अपने जन्मदाता देशों तक में संगत बैठती हो, यह प्रणाली तो पुरानी पड़ गई हैं और इस देश की विशाल अधिकांश जनता की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती और मैं तो यहां तक सोचता हूं कि समृद्ध देशों की बहुसंख्यक जनता की भी यही स्थिति है तथा यह एक ऐसी प्रणाली है जो कि कुछ ही थोड़े से लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाई गई है तथा उन्ही के निहित स्वार्थों को पूरा करती है ।...व्यवधान) सभापति महोदय, मैं

सभापति महोदय : कृपया शांत बैठिये । वहाँ क्या हो रहा है ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह बात तो इन सभी समस्याओं के सन्दर्भ में थी और इस विस्तृत दृष्टिकोण को लेकर, मैं फिर से दोहराता हूं कि मुकद्दमेबाजों को केवल कानूनी सहायता देने मात्र के दृष्टिकोण से नहीं, अपितु समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप इस प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के इस व्यापक दृष्टकोण को लेकर विशेषकर गरीबों और कमजोर वर्गों की आकांक्षाओं के अनुरूप ढालने के लिए ये दो व्यक्ति न्यायमूर्ति अय्यर और न्यायमूर्ति भगवती, जो कि अपनी न्यायिक श्रेष्ठता के अतिरिक्त लम्बे समय से इस क्षेत्र में सेवारत रहे हैं, इस अधिक न्यायसंगत विधिक प्रणाली और कानूनी सहायता के इस आन्दोलन की लड़ाई में सम्मिति रहे हैं । उन्होंने एक विशिष्ट योजना का सुझाव दिया है, एक ऐसी योजना का जो कि आवश्यकता के विस्तार में जाती है । यह केवल सामान्य बातों से सम्बद्ध नहीं है अपितु यह उनके द्वारा प्रस्तुत विचारधारा की एक ऐसी विशिष्ट योजना है जो कि देश की आक्यकताओं के प्रति हमारी विधिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए है, हमारी विधिक प्रणाली को वस्तुतः अधिक प्रगतिशील बनाने तथा हमारे समय के अनुरूप ढालने के लिए है और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि यह किस प्रकार लागू की जानी चाहिए । उन्होंने वास्तव में एक

पिरामिडी ढांचे की परिभाषा और विवरण दिया है। जिसके शीर्ष में राष्ट्रीयविधिक सेवा प्राधिकरण नाम का एक संगठन होगा और फिर यह पिरामिड की आकृति के रूप में ढलकर नीचे की ओर जाता है जिसके प्रत्येक स्तर पर एक संगठन होगा। राज्य के भीतर जिला स्तर पर एक संगठन होगा और यदि आप नीचे तक, पंचायत स्तर तक जाएं तो वहां एक ऐसा संगठन होगा क्योंकि उन्होंने कहा है कि, जो कुछ गाँधी जी ने कहा था उसे स्मृत कराया है, भारत गांवों में वसता है और यह कि यदि कानूनी सहायता से वास्तव में ही उसका प्रयोजन सिद्ध करना है और यदि विधिक सेवा आन्दोलन को उसका लक्ष्य प्राप्त कराना है तो उसे सबसे नीचे के स्तर तक व्याप्त होना होगा क्योंकि आप गांव के भोले-भाले और लज्जालु लोगों से, उन लोगों से जोकि सदैव दलित रहे हैं, यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वे कस्बे और शहर तक आएं और स्वयं विधिक सहायता गृहों या विधिक सहायता संगठनों के समक्ष जाकर प्रयत्न करें। सारी समस्या जैसा कि उनका विचार है, केवल आर्थिक आस्तिओं या आर्थिक सम्भावनाओं की कमी के कारण उत्पन्न नहीं होती, अपितु जैसा कि उन्होंने कहा यह केवल सामाजिक संकोच से उत्पन्न होती है, जो कि स्वयं के अधिकार या सही बात पर डटे रहने का संकोच है चाहे वह न्यायालय में हो या फिर कार्यकारी प्राधिकारी के समक्ष हो अथवा उस वकील के समक्ष हो जिसे उन्होंने यह भार सौंपा है। अतः इस पिरमिडीय सगठन में, प्रतिवेदन में यह सही कहा गया है, इस प्रणाली को पूर्णतया वकीलों के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिये।

इस आन्दोलन के मुविक्कलों और उन लोगों की ओर से जो इस आन्दोलन का लाभ उठायेंगे, वकीलों के प्रति झिझक और शर्म सी रहती है। स्वयं वकील को भी इस दमनकारी प्रणाली का ही एक अंग समझा जाता है एक ऐसी प्रणाली का जिसे वे नहीं समझते हैं और वे न तो कानून को ही समझते हैं और न उस भाषा को जिसमें कि न्यायालय की कार्यवाही चलती है, और न ही वे उस न्यायाधीश के विलगाव को समझते हैं या उस मामले के लिए उन वकीलों के विलगाव को भी नहीं जो कि अधिकांशतः एक विशेष सामाजिक ढाँचे में से आते हैं जो कि ऊंचा है और उस आदमी की पहुंच से बाहर है जिसकी सेवा के लिए यह सारा आन्दोलन है। और इसीलिए सारी योजना को ऊपर से लेकर, देश की राजधानी से लेकर नीचे गांवों तक, मूलाधार तक, पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

मैं यह कह रहा था कि इस आन्दोलन को उन कारणों से जो कि स्पष्ट हैं पूर्णतया वकीलों के ऊपर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए आन्दोलन का भारी मात्रा में न्यायिक प्रभाव भी पड़ेगा। बहुत से न्यायाधीश भी स्वयं इस आन्दोलन में भाग ले रहे हैं जिससे कि इस आन्दोलन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी इसकी उपादेयता बढ़ेगी। न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण भाग इस आन्दोलन में सम्मिलित हो जायेगा ऐसे प्रतिष्ठित न्यायाधीश भी रहे हैं। जिन्होंने अपने जीवन भर इस आन्दोलन को पर्याप्त समय दिया है। और अपने अनुभव का बड़ा लाभ इसे दिया है। हमें याद आते हैं उच्चतम न्यायलय के न्याय मूर्ति वैंकटरमैया जो कि पहले कर्नाटक उच्च न्यायालय में थे उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति श्रीदेसाई जो कि गुजरात उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश थे, तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कुदाल जैसे तथा अन्य बहुत से न्यायमूर्ति जो कि प्रतिष्ठित रहे हैं जिन्होने अपने समय और अनुभव का बहुत सा भाग इसे दिया है और जिन्होंने इस आन्दोलन की प्रतिष्ठा बढ़ाई है।

वकीलों के बिना तो आन्दोलन चल ही नहीं सकता है और वे इसमें होने जरूरी हैं और उनके अतिरिक्त, मूल परिभाषा के अनुरूप, न्यायाधीशों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। प्रतिष्ठित न्यायाधीशों अतिरिक्त, सामाजिक कार्यकर्त्ता भी इस सारे आन्दोलन के बहुत ही महत्पूर्ण घटक हैं।

सही-सही विचार तो यह है कि क्योंकि सारे आन्दोलन के मुवक्किल तो गरीब लोग ही हैं और वे अपने संकोची स्वभाव के कारण इन सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। दूसरे उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वे विधिक मात्र नहीं है। उनका दृढ़ सामाजिक रूप है।

उदाहरण के लिए भूमि सुधार का मामला ही लीजिए। यह कोई भूमि सुधार विधान के अधीन मामला निपटाने मात्र का ही प्रश्न नहीं है, यह तो उन संस्थाओं के ढांचे में परिवर्तन करने का प्रश्न है जो भूमि सुधारों के विरूद्ध विरोध प्रकट करने के लिए खड़ी हो जाती हैं और जो भूमि सुधारों में कमी निकाल कर और अन्य युक्तियाँ निकालकर उनमें व्यवधान डालती है जिससे कि विधान का मूल उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। अत: आन्दोलन केवल कानूनी सहायता तक ही सीमित नहीं है, एक बड़ी सीमा तक सामजिक भी है। अत:, यह आवश्यकय है कि जो सामजिक कार्यकर्त्ता सामाजिक समस्यों से परिचित हैं उन्हें इस आन्दोलन में भाग लेना चाहिये जिससे कि आन्दोलन को शक्ति प्राप्त हो सके। अत. मैं कहूंगा कि कानूनी सहायता आन्दोलन अकेले वकीलों का ही आन्दोलन नहीं है, यह केवल किन्हीं, न्यायाधीशों का ही आन्दोलन भी नहीं है, अपितु यह तो जनता के सभी वर्गों का आन्दोलन है।

इस विचारधारा पर जोर डालते हुए और प्रथम उपाय के रूप में जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता पर वल देते हुए, प्रतिवेदन में सशक्त रूप से सुझाव दिया गया है कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्त्तव्यों और दायित्वों से अवगत कराने के लिए जन संचार साधन का उपयोग किया जाना चाना चाहिए जो कि कम से कम चाहे समग्र विधान के बारे में न हो, परन्तु कम से कम कल्याणकारी विधान के एक ऐसे धिधान के जो देश में क्रान्तिकारी और सामाजिक परिवर्तन लाने के उदेश्य से हो, बारे में तो हो। लोगों को यह बताने के लिए कि भूमि-सम्वन्धी विधान के अन्तर्गत उनके क्या अधिकार हैं और उसमें उनकी क्या हस्ती है, सरकार को रेडियो का सहारा क्यों नहीं लेना चाहिए किसी की भी यह धारणा नहीं रहना चहिए कि उनके तो केवल अधिकार ही अधिकार हैं। अधिकारों के साथ-साथ कर्त्तव्य भी जुड़े हुए हैं। उन्हे अपने अधिकारों का पता होना चाहिये। इसके साथ ही अपने कर्त्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। हर किसी को इनसे परिचित कराने के लिए रेडियो या दूरदर्शन का उपयोग क्यों नहीं किया जाना चाहिए विशेषकर, उनको जो निरक्षरता या अन्य किसी कारण से यह जानने में असमर्थ हैं कि कानून क्या है, उनके अधिकार क्या हैं ? उनमें एक जागरूकता पैदा करके उन्हें यह वताना होगा कि विधान में उनका रूतबा क्या है जो कि संसद और राज्यों की विधान सभाएं उनके लिए वना रही हैं।

अत: सर्वाधिक महत्वपूर्ण वात यह है कि आन्दोलन द्वारा सर्वप्रथम उन्हें यह दिशा निदेश दिया जाना चाहिए वास्तव में विधिक साक्षरता में विधि की आँखों में उनकी क्या स्थिति है और विधान का क्या लक्ष्य है। इन सामाजिक परिवर्तनों से इस देश का अधिक कल्याण होगा

और समानता आयेगी तथा अधिकाधिक प्रगतिशील और विकसित समाज का निर्माण होगा। हम कहते रहे हैं कि भारत गांवों में रहता है। उनमें जागरूकता लानी होगी और इसे केवल नगरों में ही लाये जाने की आवश्यकता नहीं हैं, अपितु यह गांवों में भी लाई जानी चाहिए।

इस विचार धारा के बल पर ही कोई व्यक्ति न्याय पंचायतों को लाने के विचार का समर्थन कर सकेगा। पंचायते इस देश के प्राचीनतम संगठन हैं। उनका इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। वे सदियों से लगातार यहां काम कर रहीं हैं। महोदय, वास्तव में ग्राम-स्तर की संस्था में टकराव कराने के बजाय समझौते वाली भावना से न्याय करेंगी।

महोदय, हमारे संविधान में भी पंचायत राज लाने के निदेश दिए गए हैं विधि और न्याय के क्षेत्र में यह आवश्यक है कि न्याय पचायत के विचार को, यद्यपि यह सुधरे रूप में होगा, यदि लोगों को न्याय दिलाने के लिए निकट लाना है तो वास्तविक रूप देना होगा केवल वे ही न्यायालय जिनमें लोग स्वयं भाग लें क्षेत्र की समस्याओं को समझेंगे और वे न्याय दिलाने में अच्छी स्थिति मे रहेंगे।

महोदय, मैं जागरूकता पैदा करने और विधिक साक्षरता को जगाने की आवश्यकता का पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। कुछ राज्यों में न्याय पंचायत की संकल्पना को आजमाया गया था परन्तु उसे त्याग दिया गया मैं उदाहरणस्वरूप इसे महाराष्ट्र और पश्चिम-बंगाल में त्याग दिया गया। पाँच वर्ष पूर्व जब में इस आन्दोलन में पूरी तरह लगा हुआ था तो मुझे पश्चिम-बंगाल जाना पड़ा था और मुझे बताया गया था कि उन्होंने इस प्रणाली को आजमाया है परन्तु बाद में त्याग दिया। वे आन्दोलन से प्रसन्न नहीं थे। अब, महोदय, मैं यह बता देना चाहता हूं कि प्रणाली में कुछ भी खराबी नहीं है।

श्रीमान, इसमें गड़बडी यह हुई कि न्याय पंचायत के सदस्यों का चयन चुनाव द्वारा किया गया जैसे कि पंचायत के सदस्यों के चुनाव की प्रथा है। अब श्रीमान, जब ऐसा होता है तो वे अपने साथ जाति वर्ग एवं साम्प्रदायिक भावनाओं को लाते हैं जिसकी झलक विवाद के निर्णय में मिलती है। इसके समाधान के लिए यह सुझाव दिया दिया है कि एक न्याय पचायत के गठन के लिए कुछ गावों को लिया जाये आप पाँच पंचायतों को लेकर उनके प्रतिनिधियों को उनमें रखें, न्यायिक अनुभव रखने वाले एक व्यक्ति को आप उसमें लें जोकि न्याय पंचायत का चेयरमैन होगा तथा न्यायाधीश का कार्य करेगा। यदि आप इस तरह का परिवर्तन करें जिससे कि निकाय का आंशिक रूप से निर्वाचन किया जाये तथा आँशिक रूप से कानूनी अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का नामांकन किया जाये, तो मुझे विश्वास है कि यह प्रभावी रूप से कार्य कर सकेगी हमें इस बारे में निराश नहीं होना चाहिए। तथा इसे उन राज्यों में भी एक बार फिर शुरू करना चाहिए जिनमें कि इसे छोड़ दिया गया है।

श्रीमान मैं न्यायमूर्ति भगवती और न्यायमूर्ति कृष्ण आयर के कथनों को दोहराना चाहूंगा। श्रीमान हम संसद सदस्यों पर कभी-कभी यह आरोप लगाया जाता है कि हम सभा में यों ही बैठे रहते हैं तथा हमें समस्या के कानूनी पहलु का ज्ञान नहीं होता किन्तु जब प्रसिद्ध न्यायाधीश सामने आते हैं तथा वास्तविक समस्या की ओर ध्यान दिलाते हैं तब हमें उनकी बात को स्वीकार करना पड़ता है और हम इसे समझ बूझ कर स्वीकार करते हैं। यहाँ पर जिस बात

का उल्लेख किया गया है वह यह है कि कानूनी सहायता आन्दोलन में कानूनों के सुधार के आन्दोलन को तथा इस बारे में गरीब तथा कमजोर वर्ग की प्रगति के लिए अनुसन्धान कार्य भी अवश्य ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। इस आन्दोलन का मुख्य ब्यौरा यही है। श्रीमान, मैं आरम्भ में कह चुका हूं कि मुझे सरकार की सहायता में सन्देह नहीं है। यह उनकी पार्टी के कार्यक्रम का अंग है। यह सरकार के कार्यक्रम का अंग है। परन्तु बहुत सी पार्टियों के मामले में यह कार्यक्रम अगले चुनाव तक पत्रों में ही रहता है क्योंकि कार्यक्रम को निम्न प्राथमिकता दी जाती है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप हमें क्या बता रहे हैं ?

श्री एडुआर्डो फैलीरो : आवश्यक यह है कि·····

श्री चन्द्र जीत यादव : दवात से यह कागज पर आ गया है; अतः कोई क्रियान्विति नहीं हुई।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : तब भी मैं सन्तुष्ट नहीं हूं; कृपया समझें कि क्यों मैं शत प्रतिशत सन्तुष्ट नहीं हूं ? इन बातों की क्रियान्विति तुरन्त होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि वाद-विवाद समाप्त होने से पूर्व मन्त्री महोदय हमें बतायेंगे कि उन्होंने क्या किया है अथवा वह निकट भविष्य में क्या करना चाहते हैं ताकि 1976 में उत्साह पूर्वक रखे गये प्रस्ताव की क्रियान्विति हो सके। यह ऐसा विचार है जिसे किसी ने कभी चुनौती नहीं दी है, 1977 से 1980 के अन्धकार के समय में भी इसे चुनौती नहीं दी गई।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह अन्धकार का समय नहीं था। केवल आप अन्धे थे। यही बात है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ;

"कि कतिपय मामलों में निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवाए उपलब्ध कराने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री डागा आपके नाम में एक संशोधन है। क्या आप उसे पेश कर रहे हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान, मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं;

'कि कतिपय मामलों में निर्धन व्यक्तियों को नि:शुल्क विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 11 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री सतीश अग्रवाल
(2) श्री जेवियर अराकल
(3) श्री सोमनाथ चटर्जी
(4) श्री एडुआर्डो फैलीरो
(5) श्री हरिकेश बहादुर
(6) श्री वृद्धि चन्द जैन
(7) श्री जगन्नाथ कौशल
(8) श्री के० मालन्ना

(9) श्री राम विलास पासवान

(10) श्री रामावतार शास्त्री; और

(11) श्री मूल चन्द डागा

और उसे 30 अक्तूबर, 1982 तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव और संशोधन सभा के समक्ष हैं।

***श्री सैयद मसुदल हुसैन** (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, श्रीमान, मैं श्री एडुमार्डो फैलीरो के निःशुल्क विधिक सेवा विधेयक का समर्थन करता हूं। परन्तु मैं स्पष्ट करदूं कि विधेयक को मेरा समर्थन विधेयक की भावना तक सीमित है, क्योंकि वर्तमान रूप में प्रस्तुत विधेयक में कुछ ऐसे उप बन्ध हैं जोकि हम समझते हैं उन निर्धन लोगों की सहायता नहीं करेंगे। जिनके लिए कि यह पेश लाया गया है। अन्यों की तुलना में हम इस बात को अधिक अनुभव करते हैं कि किस प्रकार कृषि मजदूरों, वर्गदार, छोटे किसान आदि भूस्वामियों के हाथों दबाये जाते हैं क्योंकि वे लोग हमारी व्ययसाध्य विधि व्यवस्था में निर्धन होने के कारण आपेक्षित भारी व्ययों का भार वहन नहीं कर सकते। दुर्भाग्य से विधेयक ध्यान दिलाने के अतिरिक्त अन्य बातों में भटक गया है। मैं विधेयक की धारा 2 की उप धारा (दो) का उल्लेख करता हूँ।, जिसमें निहित है।

"जो यद्यपि उपर्युक्त रूप में निर्धन व्यक्ति नहीं है, किन्तु उसकी व्ययन योग्य वार्षिक आय पाँच हजार रुपए से अधिक नहीं है।"

इस अधिनियम के अधीन बिना संदाय के विधिक सेवा का पात्र होगा

अतः विधेयक के प्रस्तावक के अनुसार वह व्यक्ति जो निर्धन नहीं है परन्तु जिसकी वार्षिक आय पांच हजार रुपए से कम है निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का पात्र होगा। 'व्ययन योग्य आय' की परिभाषा देते हुए विधेयक में कहा गया है :

(क) किसी व्यक्ति की "व्ययन योग्य आय" उसकी वह आय समझी जायेगी जिसमें से-

(I) ऐसी कटौतियां कर ली गई हों जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आश्रितों के भरणपोषण, ऋणों पर ब्याज, आयकर पर अधि-प्रभार, वृत्ति कर, रेटों किराये और अन्य मामलों की बाबत जिनके लिए प्रश्नाधीन व्यक्ति को व्यवस्था करनी चाहिए या करना उचित है, विहित की जायें; और

(II) ऐसी अग्रेतर कमी कर दी गई हो जो उस व्यक्ति को वृत्ति या आजीविका को ध्यान में रखकर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाये।

फिर श्रीमान, आयकर देने वाले व्यक्ति को भी छूट दी गई है। इसका अर्थ है कि जिस व्यक्ति की आय 25000 रुपए है वह भी निःशुल्क विधिक सहायता का पात्र होगा। क्या श्रीमान, आप किसी भी तरह ऐसे व्यक्ति को निर्धन नहीं कह सकते हैं। फिर, विधेयक की उप-धारा (2) में ऐसे व्यक्तियों के वर्ग दिये गये हैं जिन्हें इस कानून से लाभ मिल सकता है। इसमें निहित है कि इन व्यक्तियों को निःशुल्क सहायता दी जाये।

*बंगला में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य;

(ख) भूमिहीन मजदूर;

(ग) छोटे किसान;

(घ) ग्रामीण दस्तकार;

(ङ) ऐसा व्यक्ति जो मुकदमा चलाये जाने के लिए, दंड भुगताने के लिये या अन्यथा जेल में निरुद्ध है;

(च) न्यायालय आदेशों के अधीन अभिरक्षात्मक स्थानों में निरुद्ध व्यक्ति;

(छ) ऐसी महिलाएँ, बच्चे और माता पिता जो ऐसे पारिवारिक विवादों में ग्रंतर्ग्रस्त हो जो उन्हें अपने संसाधनों का उपयोग करने से वंचित करें और इस तरह विधिक सेवाओं का खर्च वहन करने में असमर्थ बनायें ।

यहां तक तो ठीक था परन्तु विधेयक के प्रस्तावक ने इन वर्गों की परिभाषा देते हुए एक विचित्र बात बतायी है । विधेयक के अनुसार छोटे किसान की परिभाषा देखे ।

विधेयक में निहित है :

"छोटे किसान, से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत होगा । जिसके स्वामित्व में या कब्जे में पांच हेक्टेअर से अधिक कृषि भूमि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बाबत अधिसूचना द्वारा विहित की जा सकेगी, न हो ।"

पांच हैक्टेअर का अर्थ है 12½ एकड़ भूमि । यदि इतनी अधिक सम्पत्ति के स्वामियों को इस विधेयक की परिधि में लाया जाता है, तो मैं नहीं जानता कि इसके लाभों से वंचित कौन रहेगा । मुझे विश्वास है कि श्री फैलीरो का वास्तविक आशय पांच एकड़ से है, जबकि उन्होंने पांच हैक्टअर का सुझाव दिया है, क्योंकि पांच हैक्टअर भूमि के स्वामी ही तो वास्तव में अपराधी हैं जोकि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं देते, वे वर्गदारों से भूमि खाली करा लेते हैं उन्हें किसी भी तरह छोटे किसान नहीं कहा जा सकता । वास्तव में इसमें व्यवस्था 5 एकड़ की होनी चाहिए ।

श्रीमान, मैंने विधेयक की कमियाँ दर्शाने की चेष्टा की है और यदि यह कमियां न होतीं तो मुझे विधेयक को पूर्णरूपेण समर्थन देने में कोई संकोच न होता ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यहां पर यह 5 हैक्टेअर कहा गया है। यह एक भूल है । फिर भी, वास्तव में मैं विधेयक को पारित किये जाने का आग्रह नहीं करता । यह मात्र वाद-विवाद करने का एक ढग है । हम चाहते हैं कि सरकार हमें बताये कि क्या वह इस बारे में व्यापक विधेयक लायेगी ।

***श्री सैयद मसुदल हुसैन** : हम भी जानते हैं कि इस विधेयक का क्या होगा । हम चर्चा के लिए चर्चा कर रहे हैं ।

श्रीमान, जैसा कि मैं बता रहा था हम चाहते हैं कि देश के निर्धन लोगों को नि:शुल्क विधिक सहायता दी जानी चाहिए क्योंकि हम जानते हैं कि न्यायालयों में उन्हें किस प्रकार तंग किया जाता है उनका कैसे शोषण किया जाता है और किस प्रकार वे वास्तविक व्यय से वंचित

*बंगला में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

रह जाते हैं तथा उन्हें मौन रहकर सहना पड़ता है। यदि इन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला कोई विधेयक लाया जाता है तो हम इस पर पूरा सहयोग देंगे। विधेयक में निहित दोषों के कारण, हम केवल उसकी भावना का समर्थन करते हैं।

प्रो. एन. जी. रंगा (गुंटूर) : सभापति महोदय, हम सामान्य तौर पर इस विधेयक के सिद्धांत के पक्ष में हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी पहले ही बहुत स्पष्ट कर चुके हैं, उन्हें यह आशा नहीं है कि विधेयक वर्तमान रूप में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा : अथवा इसे सिद्धांत के तौर पर बाद में चयन समिति आदि के पास भेजा जायेगा लेकिन वह चाहते हैं कि इस विधेयक के उद्देश्य की सरकार को प्रशंसा करनी चाहिए और उसे स्वीकार करना चाहिए। मेरे माननीय मित्र यह भी जानते हैं कि सरकार हमारे देश में गरीब लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता देने के लिए वचनबद्ध है तथा 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले भी और अब भी सरकार ने देश को आश्वासन दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों तथा उसी भांति नगरों में रहने वाले गरीबों में श्रम कानूनों, भूमि कानूनों तथा औद्योगिक श्रम कानूनों के अनुसार उनके अधिकारों के प्रति चेतना पैदा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। सरकार यह क्या कर रही है ? इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे कानून मन्त्री पिछले दो वर्षों से हमारे वकीलों को प्रोत्साहित करने और उन्हें प्रेरित करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं कि वे आगे बढ़ें और हमारे न्यायालयों में गरीब लोगों के झगड़ों का निपटान करने के लिए, यदि संभव हो तो, मुफ्त अथवा रियायती फीस पर अपनी सेवाएँ प्रदान करें। यह एक लोकप्रिय और नियमित अभियान बनाया जाना चाहिए। युवा कांग्रेस (आई) ने इसे स्वीकार किया है और मुझे विश्वास है कि अन्य राजनीतिक दलों को युवा लोग भी इस अभियान को चलाने के लिए उसी भाँति उत्सुक होंगे। लेकिन अब तक प्रत्येक राजनीतिक मंच से वे जो कुछ भी कर रहे हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। सभी राजनीतिक दल इस सिद्धांत, इस लक्ष्य के नीति वचनबद्ध हैं लेकिन दुर्भाग्य से अधिक पर्याप्त काम नहीं किया जा रहा है। हमें यह आशा करनी चाहिए कि वे इस पर अधिक विचार विमर्श करेंगे, तथा राष्ट्रीय मतैक्य बनाने का प्रयत्न करेंगे और हमारी जनता की इस बड़ी आवश्यकता के प्रति जागरूकता लाएंगे।

मेरे माननीय सहयोगी ने यह सुझाव दिया है कि गाँवों में न्याय पंचायत होनी चाहिए, तथा साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यदि हम इन पंचायतों को स्थानीय चुनावों की दया पर छोड़ दें जो कि जातिवाद से ग्रस्त लोग हैं—जरूरी नहीं कि वे धनी लोग ही हों, बल्कि जातिवाद से ग्रस्त लोग द्वारा भी वे सामाजिक बुराइयाँ की जाने की संभावना है जो कि सदा से ही यहां है और जिसके परिणामस्वरूप हमारी गरीब जनता काफी अर्से से झेल रही है। इसीलिए, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ कि महाराष्ट्र ने इस प्रयोग को छोड़ दिया है तथा यदि अन्य राज्यों में यह प्रयोग करने का प्रयत्न किया गया तो उन्होंने यह सुझाव दिया था कि इन न्याय पंचायतों के सभापति सरकार द्वारा स्थानीय वकीलों में से ही नियुक्त किए जाने चाहिए और अन्य सदस्यों का चुनाव किया जाए। इस तरह की सतर्क दृष्टिकोण अपनाकर हम संभवत: इन न्याय पंचायतों की स्थापना करने का प्रयत्न कर सकते हैं।

इन न्याय पंचायतों की स्थापना से पूर्व हमें साधारण जनता, गरीब लोगों की सहायता करने के लिए वकीलों की आवश्यकता है। उन्हें उन कानूनों की जानकारी नहीं है जो उनके

हित में हैं। यदि वे उन्हें उनके होने का एहसास हो भी तो भी वे उस विधान के प्रकाश में इसके लिए वकालत नहीं कर सकते जो कि हमारे पास अन्य लोगों के लिए हैं जो वकील करने में समर्थ हैं और अपनी सहायता कर सकते हैं। अत: जिला मुख्यालय या ताल्लुक मुख्यालय या इन न्याय पंचायतों में भी मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था करने को सर्वोच्च प्राथमिकता को देनी होगी।

इन गरीब लोगों की सहायता के लिए ऐसे वकील कहां से भर्ती किए जाए। ऐसे कनिष्ट वकीलों की भर्ती नहीं की जा सकती जो गरीब लोगों की तरफ से पर्याप्त तर्क नहीं दे सकते। हमें कुछ शर्तें रखनी होंगी। वर्तमान परिस्थितियों में यदि किसी को न्यायधीश अथवा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अथवा सरकारी वकील नियुक्त किया जाता है तो उसे वकालत का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और यदि किसी को वकालत का अच्छा तजुर्बा है तो वह सरकारी वकील क्यों बनेगा। सामान्यत: ऐसे वकील ऐसा नहीं करते। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे कि क्या ऐसे वकीलों को गरीबों की ओर से वकालत करने के लिए वकील नियुक्त करना उचित होगा, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष तक वकालत की हो तथा न्यायालयों में प्रसिद्धि प्राप्त हो। उन्हें यह प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिए कि जिन वकीलों ने न्यायालय में गरीब लोगों के वकील के रूप में 5 साल तक वकालत की हो उन्हीं में से सरकारी वकील अथवा पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए जाएगे। केवल तभी हमें इसके लिए सक्षम लोग मिल सकेगें तथा वे आवश्यक सक्षमता प्राप्त करने के लिए कठिनाइयाँ भी झेलेंगे। उसके बाद ही सरकार उन लोगों में से ही उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूटर तथा सरकारी वकील नियुक्त कर सकती है। जब तक आप ऐसी कुछ शर्तें नहीं रखते तब तक आपको गरीब लोगों का पक्ष लेने के लिए पर्याप्त वकील नहीं मिल सकेंगे।

अब जब जहाँ तक आय सीमा आदिका संबंध है, यह सरकार पर निर्भर करता है। सरकार किसी विधेयक में—इस विधेयक में अथवा पेश किये जाने वाले किसी अन्य विधेयक में प्रावधान किये बिना समय-समय पर आय सीमा अथवा सम्पत्ति सीमा निश्चित करने की शक्ति अपने पास रख सकती है और यह निश्चित कर सकती है कि उस सीमा तक अथवा उस सीमा से नीचे के लोगों को सरकार आवश्यक संरक्षण प्रदान कर सकती है। हम अभी यहां इस मुद्रास्फीति में सीमा निश्चित नहीं कर सकते। यह विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। और भी कई बातें हैं स्वभावत: रुपए का मूल्य गिरता जा रहा है।

मेरे माननीय सहयोगी समझ रहे थे कि हम केवल गांवों के इन बड़े जमींदारों की बात कर रहे हैं। नगरों के बारे में क्या विचार है ? नगरों में ऐसे मकान मालिक हैं जिनके पास पांच छ: अथवा सात मकान हैं तथा उनके कई किरायेदार हैं जिनका वे अपना शोषण करते हैं। उन लोगों को भी सहायता मिलनी चाहिए। इसलिए उन लोगों की आय अथवा सम्पत्ति की सीमा निश्चित करने का काम सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

एक बात स्पष्ट है कि हम गरीब लोगों को संरक्षण देना चाहते हैं चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों के हों अथवा शहरी क्षेत्रों के हों।

दूसरी बात यह है कि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में वकीलों की अधिक आवश्यकता है क्योंकि शहरों की अपेक्षा गांवों में जातिवाद बहुत अधिक है, जो कि हमारे देश की एक बुराई

है। इसीलिए जितनी जल्दी सरकार इस मामले में विधान बनायेगी, प्रशासनिक कार्यवाही करेगी तथा नियमित और लोकप्रिय अभियान चलायेगी उतना ही हमारे देश के लिए अच्छा होगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सराहनीय विधेयक है। मेरे माननीय सहयोगी, श्री फैलीरो अनावश्यक रूप से निराशवादी थे। इस विधेयक को सदन के सभी पक्षों की ओर से समर्थन मिला है क्योंकि विधेयक का उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय है। महोदय, यदि इस विधेयक का उद्देश्य वास्तव में ही उन लोगों की सहायता करना है जिन्हें न्याय मिलना चाहिए, लेकिन गरीबी और अन्य बाधाओं के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पाता, तो मैं यह कहूंगा कि यही समय है जब कि सरकार को इस देश की सम्पूर्ण न्यायिक प्रणाली की पुनरीक्षा पर गंभीरता से विचार करना होगा। यह न्यायिक सुधार का एक अंश मात्र है कि मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी स्वतन्त्रता के साढ़े तीन दशकों के बाद भी हमारा न्यायिक ढांचा प्रायः वही है और इसमें केवल छोटे-मोटे संशोधन और सुधार ही किए गये हैं।

महोदय, मैं समझता हूं कि वर्तमान न्यायिक प्रणाली मूलतः हमारे समाज के धनी लोगों और निहित स्वार्थ रखने वालों की ही सहायता करती है चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों में हों अथवा शहरों में। और आज यही सबसे बड़ा प्रश्न है, और इसी कारण यह ठीक नहीं कहा गया है कि इस तथ्य के बावजूद भी भूतपूर्व गृह मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के प्रसिद्ध न्यायाधीशों ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि देश की न्यायिक प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है ऐसा नहीं किया गया है। मेरे विचार से इसका कारण यह है कि सरकार इस समय इसे बहुत कम प्राथमिकता दे रही है।

दो आवश्यक और मूल बातों की सरकार ने उपेक्षा की है। एक है शिक्षा प्रणाली तथा दूसरी है न्यायिक प्रणाली। हर समय हम आर्थिक विकास और भूमि सुधार तथा अन्य सामाजिक आर्थिक न्याय पर बल दे रहे हैं। लेकिन जब तक हम अपनी शैक्षणिक तथा न्यायिक प्रणाली में सुधार न कर लें तब तक हम वास्तविक आत्मनिर्भरता नहीं प्राप्त कर सकेंगे और हम देश में सामाजिक-आर्थिक समानता प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

बुनियादी स्तर पर हम आज क्या देख रहे हैं ? मुकदमें किस प्रकार के हैं ? वे या तो दीवानी के हैं, या फौजदारी के हैं या मालगुजारी के हैं। मुझे थोड़े वर्ष केवल 3 अथवा 4 वर्ष वकालत करने का अवसर मिला है। मेरा अपना अनुभव है कि गरीब लोगों को तंग किया जा रहा है। उदाहरण के लिये धारा 109 तथा 110 के अन्तर्गत फौजदारी मामलों में गरीब लोगों को पुलिस सड़कों से पकड़ लेती है और न्यायालयों के सामने लाती है। पुलिस अपनी साधत में यही बात कहती है—यह एक साधतहीन व्यक्ति है। आने-जाने वाले किसी व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है क्योंकि पुलिस को अपना कोटा पूरा करना पड़ता है। उस व्यक्ति को कोई कानूनी सहायता नहीं मिलती और उसे जेल जाकर कष्ट भोगना पड़ता है।

एक बात तो इस प्रकार की परेशानी की है और दूसरी बात आज कल आम है। कुछ लोग एक ऐसे गरीब आदमी के लिए परेशानी पैदा करना चाहते हैं जिसकी किसी से कोई दुश्मनी हो। ऐसे लोग, पटना, जालंधर अथवा दक्षिण के किसी शहर में जाकर वहां शिकायतें दायर

कर देते हैं उस गरीब व्यक्ति को बहुत दूर जाना पड़ता है। इस प्रकार का 'भारत दर्शन' एक तरह से एक घातक 'दर्शन' है। उस व्यक्ति को पूरी तरह शोषित तथा तंग किया जाता है।

हमारी वर्तमान न्यायिक प्रणाली बहुत विलम्ब करने वाली प्रणाली है। यह बात आम-तौर से कही जाती है कि न्याय में देरी का अर्थ है न्याय का न दिया जाना। इसके बावजूद भी वर्तमान भारतीय न्यायिक प्रणाली की एक कमी यह है कि छोटे-मोटे मामलों के निर्णय में भी कई वर्ष लगते हैं—ये मामले सम्पत्ति अथवा अपराध से सम्बन्धित होते हैं और मुवक्किल अपने शत्रु अथवा शोषण करने वाले वकील का शिकार हो जाता है। अन्ततः वह समूची न्यायिक प्रणाली का शिकार बन जाता है। अतः मेरा कहना है कि इस प्रणाली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

सत्तारूढ़ दल की अखील भारतीय कांग्रेस कमेटी को भी वर्षों से इस बारे में जानकारी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नि:शुल्क कानून सहायता सेल का गठन किया था। उन्होंने अखील भारतीय तथा जिला स्तरों पर प्रख्यात वकीलों को इससे सम्बद्ध किया था। इस सब के बावजूद भी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। मैं प्रो. रंगा से आदर सहित अनुरोध करूंगा कि जो भी प्रयत्न किये जाये—चाहे वे गैर-सरकारी हों अथवा स्वेच्छिक—वे सब ही अच्छे हैं। हमारे देश में ऐसा होना चाहिये, लेकिन जब तक हम देश के न्यायिक ढांचे में पूर्णतः परिवर्तन नहीं कर देते उस समय तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

वर्तमान न्यायिक ढांचा क्या है? अधिकांश न्यायालय जिला मुख्यालयों में स्थित हैं—चाहे वे मजिस्ट्रेटों के न्यायालय हों अथवा मुन्सिफ के न्यायालय हों। न्यायिक प्रणाली तथा इसके संगठन के विकेन्द्रीकरण के लिये हमारे प्रयत्नों के बावजूद भी अधिकांश न्यायालय जिला मुख्यालयों में ही हैं। लोगों को 100 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है। आज कल जब कि परिवहन व्यय बढ़ रहा है और वकीलों की फीस बढ़ रही है और न्यायालयों में असख्य मामले अनिर्णित पड़े हैं, ऐसी स्थिति में गरीब मुवक्किल को तंग किया जाता है और उन पर बहुत भार पड़ता है। अतः सरकार को पहले न्यायिक प्रणाली तथा संगठनों को पूरी तरह विकेन्द्रीकरण करना चाहिये। हर तहसील तथा ब्लाक मुख्यालयों में भी माल तथा दीवानी सम्बन्धी न्यायिक ढाँचे का विकेन्द्रीकरण क्यों नहीं होना चाहिये? अतः मैं कहूगा कि यदि हमें न्याय को सर्व-साधारण तक पहुंचाना हैं तो विकेन्द्रीकरण ही इसके लिये सहायक सिद्ध होगा। वह पहली बात है जिसे मैं कहूंगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार को इस बारे में कुछ मार्गदर्शी बातें बतानी चाहिए कि सचमुच किस प्रकार के लोगों की सहायता की जानी चाहिये। बात केवल गरीबी की नहीं है। गरीबी एक महत्वपूर्ण बात हैं, लेकिन कुछ अन्य बातें भी हैं। मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति गरीब भी नहीं है लेकिन उसे गलत प्रकार के मुकदमे दायर करके तंग किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की सहायता की जानी चाहिए। अतः सरकार को दूसरी महत्वपूर्ण बात यह करनी चाहिये कि इसे अपनी जांच-पड़ताल व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। आप की जाँच प्रणाली पुरानी है। ब्रिटेन में हत्या के मामले तक की भी जाँच-पड़ताल की जाती है और अधिक से अधिक दो महीनों के अन्दर सुनवायी पूरी भी हो जाती है। हमारे देश में बात इसके बिलकुल विपरीत है। छोटे-छोटे मामलों में भी कई वर्ष लग जाते हैं। अतः हमें जांच प्रणाली में सुधार करना

चाहिए । यह भी महत्वपूर्ण बात है । मैं आप की जानकारी में एक बात लाउंगा । उदाहरण के लिए साम्प्रदायिक दंगे को ही लीजिए । यह एक लज्जाजनक बात है कि साम्प्रदायिक दंगे अब भी होते हैं । लेकिन क्या सरकार इस बात का उत्तर देगी कि साम्प्रदायिक दंगे के अपराधियों को देश में सजा क्यों नहीं दी जाती ? इसका कारण केवल यही है कि जाँच एजेन्सी कमजोर तथा पुरानी है । मन्त्री महोदय यदि आप वास्तव में सच्चे हृदय से कम से कम कुछ कार्यवाही करना चाहते हैं तो मैं आपका ध्यान कम से कम इस बात की ओर अवश्य दिलाना चाहता हूं । मैं सरकार तथा सत्तारूढ़ दल की निष्कपटता पर सन्देह नहीं करता । हम में से हरेक चाहता है कि साम्प्रदायिक दंगे समाप्त हों । यह उचित समय है जब कि वर्तमान कानून में संशोधन करने और विशेष प्रकार की जांच एजेन्सियां स्थापित करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जो लोग साम्प्रदायिक दंगे के लिए षड़यंत्र बनाते हैं और इन दंगों के लिए जिम्मेवार होते हैं, उनका पता लगाया जा सके, उन्हें पहचाना जा सके तथा उन्हें तीन महीनों के अंदर दंडित किया जा सके जिससे कि इस प्रकार की घटनायें भविष्य में न हों ।

अन्त में, मैं कहूंगा कि अब समय आ गया है जब मन्त्री को कमसे कम इस विधेयक के बारे में इस प्रकार का आश्वासन देना चाहिए । आप अनौपचारिक विचार विमर्श कर सकते हैं । आप सभा की एक प्रवर समिति का गठन कर सकते हैं । वह समिति सभी पहलुओं पर विचार करें । इस प्रश्न पर हम सब एकमत हैं । सभा की एक समिति होनी चाहिए । मैं आप से अनुरोध करुंगा कि सभी पहलुओं पर विचार करने तथा आगामी सत्र के दौरान एक उचित विधेयक लाने के लिए सभा की एक समिति का गठन किया जाये ताकि यह पास हो सके । इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हू ।

सभापति महोदय : श्री जेवियर अराकल ।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : मुझे बहुत खुशी है कि मेरे माननीय मित्र श्री चन्द्रजीत यादव ने एक पहलू अर्थात न्यायपालिका में सुधार पर ठीक ढंग से प्रकाश डाला है । सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग होते हैं; कार्यपालिका, विधान मंडल तथा न्यायपालिका हमारी प्रणाली में एक उचित प्रभाव न्यायोचित सरकार के लिये इन तीनों अंगों को उचित ढंग से काम करना पड़ता है ।

इस विचार पर आने से पहले, देश के उच्चतम न्यायलय में निर्णयाधीन मुकदमों सम्बन्धी आँकड़ों का जिक्र करना बहुत दिलचस्प होगा । 31 दिसम्बर, 1981 को केवल उच्चतम न्यायाल में 22,664 मुकदमे निर्णयाधीन पड़े थे जिनमें से 16,789 एक वर्ष से अधिक पुराने हैं । यदि आप उच्च न्यायालयों के आँकडे भी लें तो आप देखेंगे कि आंकडे आश्चर्यजनक हैं । उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय में कुल निर्णयाधीन मुकदमों की सख्या 7,79,192 है जिनमें से 5,19,935 मुकदमे एक वर्ष से अधिक पुराने हैं । ये मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में निर्णयाधीन पड़े हैं । इसका एक दूसरा पहलू भी है केवल उच्चतम न्यायालय में ही स्वीकृति तथा विविध मामलों सम्बन्धी कुल मामले दिसम्बर, 1981 में 60,264 से अधिक थे । अतः जो कुछ यादव जी ने कहा वह बिल्कुल ठीक है । यदि आप इस बारे में ईमानदार हैं तो आपको न्यायपालिका में सुधार पर ध्यान देना होगा । सरकार को विभिन्न न्यायालयों के निर्णयाधीन मुकदमों की संख्या कम करने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए । उच्चतम न्यायालय में दो

स्थान रिक्त हैं। उच्च न्यायालयों में 70 से अधिक स्थान रिक्त हैं। जब तक ये स्थान भरे नहीं जायेंगे और मुकदमे शीघ्र नहीं निपटाये जायेंगे उस समय तक निर्णयाधीन मामलों की संख्या में कमी करना सम्भव नहीं होगा।

एक प्रश्न के उत्तर में, मुझे उत्तर मिला है कि 1,63,542 से अधिक लोग जेलों में हैं। जिन लोगों पर मुकदमें चल रहे हैं, उनकी संख्या 1,05,562 है। 6 महीने से कम अवधि से नजरबंद जिन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, उनकी संख्या 87,895 है। 6 महीने से अधिक अवधि से नजरबन्द जिन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, उनकी संख्या 17,667 है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? यह देखना किसकी जिम्मेदारी है कि न्याय उचित ढंग से उचित समय के अन्दर ही यह देखना हमारा उत्तरदायित्व है कि न्याय उचित ढंग से तथा उपयुक्त समय के अन्दर कर दिया जाये। तीन समितियाँ थीं . 27 मई, 1973 को न्यायपूर्ति श्री कृष्ण अय्यर ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। फिर 31 अगस्त, 1977 को न्यायपूर्ति श्री भगवती ने भी एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। 26 सितम्बर, 1980 को एक अन्य समिति का गठन किया गया था। सरकार ने इस संबन्ध में क्या किया है ? कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ? विवाह तथा दुर्घटना सम्बन्धी कुछ मामलों की ओर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्यकता होती है। गरीब लोग अधिक न्यायालय शुल्क के कारण न्यायालय नहीं जा सकते। इन सब बातों का कानूनी सहायता तथा कानूनी प्रणाली से सम्बन्ध है। इन्हें कानूनी सहायता से पृथक नहीं किया जा सकता। अतः इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

जब हम ये सब बातें कहते हैं तो उत्तर स्वभावतः यही होगा कि क्रियान्वयन की जिम्मेवारी राज्यों पर है। यही मानक उत्तर दिया जायेगा। यदि आप राज्य सूची, सूची II, देखें तो आप उनमें कुछ ऐसी प्रविष्टियां पाएंगे जिनमें राज्यों को इसे करने का अधिकार प्राप्त है। यदि आप समवर्ती सूची को देखें तो उसमें कुछ ऐसी प्रविष्ठियां हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय सरकार को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। अतः मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उत्तर में यह बताएंगे कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या किया है। इस बारे में 18 अगस्त, 1981 को एक अतारांकित प्रश्न संख्या 380 था।

प्रश्न इस प्रकार है :

"क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान 'निर्धन व्यक्तियों को विधिक सहायता' के लिए कितना धन निश्चित किया गया था तथा यह धन किस प्रकार, कहां तक किन-किन स्तरों पर व्यय किया गया; और

(ख) वर्ष 1981-82 के लिए कितना धन रखा गया है, इसमें से कितना धन पहले ही वितरित कर दिया गया है और इसे खर्च करने के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है।

उत्तर इस प्रकार है :

"(क) वर्ष 1980-81 के दौरान निर्धन व्यक्तियों को विधिक सहायता के लिए बजट में 25 लाख रुपये का उपबन्ध था। व्यय के ब्यौरे इस प्रकार हैं।

(1) वेतन	7767.30 रुपये
(2) यात्रा व्यय	7986.00 रुपये
(3) विधिक सहायक स्कीम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय को स्थापित करने के सम्बन्ध में व्यय	1,10,977,31 रुपये
(4) सहायता अनुदान	50,000-00 रुपये

(ख) 1981-82 के लिए बजट में 50 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है। तारीख 31-7-1981 तक 10,518-87 रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

इससे स्पष्ट हो जायेगा कि योजना में क्या किया जा रहा है। मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। केन्द्रिय सरकार द्वारा इस बात पर गम्भीरता से विचार किये जाने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं कि संवैधानिक उपबन्धों, योजना और इसके कार्यान्वयन आदि की मंत्री महोदय को भली भांति जानकारी है।

संक्षेप में, मैं यही कहूंगा कि एक व्यापक प्रणाली बनाई जानी चाहिये। मौजूदा कानूनी सहायता प्रणाली को नया स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए और इस योजना के अधीन आवंटित धनराशि जरुरतमंद और सुपात्र लोगों पर व्यय की जानी चाहिए।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : मैं श्री एडुआर्डो फैलीरो को बहुत धन्यवाद देता हूं इस बिल को लाने के लिए और जिस स्पिरिट के साथ वह इसको लाए हैं उसको बहुत अच्छा समझता हूं। उनके बिल में कुछ कमियां जरूर हैं जिनको मैं चाहता हूं कि दूर कर लिया जाना चाहिये। उन्होंने पांच हैक्टर की बात रखी है। मैं चाहता हूं कि हैक्टर के स्थान पर अगर वह एकड़ कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि जो इनकम टैक्स पे करता है उसको लीगल एड मिलनी ही नहीं चाहिए। कौन इनकम टैक्स पे करता है? वही करता है जो गजेटिड अफसर है या अमीर है। उसको यह मिलनी ही नहीं चाहिये। उसका सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए।

अगर आप सही मानों में गरीबों की सहायता करना चाहते हैं तो लैंड रिफार्म जो ऐक्ट हैं उनको आपको नवें शैड्यूल में शामिल कर लेना चाहिये। इससे उनकी आटोमैटिक्ली सहायता हो जाएगी। हरिजन आदिवासी को आप जमीन एलाट करते हैं। कागजों पर तो हो जाती है लेकिन एक्चुअली उनको कभी मिलती नहीं है क्योंकि अमीर आदमी पहले छोटी अदालतों में और फिर बड़ी में और सुप्रीम कोर्ट तक में जाते हैं और उस गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता है कि वह वकील करके मुकदमा लड़ सके।

जिन वकीलों से आप सहायता लेना चाहते हैं उस पैनल में जो वकील हों उनमें आप हरिजन और आदिवासी वकीलों को भी रख लें। अब तो हरिजन आदिवासी वकील भी हर जगह मिलने लगे हैं। इससे उनकी भी सहायता हो जायेगी और जिन लोगों की आप सहायता करना चाहते हैं उनकी भी सहायता हो जाएगी। वर्ना नाम के लिए तो आप वकील कर देंगे और होगा कुछ नहीं। हर फौजदारी मुकदमें में सरकारी वकील होता है और उनकी जो हालत होती है वह आपको मालूम ही है। हरिजन आदिवासी वकीलों को केस जाएंगे तो ईमानदारी से वे इन लोगों की मदद भी करेंगे और इससे कुछ सहायता उनकी भी हो जाएगी।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : दोनों तरफ हैं।

श्री सूरजभान : अगर इस लिहाज से भी लें तो शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के जो लायर हैं उनको कुछ केस मिल जाएंगे।

न्याय पंचायत का जो कंसेप्शन है, पहले गांव की पंचायत पर लोगों की बड़ी श्रद्धा होती थी। वह कहते थे कि अदालत में भले ही झूठ बोलो, लेकिन पंचायत में न बोलो। आज वह हालत नहीं है। अगर पहले वाली पंचायतें रिवाइज हो जायें तो अच्छा है, वरना वर्तमान कंसेप्शन न्याय पंचायत का देहातों में न पहुंचे। मैं समझता हूं कि जुडिशियल रिफोर्म्स के लिए जैसे जमीन के केसेज हैं, मिनिमम वेजेज के केसेज हैं, और जितने भी लेबर लाज हैं, उनमें गरीब लोग ही इन्वाल्व्ड होते हैं। आपके जो जजेज बैठे हुए हैं उनको लेबर लाज के बारे में कोई वाकफियत नहीं है। इस तरह के केसेज को खासकर जमीन के केसेज को 9वें शैड्यूल में शामिल कर दें तो अच्छा रहेगा जैसा मूंबर ने कहा है कि यह बातें दावात से निकल कर कागज तक बहदूद न रह जाये, इसको इमप्लीमेंट करें तभी लाभ हो सकता है। कुछ केसेज ऐसे भी हैं गरीब हरिजन हैं उसके नाम गिरदावरी है और पटवारी ने दूसरे से रिश्वत लेकर दूसरे के नाम लिख दी है, तो ऐसे केसेज में, मिनियम वेजेज और ऐट्रोसिटीज के केसेज हैं इनमें तो सहायता मिलनी ही चाहिए। सरकार ने आर्डर्स किये हैं कि स्पेशल कोर्ट्स ऐस्टेबलिश किये जायें। हमने भी मांग की थी। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। राजस्थान में कोटा में एक स्पेशल कोर्ट ऐस्टेबलिश हुई और इस नाम पर कि जिन केसेज में हरिजन आदिवासी इन्वाल्व्ड हैं उस जिले के सारे केसेज कोर्ट में ट्रांसफर कर दिये गये नतीजा यह हुआ कि उन गरीबों को 100, 150 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। तो ऐसे स्पेशल कोर्ट्स से क्या फायदा? इन कोर्टस को मूविंग बनायें ताकि ब्लाक लेविल तक जायें और उनका न्याय दे सकें। माननीय चन्द्रजीत यादव कह रहे थे कि दूसरे प्राप्त में जाकर केस दायर कर देते हैं जिससे गरीब परेशान होते हैं। इसलिये इस बिल की जो स्पिरिट है वह ठीक है और उसको सही माने में इमप्लीमेंट किया जाये।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : चेयरमैन साहब, यह लीगल एड जो है इसका मुझे बहुत तजुर्बा है क्योंकि मैं पंजाब में 30 साल एम. एल. ए. रहा हूं, और जितने केसेज होते थे लैंडलैस टेनेन्टस के वह मेरे पास जाते थे। और लीगल एड के लिए स्टेट में भी 4, 5 हजार रखते थे मगर किसी को एक पैसा भी नहीं मिलता था और वकील जो मिलता था वह ऐसा जो इनइफेक्टिव होता था, जिसको कहीं और कोई काम नहीं मिलता था। ऐसा वकील होता था। अगर वह कहे कि यह वकील कमजोर है तो वह कहते थे मुकर्रर कर दिया है इसको ही करना है। तो जो कमजोर वकील होते थे वह अच्छे वकील के सामने नहीं खड़े हो सकते हैं। यह मेरा तजुर्बा है पंजाब में लीगल एड का जिनको कुछ नहीं मिलता है, उनको कुछ पैसे मिल जायेंगे, और कोई फायदा नहीं होता है। कोई इफैक्टिव वकील तो यह काम करता नहीं है। स्पेशल कोर्टस बनालो "भला क्या कर सकें इलाजे नातिवानी का, पकड़ते हैं अगर बाजू यहां शाने उतरते हैं। यहां लेक्चर बड़ा शानदार हर आदमी करता है, और यादव साहब भी कर गये।...मगर यादव साहब के आदमी तंग करते हैं, सारे वही मालिक हैं। पमा नहीं गरीबों का नाम ले लेकर यहां सारी बातें क्यों करते हैं?

इस बिल के मूवर तो बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर मैं कहता हूं कि जितने लैंड के

मुताल्लिक केस होते हैं, वहां लैंड रिफर्म बिल्कुल सही नहीं है। गिरदावरियाँ ठीक नहीं हैं। उसको कोई क्या करेगा जिसकी गिरदावरी ठीक न हो, पटवारी होने ही नहीं देता तो उसमें आप क्या करेंगे ?

पंजाब में तो हम तगड़े हैं। यह जो जाट हैं ये मर जायेंगे लेकिन जमीन का टुकड़ा नहीं देंगे, चाहे आप जिसे वकील कर लो। नाम लैण्ड रिफार्म का है, लेकिन कौन करेगा ? क्या हमारे राव वीरेन्द्र सिंह करेंगे, या चेयरमैन साहब करेंगे हैं ? बड़े बड़े लैंडलार्ड यहां बैठे हुए हैं उसी तरह से उनकी जमीन है। लैंड रिफार्म का कोई काम नहीं चल रहा। आपने कहा कि लैंड देंगे। किसके पास लैंड है ? सबने अपने बच्चों के नाम बच्चियों के नाम कुत्तों के नाम और पिल्लों के नाम कर रखी है। इसमें लीगल एड क्या करेगी ? यहां तो जूते वाला आदमी चाहिए, जो सब को सीधा कर दें। यह कोई नहीं करना चाहते हैं, यों ही लैक्चर करते हैं, अमल किसी ने करना नहीं है। करना है तो जो बेइसाफी होती है, वह अपने इलाके में जाकर क्यों नहीं पकड़ते ?

जहां कत्ल होता है, वहाँ होम मिनिस्टर को एट दी स्पाट जाना चाहिए। जब मैं मिनिस्टर था पंजाब में तो किसी ने शिकायत की कि मेरी जमीन छीन ली मालिक ने। मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं शाम को मैं पहुंचा फरीदकोट। मैंने कहा कि क्या हाल है, वह हरिजन कहता है कि जमीन मिल गई है। मैंने एस. एस. पी. को कहा कि मैं आ रहा हूं, अगर एट दी स्पाट जाए तो कैसे कोई कत्ल हो सकता है ? अफसर उनके साथ मिले हुए होते हैं। इसलिए गरीबों का नाम लेना योंही बातें करना है। अगर कोई गलत बात मेरे सामने आती है तो मुझे आग लग जाती है। तमिलनाडु में क्या हो रहा है ? गरीबों को कहीं कोई नजदीक नहीं आने देता और चपरासी से कोई पानी नहीं पीता

एक माननीय सदस्य : घंटी बज रही है।

श्री सुन्दर सिंह : घंटी तो बजती रहती है। मैं अपनी बात कह लेता हूं। जब ये चेयरमैन आते हैं तो मैं खुश होता हूं। ये मेरे से डरते हैं, मुझे टाइम दे देते हैं।

जिसका महकमा है, उस मिनिस्टर को जाना चाहिये, अगर वह नहीं जाता है तो उसका कसूर है। एक्साइज और लेवर मेरे पास थे। उसकी तरफ मैं देखता नहीं था। सारे लोग मेरे से डरते थे मैं उनको ठीक कर देता था। मैं सोचता था कि यह तो हो ही जाना है, क्योंकि मैं बैठा हूं, बाकी महकमों की तरफ मैं ज्यादा ध्यान देता था।

भाषण वह करते हैं जो तंग करते हैं। उसके दिमाग अच्छा होता है, लैक्चर शानदार कर सकता है, गरीब को तो बोलना भी नहीं आता है।

यह बिल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे इस बात का एतबार नहीं है कि इसपर अमल किया जा सकेगा। आज ड्यूटी में बहुत स्लैकनेस आ गई है। फल के प्रति मोह न रखते हुए जीवन के किसी भी चरण में कर्तव्य का भली-भांति परिपालन हमें आत्मा की पूर्णता की प्राप्ति के सर्वोच्च शिखर तक ले जाता है। (स्वामी विवेकानन्द)

इडिपेंडेन्स के बाद हिन्दुस्तान में यह हालत हो गई है कि कोई भी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, कोई अपने फर्ज की परवाह नहीं करता है। इसी लिए रेलों के एक्सिडेंट होते हैं। जरूरत इस बात की है कि ऊपर से लेकर नीचे तक जिन लोगों के सुपुर्द कोई काम हो, उन्हें ठीक किया

जाए। ऐसा करने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे, एक रेलवे मिनिस्टर को हटा दिया। चेयरमैन को भी हटा दें। जब एक मिनिस्टर बदला जाएगा, दूसरा मिनिस्टर बदला जाएगा, तब लोग ज्यादा अच्छी तरह काम करने लगेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री फैलीरो, ने जो बिल प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। इस बिल में इस प्रकार का प्राविजन है कि जो गरीब लोग कानूनी कार्यवाही के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते, उनको कैसे सहायता दी जाए। लैंड रिफार्म्ज के पीछे हमारा मुख्य ध्येय है गाँवों के गरीब लोगों की सहायता करना कांग्रेस का भी मुख्य ध्येय है कि लैंड रिफार्म करके बड़े-बड़े कुलाक्स और जमींदारों के पास आज भी कई-कई हजार बीघे जो जमीन है—चौधरी साहब ने अभी बताया है कि पिल्लों और घोड़ों तक के नाम पर जमीन है—कानूनी व्यवस्था कर के उस जमीन को गरीबों में बांट दिया जाए। राजस्थान में राजा-महाराजाओं की प्रथा थी, जागीर-प्रथा थी। कांग्रेस ने उन दोनों प्रथाओं को समाप्त किया और राजाओं महाराजाओं तथा जागीरदारों की जमीन को गरीब किसानों में बांटने की व्यवस्था की इस स्थिति में जागीरदारों और सामन्तों में इसके प्रति रोष होना स्वाभाविक था।

सभापति महोदय (चिन्तामणी पाणिग्रही) : मुझे आशा है कि आप अगली बार बोलेंगे। अब सभा में आधे घन्टे की चर्चा होगी।

आधे घन्टे की चर्चा

कोटा परमाणु बिजली घर का बन्द होना

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, मैंने 15 दिसम्बर, 1980 कोटा अणु बिजलीघर की इकाइयों की अव्यवस्था के बारे में आधे घन्टे की चर्चा उठाई थी और राज्य मंत्री जी ने, जो सदन में विराजमान हैं, उसका जवाब दिया था। पहले मैं उनके जवाब की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—

> "माननीय सदस्य द्वारा इस विषय की ओर बार-बार ध्यान दिलाने के लिये मैं उनका आभारी हूं। इस संयन्त्र में चाहे कोई खराबी रही हो, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं उसका पता लगाया गया परन्तु राजस्थान ग्रिड की व्यवस्था को सुधारना होगा और उसका आधुनिकीकरण करना होगा क्योंकि हमारी आवृति में घट बढ़ होती रहती है। यह बात परमाणु संयन्त्र के नियन्त्रण से बाहर है।"

उसके बाद प्रथम इकाई, जिसके बारे में मैंने विशेष ध्यान आकर्षित किया था उसकी ओर भी अधिक दुर्गति हुई है। मैंने इस सम्बन्ध में 24-12-82 को प्रश्न पूछा था। इकाई न०(1) 300 डेज में 198.6 डेज बन्द रही। जो जानकारी उत्तर में दी गई है उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। कोई भी महीना ऐसा नहीं रहा जबकि यह इकाई बन्द न रही हो। सन 1981 में 18 आउटेजेज, ब्रेकडाउन्स हुए हैं।

इकाई न० (2) की स्थिति भी अच्छी नहीं रही है। अब स्थिति यह है कि एक महीने से वह भी बराबर बन्द है। कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा जबकि ईकाई न० (2) बराबर चली हो। उसमें बार-बार आउटेजेज और ब्रेकडाउन्स होते रहे हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इस प्रकार से हमारे अणु बिजली घर चलेंगे तब किस प्रकार से काम चलेगा। राजस्थान की स्थिति तो और भी ऐसी है जिसमें वह अणु बिजली घरों पर अधिक निर्भर करता है। हमारे राजस्थान की इंस्टाल्ड कैपेसिटी जो है 1140 मेगावाट है उसमें 440 मेगावाट की कैपेसिटी अणु बिजली घरों की है। जहां 45 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति इन अणु बिजली घरों से हो और उनकी ऐसी दुर्गति हो रही हो तो उस राजस्थान प्रांत की दुर्गति भी होनी ही है। किस प्रकार से हमारा राजस्थान प्रांत प्रगति कर सकेगा? हमारे राजस्थान में चार साल से अकाल की स्थिति है जिसको बिजली आपूर्ति में होने वाली कमी ने और विकराल रूप दे दिया है। हमारे प्रदेश के अधिकांश उद्योग ठप्प पड़ गये हैं। बिजली की कटौती भी काफी लागू की गई है। नान-प्रायर्टी सेक्टर में तो सौ परसेन्ट तक कटौती की गई है प्रायर्टी सेक्टर्स में 70 परसेन्ट की कटौती लागू है। एग्रीकल्चर में अगर चार घंटे बिजली मिलती भी है तो केवल रात में। 50 परसेंट की कटौती एग्रीकल्चर सेक्टर में की गई है। आज इस प्रकार की स्थिति राजस्थान प्रदेश में है। इस प्रकार की स्थिति के चलते राजस्थान प्रदेश की स्थिति में सबसे ज्यादा ओवर-ड्राफ्ट राजस्थान का ही है—324 करोड़ का। आज अगर वहाँ पर उद्योग धन्धे नहीं चलेंगे तो किस प्रकार से राज्य सरकार की रेवेन्यु बढ़ सकेगी? किस प्रकार सेल्स टैक्स की आमदनी हो सकेगी? इसी तरह से अगर एग्रीकल्चर प्रौडक्शन नहीं होगा तो प्रदेश की रेवेन्यूज कैसे बढ़ेंगी?

आज हमारे ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता है कि यह सब ग्रिड फ्लकचुएशन्स के कारण हो रहा है लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है। आपका डिपार्टमेंट आपको धोखा दे रहा है। आज अणु बिजली घर कंवरेटिवली थर्मल प्लान्ट से, ज्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं बशर्ते कि वह अच्छी तरह से चल सकें। लेकिन वह अच्छी तरह से चलते ही नहीं हैं। आज राजस्थान प्रदेश तो वैसे ही सारे देश में सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है और उसमें भी जिस क्षेत्र से मैं यहां पर आता हूं, वह और भी अधिक पिछड़ा हुआ है। बाड़मेर जैसे क्षेत्र में ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें विद्युत के सहारे चलती है।

विद्युत के बन्द होने से हमको पीने का पानी नहीं मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी नहीं मिलता है। अकाल की स्थिति की वजह से अनाज पैदा नहीं हुआ, वहां जानवरों के लिए चारा नहीं है, घास नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की विषम परिस्थितियां हैं और जिस प्रकार आपका डिपार्टमेंट कार्य कर रहा है। डिपार्टमेंट बतलाता है कि इन-इन कारणों से हमारा अणु बिजली घर नहीं चल रहा है। माड्रेटर हीट एक्सचेंजर की कुछ ट्यूबों में माड्रेटर की जो फर्स्ट इकाई है, उसको आपको बदलना पड़ा है। जिसको कि आपने कनाडा से प्राप्त किया है। लेकिन आपने यह नहीं देखा कि कनाडा से अणु बिजली घर बनेंगे या नहीं और जो मशीनरी प्राप्त हुई, वह मशीनरी डिफैक्टिव मशीनरी थी या नहीं? हमारे वैज्ञानिक यह जानकारी नहीं कर सकें कि हम जो चीज ले रहे हैं और हमारा अणु बिजली घर जो बन रहा है, वह इस प्रकार का तो नहीं बन रहा है जिसकी मशीनरी काम की न हो।

अनुपयोग काल के कारण अनेक बातों के कारण उत्पन्न हुए जिन में ग्रिड में बाधा, उपकरण की खराबी तथा मानवीय त्रुटियों जैसे कारणों सहित निम्नलिखित भी हैं :

1 माड्रेटर हीट एक्सचेंजर की कुछ ट्यूबों में से माइक्रो का निकलना।
2· टरबाइन ब्लेडों में खराबी।
3. सवेदनशील सुरक्षा प्रणाली।
4. वाल्वों में थोड़ा बहुत स्राव
5. टरबाइन जेनेरेटर (दूसरा सर्किट)
6. ठडे पानी के स्राव की समस्या
7. ट्यूबों और रिएक्टरों का रिसना
8. बार-बार रिसना
9. नियन्त्रण प्रणाली के अच्छी तरह कार्य न करने से रिएक्टर का रिसना।
10. राजस्थान ग्रिड प्रणाली

आपकी प्रथम इकाई चार महीने-अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर और जनवरी-बिल्कुल बन्द रही। उसको ठीक करने का प्रयास तो किया, फिर वह आठ दिन चली और आज वह बन्द है। दोनों इकाइयां आज बन्द है। उधर हमारे राजस्थान के मत्री ने आश्वासन दिया है कि हम चार घण्टे से छः घण्टे बिजली बढ़ा देंगे और अब यह आश्वासन कैसे पूरा होगा ? मैं आपको आज के दिन यह जानकारी दे रहा हूं कि दोनों बिजली घर आज बन्द हैं। इन परिस्थितियों में आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम आगे तरक्की कर सकते हैं। इसी संबंध में राज्य सभा में भी तीन दिसम्बर को सवाल उठाया गया था। वहां पर भी आपका ध्यान आकर्षित किया गया था, परन्तु इस सबध में कोई भी तरक्की, कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। इन दोनों इकाइयों के बन्द होने से एक अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। इस अनिश्चितता की स्थिति को ठीक करने के लिए, मेरा सुझाव है कि आप इस संबंध में एक हाई-पावर टेकनीकल कमेटी बनायें, जो यह विचार करें कि ये त्रुटियां क्यों होती हैं। वह इस सबध में पूरी रिपोर्ट दे और फिर उन इकाइयों को ठीक किया जाए।

प्रथम इकाई के में मैं कह सकता हूं कि इस बारे में इतना अनुभव कनाडा को भी नहीं है और दूसरी इकाई तो आपने तैयार की है, वह भी एक महीने से बन्द है। क्या आप इस संबंध में जानकारी देने का कष्ट करेंगे ? इस सम्बन्ध में पहले भी मैंने मंत्री महोदय से अनुरोध किया था कि वे खुद जाकर मौके पर देखें कि वहां क्या खराबी है। क्या वहां वैज्ञानिकों की कमजोरी है, कर्मचारियों की कमजोरी है, क्या वहां ऐसे कर्मचारी जो नहीं हैं, जो गैर-जिम्मेदाराना तरीके से काम करते हैं ? वे वहां जाकर देखें और इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश करें। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी भी उस सिस्टम को देखने के लिए गए, आप ने किसी भी तरीके से कोई सहयोग दिया या मदद की ? इस सम्बन्ध में आपको पूर्णतया स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे अणु बिजली घरों की स्थिति जिस प्रकार की है मैंने उसका विस्तार से विवरण दिया है। इस संबध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह महकमा प्रधान मंत्री जी के अण्डर में है। जो महकमा उन के अण्डर में हो और उसकी यह दुर्गति हो तो यह हमारे लिये बहुत शर्म की बात

है, बहुत लज्जाजनक बात है। आज हम से ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा जाता है—यह विभाग प्रधान मंत्री जी के अण्डर में है, फिर भी बिजली घर की यह हालत है, इसकी व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं होती है—यह हमारे लिए डूब मरने की बात है। यह हमारे लिये बहुत गम्भीर चिन्तन का विषय है और मैंने जो शब्द कहें हैं वे बिलकुल हृदय से कहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस समस्या का तुरन्त हल हो तथा कुछ परमानेन्ट साल्यूशन हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इन अणु बिजली घरों को ठीक करने के लिए, इनको सुधारने के लिए, बजट में क्या प्रावीजन कर रही है तथा क्या व्यवस्था कर रही है ? ये कब तक ठीक हो जायेंगे तथा कब तक इन का परमानेन्ट साल्यूशन हो सकेगा ? इन के बारे में पूरी तरह से प्रकाश डालें।

विज्ञान और प्रोद्योगिकी इलैक्ट्रोनिकी तथा पर्यावरण और महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : सभापति महोदय, इस मामले को पुनः एक बार सभा के समक्ष लाने के लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। उन्होंने ठीक कहा है कि पिछले वर्ष 1980 में उन्हें इस मामले को आधे घंटे की चर्चा के रूप में उठाने का अवसर मिला था। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि परमाणु शक्ति रिएक्टर और विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह एक अत्यन्त उच्च प्रोद्योगिकी का क्षेत्र है जिस के लिए हमें अपने वैज्ञानिकों और प्रोद्यो कीविदों पर गर्व है जिनके कारण हमें यह उपलब्धि प्राप्त हुई है और हम विश्व के कुछ सर्व श्रेष्ठ देशों के समकक्ष हो गये हैं।

पहला रिएक्टर आर. ए. पी. एस.-I कनाडा के सहयोग से लगाया गया था। इसके लिए कनाडा से सहायता और मशीनरी ली गई थी। जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने कहा है यह भी लगभग एक अग्रिम परियोजना थी क्योंकि उस समय विश्व भर में विद्युत उत्पादन हेतु परमाणु प्रौद्योगिकी आज के समान आधुनिक नहीं थी। यह रिएक्टर कनाडा के डगलस पाइंट रिएक्टर के समान है और उसी के समान इसकी क्षमता है। कनाडा में ये इसे पायलट परियोजना कहते हैं। उन्होंने इसे हमारी भांति इसका वाणिज्यिक स्तर पर परिचालन नहीं किया, परन्तु जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने कहा है हमारे ऊपर राज्यों के पिछड़े इलाकों के लिए, उनकी दशा सुधारने हेतु विद्युत की आवश्यकता का दबाव पड़ा और इसलिए हमने इसका वाणिज्यिक स्तर पर परिचालन किया और इसके परिचालन के दौरान हमने इसकी प्रक्रिया को भी जाना और आर. ए. पी. एस.-II हमारे प्रोद्योगिकीविदों, इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की प्रवीणता का प्रमाण है। परन्तु मुझे विश्वास है कि यह माननीय सभा इस बात को स्वीकार करेगी कि इस प्रकार के प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक कठिनाइयां आती हैं। जहां तक हमारे टरबाइन ब्लेडों का संबंध है, उनकी यांत्रिक समस्याओं के लिए हम स्पष्टीकरण दे सकते हैं परन्तु जब ऊष्मा विनिमयित्रों और ईंधन तथा जल के निकल जाने का प्रश्न सामने आता है तो मुझे विश्वास है कि सभा और माननीय सदस्य इस बात को महसूस करेंगे कि रिएक्टर में यह कैलेंडेरिया नलिकार सीमेंट का ढांचा है जो कि बहुत ही मोटा है और इसकी एक ओर परमाणु रिएक्टर है। इसमें परमाणु एण्ड विकिरण जैसी समस्याएं होने के कारण कोई भी मोटर कार की भांति स्क्रूड्राईवर और रेंच लेकर पहिए को खोलने नहीं बैठ सकते। इसे करने के कुछ निर्धारित तरीके और ढंग है। हम अपने तकनिशियनों को इन मुसीबतों में नहीं डालना चाहते। महोदय, यह सौभाग्य की बात है कि भारत में एक भी ऐसा परमाणु विकिरण का गम्भीर

मामला नहीं हुआ है जो इन प्रतिष्ठानों में काम करने वाले हमारे कामगारों के लिए घातक रखा हो।

महोदय, जैसा कि आप अनुभव करते हैं इस क्षेत्र में काम करना खतरनाक है और संयन्त्र में कुछ खराबी उत्पन्न होने पर यह उस क्षेत्र के लिए भी खतरनाक हो सकता है मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य और सभा यह अनुभव करेगी कि इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किसी को भी रिएक्टर का ही नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त भी मरम्मत कार्य सीखना होगा। आज हम इस प्रकार की कठिन इन्जीनियरी अथवा कतिपय पाइपों की कठिन प्लगिंग की मरम्मत करने में सफल हुए हैं।

मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा परन्तु मैं माननीय सदस्यों तथा सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम अपनी ओर से भरसक कोशिश कर रहे हैं और माननीय सदस्य ने जैसा कि संकेत किया है यह प्रधान मंत्री का विषय है और वही इसकी प्रभारी मंत्री हैं। परन्तु मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी है कि हमारी कुछ महान वैज्ञानिक उपलब्धियां, और कुछ महान प्रौद्योगिकी उपलब्धियां उनके ही कारण हुई हैं और वैज्ञानिकों का उनमें विश्वास है जिसके साथ मेरे विचार में खिलवाड़ नहीं की जानी चाहिए।

महोदय, मैं कोई बहुत बड़े स्तर का टेक्नोक्रेट तकनिशियन नहीं हूं मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मैं सर्व प्रथम तकनीशियनों पर छोड़ दूंगा परन्तु यदि तकनिशियनों और सदस्यों ने चाहा तो मैं कोटा अवश्य ही जाऊंगा। परन्तु मैं कोई करिश्मा नहीं दिखा सकता। ऐसे करिश्मे उन वैज्ञानिकों और तकनिशियनों द्वारा दिखाए गए हैं जो वहां रह रहे हैं और पूर्ण योग्यता से काम कर रहे हैं।

मैं कुछ आंकड़े सम्मानित सभा के तथा माननीय सदस्य के ध्यान में लाना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने हमारे कोटा स्थित परमाणु केन्द्र के कुछ अनुपयोग काल सम्बन्धी कुछ बातें पढ़कर सुनाई थीं। राजस्थान की विद्युत आवश्यकता 150 लाख यूनिट प्रतिदिन है। भाखड़ा ग्रिड से 37 लाख यूनिट की सप्लाई होती हैं, आर. ए. पी. I से 40 लाख यूनिट की, आर. ए. पी. II से 15 लाख यूनिट की, चम्बल से 10 लाख यूनिट की मध्य प्रदेश विद्युत बोर्ड से 2 लाख यूनिट की और स्थानीय 2 लाख यूनिट की। अतः ये दो केन्द्र राजस्थान की बिजली का आवश्यकता का 30 से 40 प्रतिशत नहीं, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, अपितु 60 प्रतिशत सप्लाई करते हैं।

मुझे विश्वास है कि आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि यह राजस्थान का भविष्यत तकालिक प्रतिष्ठापन है। यह कोई बहाना नहीं है परन्तु राजस्थान केवल आर. ए. पी. I और आर. ए. पी. II पर निभर नहीं रह सकता।

जैसा कि मैंने बताया है, 1980 में ग्रिड में उतार-चढ़ावों के कारण हमने उस पर ध्यान दिया था और कुछ आवश्यक सुधार किए गये थे। परन्तु दुर्भाग्य से जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, कभी-कभी विकास की अवस्थाओं में हमें इन विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और हमारे अनुसंधान और विकास को आधुनिक रूप देने के लिए, वे हमारे लिए सीखने

लायक पाठ हो सकते हैं। यह राजस्थान के विकास की कीमत पर नहीं हो सकता है और हमने इस विचार को अपने सर्वोच्च स्थान देने का प्रयास किया है।

महोदय, माननीय सदस्य ने सूखे का भी उल्लेख किया था। उस अवस्था में 1-4-81 से 30-9-81 तक आर. ए. पी.-I और आर. ए. पी.-2 ने 6413 लाख यूनिट सप्लाई की थी।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : मेरे विचार से वह गलत बोल रहे हैं। इसे ठीक करने की आवश्यकता है। इसकी जांच कराइये।

श्री सी. पी. एन. सिंह : मैं उत्तरदायित्व की भावना से कह रहा हूं। यदि यह गलत है तो मैं इसकी जांच करूंगा।

इसका अर्थ यह हुआ कि राजस्थान की सूखे की अवधि में, हमने किसी न किसी ढंग से उस अवस्था में, जो समस्याएं पैदा हो गईं थीं उन्हें कम करने का प्रबन्ध किया था परन्तु महोदय, इस अवस्था में, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, कृषि और उद्योग में हुई हानि की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। उसके लिए मैं केवल आर. ए. पी.-I और आर. ए. पी.-2 को ही दोष नहीं दूंगा। यह मुसीबतों में और वृद्धि करने का एक कारण हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जानपूछ कर नहीं किया गया था।

भविष्य के लिए मैं माननीय सदस्य को आपके और इस सम्मानित सदन के माध्यम से एक बार फिर बता देता हूं कि आवश्यक पूर्वोपाय करके हम यह प्रयत्न करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आर. ए. पी -I और आर ए. पी.-2 से अधिकतम सम्भव बिजली उत्पादन बनाये रखा जाए। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपनी बात में सही हैं। हम उन्हें यह कहने का अवसर नहीं देंगे कि हमने भरसक प्रयत्न नहीं किया।

सभापति महोदय : वह यह जानना चाहते थे कि यह कब तक ठीक कर दिया जायेगा।

श्री सी. पी. एन. सिंह : महोदय, यदि किसी विशिष्ट परमाणु-रिएक्टर को, जो कि बिजली उत्पादन कर रहा होता है, उत्पादन से बाहर कर दिया जाता है तो उसे ग्रिड में वापिस लाने में कम से कम छः से आठ सप्ताह का समय लग जाता है।

यहां मैं माननीय सदस्य और सदन को यह याद दिलाना चाहूंगा कि आर्थिक दवाओं और बिजली के कम उत्पादन के कारण ही हमने लम्बे समय तक नियोजित अनुपयोग काल नहीं रखा है। यदि हम किसी संयंत्र में आठ सप्ताह या उससे अधिक अनुपयोग काल चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसे यथासम्भव शीघ्र ग्रिड में वापिस लाने के लिए दबाव पड़ने लगते हैं।

अब मैं माननीय सदस्य और सदन को विनय पूर्वक याद दिलाना चाहूंगा कि दबाव और बिजली का कम उत्पादन ही ऐसे कारण हैं कि हमने लम्बे समय तक के नियोजित अनुपयोगकाल नहीं रखे हैं। यदि हम किसी संयंत्र में आठ सप्ताह या इससे अधिक का अनुपयोगकाल चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते और सभी सम्बद्ध विभागों से पन्द्रह या बीस दिन के भीतर ही वापसी के दबाव पड़ने आरम्भ हो जाते हैं।

इस प्रकार के दबाव में हमारे अभियन्ताओं और वैज्ञानिकों को कार्य करना पड़ रहा है। वे भी भारतीय हैं और मैं नहीं समझता कि हमें उन्हें दोष देना चाहिए। परन्तु ग्रिड में

वापिस आने का दबाव सदैव एक ऐसा कारण रहा है जिसके कारण हम योजनाबद्ध अवधि तक अनुपयोग काल को बनाए रखने में असमर्थ रहे हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : सभापति जी यह एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है कि हम अपने देश का उत्पादन बढ़ाएं। उसके साथ-साथ जो आज की आवश्यकता है और इस उत्पादन वर्ष की बात है, उसकी पूर्ति के लिए जो सबसे जरूरी स्रोत है, एनर्जी, उसकी आज राजस्थान में बहुत कमी है। राजस्थान में आज चारों तरफ अन्धकार है। वहां बिजली नहीं है और बिजली न होने के परिणामस्वरूप औद्योगिक उत्पादन के लिए और सिंचाई के कार्यों के लिए जितनी बिजली चाहिए, वह नहीं मिल रही है। उसके कारण किसानों की खेती बर्बाद हो रही है, घरेलु उद्योग धंधे उसके कारण प्रभावित हुए हैं। हम हर वर्ष को किसी न किसी रूप में मनाते रहे हैं। महिला वर्ष मनाया गया, विकलांग वर्ष मनाया गया, बाल वर्ष मनाया गया और इस वर्ष को उत्पादन वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है जब कि उर्जा की स्थिति विकलांग सरीखी है। मैं यह नहीं कहता कि इस तरह से वर्ष नहीं मनाए जाने चाहिएं, लेकिन ऊर्जा उत्पादन की स्थिति काफी गंभीर है, इसलिए मेरा कहना है कि यह जो एटामिक पावर प्रोजेक्ट है. इसमें जो दो यूनिट कमीशन हुए हैं उनमें उत्पादन कम होता गया है। 1979-80 में 12513.5 लाख यूनिट उत्पादन हुआ। 1980-81 में 10482 9 लाख यूनिट उत्पादन हुआ। 1981-82 में 5041.3 लाख यूनिट उत्पादन हुआ। इससे पता चलता है कि उत्पादन निरंतर गिरता गया। दूसरे यूनिट की भी यही स्थिति रही।

सभापति महोदय : प्रश्न पूछिए।

श्री सत्यनारायण जटिया : सभापति जी, महत्वपूर्ण मामला है। जो हैवी वाटर उपयोग किया जाता है ए मार्डरेटर और हमारे यहां कैनेडियन डीटेरियम यूरेनियम प्रेस्काइब हैवीवाटर मार्डीनेटर एण्ड कूल टाइप रिएक्टर लगाए गए हैं। हमें गर्व है कि यहां पर जो यूरेनियम उपयोग में लाया जाता है वह देशी है। लेकिन यहां पर जो हैवी वाटर उपयोग किया जाता है, उसकी तादाद काफी है और उसकी एक किलो की कीमत 3000 रुपए होती है। अभी पिछले दिनों तीन टन हैवी-वाटर रिस गया था जिससे देश को एक करोड़ रुपए की हानि हुई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह से हमारे वैज्ञानिकों को हतोत्साहित तो नहीं किया जा रहा है। हमारे यहां नई टेक्नालाजी का विकास हो रहा है, इसमें समय लगेगा, लेकिन इस तरह से ये जो यूनिट बार-बार खराब हो जाते हैं, यह स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। उत्पादन प्रभावित हो रहा है। आपको पता होगा यूनिटों के बन्द होने से 440 मेगावाट की एक साथ कमी हो जाती है और इतनी कमी आ जाने पर किसी प्रदेश में कोई काम करने की गुंजाइश नहीं रह जाती। इस तरह से हमारा मंत्रालय इस स्थिति में किस तरह से सुधार करेगा, यह मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं, जिससे राजस्थान को विद्युत संकट की स्थिति से उबारा जा सके।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है और लोगों के जन जीवन से सम्बन्धित है। मैं चाहता था कि जब दूसरी बार हाफ एन आवर डिसक्स हो रहा है तो प्रधान मन्त्री जी को स्वयं रहना चाहिए था। पिछली बार की प्रोसीडिंग देखी और तब से जो जवाब आ रहे हैं उन सब में एक ही चीज कही जाती है कि सरकार इसके सुधार के लिए कार्यवाही कर रही है और प्रयत्न कर रही है और जितने आप प्रयत्न कर रहे हैं

उतने ही आप पीछे भागते जा रहे हैं। अभी जिस प्रश्न के सम्बन्ध में जवाब दिया गया है, हाफ एन आवर डिसकशन है, उसमें देखिए कि अप्रैल से सितम्बर तक 11 दिन तक यूनिट बन्द था। अक्तूबर में आयकर 31 दिन बन्द रहा। नवम्बर में 30 दिन बंद रहा, दिसम्बर में 31 दिन बंद रहा और जनवरी 1982 में 29 दिन बंद रहा। अब जवाब में ये कहते हैं कि दोनों यूनिटों को समय-समय पर उपकरणों से सम्बन्धित समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं। आवश्यक कदम पहले भी उठाये गये थे और 28 नवम्बर 1981 को प्रश्न के जवाब में भी यही बताया गया था, उसके बाद स्थिति 31 दिन के बंद तक पहुंत गई। अभी मेरे साथी ने जो कहा कि डूब कर मरना चाहिए, मैं तो कहता हूं कि चुल्लू भर पानी में डूब कर मरना चाहिए। यह हालत है। कदम क्या उठा रहे हैं। यूनिट को बंद करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

आज यह सबसे लेटेस्ट टेक्नालाजी है और इसी पर भरोसा किया जा सकता है। क्योंकि पनबिजली के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि सूखा पड़ जाता है। थर्मल पावर के लिए कोयला अच्छा नहीं मिलता, केवल वही लेटेस्ट टेक्नालाजी है जिसमें न सूखे का डर रहता है न कोयले का डर रहता है। इससे बढ़िया तरीके से काम चलता रह सकता है। आप परमाणु बिजली पर ही भरोसा करना चाहते हैं। यह भी 3 दिन में 31 दिन और 30 दिन में 30 दिन गायब रहे तो क्या कदम उठाए जा रहे हैं यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इस महत्वपूर्ण सवाल पर जब चर्चा हो रही है तो मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री को स्वयं आकर इस पर प्रकाश डालना चाहिए था और देश की ओर सदन को इसके बारे में आश्वस्त करना चाहिए था।

देश में कितने मैगावाट की टोटल कैपेसिटी है कितने मैगावाट की आवश्यकता है और कितने मैगावाट जैनरेट हो रही है और भविष्य में कितने मैगावाट की जरूरत होगी यह भी पता चलना चाहिए। 21 जनवरी 1981 को सेठना साहब का एक लेख छपा था जिस में उन्होंने लिखा था कि भूत में मैं क्या कर रहा था, वर्तमान में मैंने कितना अचीवमैंट किया है और आने वाले दस वर्षों में मेरी योजना कितने हजार मैगावाट बिजली तैयार करने की है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि देश की टोटल कैपेसीटी क्या है, कितनी जैनरेट होती है, कितनी मैगावाट की आवश्यकता है और दस साल के लिए आपने कोई योजना बनाई है तो वह क्या है ?

नवम्बर महीने में प्रधान मत्री के जवाब में तीन बातें बताई गई थीं एक तो उपकरण इसका कारण बताया था, दूसरे सही ढंग से काम का न होना और मानवीय भूल। मैं जानना चाहता हूं कि जो उपकरण आप लेते हैं क्या उनके बारे में कोई एग्रीमेंट आप नहीं करते हैं, कोई गारंटी नहीं लेते हैं। कनाडा से आपने एग्रीमैंट किया। तब क्या कोई गारटी ली गई थी कि कितने साल इसकी गारटी है ? यदि उसमें यह सामान था उपकरण खराब हो जाता है तो क्या उस गारंटी के मुताबिक आप उसको रिटर्न कर सकते थे या नहीं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि उपकरण जो खराब हो गये हैं क्या उसको लेकर आपने कनाडा सरकार से कोई मुआवजे की बात की है ?

आपने जनवरी के महीने तक का फिगर दिया है। यह 24 फरवरी का उत्तर है। आपने उस में कहा था कि मैं समाधान के लिए आवश्यक कदम उठा रहा हूं। मैं जानना चहता हूं कि

फरवरी महीने की आपकी प्रगति की रिपोर्ट क्या है ? फरवरी महीने में कितना उत्पादन हुआ है, कितने दिन तक बिजली घर बंन रहा ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : माननीय सदस्यों ने जो बात बताई है उनमें मैं अपने आप को शामिल करता हूं और उनको दौहराना नहीं चाहता । आर. ए. पी. पी. मेरी जो कोटा कंस्टिट्युएंसी उसके सबसे नजदीक है । कंस्टिट्युएंसी वह दूसरी हो जाती है लेकिन मेरे वह सबसे नजदीक है ।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री जी ने बहुत ईसानदारी के साथ ये जो दो यूनिट है, उनकी फंकशनिंग के बारे में, उसकी कमजोरी के बारे में व्यान दिया है और ईमानदारी से स्वीकार किया है । पहली बार उन्होंने ऐसा किया है । उन्होंने कहा है कि दोनों यूनिटों की जो हमारी स्टेज है वह अपड़ेटिंग और रिसर्च की है । इसके बाद अन्य बातें कहना अपने आप में निरर्थक हो जाता है । अभी तक तरह-तरह के एक्सक्यूज दिये जाते थे। दोनों यूनिटों के फेल होने पर तरह तरह के एक्सक्यूज दिये जाते थे जहां तक ग्रिड फलक्चुएशन का सवाल है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप अपने स्तर पर इसकी और जांच करा लें कि राजस्थान इलैक्ट्रसिटी बोर्ड ने इस आरोप को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है कि आर. ए. पी. पी की खराबी ग्रिड के अन्दर फलक्चुएशन की कमी या ज्यादा होने के कारण होती है । मंत्री महोदय को भी इसको स्वीकार कर लेना चाहिए । दोनों यूनिटों के अन्दर क्या डिफैक्ट किस समय होता है, इसको उनको देखना चाहिए । इस चीज को मन्त्री महोदय ने सीधे शब्दों में तो स्वीकार नहीं किया है लेकिन दबे दम इसको जरूर माना है कि खराबी का कोई दूसरा कारण है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जिस समय ये दोनों यूनट फंकशन करते हैं तो रेडियो एक्टिविटीज के अन्दर जब इरेगुलेरेटीज होती हैं, कोई डिफैक्ट उस समय आता है और ब्रेक डाउन होता है तो किसी भी यूनिट को उस समय खोला नहीं जा सकता है ? जब रेडिया ऐक्टिविटी सबसाइड हो जाती है उसके बाद ही उसके रीऐक्टर को आप खोल सकते हैं । इसलिए क्या यह सच है कि इन हालात में तुरन्त ब्रैकडाउन के बाद इन रीएक्टर्स को न खोले जाने के कारण आप पता नहीं लगा सकते किन कि कारणों से ब्रैक डाउन हुआ है, क्या फैक्ट है ?

हमारे देशों या विदेशों में जितने भी ऐटामिक पावर प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं उनका अनुभव क्या है ? कितने दिन तक लगातार उन यूनिट्स को बिजली प्रोडयूस करनी चाहिए बिना ब्रैक के कितने दिनों बाद उनका मेन्टेनेंस करना चा हए और उसमें कितना समय लगता है ? इसके मुकाबले में हमारी दोनों यूनिट्स की क्या स्थिति है ?

क्या यह सही है कि आज तक इन रीऐक्टर्स में से किसी भी यूनिट ने 15 दिन तक रेगुलर काम नहीं किया है ? हर 7,8 दिन में ब्रैक डाउन हुआ है ?

जो लीकेज आफ हैवी वाटर है और जो डर है कि रेडियो ऐक्टिविटी चम्बल में न चली जाय जिसका पानी उसके नीचे आने वाले इलाके में पीने के काम आता है क्या इस खतरे के बारे में आपने पूरी सावधानी बरती है ?

आपने यूनिट नम्बर 1 में क्या क्या डिफेक्टस थे, मशीनरी में या टरवाइंस में वह तो बता दिये, लेकिन यूनिट नम्बर 2 में अब तक कौन कौन से डिफेक्टस आपकी नालिज में आये हैं और

कहां तक ठीक किया है ? और क्या यह भी सही है कि यूनिट नम्बर 2 के फैब्रीकेशन का काम लारसन और टूबरों ने किया है। क्या यह सही है कि इसके खराब काम के कारण ही यह ब्रैक डाउन हुआ है ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) पहला सवाल तो यह है कि मंत्री जी ने उपस्करों की खराबी की बात कही है और लगभग एक साल में आप उसको दुरुस्त नहीं कर सके हैं बल्कि स्थिति खराब ही होती जा रही है। तो कोटा अणु बिजली घर में इस खराबी की वजह से सरकार को आमदनी में कितनी क्षति हुई है अब तक ? आपने बिजली घर में 324 करोड़ की पूंजी लगाई है तो उसके बाद इन उपस्करों को ठीक-ठाक करने या और आवश्यक सामग्री जुटाने में आपको कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ी है ;

यह भी आप बतायें कि इस बिजली घर की खराबी की वजह से जो उपभोक्ताओं को क्षति पहुंची है जिसमें मुख्य रूप से उद्योग धन्धे और किसान हैं, इसके बारे में कुछ अन्दाज हमें दे सकें तो बड़ी कृपा होगी।

तीसरे वहां जो मजदूर काम करते हैं उनकी अभी क्या स्थिति है ? क्योंकि कारखाना तो बन्द है, आप उनको बैठा कर पैसा दे रहे हैं कि नहीं ? क्या स्थिति है ? जनरल सवाल के रूप में मैं यह पूछना चाहता हूं कि अणु बिजली घर की स्थापना के बारे में सरकार की अभी क्या नीति है, ताकि हमें यह मालूम हो कि आप बिजली के उत्पादन के लिये इस प्रकार के साधन का कहां तक इस्तेमाल करना चाहते हैं ?

श्री सी. पी. एन. सिंह : सभापति महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने यहां यह प्रश्न उठाया है और कुछ ऐसी चर्चा में भी भाग लिया है जो कि न केवल संगत है अपितु देश के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।

माननीय सदस्यों, श्री गोयल और श्री पासवान ने कुछ सीधे प्रश्न पूछे हैं। मैं पहले उनके प्रश्नों के उत्तर देना चाहूंगा।

राजस्थान के माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि क्या परमाणु आर ए. पी. पी. 2 में जिसे भारत में ही डिजाइन बनाकर तैयार किया गया था कोई विशिष्ट समस्या खड़ी हो गई थी और क्या उपस्कर के सप्लायरों ने घटिया दर्जे की सामग्री सप्लाई की थी। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां तक सम्भव हो सकता है और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, प्रत्येक विभाग में सरकार कुछ प्रक्रिया अपनाती है तथा मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन प्रक्रियाओं में घटिया किस्म की सामग्री के लिए कोई स्थान नहीं रहता है। फिर भी जब स्थिति बिगड़ने लगती है तो विभिन्न कारण उससे जोड़ दिये जाते हैं। परन्तु जैसा कि राजस्थान के सांसद श्री जैन ने प्रारम्भ में कहा था, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि तकनीकी लोगों की एक समिति निश्चित रूप से समस्याओं पर ध्यान देगी। श्री सेठना कोटा पहुंच चुके हैं और सरकार यथासम्भव इसमें सहायता करेगी। अन्य प्रश्न, जहां तक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का सम्बन्ध है, बिजली उत्पादन की भावी योजना के बारे में थे। वर्तमान परिचालन क्षमता 860 मैगावाट की है और 1410 मैगावाट निर्माणाधीन हैं अर्थात् कुल 2270 मैगावाट और वर्ष 2000 तक परमाणु बिजली घर 10,000 मैगावाट बिजली का उत्पादन करने लगेंगे।

माननीय सदस्य श्री शास्त्री सदैव क्षमिकों के बारे में चिंतिन्त रहते हैं और 1980 में भी श्री जैन के निवेदन पर की गई आधा घन्टे की चर्चा के दौरान भी उन्होंने इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था और जैसा उत्तर मैंने 1980 में दिया था ऐसा ही अभी भी दूंगा। यदि श्रमिक प्रसन्न नहीं होते तो वैसी हड़ताल कर बैठते जैसी कि उन्होंने 1977-78 के दौरान की थी। सौभाग्य से, 1980 के बाद श्रमिक सम्बन्ध बहुत अच्छे रहे हैं और इस तरह की कोई श्रमिक समस्या हमारे सामने नहीं आई है जैसी कि हमारे सामने 1977-78 के दौरान थी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय सदस्य यह सब जानते हैं।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैंने एक सीधा सा प्रश्न पूछा था कि कैनाडा के साथ किए गए एग्रीमेंट के अन्तर्गत कोटा एटामिक पावर स्टेशन के लिए जो सामान आया था, क्या उसकी कोई गारन्टी थी; अगर थी, तो कितने समय के लिए थी, और उसमें जो खराबी आई है, तो क्या उसके सम्बन्ध में कैनाडा सरकार से बातचीत हुई है और क्या सरकार ने मुआवजे की मांग की है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं जानना चाहता हूं कि देश में और विदेशों में एटामिक पावर प्राजेक्ट्स में रीएक्टर को रेगुलरली विदाउट ब्रेक कितने घन्टे तक काम करना चाहिए और उसके मुकाबले में वे हमारे यहां कितना काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय : नहीं श्रीमान गोयल जी। कृपया श्री गोयल के प्रश्न का उत्तर न दें।

श्री सी. पी. एन. सिंह : मेरे विचार से कुछ गलत फहमी हो गई है। रिएक्टर द्वारा परमाणु विजली उत्पादन और टरबाइन द्वारा बिजली उत्पादन ये विद्युत उत्पादन की भिन्न अवस्थाएं हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं यह तो आदि रूप है। इसे तो अग्रिम परियोजना के रूप में प्रयोग किया गया था, वाणिज्यिक रूप में नहीं, जो कनाडा में डगलस प्लाइंट रिएक्टर के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी अवस्था थी जबकि वे भी परमाणु बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नये थे। आज उन विकसित रिएक्टरों को पिकरिंग रिएक्टरों के नाम से जाना जाता है जिनकी उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट है। हम भी मद्रास या नरौरा स्थित अपने भावी सयन्त्रों में यही सब कुछ कर रहे हैं। वास्तव में यह कहना ठीक नहीं है कि यह विशिष्ट संयन्त्र पुराना पड़ गया था या यह उन विशिष्टियों पर पूरा नहीं उतर रहा जिन्हें समझौते में स्वीकार किया गया था।

सदस्य की गिरफ्तारी

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणी पाणिगृही) : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि अध्यक्ष, लोक सभा को सम्बोधित दिनांक 5 मार्च, 1982 का निम्नलिखित सन्देश पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली, से आज प्राप्त हुआ है :—

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि श्री सुशील भट्टाचार्य, सदस्य, लोक सभा ने अपने दल के अन्य कार्यकर्त्ताओं के साथ शास्त्री भवन की ओर के डा० राजेन्द्र प्रसाद मार्ग तथा जनपथ के चौराहे पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत लागू की गई निषेधाज्ञा का 5-3-1982 को 3.30 बजे म. प. जानबूझ कर उल्लंघन किया। उन्हें अन्य व्यक्तियों के साथ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत पुलिस थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली के मामला प्रथम सूचना रपट संख्या 109, दिनांक 5-3-1982 के संबंध में गिरफ्तार किया गया। उन्हें मेट्रोपोलिटन मेजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।"

7. 02 म. प.

तत्पश्चात लोक सभा सोमवार 8 मार्च 1982/17 फाल्गुन, 1903 (शक) के 11 बजे म. पू. तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्क्स,472 साईकिल मार्किट दिल्ली-6